खण्ड-511, अंक-09
गुरुवार, 08 फाल्गुन, शक संवत् 1941
(27 फरवरी, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2020)

(खण्ड-511 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2020

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	7-50
लखनऊ काफी हाउस पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	...	50-53
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	...	...	53
आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु नियत 24 दिन से कम मात्र 02 दिन निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	54-55
एक वर्ष में सदन की बैठक 90 दिन चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	...	55-59
मा0 सदस्य के 10 लाख रुपये की चोरी के मुकदमें में पुलिस द्वारा गलत फाइनल रिपोर्ट लगाकर दोषियों को बचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ पासवान द्वारा औचित्य का प्रश्न	...	...	59-61
नियम-301 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी द्वारा आई स्पर्श ग्राम योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को निर्गत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट	...	...	61
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	62-64
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड अन्तर्गत देवरिया-बलिया अन्तर्जनपदीय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	64-65
जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत किठावर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		65
लखनऊ-बलिया राजमार्ग के रसड़ा तहसील में हिता के पूरा स्थित रेलवे क्रांसिग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	65
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय कच्चे मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...		66
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत कतिपय कच्चे मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	66

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत आनन्दधाम सरोवर के सौन्दर्यीकरण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67-68
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत कतिपय गांवों को रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	68
जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	68
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में स्थित आमघाट रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
उत्तर प्रदेश राज्य में स्वतंत्र फिजियोथेरेपी चिकित्सा आयोग का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	69-70
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत बल्देव से बरौली, नेरा, मादौर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद हरदोई में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70-71
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कतिपय स्थानों पर हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
जनपद हमीरपुर में अनियमित ढंग से आवंटित राशन की दुकानों की जांच कराये जाने एवं निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद श्रावस्ती में पुलिस द्वारा अवैध रूप से बालू खनन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत राही ब्लाक के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों को सरकार द्वारा विस्थापित किये जाने व उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर के0जी0एम0यू0 के सैटेलाइट सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत कैथी मांझा एवं कतिपय बस्तियों में मूलभूत सुविधाायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र महिलाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असोहा से ग्राम खरगीखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद सहारनपुर के उत्तम विहार कालोनी के अन्तर्गत अवैध रूप से बन रहे मोबाइल टावर का निर्माण कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77-78
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2016-17 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	78
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	78
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 11 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	79-80
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 08 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	80-81
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	82
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 07 याचिकाएं एवं जनपद मथुरा से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	82-83
श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयीं)	83
श्रीमती निर्मला संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	83-84
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	84-85
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	85
श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 06 याचिकाएं एवं जनपद सम्भल से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	85-86
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 12 याचिकाएं एवं जनपद रामपुर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं बिजनौर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	86-87
'प्रिंन्स' वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 12 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	87-89
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	89-90
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	90
श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 23 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं) ...	90-93

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	93-94
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	94
श्री विपिन कुमार 'डेविड', सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	94-95
श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	95
श्री दिनेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	95-96
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	96-97
श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	97-98
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	98
श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	98-99
डॉ0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	99-100
श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	100
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद महोबा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	101
श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	101-102
श्री गंगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	102-103
श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	103-104
श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	104
श्री कमल सिंह मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	104
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	104-105
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	105
श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	105-106
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	106
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	106
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	107
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	107-109
श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	109
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित 03 याचिका एवं जनपद हापुड़ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयी)	109
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 03 याचिकाएं एवं जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	109-110
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	110-111

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	111-112
डॉ0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	112
श्री चन्द्रपाल कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	112-113
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	113
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	114
श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	114
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	114-115
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	115-116
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	116
श्री चौधरी नाहिद हसन, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	116
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं एवं जनपद जालौन से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	116-117
श्री ठा0 रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	117
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	117-118
श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	118-119

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	119
श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	119
श्री संजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	119-120
श्री उमेश मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	120
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी) ...	120-121
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	121
श्री धीरेन्द्र बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	121
श्री त्रिवेणी राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	121
श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	122-123
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर वित्त मंत्री का उत्तर भाषण	123-139
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	139-150
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	150-151
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (स्वीकृत) ...	151-168
आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर समय निर्धारण	168-169
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान	169
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)..	169-176
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	176

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	...		176
अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	...		177-184
अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...		185
अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...		185
अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)	...		185
अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु (स्वीकृत)	...		185
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत)	...		186-214
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अनुमोदन एवं उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)			215-231
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 (पारित)	...	...	231-240
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	...	...	241-249
पीठ द्वारा मा0 सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना			249
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं	...		249-250
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	...	...	250-252
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	252-254
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज के कतिपय ए0पी0 तटबन्धों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का वक्तव्य	...		255-259
जनपद महाराजगंज के सोहगी बरवा वन्य क्षेत्र से 05 कि0मी0 की परिधि में स्थित ईंट-भट्ठों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	...	...	259-261
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत सरयू नदी पर बने बांध का अनुरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का वक्तव्य	...		261-263

विषय	पृष्ठ-संख्या
जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक, सीतापुर सहित आठ पालीटेक्निक में शैक्षणिक सत्र शून्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	264-267
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में वनों के किनारे खाईं का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	267-269
जनपद सहारनपुर में घंटाघर के नजदीक स्थित राजीव तलवार आदि के प्लाट के पश्चिम में सुमित मलिक आदि दबंगों द्वारा अवैध रूप से खोली गयी खिड़कियों आदि को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ...	269-271
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य... ...	271-273
जनपद गोरखपुर के सहजनवां में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीतल पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	273
जनपद प्रयागराज के फूलपुर के अन्तर्गत कतिपय कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	273-274
जनपद रामपुर में नियम-52-क के तहत अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	274-277
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय इण्टर कालेजों में शिक्षका/अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर (स्थगित) ...	277
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुरूप सहारनपुर नगर के बीचों-बीच बह रहे ढमोला नदी के पिचिंग कार्य का वित्त पोषण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	277-280

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर निवासी श्रीमती शिप्रा राठी के भट्ठे सम्बन्धी मुआवजा का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य	280-282
जनपद महाराजगंज की तहसील नौतनवां में जिगना चकदह तटबन्ध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का वक्तव्य	282-284
कानपुर नगर के पेयजल संकट को दूर करने व जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की अधूरी परियोजनाएं पूरी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	284-286
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत गौर वाल्टरगंज मार्ग पर राजस्व ग्राम कर्मी एवं बेलवरिया के जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण का केवल वक्तव्य	286-287
जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया लालगंज में स्थापित ट्रामा सेन्टर में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	287-288
जनपद सुल्तानपुर में अवैध खनन की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	288-289
बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा 1209 नक्शों को अवैध घोषित कर नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	289-292
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में निर्मित ट्रामा सेन्टर में डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	292-293

विषय			पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के यमुना नदी पर बने नवीन पुल के अधोमानक निर्माण की जांच एवं उक्त क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	293-294
नत्थियां	...	...	295-334

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

<u>उपस्थित सदस्य-322</u>

1-अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
2-अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
3-अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
4-अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
5-अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
6-अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
7-अजीत पाल सिंह, श्री कानपुर देहात
8-अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
9-अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10-अनिल पराशर, श्री अलीगढ़
11-अनिल राजभर, श्री वाराणसी
12-अनिल सिंह, श्री उन्नाव
13-अनीता, श्रीमती अम्बेडकरनगर
14-अनीता लोधी राजपूत, डा0 बुलन्दशहर
15-अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
16-अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
17-अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
18-अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
19-अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
20-अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
21-अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
22-अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
23-अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
24-अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
25-अरविन्द गिरि, श्री खीरी
26-अरुण कुमार, डॉ0 बरेली
27-अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
28-अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) वाराणसी
29-अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
30-अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
31-असलम अली, श्री हापुड़
32-आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
33-आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
34-आनन्द शुक्ला, श्री चित्रकूट
35-आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
36-आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
37-आलमबदी, श्री आजमगढ़
38-आशीष सिंह पटेल ''आशू'',श्री हरदोई
39-आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
40-इकबाल महमूद, श्री सम्भल
41-इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
42-इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
43-इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
44-उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
45-उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
46-उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
47-उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
48-ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
49-कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
50-करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर

51-कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
52-कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
53-काली प्रसाद, श्री देवरिया
54-किरत सिंह, श्री सहारनपुर
55-कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
56-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
57-केसर सिंह, श्री बरेली
58-कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
59-कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
60-कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
61-गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
62-गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
63-गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
64-श्री गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
65-गौरी शंकर, श्री जालौन
66-चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
67-चन्द्र प्रकाश उर्फ
सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
68-चेतन चौहान, श्री अमरोहा
69-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
70-छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
71-जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
72-जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
73-जय देवी, श्रीमती लखनऊ
74-जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
75-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
76-जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
77-जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
78-जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
79-ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
80-ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
81-डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
82-तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
83-तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
84-तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
85-त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
86-दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
87-दल बहादुर, श्री रायबरेली
88-दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
89-दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
90-दिग्विजय नारायण उर्फ
जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
91-दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
92-दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
93-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
94-देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
95-देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
96-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
97-देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
98-देवेन्द्र सिंह लोधी
एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
99-धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
100-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
101-धर्मराज सिंह यादव उर्फ
सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
102-धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
103-धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य
''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
104-वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
105-धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
106-नईम उल हसन, श्री बिजनौर
107-नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
108-नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
109-नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
110-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
111-नरेश सैनी, श्री सहारनपुर

112-नवाब जान, श्री मुरादाबाद
113-नाहिद हसन, श्री शामली
114-नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
115-निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
116-नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
117-नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
118-नील रतन सिंह पटेल नीलू, श्री वाराणसी
119-पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
120-पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
121-पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
122-पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
123-पल्टूराम, श्री बलरामपुर
124-पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
125-पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
126-प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
127-प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
128-प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
129-प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
130-प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
131-प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
132-प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
133-फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
134-बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
135-बम्बा लाल, श्री उन्नाव
136-बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
137-बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
138-बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
139-बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
140-बावन सिंह, श्री गोण्डा
141-बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
142-बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
143-बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
144-बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
145-बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146-बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
147-बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
148-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
149-ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
150-भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
151-मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
152-मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
153-मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
154-मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
155-मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
156-ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
157-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
158-महबूब अली, श्री अमरोहा
159-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
160-महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
161-महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
162-माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
163-माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
164-मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
165-मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
166-मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
167-मो0 गुलाब सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
168-मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
169-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
170-मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
171-युवराज सिंह, श्री हमीरपुर

172-योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
173-योगेश धामा, श्री बागपत
174-रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
175-रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
176-रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
177-रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
178-रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
179-रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
180-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
181-रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
182-रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
183-रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
184-रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
185-रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
186-रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
187-राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
188-राकेश राठौर, श्री सीतापुर
189-राकेश सिंह, श्री रायबरेली
190-राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
191-राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
192-राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
193-राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
194-राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
195-राजबाला, श्रीमती रामपुर
196-राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
197-राजीव तरारा, श्री अमरोहा
198-राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
199-राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
200-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
201-राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
202-राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
203-राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
204-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
205-राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
206-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
207-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
208-राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
209-राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
210-रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
211-राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
212-राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
213-राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
214-रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
215-रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
216-रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
217-लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
218-लाखन सिंह, श्री औरैया
219-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
220-लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
221-लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
222-विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
223-विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
224-विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
225-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
226-विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
227-विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
228-विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
229-विजय मिश्र, श्री भदोही
230-विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
231-विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
232-विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर

233-विनय शाक्य, श्री औरैया
234-विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
235-विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
236-विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
237-विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
238-विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
239-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
240-वीरेन्द्र, श्री एटा
241-वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
242-शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
243-शशांक वर्मा, श्री खीरी
244-शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
245-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौलही
246-शाह आलम उर्फ
गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
247-शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
248-शीतला प्रसाद
''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
249-शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
250-शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
251-शैलेश कुमार सिंह
''शैलू'', श्री बलरामपुर
252-शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
253-श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
254-श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
255-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
256-श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
257-श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
258-श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
259-संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
260-संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
261-संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
262-संजय, श्री बुलन्दशहर
263-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
264-संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
265-संजय यादव, श्री बलिया
266-संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
267-संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
268-संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
269-संजीव राजा, श्री अलीगढ़
270-संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
271-संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
272-सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
273-सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
274-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
275-सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
276-सत्य प्रकाश अग्रवाल
''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
277-सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
278-सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
279-सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
280-सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
281-साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
282-साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
283-सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
284-सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
285-सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
286-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
287-सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
288-सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
289-सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
290-सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
291-सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
292-सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
293-सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
294-सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर

295-सुरेश कुमार, श्री शामली
296-सुरेश कुमार, श्री अमेठी
297-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
298-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
299-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
300-सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
301-सुरेश राही, श्री सीतापुर
302-सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
303-सुशान्त सिंह, कुं0 बिजनौर
304-सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
305-सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
306-सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
307-सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
308-सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
309-सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
310-सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
311-सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
312-स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
313-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
314-हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
315-हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
316-हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
317-हरीराम, श्री सोनभद्र
318-हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
319-हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
320-हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
321-हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
322-हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव
323-रिक्त

नोट :-उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क), तारांकित प्रश्न संख्या-01 श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी का है। माननीय व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जी।

प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों के प्रवेश में स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर 10 बच्चों के प्रवेश किये जाने की योजना बनाये जाने विषयक

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों के प्रवेश में स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर 10 बच्चों के प्रवेश किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल) (अनुपस्थित)-

प्रदेश के जनपदों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों के प्रवेश में स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर 10 बच्चों के प्रवेश दिये जाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की कार्यवाही राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश के द्वारा अभ्यर्थी के इच्छित व्यवसाय हेतु निर्धारित अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (कक्षा-8, हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सम्पादित करायी जाती है। इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाना विचाराधीन नहीं है।

श्रम, सेवायोजना एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-)

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विभागीय मंत्री जी के यहाँ शादी है वह चले गये हैं इसलिये उन्होंने मुझसे जवाब देने के लिये अनुरोध किया है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आज कपिल देव अग्रवाल जी के यहाँ एक शादी है इसलिये माननीय मौर्य जी उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप तो मंत्रि-परिषद् के वरिष्ठ सदस्य हैं।

(माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर पढ़ा गया।)

श्री अध्यक्ष-

अब इससे बढ़िया उत्तर क्या होगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इस सदन में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के चुने हुये समस्त विधायकों के सम्मान और अधिकार से सम्बन्धित था। भारत सरकार ने पहले से भी यह व्यवस्था कर रखी है कि जो केन्द्रीय विद्यालय हैं उनमें वहाँ के चुने हुये लोक सभा के सदस्य को 20 छात्रों के प्रवेश के लिये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय में भी मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर जो प्रवेश होता है उसके अतिरिक्त यह व्यवस्था की गयी है कि मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट जो अनुशंसा करेगा उन 20 बच्चों का एडमिशन ले लिया जायेगा। इसका मतलब भारत की लोक सभा में जो यह कानून बना वह कहीं न कहीं वैधानिक है। मैनेजमेंट कॉलेजों में भी मैनेजमेंट कोटे की सीटें दी गयी हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से प्रत्येक लोक सभा सदस्य के लिये अपने जनपद में 20-20 बच्चों के प्रवेश की जो संवैधानिक व्यवस्था नियमानुसार की गयी है एवं कई मैनेजमेंट कॉलेजों में भी मैनेजमेंट की सीटें दी गयी हैं तो क्या भारत सरकार के नियमों को दृष्टिगत और दृष्टान्त मानते हुए विधायकों की अनुशंसा पर भी उनके विधान सभा क्षेत्र में स्थित आई0टी0आई0 कॉलेजों में 20 बच्चों के प्रवेश हेतु व्यवस्था लागू करने पर क्या यह सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तो पहले ही इन्कार कर दिया है। माननीय मौर्य जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, भारत सरकार के द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केन्द्र की एन0सी0वी0टी0 और उत्तर प्रदेश की एस0सी0वी0टी0 है। हम उन्हीं नियमों का पालन करते हैं जो केन्द्र सरकार के निर्देश होते हैं। देश के किसी भी प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जब मेरिट के आधार पर चयन होता है और हमारे पास पूरे प्रदेश के सभी राजकीय आई0टी0आई0 कॉलेजेज में जो कुल सीटे हैं वह 1.21 लाख मतलब एक लाख इक्कीस हजार सीटें हैं, जिसके सापेक्ष जितने भी अभ्यर्थी आए और वह जो-जो अर्हता रखते थे उसके मुताबिक कुल 01 लाख 04 हजार लोगों का उसमें चयन हुआ और उसमें प्रवेश मिला। यानी जितने कुल पद हैं उसके सापेक्ष प्रवेश लेने वालों की संख्या कम है, कोई मारा-मारी नहीं

है। जितने भी अभ्यर्थी आते हैं सबको मौका मिलता है इसलिये इसमें अलग से किसी विधायक की संस्तुति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखते हैं, किसी पर उंगली उठाने का मौका हम क्यों दें और वैसे भी प्रश्नकर्ता माननीय श्री पाण्डेय जी भी माननीय मंत्री रहे हैं तो अगर इनको इतनी चिन्ता थी तो पूर्ववर्ती सरकार में इसकी व्यवस्था उपलब्ध करा देते। चूँकि इनकी भी सरकार के मंत्रियों के हाथ बंधे थे और हमारी भी एक सीमा है, हम भी भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में बंधे हैं इसलिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मौर्या जी सदन के वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे हम विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों में लगातार कटौती हो रही है। हम सदस्य तो अब कुछ हैं ही नहीं, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया है। मौर्या जी जिस सन् में आप विधायक चुनकर आए थे पता नहीं उस समय यह व्यवस्था थी कि नहीं लेकिन उस जमाने में सन् 77, 80, 85, 89 में हमारे समय में शुरू से यह व्यवस्था थी कि आई0टी0आई0 में दो स्कूल और उसमें गवर्नमेण्ट स्कूल का एक नम्बर रहता था, वहाँ एडमिशन कराने में मारा मारी होती थी। आई0टी0आई0 में और गवर्नमेण्ट स्कूल में विधायक को अधिकार था कि जिसका वह नाम लिखकर देगा उसका एडमिशन हो जायेगा। इसलिए हम लोगों को लोग सुबह-शाम प्रणाम करते थे कि साहब हमारा एडमिशन करा दीजिए लेकिन अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप क्यों विधायक को इतना कमजोर करते जा रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी 87 हजार से अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ कर आई0टी0आई0 कर रहे हैं जहां पर फीस भी अधिक है हां, हैण्डपम्प की जिम्मेदारी मेरे पास है कि अगर एक के यहां लगवा दिया तो दूसरा नाराज हो जायेगा और दूसरे के यहां लगवा दिए तो पहले वाला नाराज हो जायेगा। आप हैण्डपम्प भी अपने जिम्मे ले लीजिए वह भी आप अपनी जिम्मेदारी से लगवायें जिसमें हमको लाभ है वह नहीं दे रहे हैं, जिसमें घाटा है उसको आप हमें दे रहे हैं। माननीय मौर्या जी कृपया आप हृदय को थोड़ा चौड़ा करिये और यह व्यवस्था फिर से लागू करिये। आपका भी इतिहास में नाम हो जायेगा कि मौर्या जी ने यह व्यवस्था फिर से लागू की थी किसका नाम हम लेते हैं ? जो गरीब है, चाहे सवर्ण जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो वह चाहे किसी भी जाति का हो। गरीब बच्चे जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं यही तो आपका कहना है। उनको कोई बिल्डिंग थोड़े न बनाना है उनको पुल बनाना है। यह कोई बड़ी चीज नहीं है इसको आप मान लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी हमारी प्रार्थना है कि आप भी हम लोगों की मदद करें और जो बात श्री मनोज पाण्डेय जी ने उठायी है उसको माननीय मंत्री जी मान लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल इस सदन के बहुत ही वरिष्टतम् सदस्यों में से एक हैं। सन् 2017 से पहले आप स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगलराज था तब यह सम्भव नहीं था तो फिर आज तो पारदर्शी व्यवस्था है आज यह सम्भव हो ही नहीं सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जंगलराज की तो कोई बात ही नहीं थी। बात थी इस व्यवस्था को फिर से लागू करने की। जब जंगलराज था तब यह नहीं हो पाया तो फिर आज तो रामराज है, आज तो हो जाना चाहिए। क्योंकि रामराज में कोई दुखी नहीं रहता था। जिस लड़के का एडमिशन नहीं होगा वह दुखी तो होगा ही कि हमारा दो नम्बर से रुक गया या एक नम्बर से रुक गया, हम मेरिट में नहीं आ पाये। राम राज की परिकल्पना है कि इस राज में कोई दुखी न हो, कोई किसी का अपमान न करे, डकैती, छिनैती, बलात्कार और अपहरण न हो लेकिन यहां पर तो यही सब हो रहा है, तब भी राम राज है। अगर इसके बावजूद भी रामराज है तो फिर मौर्या जी अपने राम राज में इस व्यवस्था को लागू कर लीजिए। अगर जंगलराज में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, राम राज में ही कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या राम राज से आप भी दुखी है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी हम तो मानते हैं कि समाजवाद से ही राम राज है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से चूँकि यह जो माननीय श्री मनोज पाण्डेय जी का प्रश्न है यह काफी ग्रामीण अंचल के उन तमाम बच्चों से जुड़ा मामला है जो तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय यह अधिकार विधायकों के पास था, गैर कांग्रेसी सरकारों में इस अधिकार को छीनने का काम किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूँगा कि तमाम वे बच्चे जो पिछड़े इलाकों में तकनीकि शिक्षा का अभाव होने के कारण वंचित रह जाते हैं। सरकारी विद्यालयों में खासकर जो कालेज हैं उनमें एडमीशन पाने के बाद उनको टेक्नीशियन, फिटर और तमाम तकनीकि शिक्षा प्राप्त होती है। मैं आपके माध्यम से पुनः चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसका संज्ञान लेकर विधायकों को यह अधिकार देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो गरीब बच्चे हैं उनकी एक आय निर्धारित कर दें यह मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, इस पर विचार करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हम स्पष्ट निर्देश कर चुके हैं कि भारत सरकार के निर्देश के क्रम में हम व्यवस्था संचालित कर रहे हैं एक चीज और दूसरी चीज आई0टी0आई0 एजूकेशन अमीर के बच्चे नहीं लेते वे गरीब के ही बच्चे लेते हैं जो हैन्ड टू माउथ हैं जो उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते जिनके बच्चे इन्जीनियरिंग और डाक्टर की डिग्री नहीं ले पाते हैं, ऐसे ही लोग अपने बच्चों को आई0टी0आई0 स्कूलों में भेजते हैं और मान्यवर, जितने भी अभ्यर्थी आते हैं लगभग सबको मौका मिलता है क्योंकि 1 लाख 21 हजार कुल सीटें हैं राजकीय आई0टी0आई0 कालेजेज में और कुल 1 लाख 4 हजार प्रवेश हुए हैं उसमें कोई मारा-मारी नहीं है। जो भी मौका आता है जो जिसमें लेना चाहता है उसको प्रवेश मिलता है जब किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और हम पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से सबको यह अवसर दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि इस प्रकार का प्रश्न उठाने वाले लोगों की पारदर्शी सोच नहीं है। वे कहीं न कहीं अनियमितता के आदी हो चुके हैं। इस प्रकार की माँग की आवश्यकता न होने के बावजूद भी माँग कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जवाब पूरा स्पष्ट आ गया है, अब किसी अन्य प्रकार के विवाद की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विगत ढाई वर्षों में सरकार द्वारा स्थापित की गई उद्योग इकाइयों के विवरण सम्बन्धी

***2-श्री मो0 फईम इरफान तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विगत ढाई वर्षों में कौन-कौन सी नई औद्योगिक इकाइयां/क्षेत्रों की स्थापना सरकार द्वारा की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2017-2018 में 115785, वर्ष 2018-2019 में 121654 तथा वर्ष 2019-2020 (माह दिसम्बर) में 109556 कुल 346995 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां/उद्यम की स्थापना करायी गयी है। इसके अतिरिक्त यूपी इन्वेस्टर समिट में निष्पादित 1045 एम0ओ0यू0 के सापेक्ष 90 परियोजनयें माह जनवरी, 2020 की क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

जी नहीं।

सूचना की विस्तृतता के कारण।

(सदस्य श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मोना जी बैठिये, अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री मो0 फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी काबिले एहतराम हैं, मेरे वालिद ए मोहतरम के साथ मुलाकात हुई थी, आज पहली बार आपके सामने बोलने का मौका है। माननीय अध्यक्ष जी मैं अपने प्रश्न के उत्तर से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैंने अपने प्रश्न में औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के बारे में भी जानकारी मांगी थी जो उत्तर में स्पष्ट नहीं है। अतः विधान सभा अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दोबारा पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में बीते ढाई वर्षों में लगभग साढ़े तीन लाख औद्योगिक इकाइयां और उद्यम की स्थापना करना बताया गया है उसमें व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने वाले उद्यम कितने हैं ? कई लोगों को सामूहिक रूप से रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है? इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि कई दशक पूर्व मुरादाबाद में बनाये गये एस0इ0जेड0 क्षेत्र में बीते ढ़ाई वर्षों में सरकारी मदद से कितने लोगों ने उद्योग स्थापित किये ? क्या उक्त क्षेत्र में उपलब्ध प्लाट्स में किसी निश्चित समय-सीमा तक शत-प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाने का आश्वासन माननीय मंत्री जी सदन में देंगे ?

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन्होंने उद्योगों को लाभ दिलाने के लिए जो प्रश्न पूछा है तो व्यक्ति जब इण्डस्ट्री लगाता है तो वह लाभ के लिए ही लगाता है नुकसान के लिए कोई भी इण्डस्ट्री नहीं लगाता है। पहले वह जब इण्डस्ट्री लगाता था तो उसे नुकसान हो जाया करता था लेकिन अब जब लगाता है तो वह फायदे के लिए ही लगाता है। स्वाभाविक है कि यदि उसे फायदा नहीं होगा तो वह इण्डस्ट्री क्यों लगायेगा। मान्यवर, सदस्य ने पूछा कि कितनी इकाइयां लगी हैं तो मैंने इकाइयों की संख्या को अपने उत्तर में दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का एक माहौल बना है। हमने उत्तर प्रदेश में दिनांक 21 और 22 फरवरी, 2018 में एक इन्वेस्टर्स समिट किया था उसमें 1045 एम0ओ0यू0 साइन किये गये थे। उन 1045 में 90 इकाइयां ऐसी हैं जिनका कामर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया है। जब कोई भी इण्डस्ट्री लगाने के लिए आता है तो वह एम0ओ0यू0 साइन करता है और इसे साइन करने के बाद उनके लिए जो आवश्यक औपचारिकतायें होती हैं, उसको क्लीयरेन्सेज लेने होते हैं, जमीन खरीदनी होती है, इण्डस्ट्री लगानी होती है तो इन दो साल से कम समय के अन्तर्गत 90 इण्डस्ट्री के द्वारा अपना कामर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगो ने

जितने भी एम0ओ0यू0 साइन किये हैं उसमें पहले ग्राउण्ड ब्रेकिंग में 37 एम0ओ0यू0 का कामर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। उसमें 29582 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और इसी प्रकार से जब दूसरा किया था तो उस समय 53, तो इस तरह यह 37 और 53 मिलाकर 90 होते हैं। उसमें 8827 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। इस प्रकार से लगभग 39000 करोड़ रुपये के निवेश की इकाइयों ने अपना कामर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर काम चालू हुआ है जैसे सिविल वर्क चालू है, मशीनरी का वर्क चालू है तो ऐसी पहली ग्राउण्ड ब्रेकिंग में 31 और दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग में 133, इसमें लगभग 40182 करोड़ रुपये एक और 15125 करोड़ रुपये एक, इस तरह कुल 55000 करोड़ रुपये का यहां पर काम चालू है, तो अगले छह महीने में वहाँ पर भी कामर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जायेगा। इसी प्रकार से लगभग 61492 करोड़ रुपये पहली ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में और 67201 करोड़ रुपये दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी मे जितनी भी इण्डस्ट्री के द्वारा काम शुरू करना था वह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्रों की बात पूछी है तो उसमें वर्ष 2017 में हम जो पालिसी लेकर आये हैं तो उस समय इस बात के लिए निश्चित किया क्योंकि लैण्ड एक्यूजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत अब जमीन खरीद कर उसको डेवलप करके अगर हम उस भाव से इण्डस्ट्री को देते हैं तो उनके लिए वह महंगी जमीन होती है और वह उस रेट पर जमीन नहीं लेना चाहती है। उस नाते से उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग की पालिसी में हम प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क की पालिसी को लेकर आये हैं। कुछ लोगों ने उसमें इन्ट्रेस्ट लिया है और कुछ लोग उसमें जमीन एक्वायर कर रहे हैं। जल्दी ही इण्डस्ट्री को सस्ती भूमि उपलब्ध होगी। तीसरी बात, माननीय सदस्य ने मुरादाबाद के संबंध में पूछी है, तो सरकार इण्डस्ट्री नहीं लगाती है, सरकार के द्वारा कोई भी इण्डस्ट्री नहीं लगाई जा रही है। सरकार के द्वारा पालिसी बनाई जाती है और योजना बनाई जाती है। हम कोई डायरेक्ट इन्सेन्टिव भी नहीं दे रहे हैं। उसके अन्तर्गत जो इन्सेन्टिव है चाहे वह जी0एस0टी0 से संबंधित हो, चाहे वह स्टैम्प ड्यूटी से संबंधित हो, चाहे वह ब्याज उपादान से संबंधित हो, चाहे वह कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट से संबंधित हो, हमारी पालिसी के अन्तर्गत सब कुछ है। चाहे वह लेबर रखते हैं तो अलग-अलग सरकार के कुछ श्रेणी के लेबर रखने में एक्सट्रा इन्सेन्टिव देते हैं तो उस आधार के ऊपर इण्डस्ट्री लगती है। कोई भी इण्डस्ट्री यदि आज उत्तर प्रदेश में आ रही है तो उसको हम एक्सट्रा जमीन भी दे रहे हैं और काम करने का एक माहौल भी दे रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मा0 मंत्री जी बहुत विद्वान और अभिभावक स्वरूप हैं। प्रश्न में स्पष्ट था कि कौन-कौन सी नई औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्रों की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। आपका जो अनुपूरक उत्तर आया है उसमें लास्ट में यह भी उत्तर आया है कि सरकार द्वारा कोई भी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जाती है और हम माहौल देते हैं।

आपके उत्तर में है कि लगभग 346995 सूक्ष्म और लघु औद्योगिक उद्यम/इकाइयों की स्थापना कराई गई है इन वर्षों में। हमने पूछा था कि इसका विवरण दे दीजिये तो आपने कहा कि बहुत विस्तार हो जायेगा। आपने कहा कि बहुत विस्तार हो जाएगा और सबको नहीं दे सकते हैं तो आपके माध्यम से हम यह चाहेंगे कि जिनके प्रश्न हैं कम से कम उनका विवरण प्रस्तुत करा दें ताकि हम देख लें कि वह इकाइयां कौन सी हैं ? दूसरा आपकी अनुमति से हम मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इनवेस्टर्स समिट में 1 हजार 45 एम0ओ0यू0 हुए थे जिसके सापेक्ष मात्र 9 प्रतिशत यानी 90 परियोजनाएं अभी तक क्रियान्वित हुई हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि 1 हजार 45 में से कितने एम0ओ0यू0 इन 90 को छोड़कर उनका क्या स्टेटस है ? कितने एम0ओ0यू0 अभी प्रगतिशील हैं या तैयार करने की स्थिति में हैं ? कब तक 1 हजार 45 में से कितने प्रतिशत तैयार हो जाएंगे ? इसके बारे में हमें बता दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि हमने इकाइयां स्थापित कराई हैं की नहीं हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कार्रवाई जाती हैं जैसे मैंने कहा कि सरकार इण्डस्ट्री नहीं लगाती है। सरकार इण्डस्ट्री लगाने के लिए एक माहौल देती है। एक माहौल देती है। उनको कुछ इन्सेन्टिव देती है। उस नाते लोग अट्रेक्ट हो करके उत्तर प्रदेश में अब आ रहे हैं, जिस कारण यहां पर इण्डस्ट्रीज लग रही हैं इसीलिए कराई गयी हैं और की गयी हैं दोनों में फर्क है। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि 1045 एम0ओ0यू0 हुए थे तो हमने कहा कि पहले ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 81 और दूसरे ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 290, हमने पहले इसका भूमि पूजन कर उसका शिलान्यास और मा0 प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई, 2018 में किया था। दूसरे वाले में 28 जुलाई, 2019 में माननीय गृह मंत्री जी ने किया था। मैं दोनों का आपको अलग-अलग विवरण बता देता हूं। पहले 81 में जो ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें जैसे 37 और 53 मिलाकर 90 होता है। 37 एम0ओ0यू0 में जो इण्डस्ट्रीज लगी थीं उसमें 29 हजार 582 करोड़ का कमर्शियल प्रोडेक्शन स्टार्ट हुआ है। दूसरे वाले में 53 मिलाएंगे तो 90 हो जाएंगे। 28 अण्डर इम्पलीमेंटेशन का मतलब है कि उसके ऊपर कार्य प्रारम्भ है और वहाँ पर काम चल रहा है। मान्यवर, 13 ऐसी इण्डस्ट्रीज हैं जिन्होंने सारे क्लीयरेंसेज ले लिये हैं और उन्हें अपना काम शुरू करना है और तीन प्रोजेक्ट हुए थे, जिसका कारण है कि उनको फाईनेंस उपलब्ध नहीं कराना होता है तो तीन प्रोजेक्ट ड्रॉप हुए हैं। टोटल 81 में से तीन ड्रॉप हुए हैं। बाकी के ऊपर काम चल रहा है। दूसरे ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में कामर्शियल प्रोडेक्शन 53, आठ हजार आठ सौ सत्ताइस करोड़ रुपये का हो गया है। अण्डर इम्पलीमेंटेशन का मतलब है कि जिसके ऊपर काम चल रहा है। चाहे सिविल वर्क चल रहा हो, चाहे उसका मेकेनिकल वर्क चल रहा हो। 40182 करोड़ रुपये का अण्डर इम्पलीमेंटेशन है। यट टू स्टार्ट 99 हैं, जिनको सारे क्लीयरेंसेज मिल गये हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम प्रारम्भ नहीं किया है और पांच प्रोजेक्ट ड्रॉप हुए हैं। इस नाते से 371 एम0ओ0यू0 पर काम प्रारम्भ हो गया है

और 67 हजार 201 करोड़ तथा 61 हजार 792 करोड़ पर काम प्रारम्भ है। सेकेण्ड ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद जो इण्डस्ट्रीज लग रही हैं उसका विवरण पूछा नहीं गया है अगर आप कहेंगे तो उसका भी विवरण हम उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात आपने जो इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है वह इण्टरनेट पर उपलब्ध है और मैं मा0 सदस्य को भी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर पूरा आ गया है।

प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण व पेंशन आदि दिए जाने सम्बन्धी

***3-श्री हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन राशि को बढ़ाकर दिल्ली प्रदेश के बराबर रुपया 2500 प्रतिमाह करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पात्र दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन स्वीकृति व सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन/अनुदान की राशि दिनांक 01.04.2017 से रुपया 300/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 500/- प्रतिमाह की गयी है, जिसमें अग्रेतर वृद्धि किया जाना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 यथासंशोधित दिनांक 14.12.2017 में दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। उक्त नियमावली में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान/पेंशन योजना हेतु दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु आवेदन की तिथि से तीस दिन की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में प्रत्येक वर्ष पात्र दिव्यांगजन हेतु आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का चिन्हांकन करते हुए कैम्प के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों से दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जाता है।

उक्तानुसार।

श्री हाजी इरफान सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैं सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि यह सरकार अपने आपको सबका हमदर्द बताती है। सबका साथ सबका विकास बताती है। हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली की सरकार 2500 रुपये देती है, तो क्या हमारी सरकार और सबसे बड़ा

प्रदेश होने के नाते हमारे यहाँ हेण्डीकैप लोगों के लिए धनराशि बढ़ाने का काम करेगी। दूसरी बात जो उनको महीने में पैसा मिलता है जो पैसा किसी कारण से, अधिकारी, कर्मचारी की लापरवाही के कारण से पैसा नहीं पहुंचता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी। यदि लेट हो जाता है तो क्या अगले महीने उनको पैसा बढ़ाकर देने का काम करेगी।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, यह वर्ष 2007-08 से दिव्यांगजनों को उनके भरण-पोषण के लिए इस तरह की प्रक्रिया सरकार ने करायी। तब से लेकर अब तक यह 300 रुपया से शुरू हुआ। वर्मा जी की सरकार से यह शुरू हुयी। मान्यवर, मैं अपनी योगी जी सरकार को अपने श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी को मैं बधायी देना चाहता हूँ कि इतने लम्बे कार्यकाल के बाद यह पहली सरकार है जिसने दिव्यांगजनों के पैसे को बढ़ाने का काम किया है और 300 से बढ़ाकर 500 किया है। हमारे सम्मानित सदस्य श्री सोलंकी जी ने कहा है कि दिल्ली के बराबर करने की बात कही है। मा0 अध्यक्ष जी पूरे देश में आबादी के हिसाब से जितने दिव्यांग रहते हैं उसका 15 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं। दिल्ली में आज की तारीख में 90 हजार दिव्यांगजनों को वहाँ पेंशन की व्यवस्था की गयी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हम अकेले 10 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को हम पेंशन देने का काम कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली और उत्तराखण्ड को छोड़ दें तो पूरे देश में कहीं भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा दिव्यांगजनों को पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जितना हम दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है। मान्यवर, पहले हम 07 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित करते थे आज की तारीख में पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के दिशा-निर्देश में आज देश में 21 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित कर रहे हैं और परसों 29 तारीख को प्रयागराज की धरती में देश ही नहीं दुनियां का सबसे बड़ा दिव्यांगजनों का आयोजन होने जा रहा है उस कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आगमन दिव्यांगजनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनका आगमन होने जा रहा है और वहाँ साढ़े 26 हजार दिव्यांगजनों को हम उपकरण बांटकर उनके मनोबल को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी राजभर का दो मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी हम राजभर को ही सुन रहे थे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

असली राजभर का सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या आप कह रहे हैं नक्कालों से सावधान।

(सदन में हंसी)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर मा0 मंत्री जी को मालूम हो तो बिहार में भी आबादी ज्यादा है। मैंने बड़ी कोशिश की थी तब जाकर पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन 300 रुपये से 500 रुपये हुई थी। जब से मा0 मंत्री जी ने चार्ज लिया है तब से एक रुपयेा भी नहीं बढ़ाया गया है। मुझे कल सदन में बड़ी मजा आ रही थी क्योंकि सभी मा0 सदस्य अपनी-अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, अपनी-अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और अपनी-अपनी विधायक निधि बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे लेकिन दिव्यांगजन जिसके पास न हाथ है और न पैर है उसकी पेंशन बढ़ाने की बात कौन करेगा ? मा0 मंत्री जी की हिम्मत नहीं है कि वह मा0 मुख्य मंत्री जी से दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने की बात करें।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने स्पष्ट बताया है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने दिव्यांगजनों की पेंशन 2500 रुपये करने की बात कही है, अगर दिव्यांगजनों की पेंशन 2500 रुपये नहीं कर सकते हैं तो कम-से-कम 1000 रुपये ही कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पेंशन बढ़ाने में श्री अनिल राजभर जी का बहुत बड़ा हाथ था।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, जो बड़ा गम्भीर प्रश्न है। जब मैं उधर वाली गोल में था तब मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेरे साथ गोरखपुर, देवारिया एवं कई मंचों पर कहा था कि मैं एक लोक सभा में 100 मोटर ट्राई साइकिल दूंगा लेकिन आज तक एक भी लोक सभा में एक भी मोटर ट्राई साइकिल नहीं दी गयी है।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ टोका-टाकी करने पर)

अरे! नकली राजभरों बैठ जाओ-बैठ जाओ। भारत सरकार ने 25 हजार रुपये दिये हैं और विधायक एवं सांसद निधि से 12-12 हजार रुपये काटे गये हैं तब जाकर मोटर ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश राजभर जी बैठ जाइये। मा0 मंत्री जी का उत्तर बहुत स्पष्ट है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

कृपया सभी मा0 सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग पता नहीं घबराहट में क्यों हैं? मैं कल और परसों विधान परिषद् भी गया था। मेरे खड़े होते ही पता नहीं विपक्ष के लोगों को क्या हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मा0 ओम प्रकाश राजभर जी की विद्वत्त से पूरा सदन परिचित है। मैंने स्पष्ट कहा है मेरा उत्तर भी स्पष्ट है, सहायक उपकरणों को बांटने का जो सवाल है, हम पूरे साल दिव्यांगजनों की सेवा में तत्पर हैं और यदि हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे। इसी सदन में दिव्यांगों के लिए चित्रकूट में यूनिवर्सिटी का सवाल आया, एक दिव्यांग को एक परिवार पालने में कितनी तकलीफ और कितना कष्ट होता है, यह किसी से छिपा नहीं है और वह यूनिवर्सिटी 1900 दिव्यांगों को पाल रही है। मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता है और बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि साढ़े छब्बीस हजार हम परसों प्रयागराज में उपकरण बांटने जा रहे हैं और कैंप लगाकर आवेदन लिये जा रहे हैं, चिन्हांकन कर रहे हैं। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने 21 प्रकार की दिव्यांगता को चिन्हित किया है। हम उत्तराखण्ड और दिल्ली से तुलना नहीं कर सकते, ओम प्रकाश जी बिहार की बात कर रहे हैं, आज भी बिहार में 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन की योजना चलाई जा रही है और मैं इसे लिखित रूप में दे दूंगा, मेरे पास जवाब है, माननीय अध्यक्ष जी, आप कहिए तो मैं भिजवा दूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ठीक है। मैं इससे सहमत हूं।

(श्री हाजी इरफान सोलंकी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अनिल राजभर-

सोलंकी भाई आपकी बात भी मैं सुन लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इनको बता दें कि असली और नकली शब्द क्या है। ये सदन के मर्यादित शब्द नहीं हैं।

(श्री ओम प्रकाश राजभर के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी आपकी बात नहीं हुई है, आप बैठिए।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, हमारे यहां भोजपुरी में एक कहावत पूर्वांचल में कही जाती है, भेंड़ गयी भालपुर, उर्र-उर्र लगलै (हंसी) माननीय मोती सिंह जी बता रहे हैं कि एक चिड़िया होती है, वह पैर ऊपर करके सोती है।

(श्री ओम प्रकाश राजभर के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप इनसे क्यों नाराज हैं, मोती सिंह जी से पूछिए। (हंसी) वह सूचना मोती सिंह जी की है।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, ये और कुछ कहीं है, राजनीति को व्यापार बनाने की जो सोच लेकर राजनीति में जो लोग आए हैं, जो गरीबों को धोखा दे रहे हैं, गरीबों के साथ छलावा करने का काम करते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया अगला प्रश्न ले लीजिए।

इन्वेस्टर समिट घोषणाओं के फालोअप के सन्दर्भ में

***4-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के दूसरे आयोजन में कौन-कौन सी योजनाएं घोषित हुई हैं ? उक्त घोषित योजनाओं को सार्थक करने की प्रक्रिया तथा उन घोषणाओं को मॉनीटर करने के लिए सरकार की क्या प्रणाली है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का दूसरा आयोजन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठाता।

उपरोक्तानुसार।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी अभी आप जब प्रश्न नम्बर 02 का जवाब दे रहे थे तो शायद आपने बोलने के फ्लो में नोटिस न किया हो आपने खुद सेकेण्ड ग्राउण्ड ब्रेकिंग थी उसको कई बार आपने इन्वेस्टर समिट कहा है। मंत्री जी इन्वेस्ट यूपी मार्केटिंग टर्म हो सकती है, समिट एक टेक्निकल टर्म होती है, अगर टॉप कम्पनी के अडानी-अम्बानी, सी0ओ0 आ रहे हैं और

सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी भाग ले रहे हैं, तो वह समिट की टॉप लेवल की बैठक कहलाएगी। मंत्री जी मैं जानता हूं कि आप यह सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, काफी सीनियर हैं, शायद अधिकारियों की त्रुटि रही। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सेकेण्ड ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी योजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हुई थी और उसमें निवेश की बहुत सी बातें और बड़े-बड़े एम0ओ0यू0 हुए तो मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। आप पिछले सवाल में कुछ जवाब दे चुके हैं, थोड़ा विस्तार में मैं कुछ पूछना चाहूँगा, आप फीगर न दीजिए, क्योंकि पिछले सवाल में आप दे चुके हैं। जो एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं, उनके बारे में अगर कुछ बता देंगे और मेरा जो दूसरा सवाल है, अनुपूरक है, वह यह है कि प्रयागराज के लिए, वहाँ पर 02 टॉप उद्यमी जो आए थे, दूसरी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में, उसमें डॉ0 त्रेहान ने यह साफ-साथ कहा था कि मैं हजार बेड का अस्पताल लखनऊ को दे चुका हूँ क्योंकि मैं के0जी0एम0सी0 का छात्र रहा हूँ, लेकिन अब दूसरा मैं कुम्भ नगरी को हजार बेड का अस्पताल दूंगा और दूसरे जो टाटा ग्रुप के सी0ई0ओ0 आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं टी0सी0एस0 का डेवलपमेण्ट सेण्टर प्रयागराज को दूंगा, तो मेरा अनुपूरक सवाल यह है कि क्या इन दो इन्वेस्टमेंट्स को टॉरगेट करने के लिए अधिकारियों की टास्क फोर्स बनायेंगे, क्योंकि मैं प्रयागराज हेड क्वार्टर का विधायक हूँ, मुझे उस टास्क फोर्स का पार्ट बनाकर जल्दी से जल्दी ग्राउण्ट पर यह इन्वेस्टमेंट आ जाये, इसका आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय विद्वान सदस्य विदेशों से पढ़कर आए हैं, मैं तो प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। इसलिए हो सकता है कि बताने में कुछ फर्क हो गया हो। लेकिन जो इन्वेस्टर्स समिट हुई थी वह 21-22 फरवरी को हुई थी। इन्वेस्टर्स समिट के बाद जिन्होंने एम0ओ0यू0 साइन किए थे, उनमें से जिन इन्डस्ट्रीज ने अपना काम प्रारम्भ किया है, मैंने उसको भूमि पूजन भी कहा, शिलान्यास भी कहा, यह सारी बातें मैंने कहीं। जो पहली ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बात कही थी, हमारे साथ करार किया था। मान्यवर, इस साल अक्टूबर-नवम्बर में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश और दुनियां भर से उद्यमी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मान्यवर, जो डिफेंस एक्सपो हुआ है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी कम्पनियों से नेशनली और इण्टरनेशनली बातचीत की है जो डिफेंस सेक्टर के अन्तर्गत यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं और जिस समय हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस इन्वेस्टर्स कॉरीडोर की बात की थी तो उसके तहत वह यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली जो ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें टी0सी0एस0 वाले भी हैं, जिनको हम लोगों ने सब्सिडाइज रेट पर जमीन दी है क्योंकि वह लगभग 30 हजार नौजवानों को एक स्थान पर रोजगार देने की बात करते हैं। हमने उन्हें नोयडा में जमीन दी है, वह जमीन भी उन्होंने ले ली है, पैसे भी उन्होंने

जमा करा दिए हैं, उसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो जायेगा। मान्यवर, अडानी पॉवर के द्वारा ट्रान्समिशन के लिए घाटमपुर में 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रारम्भ कर दिया गया है। टेक्नॉ के द्वारा 05 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लूलू ग्रुप के द्वारा 02 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मैं बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। फिनिक्स मिल लिमिटेड के द्वारा 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कनोडिया सीमेंट के द्वारा 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, के0सी0सी0 द्वारा 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन्फोसिस के द्वारा 5 हजार करोड़, मान्यवर, यह एक लम्बी सूची है। आप चाहेंगे तो हम आपको यह सूची दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वह संतुष्ट हो गए हैं।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मा0 मंत्री जी, आप हमारे दूसरे सवाल का उत्तर दे दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे विभागीय अधिकारी और मैं स्वयं, जिन्होंने इन्डस्ट्री लगाने के लिए अपना इन्ट्रेस्ट शो किया है, हम हर तीसरे महीने उनके साथ मॉनीटरिंग करते हैं और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार की भी क्लियरेंसेज की उनको जरूरत होती है, जो उनके कन्सर्न्स होते हैं, हम उसी समय उनको मीटअप करते हैं। इन्डस्ट्री डिपार्टमेण्ट से सम्बन्धित सारे के सारे वरिष्ठतम अधिकारी उसमें होते हैं, मैं स्वयं उसमें बैठता हूँ, चीफ सेक्रेटरी भी उसमें बैठते हैं, आई0डी0सी0 उसमें बैठते हैं, उनके जो भी कन्सर्न्स होते हैं, एमिडिएटली उनको रिजाल्व करने की कोशिश की जाती है। कम समय के अन्तर्गत कई बार ऐसा भी हुआ कि जिस समय वहाँ पर समस्या आई, तत्काल उसका निस्तारण किया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रश्न सं0-5 श्री उज्जवल रमण सिंह का है। (अनुपस्थित)

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-2018 तथा 2018-2019 में निवेश के सम्बन्ध में

***5-श्री उज्जवल रमण सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में कितना निवेश हुआ है तथा कौन से जनपद में कौन सी इकाइयां स्थापित हुई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2017-2018 में 115785 उद्यमों में रु0 14627.9198 करोड़ तथा 2018-2019 में 121654 उद्यमों में रु0 16493.0950 करोड़ का निवेश सूक्ष्म, लघु एवं

मध्यम उद्यम में किया गया है। इसके अतिरिक्त यू0पी0 इन्वेस्टर समिट में निष्पादित 1045 एम0ओ0यू0 के सापेक्ष जी0बी0सी0-1 में 81 तथा जी0बी0सी0-2 में 290 कुल 371 परियोजनाओं में भूमि पूजन का आयोजन किया जा चुका है। इन 371 परियोजनाओं में से शिलान्यास के प्रथम चरण की 37 परियोजनाओं तथा द्वितीय चरण की 53 परियोजनाओं में वाणिज्यिक गतिविधियां माह जनवरी, 2020 तक आरम्भ की जा चुकी हैं तथा 161 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

जी नहीं।

सूचना की विस्तृतता के कारण।

***6-श्री संजय गर्ग-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

***7-श्रीमती सुषमा पटेल-**

[02 गुरुवार हेतु स्थगित]

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 तक उद्योग स्थापित करने एवं पूंजी निवेश के सम्बन्ध में

***8-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 तक उद्योग लगाने हेतु कितने एम0ओ0यू0 साइन हुए थे ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्ष में कितने उद्योग स्थापित हुए और कितने उद्यमियों ने पूंजी निवेश किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 तक उद्योग लगाने हेतु कुल 72 एम0ओ0यू0/इन्टेन्ट फार को-आपरेशन (मुम्बई में 50 तथा नई दिल्ली में 22) साइन हुए थे।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा वृहद् उद्योग में वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 53242 उद्यमों/इकाइयों में कुल रु0 12671.15 करोड़ तथा वर्ष 2015-2016 में 72682 उद्यमों/इकाइयों में कुल रु0 7830.71 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया।

उपरोक्तानुसार।

(मंत्री, श्री सतीश महाना द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 साल में पहली बार विधान सभा में ऐसा सत्र आया है कि 5-5, 6-6 औद्योगिक विकास से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न लगे हैं। इसका मतलब है कि इन्डस्ट्री के प्रति कितनी जागरुकता है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपको अच्छा लगा होगा ?

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

डॉ0 आर0के0 वर्मा-

हम आपके जवाब से पूर्ण रूप से सहमत हैं और जो भी जिज्ञासा होगी मा0 मंत्री जी के साथ बैठकर उसको पूरा कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

असलम जी, आपका उत्तर तो आ गया, आप कह रहे थे कि आएगा नहीं। आज आप सवेरे से ही परेशान थे।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मान्यवर, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके संरक्षण में मुझे प्रश्न करना पड़ रहा है और मैं पूर्ण रूप से इस सदन से संतुष्ट हूं।

***9-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

प्रदेश में मण्डी परिषद के सचिवों द्वारा व्यापारियों व किसानों का शोषण रोकने हेतु नीति बनाये जाने विषयक

***9-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद् में कितने सचिव हैं और इनके क्या-क्या अधिकार हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के सभी जनपदों में सचिवों द्वारा किसानों और व्यापारियों पर किये जा रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीराम चौहान)-

वर्तमान में प्रदेश की मण्डी समितियों में 94 पूर्णकालिक/नियमित सचिव कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-24 एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम-63 में सचिव के कृत्य, अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित हैं। नियम-63 की प्रति संलग्न हैं[†]।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 एवं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1984 में नीति निर्धारित है यथा आवश्यकतानुसार उक्त अधिनियम/नियमावली में समय-समय पर संशोधन द्वारा और प्रभावी बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'क' का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 295-296 पर।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन में मेरे तीन गम्भीर सवाल जो जनता से जुड़े हुए थे उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन तीनों सवाल चाहे वह खनन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का कोई भी सही जवाब हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, अपने दिल की बात को अपने आप से न कहूं, तो किससे कहूं।

श्री अध्यक्ष-

आप दिल की बात दिल में ही रखिए।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल आज ही यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठते हैं तो मा0 मुख्य मंत्री के बगल में, यह उनके हमदर्द हैं या गार्जियन हैं या उनके दुश्मन हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिए।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके समर्थन में, आज इसका जवाब आ जाना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार का कहना है कि व्यापारियों और किसानों की आय दुगनी करनी है। अभी बजट के भाषण में मा0 मुख्य मंत्री जी ने कल किसान और व्यापारियों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। मान्यवर, प्रदेश के मण्डियों में क्या खेल हो रहा है, इससे सरकार अनभिज्ञ है। उत्तर प्रदेश सरकार को साजिश के तहत व्यापारियों और किसानों को मण्डी के सचिवों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि प्रदेश के सभी मण्डियों में मण्डी शुल्क देने के बाद भी गेट पास के नाम पर, गाड़ियों के पास के नाम पर और अतिक्रमण के नाम पर दो सौ रुपये प्रति गाड़ी उनसे प्रत्येक जिलों में वसूला जाता है, न तो उनकी रसीद दी जाती है और न ही उनका कोई लेखा-जोखा होता है। तो क्या मा0 मंत्री जी इसकी जांच करा करके यह बताने की कृपा करेंगे कि वह शुल्क किसके खाते में जाता है ?

मा0 मंत्री जी, अब नम्बर दो। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा मा0 मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश की सभी मण्डियों में जो दुकानों की नीलामी होती है, उसमें 25 से 50 लाख रुपये तक उनकी नीलामी होती है और उनसे 650 रुपये यूजर्स के नाम से वसूला जाता है। यह यूजर्स कोई इनका कोड वर्ड है, आज तक इसे मैं भी नहीं समझ पाया। मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जब 25 से 50 लाख रुपये लेते हैं और उनसे अलग से किराया भी लेते हैं तो उनको मालिकाना या उनकी रजिस्ट्री आप इसी जनम में करा देंगे या 100 साल के बाद करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब आप बैठिये, आपके पास सवाल नहीं है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है और यह व्यापारियों से और किसानों से जुड़ा है। इसमें डेली वसूली हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करिए न।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से अब मेरा तीसरा और अन्तिम प्रश्न यह है कि प्रदेश के सभी जनपदों के सचिव वर्ष 2015 से लेकर आज तक वहीं पर जमे हुए हैं। जैसे लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, अयोध्या, बहराइच, अम्बेडकरनगर, उन्नाव, जौनपुर आदि जनपदों में सचिव जमे हुए हैं। खासतौर से जो सीतापुर के सचिव हैं क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो उनको लोग फूलन देवी के नाम से पुकारते हैं। क्या मा0 मंत्री जी उनकी सम्पत्तियों की जांच कराएँगे क्योंकि उनकी सम्पत्ति 500 गुना बढ़ गई है, इसलिए क्या आप उनकी सम्पत्ति की जांच एस0आई0टी0 से कराएंगे ?

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने गेट पास के नाम पर वसूली की बात कही है। मुझे इस प्रकार की कहीं कोई जानकारी नहीं है कि गेट पास के नाम पर 200 रुपये प्रति गाड़ी की किसी प्रकार की कोई वसूली होती हो। मण्डियों में जो दुकानें हैं उनकी नीलामी की एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत नीलामी की कार्यवाही होती है। कहीं 20-25 लाख रुपये की भी होती होगी, कहीं कम की भी होती होगी। जैसे जो अधिकतम बोली बोलता है, उसी के हिसाब से नीलामी होती है, उसी के हिसाब से दुकान दी जाती है। अभी उसका मालिकाना हक देने के बारे में मण्डी परिषद् ने कोई निर्णय नहीं किया है। निर्णय होगा तो इस पर जरूर कोई विचार किया जाएगा।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

सीतापुर के सचिव को देख लीजिए।

श्री श्रीराम चौहान-

अभी मा0 सदस्य ने कुछ सचिवों के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से सचिवों के बारे में विभिन्न प्रकार की जांच होती रहती है। 15 सचिवों के विरुद्ध, जिनके भी विरुद्ध कोई शिकायत आई है तो कार्यवाही चल रही है। अगर आप लिख करके देंगे तो जरूर कार्यवाही की जाएगी।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपका हो गया, उन्होंने कहा है कि आप लिख करके भिजवा दीजिए।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को देखने के बाद जब मुझे कपकपी आ गई तो फिर इनको देखने के बाद इनके सचिवों को कपकपी क्यों नहीं आती?

(सदन में हंसी)

***10-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

[02 मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

***11-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[13 मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या-03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अध्यक्ष-

अच्छा अब आप बैठ जाइए। अब तारांकित प्रश्न संख्या-12, क्या सुश्री अदिति सिंह जी हैं ?

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश के प्रशिक्षित युवा व दिव्यांग बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

***12-सुश्री अदिति सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रशिक्षित युवा व दिव्यांग युवा बेरोजगारों को कौशल विकास विभाग के तहत विगत 2 वर्षों में प्रशिक्षित करके उन्हें स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा मुख्य रूप से 14-35 आयु वर्ग के प्रदेश के अल्पशिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगारपरक् व्यावसायिक ट्रेडर्स में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सेवायोजित कराने हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्धारित अर्हताधारी दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण हेतु 3% लक्ष्य मात्राकृत किये गये हैं।

मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं (दिव्यांगजन सहित) को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉमन नार्म्स के अनुसार निश्चित प्रतिशत में स्वरोजगार एवं सवेतन रोजगार में सेवायोजित कराया जाता है। मात्र स्वरोजगार में सेवायोजित कराने की दृष्टि से कोई पृथक योजना संचालित नहीं की जाती है।

मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएं निम्नवत् हैं :-

1-दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

2-स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेडयूल्ड कास्ट सब प्लान

3-बार्डर एरिया डेवलेपमेंट प्रोग्राम

4-बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्रशिक्षण योजना

5-स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड

6-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक)

उक्त समस्त योजनाओं में दिव्यागजनों के प्रशिक्षण हेतु 3% लक्ष्यों का मात्राकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब तारांकित प्रश्न संख्या-13, श्री विजय मिश्र जी।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु योजनाएं, स्टेडियम व सेंटर आफ एक्सिलेंस का विवरण दिये जाने विषयक

***13-श्री विजय मिश्र (अनुपस्थित)**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या योजनाएं स्टेडियम और सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

प्रदेश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा खेल विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-¯

नोट :-¯ तारांकित प्रश्न संख्या-13 तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त श्री विनय शंकर तिवारी की रुचि पर लिया गया।

1-प्रशिक्षण

2-आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

3-प्रतियोगिता

4-विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था

5-लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई

6-राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

7-प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवनों को वित्तीय सहायता

8-स्पोर्ट्स कालेज

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 71 स्टेडियम निर्मित हैं, जहां तक सेन्टर आफ एक्सिलेंस का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में 16 खेलों में 19 जनपदों में कुल 890 (670 बालक एवं 220 बालिका) खिलाड़ियों के 44 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत रहने वाले खिलाड़ियों को भोजन, आवासीय सुविधा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त 03 स्पोर्ट्स कालेजेज क्रमशः गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा) की स्थापना की गई है। इन कालेजों में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीय संस्था में एक स्थान पर की जाती है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न संख्या-13 श्री विनय शंकर तिवारी की रुचि पर प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त लिया गया)

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न सं0-13 उत्तरित नहीं हुआ है, अभी समय है इसलिए अनुरोध है कि उत्तरित हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री श्री उपेन्द्र तिवारी जी क्या प्रश्न सं0-13 का उत्तर आपके पास है ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, उत्तर है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, प्रश्न का जो अन्तिम भाग है उसमें है कि क्या स्टेडियम और बनाने की योजना है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम नहीं बने हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन क्षेत्रों में स्टेडियम बनवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

क्या स्टेडियम बढ़ाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आजादी के 70 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश के अन्दर मात्र 80 स्टेडियम बने हुए थे लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनने के बाद अकेले ढाई-पौने तीन साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में 39 मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या और बनायेंगे आप ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, वही उत्तर दे रहा हूँ, जो ग्राम सभा की जमीन पूर्व की सरकारों में भूमाफियाओं द्वारा, हमारे और आप जैसे लोगों द्वारा बच्चों के खेलने के मैदान को अपनी सम्पत्ति बना ली गई थी, उसको खाली कराने के लिए एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा है कि अगर गांव-गांव में खेल का मैदान मुझे देना होगा, मिनी स्टेडियम बनाने के लिए, इन्डोर स्टेडियम बनाने के लिए, ओपेन जिम बनाने के लिए पहली बार 70 साल के इतिहास में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में इस तरीके की व्यवस्था की गई है और प्रयास है कि 2028 में जो ओलम्पिक होने जा रहा है अगर पूरी दुनियां के अन्दर हमारा हिन्दुस्तान सबसे बड़े युवा देश के रूप में जाना जाता है तो जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनियां में भारत का डंका बज रहा है खेल जगत में भी उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान का डंका विश्वमंच पर बजेगा।

प्रदेश के निर्धन परिवारों की बेटियों को विवाह हेतु तीस हजार रुपये का अनुदान देने के सम्बन्ध में

***14-श्री सुखदेव राजभर**-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निर्धन परिवार की बेटियों को विवाह हेतु तीस हजार रुपये का अनुदान वर्तमान में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, मैं माननीय राजभर जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और वह हमारे विपक्ष के बहुत बड़े नेता भी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब उनके द्वारा सवाल पूछा जाये तो उसे स्वयं पढ़ लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको लगता है कि इन्होंने पढ़ा नहीं, किसी ने लाकर दिखाया और इन्होंने दस्तखत करके भेज दिया। मान्यवर, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धन परिवार की बेटियों को विवाह हेतु तीस हजार रुपये का अनुदान वर्तमान में बन्द कर दिया गया है ? मान्यवर, यह तीस हजार रुपये का अनुदान नहीं है और बन्द भी नहीं किया गया है। अनुदान 20 हजार रुपये का दिया जाता है जो अब तक चालू है, अभी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं आपसे चाहता हूँ कि सुन लिया करें, बात कर लिया करें।

श्री सुखदेव राजभर-

यह स्कीम बन्द नहीं है। कभी-कभी जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है तो कुछ ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जिसको देखने से मालूम पड़ता है कि आप गलत बोल दिये हैं। मुझे केवल एक तकलीफ हुई है कि आजमगढ़ जनपद में अभी आपने दो करोड़ रुपये सामूहिक विवाह हेतु दिया था और 2 करोड़ रुपये व्यक्तिगत विवाह मद में दिया था और लगभग दो हजार, ढाई हजार के आस पास फार्म आये थे। पैसा खत्म हो गया और किसी को मिला नहीं इस भावना से हमने सोचा कि जरा इस सम्बन्ध में मंत्री जी को प्रश्न लगाया जाये कि कहीं यह स्कीम ही तो नहीं बन्द हो गई है तो मेरा कहना है कि यह प्रश्न सोते हुए नहीं लगाया है और न ही नींद में लगाया था। आजमगढ़ की पीड़ा को थोड़ा आपसे जानना चाहा कि कहीं यह स्कीम ही तो नहीं बन्द कर दी गई है क्योंकि सब फार्म पेण्डिंग पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ मा0 मंत्री जी से कि पिछले साल आपने माननीय मुख्य मंत्री जी की जो सामूहिक विवाह योजना और व्यक्तिगत के मद में कितना बजट दिया था और इस साल आपने व्यक्तिगत विवाह में और मा0 मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितना बजट दिया। आजमगढ़ के बारे में जो मैंने बात कही वहाँ पर बहुत सारे प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हुये हैं और सच्चाई यह है कि आपका बजट शून्य है और ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर आजमगढ़ में गया है। इसलिए मैंने प्रश्न लगा दिया है। यह तो मैं जान हीं रहा हूँ। आप हमारे गुरू हैं शास्त्री जी मैं आपको बहुत कुछ मानता हूँ। गुरू से जानने के लिए कभी कुछ उल्टा-सीधा भी पूछा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मगर उस उल्टी-सीधी बात में सदन के समय का सदुपयोग हो नहीं पाता है।

श्री सुखदेव राजभर-

मैंने दोनों का ब्रेकअप पूछा है एक सामूहिक विवाह का जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी की योजना है और दूसरा व्यक्तिगत विवाह का है। दोनों का ब्रेकअप अलग-अलग जानना चाह रहे हैं कि आपने इस वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं हेतु कितनी व्यवस्था की है और पिछले वर्ष में कितनी व्यवस्था की थी, क्या उससे लाभार्थियों का लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, निर्धन परिवार की बेटियों को विवाह हेतु 30 हजार रुपये मात्र के अनुदान की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है अपितु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में 20 हजार मात्र शादी अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुसूचित जाति के लिए 1 अरब 33 करोड़ 21 लाख रुपये मात्र और सामान्य वर्ग के लिए 82 करोड़ 50 लाख रुपये मात्र, अनुसूचित जनजाति के लिए 01 करोड़ 30 लाख रुपये मात्र का बजट का प्राविधान है। माननीय योगी जी की सरकार ने यह तय किया है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में पैसे के अभाव में किसी भी बेटी की शादी रूकने नहीं पायेगी और सारी व्यवस्था होगी और हमारी सरकार इस पर बल देती है। (मेजों की थपथपाहट) मैं अभी आपको आंकड़ा बता दूँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य वर्ग की बच्चियों 17948, अनुसूचित जाति के 58126, वर्ष 2017-18 में सामान्य वर्ग के 14972 और 53313 अनुसूचित जाति के, वर्ष 2018-19 में 23767 सामान्य वर्ग के और 57463 अनुसूचित जाति के, वर्ष 2019-2020 में 19708 सामान्य वर्ग के और 46826 अनुसूचित जाति के कुल 76 हजार 3 सौ 95 सामान्य वर्ग के बच्चों का, 2 लाख 15 हजार 7 सौ 28 अनुसूचित जाति के बच्चों का है। मान्यवर, सामूहिक विवाह में अनुसूचित जाति का 2 लाख 15 हजार 7 सौ 28 और सामान्य वर्ग के बच्चों का 76 हजार 3 सौ 95 और कुल मिलाकर पहली बार 3 लाख 93 हजार 9 सौ 35 सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों मिलाकर कन्याओं की शादी हुई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और किसी भी लड़की का विवाह धन के अभाव से या किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी का भी यदि वह पात्र है तो धन के अभाव में उसका विवाह नहीं रोका जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2018-19 या 2019-20 में पात्रता के आधार पर जिनका आवेदन समाज कल्याण विभाग के अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित है, क्या यह

सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र व्यक्तियों को जो 20 हजार रुपये अनुदान का है, वह सभी जिलों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि वह पात्र हैं तो हम उनके लिए सारी व्यवस्था करेंगे और आगे भी कर रहे हैं।

श्री त्रिवेणी राम-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे छोटे-छोटे दो प्रश्न हैं। 14 नवम्बर, 2019 को हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मनिहारी ब्लॉक है, वहाँ सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया था। वहाँ जो शादी के लिए जोड़े आए थे, अभी वह प्रक्रिया चल ही रही थी कि तब तक वहाँ के ब्लॉक प्रमुख द्वारा यह कहा गया कि इसमें जितने जोड़े बैठे हैं, पहले से ही इन लोगों की शादियां हो चुकी हैं। यह केवल पैसे के लेन-देन के लिए बैठे हैं। जब उसी समय जांच हुई तो 110 में से 57 गलत पाये गये और 53 सही पाये गये जिससे शादी रुक गयी, नहीं हो पायी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी जांच कराकर जो दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह विषय मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन आपने जो विषय यहां उठाया है उसको विस्तार से लिख कर आप माननीय मंत्री जी को दे दें और माननीय मंत्री जी जांच करा देंगे, ऐसी मेरी व्यवस्था है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही यह सवाल पैदा होता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में सामूहिक विवाह का जिक्र किया है तो अगर सामूहिक विवाह का भी उन्होंने उत्तर में सम्मिलित कर लिया है तो उससे प्रश्न तो बन ही सकता है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, प्रश्न बनता तो है लेकिन यह प्रश्न एक जिले का है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा प्रश्न है। यदि यह समस्या हुई है जिसमें सामूहिक विवाह में इस तरह की बात हुई है जो माननीय मुख्य मंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है।

श्री अध्यक्ष-

वह इनके पास पत्रावली में कैसे होगा ? जो लोग मंत्री रहे हैं वह तो जानते ही हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, चूंकि इसमें माननीय मंत्री जी का आश्वासन आया है तो इसमें जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें हमने तो कह ही दिया है कि जांच करा लें।

***15-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

[दिनांक 25-02-2020 को तारां0प्र0सं0-19 द्वारा उत्तरित]

आर्थिक आधार पर गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने पर विचार करने विषयक

***16-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टरमीडिएट में 60 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत् आर्थिक आधार पर गरीब बच्चों को भी छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

कक्षा-11 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के उन छात्रों, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख है, को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। उक्त वार्षिक आय सीमा सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के अभिभावकों हेतु रु0 2.00 लाख है।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री श्री रमापति शास्त्री द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री आजाद अरिमर्दन-

मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह हमारे प्रश्न से थोड़ा हटकर है। यह बजट युवाओं का बजट था, जिसमें लाखों एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0, सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फारवर्ड नहीं की गयी। लड़कों ने छात्रवृत्ति हेतु अपना ऑन-लाइन आवेदन कर लिया। मात्र इस कारण से कि कहीं भ्रम फैल गया कि 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का आवेदन-पत्र फारवर्ड नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और सामान्य वर्ग के जो बच्चे कक्षा-11 से ऊपर पढ़ रहे हैं और जिनके अंक 60 प्रतिशत से कम हैं, तो क्या उनको यह सम्मिलित करेंगे, उनकी फारवर्डिंग करेंगे ? दूसरा क्वेश्चन, क्या लाखों की संख्या में वह छात्र जिनके मां-बाप गरीब थे, जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन इस आशा से कराया था कि छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति उनको मिलेगी। उनका सिर्फ यह दोष था कि वह गरीब थे, उनके बच्चे 60 प्रतिशत से कम अंक पा

गये, वह नहीं हो पाये। क्या उन संबंधित अधिकारियों को दण्डित करेंगे और अवशेष बच्चों पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

उस विषय की व्यवस्था तक अभी माननीय सदस्य जा नहीं पाये हैं। मैं आपको पूरे प्रदेश का आंकड़ा बता दूं कि पहली बार हमारी माननीय योगी जी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में सबका ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्था इस प्रकार से की है कि अनुसूचित जाति के 11,94,809, सामान्य वर्ग के 6,99,359, अनुसूचित जनजाति के 21,023, अल्पसंख्यक वर्ग के 2,59,567 एवं अन्य पिछड़े वर्ग के 20,19,600 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी, कुल योग 42,04,553 को दिया गया। मान्यवर, पहली बार अनुसूचित जाति के 4,43,062, सामान्य वर्ग के 88,163, अनुसूचित जनजाति के 3,994, अल्पसंख्यक वर्ग के 1,22,019, अन्य पिछड़े वर्ग के 8,33,622 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी। कुल मिलाकर 56,65,393 लोगों को पहली बार हमारी सरकार ने छात्रवृत्ति दी है। इस प्रकार से जो पात्र छात्र हैं, हमारी सरकार उन सबको छात्रवृत्ति और दशमोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री आजाद अरिमर्दन-

मान्यवर, लाखों बच्चे छूटे हुए हैं। एम0बी0बी0एस0 व अन्य किसी में भी उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आपके दल के बहुत वरिष्ठ नेता खड़े हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय सदस्य ने बहुत ही स्पष्ट पूछा है। वित्तीय वर्ष में पिछड़ा, सामान्य, दलित या अनुसूचित जाति का ब्रेकअप इन्होंने नहीं पूछा। इन्होंने साफ पूंछा है कि क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट में 60 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति दी जाती है ? पहला प्रश्न था। दूसरा, उन्होंने जो जिज्ञासा व्यक्त किया कि अगर कोई गरीब लड़का बहुत गरीब है और 60 प्रतिशत से ऊपर अंक नहीं पाया है तो क्या सरकार उनके लिए भी छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? इसी को स्पष्ट करें।

श्री रमापति शास्त्री-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी बच्चों के फार्म भरकर आते हैं, उन सभी को छात्रवृत्ति दी जाती है, एक भी पैसा किसी का रोका नहीं जाता है।

मान्यवर, हमारा सीमित बजट होने के नाते और परसेण्ट के हिसाब से जैसी व्यवस्था होती है, वह दे दिया जाता है और कोई भी छात्र पात्रता की सूची में आने के बाद छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

(श्री लालजी वर्मा, श्रीमती सुषमा पटेल, श्री आजाद अरिमर्दन एवं श्री ओम प्रकाश राजभर के खड़े होकर अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर नहीं आया।

श्री आजाद अरिमर्दन-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के ही जवाब में विरोधाभास है। वह कह रहे हैं कि एस0सी0/एस0टी0 के जितने भी बच्चे आवेदन करते हैं, उनको मिलता है। इसमें इन्होंने जवाब दिया है कि जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख है, आपने यह निर्धारण किया है। इसी में आपका कंट्राडिक्शन है। यह सभी लोगों को दिया जाये, उसके ऊपर वालों को भी दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है।

श्री आजाद अरिमर्दन-

मान्यवर, मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, क्या वह उससे नीचे वालों को आवेदन करने का और समय देंगे ?

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि इसका मानक पहले से निर्धारित है, जो छात्र उसकी सीमा में आयेगा, उसे मिलेगा।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी पूछ रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यक्तिगत रूप से अलग से कोई मतलब नहीं है। जब हमने तय किया है कि सारे जो भी पात्र हैं, जिनके ढाई लाख तक की आय के प्रमाण-पत्र हैं, हम उन

सारे, अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को देंगे। लेकिन सामान्य जाति के बच्चों की एक निर्धारित धनराशि है, उसके अन्तर्गत हम देते हैं। हमको लगा कि यह भ्रम में हैं, मान्यवर, किसी प्रकार से किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को इससे वंचित नहीं रखा जायेगा, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो बड़ा स्पष्ट जवाब आ गया।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, इसी में मेरी एक जिज्ञासा है कि यह पिछड़े वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिनकी संख्या सदन में बहुत ज्यादा है और प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है। मंत्री जी पिछड़े वर्ग के बारे में बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

वह तो विषयान्तर हो जायेगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय मंत्री जी बता दें कि पिछड़े वर्ग के बच्चों की क्या स्थिति है और उनको कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यह मेरी जिज्ञासा है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

(श्री अनिल राजभर तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि यह मा0 कैबिनेट मंत्री का जवाब है और सबसे पुराने मंत्री हैं, योग्य मंत्री भी हैं। अब उसका उत्तर राज्य मंत्री दे रहे हैं। सत्तापक्ष में कोई मर्यादा की बात ही नहीं रह गई है।

(श्री अनिल राजभर के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, इनको पूछने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आजाद अरिमर्दन जी ने पूछा उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

उसका जवाब आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल आ गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उनके पूछने का जो उद्देश्य था और उन्होंने पूछा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिनकी आमदनी ढाई लाख तक है, उन सबको दी जायेगी। लेकिन विद्यालयों के माध्यम से तमाम जगह आवेदन ऑन-लाइन होने के बाद भी अग्रसारित नहीं किये गये और बहुत सारे विद्यालयों में आवेदन इसलिए अग्रसारित नहीं किये गये, क्योंकि उनको यह कहा गया था कि 60 प्रतिशत से ऊपर जिनके अंक होंगे, केवल उन्हीं के आवेदन अग्रसारित होंगे। इसलिए नीचे के अंक वालों के आवेदन-पत्र उन्होंने अग्रसारित नहीं किये। माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे प्रदेश की बहुत बढ़ी समस्या है। बहुत सी जगह से विद्यालयों के माध्यम से इसके आवेदन फारवर्ड नहीं किये गये। बच्चों ने तो ऑन-लाइन आवेदन किया लेकिन विद्यालयों ने फारवर्ड नहीं किया। जिसके कारण उनको स्कालरशिप नहीं मिली है। मान्यवर, इसलिए माननीय अरिमर्दन जी ने कहा कि क्या फिर से विद्यालयों को एक अवसर देकर, जो ऑन-लाइन आवेदन हैं, लेकिन फारवर्ड न होने के कारण उनको स्कालरशिप नहीं मिली है, उनका जीवन अंधकारमय हो गया है। क्या उनके लिए फिर से एक अवसर देकर, उसको फारवर्ड कराकर जो पात्र हैं, उनको स्कालरशिप देने की कृपा करेंगे ? केवल इतना प्रश्न है। जो पात्र तो हैं, लेकिन विद्यालयों या संस्थाओं के द्वारा आवेदन ऑन-लाइन होने के बाद भी उनको फारवर्ड नहीं किया गया है, क्या उस पर फिर से अवसर देकर, उनको स्कालरशिप दिलाने की कृपा करेंगे, बस इतना प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

जब वर्ष समाप्त हो जायेगा तो क्या पुराने वाले को दिलायेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसी में है, उनको फिर से एक अवसर दे दें, क्योंकि इसमें बच्चों की गलतियां तो हैं नहीं, उन्होंने ऑन-लाइन आवेदन किया। इसमें संस्था की गलती है या जिसकी भी गलती है। मान्यवर, गलती इसमें दूसरे की है, बच्चों की नहीं है। इसलिए अगर वह पात्र हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से कहना है।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 6 महीने तक फार्म भरने का मौका दिया गया है और त्रुटियों को ठीक करने का मौका दिया गया है। अब इसके बाद अगर कोई अपनी लापरवाही से रह जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

बच्चों की लापरवाही नहीं है।

श्री रमापति शास्त्री-

ऐसी कोई सूचना मुझे अब तक प्राप्त नहीं है, यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त हो जायेगी तो उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो आप जांच करा लीजियेगा।

(श्री ओम प्रकाश राजभर के खड़े होने पर)

मा0 मंत्री जी का आश्वासन भी आ गया और मैंने भी कह दिया है कि जांच करा कर कार्रवाई करायें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, मऊ जनपद का एक मामला है, 2019-20 में बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है और अब समाज कल्याण विभाग से पैसा वापस मांगा जा रहा है, इसको दिखवा लें।

श्री रमापति शास्त्री (बैठे हुए)-

इसे आप लिख करके दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।[†]

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ के आबकारी विभाग के भूखण्ड आवंटन कराने हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् का पत्र दिनांक 06.07.2019 पर की गई कार्रवाई व राजस्व हानि विषयक

1-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग के कार्यालय हेतु लखनऊ में भू-खण्ड संख्या-2 बी/आई0एन0एस0-03 (कार्नर) आवंटित कराने के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् रायबरेली रोड, लखनऊ का पत्र संख्या 2894:स0प्र0अ0वि0यो0 लखनऊ, दिनांक 06-07-2019 ले-आउट सहित आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि आबकारी विभाग द्वारा कैम्प कार्यालय हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गोमतीनगर, लखनऊ को किराये के रूप में प्रति माह रु0 5,00,000/- अर्थात् रु0 60,00,000/- वार्षिक का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] नोट :- आज की कार्य-सूची नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

आबकारी, मद्य निषेध मंत्री (श्री राम नरेश अग्निहोत्री)-

जी हां।

जनपद लखनऊ में प्रश्नगत भू-खण्ड को क्रय किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में रु0 3798.58 लाख का प्राविधान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कैम्प कार्यालय हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को किराये के रूप में प्रतिमाह रु0 5.00 लाख की धनराशि का भुगतान न करके रु0 4,39,811.64+ विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा है।

दिनांक 10.09.2018 से। उक्त का विवरण उपरोक्तानुसार अवलोकनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता श्रेणी के लम्बित आवेदनों को स्वीकृत कराये जाने विषयक

2-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता श्रेणी के कितने आवेदन लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदनों को स्वीकृत कराते हुए उसका बजट जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता श्रेणी के 392 आवेदन-पत्र लम्बित थे।

उक्त लम्बित 392 आवेदन-पत्रों की वृद्धास्था पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर पेंशन भुगतान हेतु लाभार्थियों का डाटा फाइनल फ्रीज कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन में दिनांक 15 जनवरी 2020 तक स्वीकृत लाभार्थियों के विवरण विषयक

3-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत

हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि इनमें से कितने पात्र लाभार्थी हैं जो पेंशन प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार इन प्रतीक्षारत्/वंचित पात्र लाभार्थियों को पेंशन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से जांचोपरान्त पात्र पाए गए 7804 आवेदकों की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत स्वीकृत 7804 आवेदन-पत्रों में से 7412 आवेदकों को पेंशन की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अवशेष 392 लाभार्थियों की पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर पेंशन भुगतान हेतु डाटा फाइनल फ्रीज कर दिया गया है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक आवेदन-पत्रों की जांच कराये जाने विषयक

4-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन-पत्र जांच हेतु तहसील/ब्लॉक स्तर पर लम्बित हैं ? क्या सरकार इन लम्बित आवेदनों की जांच निश्चित समयावधि में पूर्ण कराने के उपरान्त पात्र आवेदनों को समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को अग्रसारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक तहसील स्तर पर 816 आवेदन-पत्र एवं विकास खण्ड स्तर पर 845 आवेदन-पत्र, इस प्रकार कुल 1661 आवेदन-पत्र जांच हेतु लम्बित थे।

जी हां। वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर, विकास खण्ड स्तर पर लम्बित आवेदन-पत्रों को निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण किए जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी के स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को समय समय पर निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

5-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[दिनांक 25-02-2020 को अता0प्र0सं0-47 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में वितरित कृषि यंत्रों व जमा धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक

6-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01-04-2017 से 01-12-2019 तक कुल कितने कृषि यन्त्रों का वितरण किन कृषकों को कब किये गये तथा कितनी धनराशि जमा करायी गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जनपद शाहजहांपुर में कुल 791 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया तथा कुल रु0 81,500/- धनराशि जमा करायी गयी।

जी हां। सूची संलग्न है[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डी0ए0पी0 खाद की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाये जाने विषयक

7-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की उपज में बढ़ती हुई लागत के सापेक्ष क्या सरकार डी0ए0पी0 उर्वरक पर निजी कम्पनियों के द्वारा कीमत में भारी बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भारत सरकार द्वारा फॉस्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों के लिए लागू पोषक तत्व आधारित अनुदान (एन0बी0एस0) नीति के अन्तर्गत डी0ए0पी0 पर अनुदान की धनराशि का निर्धारण करते हुए उर्वरक कम्पनियों को सीधे अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

उर्वरक कम्पनियों द्वारा अनुदान की धनराशि को समायोजित करते हुए अनुदानित दर पर कृषिकों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने तथा जनपद मथुरा में 2017 से 2020 में कुल स्वीकृत शादी अनुदानों की सूची उपलब्ध कराये जाने विषयक

8-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में दिनांक 20-01-2020 तक कुल कितनी निर्धन

[†] देखिये नत्थी 'ख' का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 297-327 पर।

कन्याओं के शादी हेतु सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया ? क्या सरकार वित्तीय वर्षवार सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मथुरा में वित्तीय वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 में दिनांक 20.01.2020 तक निर्धन कन्याओं की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1607 तथा सामान्य वर्ग के 1395 अर्थात् कुल 3002 निर्धन कन्याओं के शादी हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है।

मा0 मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में सूची अवलोकनार्थ उपलब्ध है[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद ग्राम सोफीपुर में दिव्यांगजन की शिक्षा हेतु समेकित विशेष विद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में

9-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम सोफीपुर में दिव्यांगजन की शिक्षा हेतु समेकित विशेष विद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोष्ठक संख्या-055205 पर दर्ज मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र कोष्ठक संख्या-055205 नहीं अपितु मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र क्रमांक-055242 दिनांक 26.06.2018 समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

जनपद फिरोजाबाद के निकटस्थ जनपद औरैया, कन्नौज एवं एटा से समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किय गये हैं। फिरोजाबाद में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उक्तानुसार।

10-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत खोले गये प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची के सम्बन्ध में

11-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 में

[†] छापी नहीं गयी।

20-01-2020 तक कुल कितने केन्द्र खोले गये व कितने संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा 2019-2020 (दिनांक 21.01.2020 तक) खोले गये व संचालित केन्द्रों की संख्या निम्नवत् हैं :-

वर्ष	खोगे गये प्रशिक्षण केन्द्र (सं0)	संचालित प्रशिक्षण केन्द्र (सं0)
2017-18	17	16
2018-19	19	14
2019-20	15	13
योग	51	43

जी हां। वांछित विवरण संलगन है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र घोसी में दिव्यांगों के लिए आवश्यक उपकरण वितरण विषयक

12-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी में दिव्यागों के लिए आवश्यक उपकरणों का वितरण करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रति वर्ष सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन का चिन्हांकन करते हुए उन्हें उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों से लाभान्वित कया जाता है।

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के वितरण हेतु कैम्पों का आयोजन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा दिव्यांगजन की सुविधानुसार किया जाता है।

जनपद मऊ में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दिनांक 05.12.2018 एवं 26.02.2019 को कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें कुल 632 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों से लभान्वित किया गया जिसमें घोसी विधान सभा क्षेत्र के भी 109 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में दिनांक 29.01.2020 को कलेक्ट्रेट परिसर मऊ में कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें कुल 141 दिव्यांगजन को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं

[†] देखिये नत्थी 'ग' का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 328-334 पर।

सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया, जिसमें घोसी विधान सभा क्षेत्र के भी 22 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कटरा में अवैध शराब के ठेकों के संचालन पर आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

13-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा में कुल कितने ठेके अंग्रेजी तथा देशी शराब के हैं व किन व्यक्तियों को दिनांक 01-05-2017 से 01-04-2019 तक आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार को आबकारी क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक द्वारा एक नाम से कई ठेके संचालित किये जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी को भी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

वर्ष 2017-2018 में जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित समस्त देशी शराब व विदेशी मदिरा के अनुज्ञापी मै0 एक्यूरेट फूड्स एण्ड ब्रिवरेज प्रा0लि0 हैं तथा वर्ष 2018-2019 में 31 मार्च, 2019 तक दुकानवार अनुज्ञापियों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम
			वर्ष 2018-19
1	2	3	4
1	देशी शराब	जैतीपुर	तपनदीप सिंह
2		कमलापुर	रामवीर शर्मा
3		अकबरिया	अमीषा गंगवार
4		मझिला	मुनीषा सिंह
5		हरिहरपुर	अरविन्द
6		परशुरामपुर	सर्वेश कुमार
7		मरेना	नीलेश गुप्ता
8		नवादा मोड़	बृजेश गुप्ता
9		खेड़ा नवादा	रतिवेन्द्र सिंह

1	2	3	4
10		पीटरहाई	बृजेश गुप्ता
11		बिल्लीगंज कटरा	गणेश गुप्ता
12		टाटराबाद	रामकुमार
13		खमरिया द्वितीय	विपिन कुमार सिंह
14		खण्डसार	प्रतिभा सिंह
15		हुसैनपुर कबरा	अशोक कुमार अग्रवाल
16		फीलनगर	पूनम जायसवाल
17		खुदागंज	देवेश जायसवाल
18		छिकड़ापुर	मूंगालाल
19		गढ़िया रंगीन प्रथम	शोभ रानी जायसवाल
20		गढ़िया रंगीन द्वितीय	रामकुमार
21		मरुआझाला	विपिन कुमार सिंह
22		कटरा	सुनील जायसवाल
23		कसरक	सर्वेश कुमार
24		रसेवन	मोहित गुप्ता
25		कटैया	दीप्ति बाला गुप्ता
26		कुरगांव	रवेन्द्र पाल सिंह
27		खेड़ा बझेड़ा	हरिओम द्विवेदी
28		डभोरा देहात	निर्मला गुप्ता
29		गोगेपुर	शोभित गुप्ता
30		बौरी	जगवीर सिंह
31		हुल्लासनगरा	आशीष अग्रवाल
32		कौम्ही	अजय कुमार
33		परौर	जसपाल सिंह
34		बुधवाना	राजेश्वर सिंह
35		बरुआ	जसपाल सिंह

1	2	3	4
36		फरीदापुर	राजेश्वर सिंह
37	विदेशी मदिरा	जैतीपुर	अरविन्द
38		खुदागंज	रजत कुमार सिंह
39		गढ़िया रंगीन	पंकज जायसवाल
40		कटरा	सिद्धार्थ गुप्ता
41		हुल्लासनगरा	वासुदेव

ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवश्यक धनावंटन व लाभार्थियों को भुगतान विषयक

14-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु जांच के उपरान्त कितने पात्र आवेदन-पत्र समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को अग्रसारित करे गए हैं एवं कितने अग्रसारित होने शेष हैं ? क्या सरकार इन अग्रसारित आवेदन-पत्रों के लिए आवश्यक धनावंटन कराते हुये पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी स्तर से जांचोपरान्त पात्र पाए गए 7804 आवेदन-पत्रों को जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति के उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उनका डाटा फाइनल फ्रीज करते हुए अपलोड कर दिया गया है। दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक कोई भी आवेदन-पत्र अग्रसारित हेतु समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर शेष नहीं है।

जी हां। वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 7804 स्वीकृत आवेदन पत्रों में से 7412 आवेदकों को पेंशन की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से उनके बैंक खातों में अन्तरित की जा चुकी है। शेष 392 आवेदकों को भी पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से पेंशन की धनराशि उनके बैंक खातों में अन्तरित करने हेतु डाटा फाइनल फ्रीज किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिव्यांग पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित कराने विषयक

15-श्री मनीष असीजा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक दिव्यांग पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र जांच के लिए

ब्लाक/तहसील स्तर पर लम्बित हैं ? क्या सरकार इन लम्बित आवेदनों की जांच पूर्ण कराते हुये पात्र आवेदनों को दिव्यांग कल्याण निदेशालय, लखनऊ को अग्रसारित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना ऑनलाइन संचलित है। ऑनलाइन प्रक्रिया में जांच हेतु आवेदन पत्र ब्लाक/तहसील स्तर पर प्रेषित करने की व्यवस्था नहीं है।

दिव्यांग पेंशन के आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिरण निदेशालय को आवेदन भेजने की व्यवस्था नहीं है। सत्यापन में पात्र पाये गये आवेदनों पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अग्रसारित कर दिया जाता है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मेक इन यू0पी0 सेल का गठन करने विषयक

16-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मेक इन यू0पी0 सेल का गठन किया जा चुका है ? यदि हां तो जनपद प्रतापगढ़ व जनपद प्रयागराज में निजी औद्योगिक पार्क स्थापित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं। उद्योग बन्धु में निवेश प्रोत्साहन सेल क्रियाशील है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-20117 के प्रस्तर-3.2.2 के अन्तर्गत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कार्य योजना बनाई गई है जिसमें निजी क्षेत्र के द्वारा निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किये जाने का प्राविधान है। तत्क्रम में निजी निवेशक के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कासना के भ्रष्टाचार की जांच विषयक

17-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कासना के भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6

नं0 632338 दिनांक 16-01-2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा कासना के भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र संख्या-ख-6 नं0 632338, दिनांक 16.01.2020 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु पत्र संख्या-ख-6 नं0 623338, दिनांक 16.01.2020 प्राप्त हुआ है।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 07.02.2020 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा को प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

राजकीय उद्यान विंध्यवासिनी पार्क गोरखपुर की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक

18-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर के राजकीय उद्यान विन्ध्यावासिनी पार्क जर्जर है, झूले नहीं हैं व मशीनें रख-रखाव के अभाव में खराब हैं ? क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर के राजकीय उद्यान विन्ध्यवासिनी पार्क जर्जर है, झूले नहीं है व मशीनें रख-रखाव के अभाव में खराब हैं यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की मरम्मत व सुन्दरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के राजकीय उद्यान विन्ध्यवासिनी पार्क में स्थापित झूले एवं मशीनें कार्यरत हैं। विभाग द्वारा यथा आवश्यकता मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराए जाते है। पार्क में स्थापित सुविधाओं के सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु0 17.336 लाख उपलब्ध है।

प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

19-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत प्रत्येक जनपद की विशिष्टता को उसकी पहचान राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने व रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रभावी कार्य

योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ में आंवला किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0, निवेश प्रोत्साहन मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

जी हां। ''एक जनपद, एक उत्पाद'' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद की विशिष्टता को उसकी पहचान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने व रोजगार को बढ़ावा देने तथा ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के विकास हेतु निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं :-

1-**सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-** इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधायें हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। कुल रु0 15 करोड़ तक के लागत की परियोजायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती हैं। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

2-'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण की योजना- जनपद के चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के समग्र विकास हेतु विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वित्त पोषण की योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत तक का उपादान देय है। योजान्तर्गत वित्त पोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक क्षमता में वृद्धि एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना मुख्य उद्देश्य है।

3-''एक जनपद-एक उत्पादन विपणन प्रोत्साहन योजना''-इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4-कौशल विकस व टूल-किट वितरण की योजना-इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराकर उत्पाद की

गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गयी है।

जी हां। जनपदों में उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग, स्वाट, गैप एनालिसिस एवं बेस लाइन सर्वे के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में डी0एस0आर0 तैयार करायी जा रही है। तैयार की गयी जनपद की डी0एस0आर0 का ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से राज्य स्तरीय समिति को सन्दर्भित किये जाने का प्राविधान है। जिला स्तरीय समिति की संस्तुतियों सहित प्राप्त डी0एस0आर0 के विश्लेषित निष्कर्षों के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जनपद प्रतापगढ़ से डी0एस0आर0 प्राप्त हो गयी है, जिसके आधार पर सी0एफ0सी0 नियमावली के अनुसार जनपद में फूड प्रोसेसिंग से सम्बन्धित सामान्य सुविधा केन्द्र कामन (फैसिलिटी सेन्टर) लगाने के लिए जनपद के उद्यमियों से अभिरुचि ज्ञापन (Expression of interest) मंगाये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष, आप बोलेंगे क्या ?

[12:22]**लखनऊ काफी हाउस पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश राजनीतिक मामले में देश का मुख्य केन्द्र रहा है। चाहे 1857 की क्रांति रही हो व देश की आजादी की लड़ाई रही हो।

श्री अध्यक्ष-

आपका आज का विषय क्या है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, विषय पर आ रहे हैं। चाहें 1974 के भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध की लड़ाई रही हो, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला केन्द्र है, 'काफी हाउस, लखनऊ' और 'काफी हाउस, इलाहाबाद'। इन दोनों काफी हाउस में लखनऊ मुख्य है। इस काफी हाऊस में बड़े-बड़े राजनेता/राजनीतिक, बड़े-बड़े पत्रकार, साहित्यकार, नाटककार, चित्रकार, बुद्धिजीवी और लेखक वर्ग के लोग वहाँ पर बैठ करके देश और समाज के विषय में बात करते थे, निर्णय लेते थे। वहाँ माननीय डा0 लोहिया जी बैठते थे, आचार्य नरेन्द्र देव जी बैठते थे, मा0 अटल बिहारी बाजपेई जी बैठते थे और हमसे आर0एस0एस0 के एक बड़े कार्यकर्ता ने कहा

कि जब राष्ट्रधर्म पत्रिका यहाँ से निकल रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी उसके मुख्य सम्पादक थे। वह भी काफी हाउस में बैठते थे, साहित्यकार कवि, लेखक सब लोग बैठते थे और तमाम विषयों को लेकर देश/समाज का ध्यान आकृष्ट करते थे, लेकिन आज लखनऊ काफी हाऊस, जो एक सोसायटी के माध्यम से चलता था, उसको फ्रॉड/धोखेबाज किस्म के लोग अपने नाम से लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण लखनऊ के काफी हाउस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि जैसे लखनऊ में छोटा/बड़ा इमामबाड़ा है, रूमी गेट है वैसे ही लखनऊ का काफी हाउस भी लखनऊ की एक पहचान है। हम लोग भी जाकर उसमें बैठते थे और हमको उम्मीद है कि मा0 अध्यक्ष जी, आप भी वहाँ पर जाकर बैठे होंगे। जितने बड़े पुराने नेता थे, लगभग वह सभी जाकर वहाँ पर बैठते थे। मा0 बीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो भी वह जाकर वहाँ पर बैठते थे। आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उसको आप अधिकृत कर लें। अभी जो भू-माफिया की बात आई है, उसमें भू-माफिया और मकान माफिया दो हैं। उस मकान माफिया से गला छुड़वाइये और उसको आप अधिकृत कर लीजिये। सरकार उसको चलाये व किसी निगम को दे दे, लेकिन जिसने 420 करके उसको खरीदा है, जो काफी हाउस पर कब्जा करना चाहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और काफी हाउस को सरकार अधिकृत करके अपने जिम्मे ले ले।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर इसकी सूचना होती तो संसदीय कार्य मंत्री जी को हमारे कार्यालय से जाता कि इस पर आप तैयार रहें। यह प्रश्न अचानक आया है तो संसदीय कार्य मंत्री जी से क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके पास इस घटना का कोई विवरण होगा। अगर प्रातःकाल इसकी सूचना हमारे पास आ गयी होती, तो ज्यादा ठीक रहता। आप जो कहे हैं, उसके उत्तर में अनुमान के आधार पर वह बोलेंगे, इससे आप सहमत हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदीप कुमार जी ने दुनियां के काफी हाउस पर यह किताब लिखी है, जो मेरे हाथ में है।

श्री अध्यक्ष-

वह किताब हम पढ़ चुके हैं और हम भी उस काफी हाउस में जाते रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई सवाल आता है, नोटिस होता है तो नोटिस सरकार के पास जाता है, तो सरकार उस पर सूचना लेकर आती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें सरकार के रिपोर्ट की बहुत जरूरत नहीं है। इसको केवल संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर कह दें कि हम काफी हाउस, लखनऊ पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे, किसी को लिखाने नहीं देंगे। सोसायटी की जमीन गलत तरीके से लिखायी नहीं

जा सकती है, अगर कोई सोसायटी की जमीन गलत तरीके से लिखाया है, तो उसको हम कैंसिल कराएंगे।

कॉफी हाउस को अधिग्रहीत करके उसकी जो पुरानी पहचान है उसको बरकरार रखेंगे। इतना ही तो कहना है। इसमें अपर मुख्य सचिव, गृह से कोई रिपोर्ट थोड़ी ही लेनी है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी अगर के हिसाब से बोलेंगे तो क्या ठीक लगेगा ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जैसा आपका हुक्म।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल बहुत कॉफी पिये हुये हैं। (हंसी/मेजों की थपथपाहट)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप ही नहीं पिये हैं बल्कि इनके बड़े-बड़े नेता भी कॉफी पिये हैं। हमारे भी नेता पिये हैं। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहाँ पर कॉफी का सेन्स क्या लिया ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

यहाँ काफी का अर्थ ज्यादा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने तो चाय और कॉफी के साथ जो बोलते हैं वह लिया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप अपना वाला जान गये, हम तो कॉफी ही कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

हम यह अर्थ लिये थे कि काफी मायने ज्यादा, तो बहुत ज्यादा पिये हैं। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, यहाँ पर चाय/कॉफी वाला कॉफी है। मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे कि क्या स्थिति है ? अद्यतन स्थिति की जानकारी करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसे ऑफ-हैण्ड पर कोई चीज कहना उचित नहीं है। लेकिन आपका निर्देश है और मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जिज्ञासा व्यक्त की है, उसके महत्व को बताया है, यह भी बताया है कि उसके ऊपर

एक किताब लिख दी गयी है। किताब तो बहुतों के ऊपर लिखी गयी है। मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे और उसके बाद हम अवगत भी करायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने तो कुछ कहा नहीं और आपने कहा कि किसी नियम में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि लिखित में होता तो मंत्री जी को आसानी होती।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं कल इसको लिखित में ले आऊँगा और माननीय मंत्री जी उसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। इसको हल्के में न लें, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसा कोई उत्तर प्रदेश या देश का बड़ा नेता नहीं है जो वहाँ बैठ करके राजनीति पर चर्चा न किया हो। चाहे अटल जी, चन्द्रशेखर जी, डा0 लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव हों या वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हों, बड़े-बड़े पत्रकार, साहित्यकार, नाटककार, कवि हों सभी कॉफी हाउस में बैठते थे। विश्वजीत जी देश व दुनिया के माने हुये चित्रकार रोज कॉफी हाउस में बैठते थे। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता वहां बैठते थे और स्व0 वीर बहादुर सिंह जी तो मुख्यमंत्री रहते हुए वहां बैठते थे। तो उसको आप बचा लीजिए। कल फिर मैं आपको लिखित रूप में दूँगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पूरी जानकारी करके उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब तो मंत्री जी जानकारी कर ही लेंगे लेकिन लिखित में होने से तैयारी की दृष्टि से सुविधा रहती है।

[12:29 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

माननीय लालजी वर्मा जी की नियम-300 में एक सूचना है। वर्मा जी इस पर आप कल बोल चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कल का दूसरा विषय था, आज दूसरा है।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा विषय नहीं, यही था।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मेरी भी नियम-300 में सूचना है।

आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु नियत 24 दिन से कम मात्र 02 दिन निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप देख लें यह दूसरा है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-187 के तहत कल का विषय था, आज नियम-188 का है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन बात वही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-187 व 188 में अन्तर है। नियम-187 में सामान्यतया शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यतया तो घटाया-बढ़ाया जा सकता है लेकिन नियम-188 में है उसमें सामान्यतया शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि-'अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से अनुदान की माँगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अनधिक दिन नियत करेंगे।' यानि उससे कम का दिन नहीं होगा, तो अनुदान माँगों पर चर्चा के लिए 24 दिन होना चाहिए और आज पहला दिन हो रहा है। इसमें तो कोई छूट नहीं दी गई है। इसमें तो सामान्यतया था और 188 में छूट नहीं दी गई है, तो 24 दिन अनुदान माँगों के लिये नियत होना चाहिए और आपके संज्ञान में है, सदन के सामने है विषय। यह विषय नियम-300 के जितने बिन्दु होते हैं उन सभी को पूरा करता है, मान्यवर, उसमें एक भी विषय को, जितने भी उसके लिये परन्तुक हैं सबको पूरा करता है। निश्चित रूप से यह औचित्य का विषय है। मैं चाहूँगा इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें और नेता सदन को आदेश दें कि कम से कम 24 दिन अनुदान माँगों पर चर्चा हो।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमेशा सत्ता पक्ष और मुख्यतया संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को कहते रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष का कार्य उसमें सहयोग करना है। हम तो इस बार इतना सहयोग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी विपक्षी दल ने इतना सहयोग कभी नहीं किया होगा इतना मैं कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पहले दिन इस सदन में आये और जब इसकी भव्यता को देखा तो दिमाग ही चकरा गया और उन्होंने कहा कि अरे हम तो सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा ही नहीं चलती है। मैं 90 दिन विधान सभा चलवाकर दिखलाउँगा। 9 दिन नहीं चलवा पा रहे हैं। आपने घोषणा किया 7 तारीख तक और इसको पूरा प्रदेश जानता है। अब लगता है कि 7 तारीख तक नहीं जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमको अपने आवास पर बुलाया। बढ़िया हमको नाश्ता पानी करवाया, स्वागत किया। चर्चा हुई बजट पर,

राय बन गई कि 29 विभागों में से एक दिन में जो दो बड़े विभाग हैं ले करके चर्चा की जायेगी। जो छोटे-छोटे विभाग हैं वह 4,5,6 एक दिन ले लिये जायेंगे, तो दो उन्होंने हमको दे दिया कि इन दो पर 27 को चर्चा है। फिर धीरे से बाद में कहा कि एक और है यानि तीन फिर परसों क्या धीरे से बोल दिये कि एक और है यानि चार तो इससे संशय बढ़ रहा है विधान सभा का बजट सत्र पूरा चलेगा कि नहीं चलेगा। डर है कि फिर कहीं चिट न भिजवा दें कि आज 5, इसलिये 4,5,6,7 यह जल्दी विधान सभा लेकर भागना चाहते हैं। हमारा आरोप तो नहीं है लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि विपक्ष के एक भी सवाल का वाजिब और उचित जवाब सरकार देने में असमर्थ है और चूँकि प्रदेश की जनता यह जान न पावे कि सरकार अक्षम है जन विरोधी विधियाँ अपनाये हुए है। विपक्ष के सवालों का जवाब यह दे नहीं पा रही है इसलिये जल्दी से बोरिया बिस्तर लेकर भाग रही है। अध्यक्ष जी, हम इनको भागने नहीं देंगे। अगर आप नहीं चलायेंगे भागेंगे तो हम लोग यहाँ बैठेंगे। आपकी उसमें केवल आज्ञा चाहिए। आप चलाइये, हम लोग बैठेंगे यह लोग रहें न रहें। जब हम लोग भी नहीं रहते तो आप चला लेते हैं इनके बल पर, तो यह नहीं रहेंगे तो हम लोगों के बल पर चला लीजिये लेकिन चलाइये। (मेजों की थपथपाहट) उत्तर प्रदेश की विधान सभा का इतिहास कलंकित न हो। विधान सभा चले, बहस हो, चर्चा हो, प्रदेश की जनता जाने कि जिन उद्देश्यों के लिये हमने वोट अपने जनप्रतिनिधियों को दिया है वह हमारी बात को विधान सभा में मजबूती से रख रहे हैं। जब हम कोई बात रखेंगे ही नहीं तो अभी वोट आने वाला है तो हम जाकर लोगों से क्या कहेंगे। पहले हमारी जिम्मेदारी अपने विधान सभा की है, उसके बाद जिले की है, उसके बाद प्रदेश की है, उसके बाद सरकार की है, तो आपसे प्रार्थना है और निवेदन है मित्र संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कि अच्छा माहौल विधान सभा का है, सत्र अच्छे माहौल में चल रहा है, पूरा बजट सत्र चलवाइये और जनता के हितों की रक्षा करें अध्यक्ष जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

एक वर्ष में सदन की बैठक 90 दिन चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक विषय है, वह भी आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब विषय तो यही है, उसमें 90 दिन की बात भी तो है। आप खड़े हो गये हैं आपका विषय आ गया है। अब आप बैठ जाइये।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, 12 तारीख को आपके कक्ष में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। आप महानुभाव मा0 नेता विपक्ष ने अपने एक अधिकृत व्यक्ति को भेजा था। सामान्यतया यह माना जाता है कि अगर अधिकृत व्यक्ति को भेजा था तो वह पूरे अधिकार के साथ आया

और जो कुछ उसने फैसला किया, वह शिरोधार्य है या वह मान्य है। माननीय वर्मा जी स्वयं सशरीर, बाहोसोहवास उपस्थित थे। आप कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश देख लें। हमने सदन में उसको सर्वसम्मति से पारित किया। आज भी वही एग्जिस्ट कर रहा है। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गयी जो नियम-300 आ गया। आपने कार्यक्रम निर्धारित करवाया, हमने पूरा कार्यक्रम 07 तारीख तक का निर्धारित किया। हमने अनुदान मांगों के ऊपर चर्चा करके उन पर कार्यक्रम भेज दिया और कार्यक्रम के आधार पर सदन चल रहा है। सामान्यतया कानून व्यवस्था का प्रकरण आखिर में लिया जाता है, अभी तक सदन की यह परम्परा रही है कि कानून व्यवस्था पर, अनुदान मांगों पर चर्चा जब सारी मांगें हो जायें, उसके बाद ली जाती है। मैंने उस दिन यह कह दिया कि कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा 28 तारीख को होगी। जब 28 तारीख को चर्चा लग गयी तो इन लोगों के खौलन मच गयी, वह खौलन का इन्तजाम क्या है ? हमारे पास कोई फव्वारा या कोई ऐसा झरना नहीं है कि हम उस खौलन को मिटायें। आपके ही द्वारा आपके कक्ष में जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसका सामान्यतया इस प्रकार से जिक्र होता नहीं है। चूंकि आपने प्रश्न उपस्थित किया और पूरे सदन ने स्वीकार किया। आपके अधिकृत व्यक्ति मौजूद थे। मा0 उज्जवल रमण सिंह जी थे, मा0 वर्मा जी भी वहाँ पर उपस्थित थे दोनों की मौजूदगी में हुआ और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कल भी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें 07 तारीख तक का प्रोग्राम निर्धारित है। अब यह पता नहीं इन्होंने सपना देखा या किसी ने टेलीफोन कर दिया आज कल बेनामी टेलीफोन बहुत से आते हैं। किसी ने किसी को धोखे से बेनामी टेलीफोन किया होगा और इनका नम्बर मिल गया। सदन का बड़ा कीमती समय है, आप सदन में नियम-300 ले आये। नियम-300 यहां आता कहां है ? अब यह किताब दिखा रहे हैं। यह तो हम सन् 1989 से पढ़ रहे हैं। हम जिस दिन से आये उस दिन से पढ़ रहे हैं। जब हम उधर बैठते थे तो हमारे पास किताब थी। जब आप उधर बैठ जाते हो तो आपके पास किताब आ जाती है। जब इधर बैठ जाते हो तो किताब पता नहीं सहारनपुर चली जाती है या अम्बेडकरनगर में रहती है फिर कोई चाबी लाता है तो इसे खोलता है। तब तक सब कुछ निकल गया होता है। बहुजन समाज पार्टी ने इस विधान सभा का इतिहास बढ़ाया। आप 2009 की कार्यवाही देख लें पूरे साल में केवल 13 दिन सदन चला। यह बजट सत्र की बात कह रहे हैं। जो स्वयं इतना बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर चुका हो। 1989 में आप स्वयं इस सदन में मौजूद थे और इधर बैठते थे। 1989 की 11, 12 मार्च की कार्यवाही देख लें। 1989 में चुनाव होने के बाद जब 1990 में पहला बजट आया तो 41 मांगों के सारे बजट जल्दी लाओ, जल्दी लाओ।

41 माँगों को एक ही मिनट में सारे बजट लाओ-लाओ जल्दी लाओ यह लाओ। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी यहाँ बैठते थे उन्होनें ही जल्दी लाओ फिर भागकर गए और टाइप करा लाए एक ही साथ पास करा लिया। यह परम्परा किसने डाली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 मार्च, 1990 आपने 41 अनुदान मांगों का

बजट एक झटके में पास कर दिया । हम आपको तारीख बता रहे हैं 12 मार्च । आपने पूरे साल भर में 13 दिन सदन चलाया दोनों का इग्जाम्पॅल है । यह क्या कहेंगे जिन्होंने खुद एक नजीर पेश की हो पूरे प्रदेश के सामने और पूरे देश के सामने वह क्या कहेंगे। अभी जो स्वयं इनकी मौजूदगी में कार्य-मंत्रणा समिति में प्रस्ताव पास हुआ उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं आया है केवल फोन कहीं से आ गया होगा हो सकता है लेकिन उसके ऊपर यहाँ यह सब कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई कि क्या होने जा रहा है अरे अभी आराम से बैठिए हमें माननीय राम गोविन्द चौधरी के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान है और आपकी भी व्यस्तता का पूरा ध्यान है। हमें आप बिल्कुल अनभिज्ञ न समझें आप बड़े नेता हैं क्षेत्र से लेकर पूरा प्रदेश देखना होता है दोनों की व्यस्तता का खूब अच्छी तरह से ध्यान है सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा । यह नियम-300 में नहीं आता है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी पहले तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना ज्ञान थोड़ा ठीक कर लें 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी जनता दल की सरकार थी ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मुख्य मंत्री माननीय नेता जी थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह बात छोड़िए आपने समाजवादी पार्टी की बात की । मुखिया वह थे या आप इससे हमें लेना-देना नहीं है। मुखिया आप थे कि मुलायम सिंह जी थे या कल्याण सिंह जी थे हमें पता है कि वह जनता दल की सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है सदन आपसे अधिक चलाया है। यह कार्यवाही में है जितना दिन आप चलवाए हैं उसे अधिक चलवाई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह इग्जाम्पॅल किसने सेट किया। 12 मार्च, 1990 माननीय नेता जी मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे उनकी लीडरशिप में यहॉ पर श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी बैठते थे । उन्होंने ही एक दिन में 41 अनुदान मांगों का बजट पास करा दिया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बैठ जाइए। गरम मत होइए। शान्त दिमाग से रहिए। आप हीट जल्दी हो जाते हैं। अध्यक्ष जी कभी भी चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव हों, चाहे कल्याण सिंह हों, चाहे बीर बहादुर सिंह हों, चाहे संसदीय कार्य मंत्री जी हों कोई मुख्य मंत्री कभी घोषणा नहीं किया कि हम 90 दिल चलाकर दिखलाएंगे। किसी ने नहीं कहा आपने तो कहा। अरे उत्तर प्रदेश में तो विधान सभा की बैठक ही नहीं होती है कितना दुर्भाग्य है हम 90 दिन चलाकर दिखाएंगे। 10 दिन चलाना आपके लिए भारी हो रहा है। अध्यक्ष जी यह दिन उत्तर प्रदेश की विधान

सभा में कभी नहीं आया 1952 से लेकर उसके पहले की कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिए कभी क्वैश्चन आवर में पूरा बजट पास कर लिया गया हो। हर बार सरकार कहती है कि यह पहली बार हमने किया है तो पहली बार इन्होंने यह भी किया कि क्वैश्चन आवर में पूरा बजट पास हुआ। माननीय मंत्री जी 89 की बात बता रहे हैं बसपा की बात बता रहे हैं छोड़िए चूँकि आपने घोषणा किया है हम नहीं चलाए तो नहीं चलाए यह नहीं चलाए तो नहीं चलाए आप कहे हैं।

आपने कहा है तो आप चला कर दिखा दें। हम कार्य-मंत्रणा समिति की बात पर नहीं जाते हैं हम तो अपकी बात पर जाते हैं और माननीय सदस्यों से कहा कि फोन आ गया कि सदन नहीं चलेगा, लेकिन वह फोन कहाँ से आया ? वह फोन आपके ही यहाँ से आया। वह फोन तो आपके यहाँ से ही आया, तो आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वह इस बात को मान गये कि सदन 07 तारीख तक चलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह पूरी तरह से नियम-300 के अन्तर्गत आता है। दूसरा, हम जब कार्य-मंत्रणा में जब जाते हैं तो नियमावली लेकर थोड़े ही जाते हैं। उस समय हमें यह ज्ञात नहीं था कि अनुदान की माँगों के लिये कम से कम 24 दिन होना चाहिये। आज हम उसको आपके संज्ञान में ला रहे हैं इसलिये कि वह नियमों के विपरीत हो जाता। जब हमने नियमावली पढ़ी तो हमें लगा कि आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है बाकी निर्णय आपका है जो आप निर्णय करना चाहें।

श्री अध्यक्ष-

तो संसदीय कार्य मंत्री जी की बातचीत से आप संतुष्ट हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह संसदीय कार्य मंत्री स्वयं रहे और बहुत पुराने सदस्य हैं। हम तो पहली बार 89 में आये, उधर बैठते थे, लेकिन यह तो हमसे पहले के हैं और नियमावली मालूम ही नहीं, यह देखिये। इससे बड़ा सच दुनियां में कोई हो सकता है। कहीं धुंआ दिखायी दे और कहते हैं कि आग नहीं है। धुंआ दिखायी पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

हमको लगता है कि क्या आज ही पहली बार नियमावली देखी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हाँ मान्यवर पहली बार। हमेशा पहली बार ही देखते हैं। जब उधर पहुंच जाते हैं तब नियमावली देख लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियमावली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं और यह भी देखते हैं, लेकिन सारी चीजें कभी-कभी आपको याद नहीं रहतीं तो हम यह कह रहे हैं कि हम वहाँ नियमावली लेकर तो गये नहीं थे। जब हमने उसको पढ़ा, उसको देखा कि अनुदान मांगों पर कितने दिन मिनिमम रहना चाहिये तो हमने कहा कि आपके संज्ञान में लायें। दूसरा, मान्यवर, इस सदन में तो मैं इनसे बाद में आया। मैं विधान परिषद् में 86 में जरूर आया, लेकिन इस सदन में तो मैं 91 में आया, इनसे बाद में आया।

श्री अध्यक्ष-

आप दोनो के बीच में जो आंकड़े हैं सब गड़बड़ ही हैं। (सदन में हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप तो 80 से आए तो आप ईमानदारी से यही पूछते कि 80 में कितने दिन बजट सत्र चलता था, 85 में बजट सत्र कितने दिन चलता था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप हमें केवल 12 मार्च के बारे में बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम तो आपको प्रश्न आवर के बारे में बता रहे हैं। आप 12 मार्च को छोड़िये। आप हर काम पहली बार कर रहे हैं न तो हर काम जो उत्तर प्रदेश में हुआ वह पहली बार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार सदन भी 90 दिल चलाकर दिखा दे। प्रदेश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हम सदन छोड़कर क्षेत्र को सम्भालने के लिये जाएं। आपके कहने से प्रदेश में शान्ति है, सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा है तो फिर सदन चले। यही तो आपसे प्रार्थना है कि सदन चले। अगर यह भागेंगे तो फिर आपसे प्रार्थना है कि हम लोग बैठेंगे और आप सदन को चलायेंगे। (सदन में हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना मैं अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना माननीय श्री कल्पनाथ जी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी तथा श्री वीरेन्द्र यादव जी की मा0 सदस्य के 10 लाख रुपये की चोरी के मुकदमे में पुलिस द्वारा गलत फाइनल रिपोर्ट लगाकर दोषियों को बचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह नियम-300 में नहीं आती है। मा0 कल्पनाथ जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ? एक-दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

मा0 सदस्य ने 10 लाख रुपये की चोरी के मुकदमे में पुलिस द्वारा गलत फाइनल रिपोर्ट लगाकर दोषियों को बचाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ पासवान द्वारा औचित्य का प्रश्न

श्री कल्पनाथ पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे गम्भीर विषय को इस सदन में रखने का अवसर दिया। हमारा 10 लाख रुपया चोरी चला गया और मैंने इस

बात को विधान सभा में उठाया। मेरी रिपोर्ट 02 महीने तक नहीं दर्ज हुयी। मैंने जब विधान सभा में बोलना शुरू किया तो मेरे कहने पर नहीं, बल्कि सरकार के कहने पर मेरी रिपोर्ट दर्ज की गयी और गम्भीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया कि माननीय विधायक जी का रुपया गया है और सरकार न्याय देगी। मान्यवर, न्याय देने को कौन कहे, आज तक न तो होटल पर कोई कार्यवाही हुयी और न ही उस चोर पर कोई कार्यवाही हुयी। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है कि सदन के अन्दर आजादी के बाद से आज तक जो भी प्रश्न उठे हैं उसको गम्भीरता से लिया गया है, लेकिन इतने गम्भीर प्रकरण को, विधायक के निजी प्रकरण को अनसुना कर दिया गया जो बड़े दुख की बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहना चाहता हूँ कि सन् 91 में यही सरकार थी और उस समय जनता को भरोसा और न्याय मिलता था। आज की सरकार जो एक महात्मा की सरकार है जिनसे इस प्रदेश को बहुत सारी आशायें हैं। लेकिन मेरे ऐसे गम्भीर प्रकरण पर न तो आज तक पूछताछ की गयी है और न ही पुलिस ने कोई कार्यवाही की है और एफ0आर0 लगा दी गयी है। मान्यवर, कितने दुख की बात है कि सदन की गम्भीरता गिर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आप हमें व्यवस्था दें अब आप का ही भरोसा है। मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी मन से अपनी बात कह रहा हूँ। मेरे पास सरकार की तरफ से एक चिट्ठी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था और उस पर इन्होंने कहा था कि मैं इस विषय को लेकर गम्भीर हूँ, पूरा सदन गम्भीर है। आपको न्याय जरूर दिलाया जायेगा लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला सदन में उठा था और मैंने आश्वस्त भी किया था। मैंने ही आजमगढ़ के अधिकारी को फोन करके रिपोर्ट लिखवायी थी और कहा था कि इनके साथ न्याय किया जाये। मान्यवर, ये पैसे लेकर होटल जाते हैं जहां पर इनको होटल मालिक नहीं मिलता है। होटल के कुछ कर्मचारी मिलते हैं जिनका यह कहना है कि जब यह होटल आते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे यह साबित होता कि इनके साथ कोई चोरी की घटना हुई है। मैंने एक बार, दो बार, तीन बार डी0एम0 से, एस0पी0 से इनके सामने बात की और हमने यह भी कहा कि इनको सामने बुलाकर इनसे इनका पूरा पक्ष सुनिये और जो सही न्याय हो वह किया जाये। यह इनको खूब अच्छी तरह से पता भी है। यहां से पैसे लेकर यह कहां-कहां गये यह इन्हीं को पता होगा। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी हालत में ये हमारे होटल में पैसे लेकर नहीं आए हैं। अब सवाल यह है कि यह कैसे तय हो कि यह पैसे लेकर होटल गये अथवा नहीं ? एक बन्द ब्रीफकेस में पैसे लेकर ये कहां-कहां गये ये तो यही जानते होंगे ? ये बस, ट्रेन किससे गये इन्हीं को पता होगा? इनके पैसे कहां से और कैसे गायब हुए यह अपने आप में बहुत बड़ा

विषय है। इस विषय की कईं स्तरों पर तफतीश करवाई जा चुकी है एक सर्किल ऑफीसर के सुपरविजन में उसको कई बार जंचवाया गया है लेकिन यह स्टैबलिश नहीं हो पाया है कि होटल से ही पैसे गायब हुए हैं। यह कहा नहीं जा सकता है कि इनके पैसे रास्ते में कहीं गायब हुए हैं या कहीं और से। इस विषय को सुलझाने में हमने पूरी रुचि ली है। ये भी जानते हैं कि अभी 15 दिन पहले भी आप हमारे पास आए थे तब भी मैंने डी0एम0 और एस0पी0 से कहा था कि इस मामले को सही मायने में न्याय तक पहुँचाया जाये। यह काफी परेशान हैं इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि यह इतनी बड़ी रकम एफोर्ड कर सकें। उन्होंने इनको फिर से बुलाया था उसके बाद की जानकारी नहीं है लेकिन यह निश्चित है कि यह पुलिस पार्टी यह स्टैबलिश नहीं कर पायी कि वास्तव में पैसे कहां और कैसे गायब हुए हैं। मुकदमा लिखा गया है और उसकी अद्यतन स्थिति हम मंगवा लेंगे। इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन अगर पैसे रास्ते में कहीं गायब हुए होंगे तो फिर कैसे मिल सकते हैं ? दोनों सम्भावनायें हैं दोनों ही बात की आशंका भी है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी उस दिन भी सहानुभूति दिखा रहे थे और आज भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात बीच में गड़बड़ा देती है कि पैसा कहीं रास्ते में गिरा है या कहीं और गिरा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस दिन सदन में अपनी बात उठायी थी तो उन्होंने यह कहा था कि पूरी जिन्दगी में मैंने 10 लाख रुपया पहले कभी नहीं देखा है। यह अपनी अटैची को छाती से लगा कर सोए थे इधर-उधर कहीं गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है।

माननीय अध्यक्ष जी, कोई पाकेट में तो पैसा था नहीं, अटैची में था। अटैची को छाती से लगाकर, बांध कर सोए रहे, कहीं गिरने का सवाल नहीं है कि इधर-उधर गिर गया हो। एक बार और आप अपनी कृपा दिखायें, गरीब आदमी का पैसा वापस हो जाये इसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई थोड़ी है। एक बार और दिखवा लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है।

नियम-301 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी द्वारा आई स्पर्श ग्राम योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को निर्गत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने आवश्यक कार्रवाई के लिये शासन का ध्यान आकृष्ट किया

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना और थी हमारे पास उसको हम आवश्यक कार्रवाई के लिए सन्दर्भित करते हैं वो 300 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी की है।

[12:57 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 27.2.2020 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें 27 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड अन्तर्गत देवरिया-बलिया अन्तर्जनपदीय मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत किठावर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की लखनऊ-बलिया राजमार्ग के रसड़ा तहसील में हिता के पूरा स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर के विधान सभ क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत कतिपय कच्चे मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभ क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत आनन्दधाम सरोवर के सौन्दर्यीकरण में हुयी अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा के अन्तर्गत क्षतिग्रसत मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल की जनपद बस्ती के शहीद गाँव कुसमौर में मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत कतिपय गांवों को रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री विजय पाल (आढ़ती) की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवाँ में स्थित आमघाट रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सचूना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की उत्तर प्रदेश राज्य में स्वतंत्र फिजियोथेरेपी चिकित्सा आयोग का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत बल्देव से बरौली, नेरा, मादौर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं सोलहवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद

हरदोई में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कतिपय स्थानें पर हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद हमीरपुर में अनियमित ढंग से आवंटित राशन की दुकानों की जाँच कराये जाने एवं निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती में पुलिस द्वारा अवैध रूप से बालू खान कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत राही ब्लाक के कतिपय मार्गों का निम्मण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 21वीं सूचना श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र मे बसे वन गुर्जरों को सरकार द्वारा विस्थापित किये जाने व उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर के0ज0एम0यू0 के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कैथी मांझा एवं कतिपय बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असोहा से ग्राम खरगीखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण काये जाने के सम्बन्ध में है तथा सत्ताइसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के उत्तम विहार कालोनी के अन्तर्गत अवैध रूप से बन रहे मोबाइल टावर का निर्माण कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

क्रम सं0	नाम
1	श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू''
2	श्री जवाहर लाल राजपूत
3	श्री सत्यवीर त्यागी
4	श्री कैलाश नाथ शुक्ल
5	डा0 मन्जू शिवाच
6	श्री सीताराम वर्मा,

क्रम सं0	नाम
7	श्री विपिन कुमार 'डेविड'
8	श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
9	श्री सत्यपाल सिंह राठौर
10	श्री संजय
11	श्री सुभाष पासी
12	श्री नईम उल हसन
13	श्री बम्बा लाल
14	श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य, ''पप्पू भइया''
15	श्रीमती मनीषा अनुरागी
16	श्री नाहिद हसन
17	श्री बहोरन लाल मौर्य
18	श्री आजाद अरिमर्दन
19	श्री हाकिम लाल बिन्द
20	श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
21	श्री उमेश मलिक
22	श्री संजय प्रताप जायसवाल
23	श्रीमती लीना तिवारी
24	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केड़िया तथा
25	श्रीमती निर्मला संखवार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड अन्तर्गत देवरिया-बलिया अन्तर्जनपदीय माठी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, 357-बेल्थरा रोड जनपद बलिया के अन्तर्गत देवरिया-बलिया अन्तर्जनपदीय मुख्य मार्ग के बीच तुर्तीपार एवं उभावं के मध्य स्थित सिंचाई पम्प रेगुलेटर के पास मुख्य मार्ग न होने से दुर्घटना होने का भय बना रहता है। जनहित में उक्त मार्ग को पम्प रेगुलेटर मार्ग के स्थान पर मुख्य मार्ग का अविलम्ब निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलमब, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत किठावर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गरिमा सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र अमेठी के विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत आने वाले अमेठी किठावर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 18 किलोमीटर है, की वर्तमान स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है साथ में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण भी कराने योग्य है, क्योंकि विधान सभा में एक यही मार्ग जिसका चौड़ीकरण नहीं हुआ है। कई बार उक्त मार्ग के विषय में जनपद स्तर के अधिकारियों को सूचित कर चुके है परन्तु अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। यह अतिशीघ्र करवाना उचित होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

लखनऊ बलिया राजमार्ग के रसड़ा तहसील में हिता के पुरा स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ-बलिया राज्य मार्ग जो कि एक अत्यन्त व्यस्ततम राज्य मार्ग है, पर रसड़ा तहसील अन्तर्गत एक रेलवे क्रासिंग पड़ती है जहां पर अत्यधिक गाड़ियों के आवागमन तथा राज्य मार्ग होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है तथा कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकता है।

जनहित में इस अत्यधिक व्यस्ततम राज्य मार्ग पर रसड़ा तहसील के हिता के पुरा स्थित रेलवे क्रासिंग पर यदि ओवरब्रिज बन जाता है तो इससे जनता को अत्यधिक सुविधा होने के साथ ही साथ जाम की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जायेगी।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बीय विषय पर लखनऊ-बलिया राज्य मार्ग के रसड़ा तहसील के हिता के पुरा रेलवे क्रासिंग पर एक ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, विधान सभा कालपी जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद के निम्न मार्गों की स्थिति बहुत खराब है, बनवाने की आवश्यकता है।

1-बस्तेपुर से करतलापुर 04 किमी0।

2-तरसौर से गुगियापुर 1.5 किमी0।

3-नैनापुर से जुगराजपुर (मरम्मत) 8 किमी0।

4-विजवाहा से जुगराजपुर की पुलिया तक।

माननीय उक्त मार्ग बनवाने की कृपा करें।]

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत कतिपय कच्चे मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर जनपद कानपुर अन्तर्गत पनकी नहर पुल से दादानगर औद्योगिक क्षेत्र तक लगभग 800 मीटर तथा पनकी नहर पुलिया (पावर हाउस वाली) से अर्मापुर पुलिया तक मार्ग कच्चा होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मार्ग कच्चा होने से जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित होता है। जनपद में उक्त मार्गों का पक्का/लेपन स्तर तक निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों का पक्का/लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत आनन्दधाम सरोवर के सौन्दर्यीकरण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-39, धनौरा जनपद अमरोहा के अन्तर्गत धनौरा के आनन्दधाम सरोवर के सौन्दर्यीकरण में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जनहित में आनन्दधाम सरोवर के सौन्दर्यीकरण की टी0ए0सी0 जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए धनौरा के आनन्दधाम सरोवर के सौन्दर्यीकरण की टी0ए0सी0 जांच किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-283, नानपारा तहसील की आबादी अत्यधिक है जिसके उत्तर दिशा में नेपाल, पश्चिम में लखीमपुर खीरी व दक्षिण दिशा में सीतापुर जनपद स्थित है। नानपारा तहसील में 4 विधान सभायें क्रमशः नानपारा, बलहा, मटेरा, महसी है। जिसका अधिकतर क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण विकास प्रभावित हो रहा है। काफी समय से जनमानस द्वारा नानपारा को जनपद बनाये जाने की मांग की जा रही है। विकास हेतु नानपारा को जिला बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करे हुए नानपारा को जनपद बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा में बोदरहवां-कोदई-गड़वान मगरदह होते हुए दुपटिया तक लगभग 10 किमी0 मार्ग अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण हालत में है जिसके कारण एम्बुलेंस एवं डायल 112 तथा अन्य स्कूली वाहन भी नहीं पहुंच पाते है जिससे इस क्षेत्र के आम जनमानस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बोदरहवां-कोदई-गड़वान मगरदह होते हुए दुपटिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के शहीद गांव कुसमौर में मूलभूत सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ (सी0ए0) चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज के अन्तर्गत शहीद गाँव कुसमौर में मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण वहाँ के ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम कुसमौर के शौर्य चक्र विजेता स्व0 सिपाही रघुनाथ सिंह जो 15 कुमाऊं रेजिमेंट में सीमाओं की रक्षा करते हुए दिनांक 07 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपना सर्वोच्च

नो :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बलिदान दिया है। 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद गाँव सामान्य मूलभूत जनसुविधाओं से वंचित है। ऐसे वीर सपूत की स्मृति में गाँव कुसमौर को शहीद गाँव घोषित करना तथा गाँव को जाने वाली रोड शहीद के नाम से घोषित करना, गाँव में तोरण द्वारा बनाना शहीद के नाम पर पंचायत घर/बारात घर, आई0टी0आई0 कालेज/डिग्री कालेज/कन्या इण्टर कालेज, सोलर लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना परम आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत कतिपय गांवों को रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भइया'-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज ग्राम बिहारीपुर अजब, नौनीटिकन्ना, नगरिया खनू तथा रैपुरा से लगी रामगंगा नदी ने गाँवों की तरफ कटान प्रारम्भ कर दिया है जिससे उपरोक्त गाँवों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। जनहित में उक्त गाँवों को रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु एक परियोजना बनाकर ठोकरों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त गाँवों को रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु परियोजना बनाकर ठोकरों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजयपाल आढ़ती-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-59, हापुड़ में हापुड़ इन्द्रगढ़ी रेलवे फाटक से लेकर काकर, यादनगर, भटेल सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर व जीर्ण-शीर्ण अवस्था मे है, जिस पर से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। यह मार्ग कई ग्रामों को जोड़ता हुआ जनपद मेरठ की ओर जाता है। मार्ग अत्यन्त संकरा है जिस पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जनहित में हापुड़-इन्द्रगढ़ी रेलवे फाटक से लेकर काकर, यादनगर, भटेल सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां में स्थित आमघाट रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां जनपद मिर्जापुर के आमघाट रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण कई-कई घन्टे जाम की स्थिति बनी रहती है। यह रेलवे क्रासिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रासिंग पर आवागमन अधिक रहता है। रेल के आने के पहले ही रेलवे क्रासिंग बन्द हो जाती है जिससे कई घन्टे जाम लगा होने के कारण स्कूली बच्चे, मरीज, व्यापारी एवं कर्मचारी समय से अपने कार्यालय, अस्पताल, स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। इस क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवही न होने से आम जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए आमघाट रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु कार्यवाही हेतु वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र-98, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद के मोहल्ला दतौजी कला में प्राथमिक पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल की बाउण्ड्री न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होता रहता है। विद्यालय के कमरों में फर्श के क्षतिग्रस्त होने से भी बच्चों को बैठने में परेशानी होती है। जनहित में प्राथमिक पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल की बाउण्ड्रीवॉल एवं फर्श का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महव्त के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में स्वतंत्र फिजियोथेरेपी चिकित्सा आयोग का गठन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी तक स्वतंत्र फिजियोथेरेपी चिकित्सा आयोग का गठन नहीं हुआ है। वर्ष 1970 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट अपनी चिकित्सारूपी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेवायें दे रहे हैं। राज्य में 30 विद्यालय फिजियोथेरेपी चिकित्सा स्नातक अध्ययन साढ़े चार वर्ष एवं 13 विद्यालय परास्नातक अध्ययन 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चला रहे हैं। अभी तक लगभग 15000 फिजियोथेरेपी निजी रूप से एवं 1000 लगभग शासन के सेवार्थ कार्यरत हैं। फिजियोथेरेपी चिकित्सा के क्षेत्र में एक अहम योगदान रखता है। अस्थि रोग विभाग, यूरो विभाग कार्डियो रेस्पेरेटरी विभाग, स्पोर्ट्स विभाग एवं आई0सी0यू0 में अपनी सेवायें दे रहा है जो कि स्वास्थ्य संबंधी परिणाम में अहम योगदान करता है। स्वतंत्र आयोग के अभाव से बहुत सारे अयोग्य एवं तथाकथित झोलाछाप फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिन पर अंकुश लगाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है जिससे लगातार चिकित्सा क्षेत्र को हानि पहुँच रही है। यह जनहित का गम्भीर विषय है।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट काते हुए तत्काल अयोग्य एवं तथाकथित झोलाछाप फिजियोथेरेपिस्टों पर रोक लगाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में स्वतंत्र फिजियोथेरेपी चिकित्सा आयोग गठित किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत बल्देव से बरौली, नेरा, मादौर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से हमारे विधान सभा क्षेत्र बल्देव जनपद मथुरा के ब्लाक बल्देव में बल्देव से बरौली, नेरा, मादौर तक मुख्य सम्पर्क मार्ग जो काफी ग्रामों से निकलता हुआ दूसरे जनपद मथुरा से सादाबाद, हाथरस को जाने वाले मार्ग को भी जोड़ता है एवं क्षेत्र का मुख्य मार्ग है। विशेष मरम्मत के अभाव में जगह-जगह काफी क्षतिग्रस्त हो गया है एवं बहुत बड़े हिस्से में पूरे सड़क की मोटी गिट्टियां बाहर आ गई हैं जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती है। क्षेत्रीय जनता/स्थानीय निवासियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है तथा मार्ग की विशेष मरम्मत करवाये जाने की मांग भी की जा रही हैं। यह सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1, मथुरा के अन्तर्गत आता है तथा मार्ग की विशेष मरम्मत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार मौर्य-

[मान्यवर, नियम-301 के माध्यम से अवगत कराना है कि ग्राम-औना, थाना अतरौली, तहसील-सण्डीला, जनपद हरदोई में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण एवं उसकी बिक्री का

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धन्धा खुलेआम चल रहा है। कच्ची शराब के अवैध निर्माण में स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होता है, जो ग्राम प्रधान व उप प्रधान की सहमति से हो रही है। उक्त से स्थानीय निवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रश्नगत कच्ची शराब के अवैध निर्माण से जहाँ राजस्व की हानि हो रही है, वहीं स्थानीय गरीब, कमजोर, दलित व मजदूर वर्ग का घर/परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया है। साथ ही अवैध शराब के बनाने के कार्य के कारण आस-पास के हरे-भरे आम के बाग को भी अत्यधिक नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिसका खुल कर विरोध करने पर अराजक तत्वों द्वारा गालियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके कारण अब किसी की खुल कर विरोध करने की हिम्मत नहीं हो पाती है।

यह भी अवगत कराना है कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही अवैध शराब के कारण प्रदेश में कई लोगों की जान चली गयी है, कही दुर्घटना की पुनरावृत्ति इसी क्षेत्र में न हो जाय, इसकी प्रबल सम्भावना बन रही है।

अवैध शराब निर्माण/बिक्री के उक्त कार्य में मुख्य रूप से श्री राजेश पुत्र श्री कढ़िले, श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम विलास, श्री रामबक्श पुत्र श्री सन्तू, श्रीमती विद्या पत्नी श्री सिंधू उर्फ सीताराम, अयोध्या व राजेश व बाबूलाल पुत्र कढ़िले, सुनील पुत्र अयोध्या तथा विशुनाथ पुत्र जगन्नाथ शामिल हैं। उक्त सभी लोग इतने दबंगई पर उतारू हैं कि वहाँ के स्थानीय निवासी हमेशा भयभीत रहने लगे हैं। इस अवैध शराब निर्माण/बिक्री के कार्य से निवासियों में अत्यधिक रोष व्याप्त हो चुका है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के विषय पर मैं ग्राम-औना, थाना-अतरौली, तहसील-सण्डीला जनपद हरदोई में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण एवं उसकी बिक्री के खुलेआम चल रहे धन्धे पर रोक लगाये जाने हेतु मा0 सदन में विस्तृत चर्चा/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कतिपय स्थानों पर हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत विकास खण्ड कोतवाली व विकास खण्ड किरतपुर में पीने के पानी की बहुत परेशानी है, गर्मियों के मौसम में वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है जिस कारण छोटे हैण्डपम्प पानी छोड़ देते हैं इसलिए लगभग 300 राजकीय हैण्डपम्प स्थापित कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र लगभग 300 राजकीय हैडपम्प स्थापित कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर में अनियमित ढंग से आवंटित राशन की दुकानों की जांच कराये जाने एवं निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ

कृपया अवगत कराना है कि जिलापूर्ति अधिकारी, हमीरपुर द्वारा पत्रांक सं0-1080/2019, दिनांक-09.12.2019 को जनपद-हमीरपुर के तहसील-हमीरपुर, कस्बा सुमेरपुर, में रिक्त उचित दर की दुकानों के आवंटन हेतु समाचार-पत्र दैनिक आज में विज्ञापन प्रकाशित काया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि पात्र आवंटनकर्ताओं को लॉटरी सिस्टम से दुकान आवंटन की जायेगी लेकिन उक्त उचित दर की दुकान आवंटन में लाटरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और मनमाने ढंग से अपने चहेते व्यक्तियों को दुकानें आवंटन कर दी गई हैं। जबकि खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 के पत्र सं0-7/2019/1359/29-6-2019-162सा0/2001, दिनांक 5 अगस्त 2019 के प्रस्तर (4)-10 में स्पष्ट तौर से यह व्यवस्था है कि नगरीय क्षेत्र का उचित दर विक्रेता अथवा उसके परिवार के सदस्य सभासद या अध्यक्ष का चुनाव जीता हो। जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्था की अनदेखी करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार को दुकान आवंटित कर दी है, जबकि देवेन्द्र कुमार की पत्नी श्रीमती सावित्री देवी अम्बेडकर नगर वार्ड 03 की वर्तमान सभासद हैं। दूसरी दुकान श्री कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री पन्ना लाल गुप्ता को नियम विरूद्ध आवंटित कर दी है, इनकी मिट्टी के तेल की दुकान पूर्व में अनियमितताओं के कारण शासन द्वारा निरस्त कर दी गई थी। उक्त शासनादेशों में दी गई व्यवस्था की अनदेखी करके अपात्र व्यक्तियों को उचित दर की दुकाने आवंटित किये जाने से समस्त पात्र आवेदनकर्ताओं में काफी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद श्रावस्ती में पुलिस द्वारा अवैध रूप से बालू खनन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विषय :-जनपद-श्रावस्ती पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने एवं मनमाने तरीके से अवैध बालू खनन कराकर अवैध वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद-श्रावस्ती में बालू के अवैध कारोबार में पुलिस की मिलीभगत से बड़े अधिकारी से लेकर सिपाही स्तर के लोग, इस अवैध धन्धे में अपना निजी धन्धा समझकर बड़े जोर-शोर से फल-फूल चुका है। यदि उनके खिलाफ कोई भी ईमानदारी से आवाज उठाता है तो, या तो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है या उसके सहयोगियों को गलत ढंग से फंसाकर गम्भीर धाराओं फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर 1-श्री अभिषेक सोनी मीडिया प्रभारी श्रावस्ती ने ईमानदारी से खबर चलाई तो पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती की बात नहीं मानी तो उनके ऊपर गम्भीर मुकदमा सं0-0374/506, 385, 392 दर्ज करा दिया गया।

2-ग्राम भंगहा निवासी श्री अजीज अहमद एवं उसके पुत्र श्री डब्लू को क्षेत्राधिकारी भिन्गा व पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने तीन महीने पहले मरे हुए श्री अमेरिका नामक व्यक्ति की लाश खुदवाई और सी0एम0ओ0 श्रावस्ती से मिलकर उसका गलत पी0एम0 करवाया और एस0एस0आई0 श्री राजीव मिश्रा दस लाख रुपये की मांग करते रहे, तब श्री आजीज अहमद जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है उसने श्री राजीव मिश्रा एस0एस0आई0 से कहा कि तीन महीने पूर्व मृतक स्व0 श्री अमेरिका की लाश नदी में डूबने से हुई थी, जिसका वीडियो श्रावस्ती के विभिन्न लोगों के पास मौजूद है। उसके परिवारवालों ने साफ शब्दों में कहा था कि मृतक अमेरिका की शराब पीकर नदी डूबने से मृत्यु हुई है, और हम लोग न ही पी0एम0 कराना चाहते हैं और न ही अन्य कोई जांच कराना चाहते हैं, लेकिन प्रधानी चुनाव को देखते हुए और पुलिस द्वारा रु0 दस लाख की मांग न पूरा करने पर सी0एम0ओ0 से मिलकर गलत पी0एम0 करवाया और वर्तमान प्रधान श्री अजीज अहमद एवं उसके पुत्र श्री डब्लू के विरुद्ध दिनांक 13.12.2019 को 304 मुकदमा भिन्गा थाना में दर्ज कराकर जेल भेज दिया।

पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने प्रधान के विपक्षियों से कहा कि इसके उपर गैंगेस्टर की कार्यवाही भी कर दूँगा। इस प्रकार की खुली धमकी से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत राही ब्लाक के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद-रायबरेली में जिला पंचायत, रायबरेली के अधीन निर्मित सड़कों में से अधिकांश सड़कें वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं। बीते कई वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं हुई है जिससे यहाँ के निवासियों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली, सदर विधान सभा क्षेत्र के राही ब्लाक के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा निर्मित अग्रलिखित सड़कें-1-खुरेहटी से पूरे पासिन तक, लम्बाई 2.7 कि0मी0, 2-बेला भेला से बाबा का पुरवा होते हुए अजरहा से सूरजकुण्डा रोड तक, लम्बाई 08.00 किमी0, 3-सिद्धा का पुरवा बाजार से कटरियानारे तक, लम्बाई 07.00 किमी0, 4-पूरे बक्सी से मटियारी सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 06.00 कि0मी0, 5-गोंदवारा से दरवापुर होते हुए कुमेदारपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 0.200 कि0मी0, 6-पूरेसिद्धा से गुन्दापुर होते हुए राघनपुर तक, लम्बाई 05.00 कि0मी, 7-सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.00 कि0मी0 तथा 8-रायबरेली सलोन मार्ग से खानपुर होते हुए पूरेपासिन तक, लम्बाई 02.00 कि0मी0 वर्तमान में एकदम जर्जर अवस्था में हैं। इसी प्रकार अमावां ब्लाक के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा निर्मित निम्नलिखित सड़कें-1-पूरे गुमान सिंह सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 2.500 कि0मी0, 2-खरसिरवा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.350 कि0मी0, 3-हैवतमऊ से कुमारगंज सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.700 कि0मी0, 4-अहमदपुर मौरई से समरदहा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.00 कि0मी0, 5. फकीरन तकिया होते हुए कुडरा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.300 कि0मी0 6-अमावां से रुकुनपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 02.800 किमी0 तथा 7-रजवापुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 03.400 कि0मी0 वर्तमान में एकदम जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों से सैकड़ों गॉव के लोग प्रतिदिन आते-जाते हैं। जर्जर होने के कारण आये दिन इन पर दुर्घटाएं हो रही हैं। इन सड़कों के निर्माण में किये गये अनुबन्ध तथा विशिष्टियों की जाँच कराकर मानकानुसार मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य जिला पंचायत, रायबरेली द्वारा कराया जाना अतिआवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सभी सड़कों का मरमत/पुनर्निमाण शीघ्र कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-372, केराकत, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत खेलकूद स्टेडियम का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र में खेलकूद स्टेडियम न होने से ग्रामीण अंचलों के बच्चे खेलों में भाग नहीं ले पाते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों को सरकार द्वारा विस्थापित किये जाने व उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवालिक क्षेत्र में सेना द्वारा फायरिंग अभ्यास किया जाता है जो फायरिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेना के अभ्यास करते समय कुछ फायरिंग सामग्री फायरिंग क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं जिससे इस क्षेत्र के आस-पास रह रहे वन गुर्जरों की बस्ती प्रभावित होती है। इस क्षेत्र मे कई बार ऐसी घटानाओं से जान-माल की हानि भी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में पत्राचार के माध्यम से जिलाधिकारी, सहारनपुर को भी अवगत कराया गया है। उल्लेखनीय है कि वन गुर्जरों व जिलाधिकारी, सहारनपुर में परस्पर वार्तालाप भी हुआ है जिसमें इन वन गुर्जरों को पुनः अन्यत्र विस्थापित किये जाने हेतु आश्वासन भी दिया गया था। परन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इस प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि मेरे क्षेत्र से सटा हुआ उत्तरांचल (उत्तराखण्ड) है, वहाँ पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उस क्षेत्र में पड़ने वाले वन गुर्जरों को विस्थापित कर हरिद्वार जिले में पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1985 में उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद हरिद्वार व वर्तमान में उत्तरांचल में रह रहे वन गुर्जरों को 512 आवास व 12.50 बीघा जमीन रोजगार हेतु देकर पथरी गांव में विस्थापित किये थे। वर्ष 1990 में उ0प्र0 सरकार द्वारा ही 878 आवास गांव गेडीखाता में तथा कुछ आवास वन गुर्जरों हेतु जनपद हरिद्वार में ही कालागढ़ में बनाकर विस्थापित करने का कार्य किया था, परन्तु जनपद सहारनपुर में पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे वन गुर्जरों हेतु सरकार द्वारा बार-बार आग्रह करने पर भी कोई ठोस नीति तैयार नहीं हो पा रही है। जनपद सहारनपुर का समूचा पर्वतीय क्षेत्र जिसमें वन गुर्जन रहते हैं तथा दुर्घटनाओं का शिकार भी होते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पड़ता है, जिसके कारण जन-प्रतिनिधियों को जनता की जबावदेही में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वन गुर्जरों को राजस्व ग्राम में पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर के0जी0एम0यू0 के सैटेलाइट सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, जनपद बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम पर के0जी0एम0यू0 के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना हेतु सरकार ने पिछले बजट में भी करोड़ों रुपये का बजट का प्रावधान किया था, परन्तु अभी तक कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कोई कार्य (शिलान्यास) इत्यादि का नहीं कराया गया है जिससे उक्त महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में आम जनता में संशय की स्थिति बनी हुई है। उक्त परियोजना का शिलान्यास होकर कार्य प्रारम्भ होना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कैथी मांझा एवं कतिपय बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत रौनाही तटबन्ध व सरयू नदी के बीच महंगू का पुरवा, सराय नासिर, अब्बूपुर, सल्लाहपुर, कैथी व कैथी माझा सहित कई बस्तियाँ सदियों से रह रही हैं। कई बस्तियाँ घाघरा/सरयू की भीषण बाढ़ की चपेट में आने से समाहित हो चुकी हैं। उपरोक्त बस्तियों में रहने वाले अत्यन्त गरीब व खेतिहर मजदूर वर्ग के लोग हैं। पशुपालन व खेती मुख्य व्यवसाय है। बरसात के दिनों में बाढ़ की चपेट में 630 घर अभी भी प्रतिवर्ष आते हैं जिन्हें दैवी आपदा के समय सरकार सामग्री वितरण करती रहती है। इन बस्तियों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए अलग पुनर्वासित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कैथी माझा के लगभग 90 परिवार नदी के अन्दर 5 किमी0 दूरी पर निवास कर रहे हैं जिनके पशुओं के लिए पशु शेड व बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कैथी माझा एवं उपरोक्त बस्तियों के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल, काकोरी और मलिहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त मात्रा में डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं हैं जिसके कारण आम जनता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को असुविध होती है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी तथा इनसे सम्बद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार गांव, हसनापुर, ससपन, मलिहाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सम्बद्ध कसमण्डी कला, रहिमाबाद, कहला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी से सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगंज, बड़ा गांव में आदि में डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इनके सीवर चोक है जिसके कारण माल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेवर रूम में पानी भर जाता है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सीवर और बिल्डिंग की मरम्मत, रंगाई-पुताई के लिए धनराशि, समुचित मात्रा में दवा और आम जनता के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में डाक्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करना है। सुरक्षित डिलीवरी महिला डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ की देख-रेख में हो इसलिए रात में महिला डॉक्टर की तैनाती की जाय। सुरक्षित डिलीवरी हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अच्छी व्यवस्था की जाय। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन समय से डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहे और बाल रोग विशेषज्ञ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल में तैनाती अति आवश्यक है।

अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में मरम्मत से संबंधित निर्माण कार्य, सीवर, रंगाई, पुताई, डाक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति तथा दवाओं की समुचित मात्रा में उपलब्धता कराने हेतु जनहित में अतिआवश्यक है जिससे मेरी विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ सभी नागरिकों को मिल सके।]

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत असोहा से ग्राम खरगीखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली के विकास खण्ड शिवगढ़ में ग्राम पंचायत असोहा से होकर तिलेण्डा हलोर मार्ग से ग्राम खरगीखेड़ा से नवाजीखेड़ा पुरबिया फिर केरांव होते हुये उक्त 5 कि0मी0 मार्ग कच्चा होने के कारण लगभग 15 हजार की आबादी के लोगों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः आग्रह है कि जनहित में उक्त मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद सहारनपुर के उत्तम विहार कालोनी के अन्तर्गत अवैध रूप से बन रहे मोबाइल टावर का निर्माण कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर में उत्तम विहार कालोनी की गली नं0-2 बेहट रोड, सहारनपुर में राजेन्द्र सैनी नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मोबाइल टावर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विकास प्राधिकरण सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.09.2019 में उक्त मोबाइल टावर को सील कर दिया गया था परन्तु दिसम्बर, 2019 में पुनः अवैध रूप से मोबाइल टावर का निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की, तत्पश्चात् जनसुनवाई पोर्टल, जिलाधिकारी एवं एस0डी0एम0 तथा विकास प्राधिकरण सहारनपुर द्वारा पुनः निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से दिनांक 17.02.2020 को रात्रि में अवैध रूप से मोबाइल टावर का निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जन मानस में बहुत रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन ले लीजिए 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

कल आप लोगों ने तय किया था उसके बाद क्यों बदल रहे हैं? ठीक है हम ले लेंगे।

[12:57 बजे] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2016-17†

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्यय खाता वित्तीय वर्ष 2016-2017 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री ज्ञानेन्द्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मद संख्या-4 कृषि विभाग एवं मद संख्या-5 चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन †

श्री ज्ञानेन्द्र-

† छापा नहीं गया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो कृषि विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) नवम् प्रतिवेदन †

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन, जो चिकित्साा शिक्षा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 01 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुए।)

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 11 याचिकाएं†

(1) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत पशु अस्पताल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बनारसी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत मनकापुर गोण्डा के कस्तूरबा बालिका विद्यालय मसकनवां में छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुदासू गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत ग्राम सभा मझौवातोगर में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विन्देश्वर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत मसकनवां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की बाउण्ड्रीवाल एवं नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत मसकनवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 100 शैय्या अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मोदनवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत गिन्नी नगर अल्लीपुर मार्ग से राघव बस्ती ईश्वरखुर्द, रवारही भारी, खम्भरिया, मझवाखास से आलाउदीनपुर तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवंश बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में कुआनों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मदेव वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत मसकनवां रोड से गौरा बुजुर्ग गाँव तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत गौरा चौकी गिन्नी नगर मार्ग से बकुई रसूलपुर खान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोहरत प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत बभनजोत पशु चिकित्सालय के भवन के निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत बभनान से गौरा चौकी बाईपास सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवंत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित 08 याचिकाएं[†]

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सुल्तानपुर के शिव प्रसाद के खेत से कर्बला तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अशीष व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[†] छापी नहीं गयी।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सारंगपुर के पंचायत भवन से राम कुमार सिंह (चनहापकड़ी) के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 600 मी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिधार राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा अहेथिया किशुनीपुर के अहेथिया चौराहे से सरकारी नलकूप विमल निषाद के आवास होते हुए श्रीवास्तव बस्ती, यादव बस्ती एवं दलित बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 2.0 कि0 मी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनन अवधी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित अकबरपुर गौहनिया सम्पर्क मार्ग से आनन्द वर्मा राइस मिल्स हुसेपेटी होते हुए अतवारी सुबेदार का पुरा के खेत तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 2.0 किमी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखरात राजभर निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित सैदापुर इटरौरा सम्पर्क मार्ग से फूलचन्द जायसवाल के भट्टें के दक्षिण से ग्राम सभा रोशनगढ़ के भगीरथी राजभर के आवास तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 1.0 किमी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सभई राजभर निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा खानजहांपुर के विजय शंकर के खेत से ग्राम सभा अहलादे पुल तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.0 कि0 मी0) का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर यादव, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कजपुरा में राम आसरे जायसवाल की दुकान से श्री श्यामलाल राजभर के आवास होते हुए श्री सइम मुल्ला के आवास तक पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामलाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा राजेपुर धार्वो वाजिदपुर पिच मार्ग से ग्राम मुतुर्जापुर के महेन्द्र वर्मा

की दुकान तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग ल0 लगभग 1.0 कि0मी0 का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फैजान निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में नाला निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राममिलन पुत्र श्री रामखेलावन व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 07 याचिकाएं एवं जनपद मथुरा से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम मालीपट्टी में हरी सिंह के घर से मालीपट्टी मंदिर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सीता राम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मथुरा की ब्लाक माठ के अन्तर्गत ब्रह्मऋषि बाबा देवराह समाधी स्थल से राधारानी होते हुए कच्ची पुल डागोली तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मुकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम किन्दरपुर आनन्दीपुर-करकौली में शाहबुद्दीन के घर से लेकर बजीरपुर-आनन्दीपुर वाली सड़क तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम कबीरपुर सैलानी में उच्च प्राथमिक विद्यालय कबीरपुर सैलानी की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री थान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम शंकरपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के

†छापी नहीं गयी।

सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला बिना में प्रा0पा0 नगला बिना से श्री रामचरन लाल चमेली देवी उ0मा0 विद्यालय नगला बिना तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अधिष्ठाता महोदय, याचिकाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए और कार्य-स्थगन ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

याचिकाएं हो जाने दीजिए।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम विदरखा में मुस्तफाबाद रोड से दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला चूरा में राम प्रकाश की दुकान से होली तिराहे होकर नाले की पुलिया तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामप्रकाश मझवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मनीष असीजा (अनुपस्थित)।

श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजबाद से सम्बन्धित 01 याचिका उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित की हुई मानी गयी †

जनपद फिरोजाबाद में मोहल्ला राठौर नगर, आसफाबाद में अतर सिंह से कल्लू के मकान तक एवं रूप किशोर के मकान से अतर सिंह के मकान तक गली का निर्माण एवं जल निकासी के लिए नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबलू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्रीमती निर्मल संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

† छापी नहीं गयी।

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा सलेमपुर में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा बिरहन में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम पंचायत सजावारपुर डामर रोड से सुन्दरलाल पाण्डेय के खेत तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम पंचायत सजावारपुर उसरी रोड से रजपुरवा बम्बी अजनपुर बिलहा डामर रोड तक सड़क का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा किशौरा में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड झींझक के गाँव कुदौली से सबलपुर तक नवीन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा नोनारी बहादुर औनाहा में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात में ढकपुरवा नहर पुल से थेवान नहर पुल तक कैनाल राम गंगा नहर को चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री गोरे लाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं तथा

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम सभा किशौरा में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में महिला अस्पताल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोलू दीक्षित निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत सधवा खेड़ा मजरा मॉखी में डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 01 याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम भुड़पुर से ग्राम रजपुरा में रविकान्त के घर से काली नदी तक ब्लॉक खरखौदा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री रविकान्त शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुईं मानी गई।

श्री मो0 फईम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 06 याचिकाएं एवं जनपद सम्भल से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी अन्तर्गत ग्राम मिलक अहलादपुर से अहलादपुर करार होते हुए बड़ा गाँव सम्पर्क मार्ग तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरफराज हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में चिकित्साधिकारी लेबल-2 के पद से लेबल-3 पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में डा0 संदीप गुप्ता निवासी जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के ग्राम शाहबाजपुर के पश्चिमी सम्पर्क मार्ग से पूर्वी सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के ग्राम मुंडियाखेड़ा भगतपुर मार्ग से शाहबाजपुर में सुल्तान सिंह के मकान पर होते हुए भगतपुर स्कूल तक नवीन डामर का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजयपाल व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†छापी नहीं गयी।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी ग्राम कुंआखेड़ा रेलवे हाल्ट से उमरा गोपालपुर बरौली रूस्तमपुर होते हुए चिड़िया भवन मार्ग तक नवीन डामर मार्ग के सम्बन्ध में श्री मुकेश व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में शाहबाद मार्ग से स्योंडारा मार्ग तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री देवेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम कमालपुर चन्दौरा सम्पर्क मार्ग से ग्राम श्याम सिंहपुर उर्फ भूड़ी होते हुए ग्राम सैफपुर मल्लू सम्पर्क मार्ग तक नवीन डामर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री तहजीब व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम शाहपुर सम्पर्क मार्ग से मरघट होते हुए हमजापुर करसरा मार्ग तक नवीन डामर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री बाबू व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 12 याचिकाएं, जनपद रामपुर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद बिजनौर से संबंधित 01 याचिका[†]

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत नहर से गन्नू नगला तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक भोजीपुरा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत रिठौरा से मल्लपुर दोहरिया तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत नहर से नौगवां घाटमपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनोखे लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[†] छापी नहीं गयी।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड शेरगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुद्धसेन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली महानगर में एम्स स्तर का मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयदेव मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत राजकीय कृषि फार्म बिलवा भोजीपुरा में राजकीय कृषि विद्यालय के सम्बन्ध में श्री बृजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक बिथरी चैनपुर के ग्राम भड़सर में मिनी स्टेडियम के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक भोजीपुरा के ग्राम बुझिया में मिनी स्टेडियम के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक शेरगढ़ के ग्राम ब्योधा में मिनी स्टेडियम के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग से बिलवा होते हुए अटा का स्थान तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लेखराज कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(12) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम-पखुरिनी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश पाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(13) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रामपुर में खनन नीति के अन्तर्गत नियम-52 क के तहत अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हे निवासी जनपद रामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(14) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर में खनन नीति के अन्तर्गत नियम-52 क के तहत अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार रावत निवासी जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 12 याचिकाएं[†]

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत जैतीपुर में पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, के अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत जैतीपुर में अस्पताल रोड से सत्यपाल सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत महमूदापुर से खेड़ बझेड़ा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत फतेहगंज गढ़ियारंगीन मार्ग से जगतियापुर/सरसवां सम्पर्क मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत महमूदापुर सम्पर्क मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर में सहिमापुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में भुण्डा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[†] छापी नहीं गयी।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, तहसील कलान के अन्तर्गत ग्राम रठेली से कुण्डरिया तक डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री साधूराम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत खेड़ बझेड़ा सम्पर्क मार्ग से बझेड़ा भगवानपुर तक डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हरिभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम टिसुई सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त होने के कारण आवागमन की दृष्टि से डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमांशकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी याचिकाओं को पढ़ा हुआ एवं प्रस्तुत किया हआ मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है उमाशंकर सिंह जी। वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' जी, एक मिनट रुक जाइए, आपकी शेष याचिकाएं उपस्थित की गयी मानी गयीं और आज की कार्य-सूची में जो याचिकाएं है उन सभी को उपस्थित किया हुआ एवं पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सभी उपस्थित मानी गयी याचिकाएं संलग्न हैं।)

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम भूड़िया से अलियापुर मार्ग गड्ढायुक्त होने के कारण आवागमन की दृष्टि से डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जदुवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(12) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में भूड़िया सम्पर्क मार्ग का मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित निम्नलिखित 07 याचिकाएं[†]

[†]छापी नहीं गयी।

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के ग्राम निहालपुर में दया पटेल के मकान से राजपूत बस्ती होते हुए राम सेवक के मकान तक सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री दया पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के ग्राम बेलवरिया में एम0के0 टेन्ट हाउस से अमरनाथ पटेल के घर तक सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के ग्राम तेवर बरैछा, तहसील सदर में वाराणसी-आजमगढ़ मुख्य मार्ग से लालजी पहलवान हिन्द केशरी के घर तक लम्बाई लगभग 500 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश यादव निवासीगण जनपद वाराणसी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के ग्राम धौरहरा, तहसील सदर में रामजानकी मन्दिर से जंग बहादुर मौर्य के घर तक लम्बाई लगभग 800 मी0 जर्जर रोड एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री राज प्रताप मौर्य निवासीगण जनपद वाराणसी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के बेनीपुर खुर्द में रामबली प्रजापति के घर से अजोरपट्टी आयर लिंक रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बली प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के बेनीपुर खुर्द सुक्खू पटेल के पम्प सेट से श्री कमलेश ठठेरा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुखराम पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के बेनीपुर खुर्द के श्री राधेश्याम पटेल के घर से श्री भृगुनाथ यादव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चा राम यादव व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित 01याचिका†

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा, जनपद वाराणसी के ग्राम बेलवरिया गेट से कानूडीह बार्डर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीत नरायन व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 23 याचिकाएं †

† छापी नहीं गयी।

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में राजस्व गाँव कटास, पो0 बभनगाँव खुर्द, विकास खण्ड गौर में प्राथमिक विद्यालय व उच्च विद्यालय के नवनिर्माण कराने के संबंध में डा0 रणधीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में बेलवाडांड सम्पर्क मार्ग से कैथोलिया एवं खलवा टिनिच सम्पर्क मार्ग पर पिच रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में चचईया बुजुर्ग में उमापति त्रिपाठी के घर से हरिजन टोला पीपल के पेड़ तक इन्टरलॉकिंग या सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द दुबे व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में मेवालाल के घर से चन्द्र प्रकाश मिश्र के घर तक पिच रोड या सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शत्रुहन प्रसाद मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के ग्राम टिकरिया में राम उजागिर के खेत से राम चन्दर के घर तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री राजेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में केशराजपुर-लालपुर सम्पर्क मार्ग से इमिलियाधीश श्री सूर्य प्रकाश के घर तक पिच रोड या सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के तहसील हरैया के परसा परशुरामपुर मार्ग लालपुर से केसराजपुर को जाने वाली सड़क से सत्यप्रकाश के चक तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के तहसील हरैया के अन्तर्गत ग्राम रमवापुर, पो0 वैदोलिया बाबा भारीनाथ से खुटहना पिच रोड से लवकुश शुक्ल के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महादेव पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में ग्राम सभा लहिलवारा में पगार सम्पर्क मार्ग से होते हुए दयाराम के घर से जयराम के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के बभनगाँवा खुर्द में गर्जन गुप्ता जी के घर से राजाराम राजभर जी के घर तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(11) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में कप्तानगंज टिनिच मार्ग से ग्राम पंचायत हरदी तक पिच रोड या सी0सी0 रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री सारिका कमल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(12) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में कप्तानगंज टिनिच मार्ग से ग्राम पंचायत एकटेकवा गाँव तक पिच रोड या सी0सी0 रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम गरीब निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(13) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के ग्राम रमवापुर में शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के सम्बन्ध में श्री रवी शंकर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(14) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में कविराज बरई के घर से रामधनी वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड के सम्बन्ध में श्री सर्वोत्तम मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(15) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में बंगलवा चौराहे से महादेवा पिच रोड तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड के सम्बन्ध में श्री राकेश बहादुर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(16) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के ग्राम बैदोलिया अजायब में लक्ष्मण कहार के घर से जानकी प्रसाद के घर के पश्चिम तक सी0सी0 रोड के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(17) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में बढ़नी (पेड़ारपुरवा) में झिनकान मिश्रा के घर से राम नरायन चौधरी के खेत तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड के सम्बन्ध में श्री हरि पाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(18) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में कुचुरूपुर में राधेश्याम पाण्डेय के घर से गाँव की पुलिया तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री पंकज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(19) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में गोविन्दपारा में राजबली के घर से घूरे के होते हुए समोदे के घर तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार पाठक उर्फ संतोष व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(20) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती के ग्राम छपिया में बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(21) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में कौडीकोल बुजुर्ग में जग्गू चौधरी जी के घर के पास से हरिश्चन्द्र चौधरी जी के घर तक सी0सी0 रोड या इण्टरलॉकिंग रोड के सम्बन्ध में श्री अनिल उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(22) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में राजस्व गाँव कटास, पो0 बभनगावाँ खुर्द विकास खण्ड गौर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(23) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती में खौपुर ग्राम सभा के गाँव चकसड के पास नहर पर पुलिया का निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 05 याचिकाएं[†]

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर के ग्राम सभा विशूनीपुर आसाम रोड से मण्डी समिति होते हुए गोण्डा-बलरामपुर मुख्य मार्ग तक सड़क को सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के तहसील श्रीदत्तगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के कांधभारी चौराहे से लेकर बाजार भाग होते हुए बाईपास तक सड़क की सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर के बेलहा-गौरा इटवा मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के ग्राम सभा लखमा से पचौथा बम्बा डिहवा होते हुए मझारी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतराम जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

[†] छापी नहीं गयी।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर के गोण्डा बलरामपुर रेल मार्ग पर फुलवरिया बाईपास के पास टू-लेन उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित निम्नलिखित 06 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि मोदवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0डी0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में गन्ना विकास समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में मिनी स्टेडियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में ग्राम पंचायत रागी में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की बाउण्ड्री एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूद्रपाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री विपिन कुमार 'डेविड', सदस्य, विधान सभा की जनपद एटा से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं †

† छापी नहीं गयीं।

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद एटा के अन्तर्गत एटा से टूण्डला तक सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद एटा के अन्तर्गत एटा-सकीट मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित जैन व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद एटा के एटा नगर में जलभराव के कारण हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री सोना जैन व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद एटा के अन्तर्गत ईसन नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा उस पर चेकडैम बनवाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री सुभाष पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत खांवपुर से तरांव सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर सादात मार्ग पर हीरानन्द गाँव के पास टूटी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत धूर्वाजन बरवा खुर्द के बीच में नाले के ऊपर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बडनपुर मुतुर्जिपुर के बीच में नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रदेव यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री दिनेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 05 याचिकाएं †

† छापी नहीं गयी।

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड मुफ्तीगंज में शारदा सहायक नहर पर ग्राम सभा पलिया में पुलिया टूट जाने से उक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड डोभी में शारदा सहायक नहर की पटरी पर ग्राम सभा हीरापुर मचहटी से ग्राम सभा उमरी, बरडिहा तक सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड केराकत में शारदा सहायक नहर पर ग्राम सभा झमका पेसारा मार्ग पर पुलिया टूट जाने से उक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड केराकत में खर्गसेनपुर बाजार से टड़वा सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड धर्मापुर में शारदा सहायक नहर की पटरी पर ग्राम सभा पिलखनी से ग्राम सोनारी, अमरा, असवारा होते हुए आजाद नगर तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होने से डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित निम्नलिखित 09 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम तारगाँव में किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मार्केटिंग हब बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमानी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत 07 नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत अचलगंज अस्पताल में डाक्टर की तैनाती के सम्बन्ध में श्री विद्या भाष्कर द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पंसरिया अस्पताल में डाक्टर की तैनाती के सम्बन्ध में श्री पवन तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर राज्य मार्ग सं0-25, जाजमऊ गंगा पुल से पोनी रोड गंगा घाट नगर पालिका के सामने तक अति संकरा रास्ता है। इस मार्ग को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री शिवम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम सभा दऊ में आरती चौधरी के खेत से वासुदेव के खेत एवं चेतन गुप्ता के फार्म होते हुए ग्राम राधानगरी तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत एम0एम0यू0 से बरेथा-खेरवा होते हुए त्रिलोकपुर डेला बसनेहा से एम0एम0यू0 तक मार्ग का शेष भाग खेरवा से त्रिलोकपुर तक कच्चा मार्ग है, जिसका नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्यामू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत बिछिया-जगवा मार्ग मानधाता खेड़ा गाँव के पास से तारगाँव तक का अवशेष भाग खड़ंजायुक्त एवं अति जर्जर है, जिसका नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमानी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत एम0एम0यू0 से छीटू खेड़ा तक मार्ग वर्ष 2000 में जिला पंचायत द्वारा बनाया गया था। जो अब अति जर्जर है, जिसका दुरुस्तीकरण/नव निर्माण किये जाने के

संबंध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड सैदाबाद के अन्तर्गत उतराँव चौराहे से नौबाजार हाई-वे तक जर्जर पड़े मार्ग का निर्माण/मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुस्तकीम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड धनुपुर के ग्राम चका प्राथमिक विद्यालय से अनुसूचित जाति बस्ती तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में डा0 कौसर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम फतूहा से ग्राम मुन्तजीपुर तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री मुईन व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित निम्नलिनखित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमेठी के ग्राम सभा बैसड़ा में पटखौली मार्ग पर मालती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमेठी के ग्राम सभा नैन्हा बर्तली से पूरबगांव प्राइमरी पाठशाला तक पक्की रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित निम्नलिखित 10 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्द्रामऊ में ग्राम जहाँगीरपुर से छत्तरपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।
†छापी नहीं गयी।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हंसायन में ग्राम वसई से भटपुरा तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र बघेल व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस में ग्राम महौं से गढ़ी धारू तक मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किसान सेंग व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दरामऊ में ग्राम अगसौली चौराहा से सुजावलपुर महाराणा इण्टर कालेज के पास से मूड़ा नौजरपुर, भीकनपुर, नगला भानचन्द से छौकरा तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रताप सिसौदिया व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम जिन्द पट्टी बिसाना के मुहल्ला प्रजापति बस्ती में एन0एच0-93 पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश गोला व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हंसायन में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हंसायन में ग्राम पोरा से नगला मसन्द तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ के गाँव टटी डण्डिया में करीब एक कि0मी0 का घने जंगल की बैरिग कटिंग करने के सम्बन्ध में श्री संतोष पुण्डीर व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड सिकन्दराराऊ में बने ट्रामा सेन्टर को चालू कराने के सम्बन्ध श्री लोकेश कुमार जादौन व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हाथरस के विकास खण्ड हंसायन में मूंगा मोती लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डा0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत बुजुर्गा मार्ग से बबेड़ी बिरहिमाबाद पूर्व एम0एल0सी0 प्रो0 बाबू लाल बलवन्त के मकान तक पिच रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत फुल्लनपुर रेलवे क्रासिंग से गोड़ा गौसाबाद होते हुए मिरनपुर सक्का तक पिच रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्रीमती संगीता यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 09 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर के ग्राम भोपा बाजार में छठ घाट के साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सज्जन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर अन्तर्गत चितहरी भटकला में नाले पर बड़ी पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रम्हपुर अन्तर्गत बालू घट्टा ग्राम राजधानी में फरेन नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम अराजी बसडीला में नाले पर अधूरे पुलिया निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विकास खण्ड ब्रम्हपुर अन्तर्गत ग्राम सभा गोपालपुर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

† छापी नहीं गयीं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा के नगर पंचायत मुडेरा बाजार में शुद्ध पेयजल के लिए सभी 11 वार्डों में वाटर कूलर लगवाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र जायवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विकास खण्ड ब्रम्हपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बड़हरा में पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विकास खण्ड सरदारनगर अन्तर्गत ग्राम सभा इब्राहिमपुर फरेन नाले पर विगत 15 वर्षों से बने अधूरे पुल के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा विकास खण्ड ब्रम्हपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सिहोड़वा में पीपा पुल की जगह पक्का पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश दूबे व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बद्ध 01 याचिका एवं जनपद महोबा से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीला के ग्राम बरहरा से ग्राम धगवॉ के बीच कच्चे सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि मोहन व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा के अन्तर्गत ब्लाक जैतपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा के अन्तर्गत ब्लाक जैतपुर के ग्राम टिकरिया से इमलिया तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महोबा के अन्तर्गत कस्बा कुलपहाड़ में संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज में शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

† छापी नहीं गयीं।

श्री रामानन्द बौद्ध, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बद्ध 05 याचिकाएं एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित निम्नलिखित एक याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा पकड़ी क्षेत्र कप्तानगंज में धार्मिक कार्य हेतु तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के रामकोला नगर में 27 लाख से निर्मित शमशान घाट की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा कारीतिन क्षेत्र कप्तानगंज में तालाब के किनारे छह घाट बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत कप्तानगंज में राम जानकी घाट का सौन्दर्यीकरण मुख्य पुल तक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेश उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में बजरंग नगर न्यू रहीमाबाद नहर के पिच रोड से जुड़ी हुई कच्ची रोड वीरेन्द्र कुमार एवं मोनू पाण्डे, हरिकुमार के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिकुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर क्षेत्र मोतीचक अन्तर्गत ग्राम सभा सिरसिया में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नौरंग सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री गंगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड फाजिलनगर ग्राम नानियापट्टी में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड फाजिलनगर ग्राम चैनपुर में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजीव कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिक उपस्थित की हुई मानी गयीं।

---

† छापी नहीं गयीं।

डा0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित निम्नलिखित 10 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत मऊ नगला से नहर ए0बी0 तक सड़क का डामरीकरण का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत रहीमकोट से डिरौरा विश्वनाथपुर लिंक मार्ग का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत चमेड़ी सम्पर्क मार्ग से महादेव मंदिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम वीर फौजी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत खरकवारी में चन्द्रपुर खेड़ा से प्रेमपाल सिंह डीलर के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत लोधई से जिनाई का डामरीकरण का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत खैरपुर पुल से तलवार गाँव तक डामरीकरण के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील ब्लाक डिबाई में ग्राम नगला बदरपुर में बारात घर निर्माण के सम्बन्ध में श्री वेदराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर के गाँव इन्दौर खेडा में पाइप लाइन के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर के गाँव शहदवां में रहीमकोट रोड पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री लाखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर के गाँव नौदेई बांगर में खड़ंजा के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ की ग्राम चोरई के गाटा सं0 112 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्रीमती आरती देवी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ की ग्राम दुमदुवा के गाटा सं0 371 पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड नेवादा के ग्राम दरहा में जल निकासी एवं सीवर निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के ग्राम पंचायत सरौरा, तहसील बी0के0टी0 के जर्जर खड़ंजे मार्ग का इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री कमल सिंह मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एनएच-9 से बहादुरगढ़ होते हुए गंगा किनारे ग्राम पूठ तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश आर्य व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बृजघाट रेलवे स्टेशन से गढ़मुक्तेश्वर मेला मार्ग को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अंकुर त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

---

† छापी नहीं गयीं।

† छापी नहीं गयीं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर में महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों पर परिवहन निगम के बसों के संचालन के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा भठाही बुजुर्ग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर परित्यक्त अनुकूल भवन के नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री रिंकू मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर में कानपुर शुगर वर्क्स लि0 कठकुइयाँ पडरौना व गौरीबाजार के मिल मजदूरों के वेतन के प्रतिभूति पर जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उदित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कृषक इण्टरमीडिएट कालेज, मल्लूडीह में पैतृक हस्तान्तरित जमीन के बदले रोजगार देने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील सदर के नगर पालिका परिषद मऊ के अन्तर्गत मो0 सहादतपुरा में चर्च कम्पाउण्ड के पीछे हाईटेंशन तार हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के तहसील घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा सरायं बड़े में शारदा सहायक नहर पर रामरूप के घर तक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा गरथौली में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रहलाद ठाकुर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा गरथौली में आधा-अधूरा निर्मित पुल एवं सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

† छापी नहीं गयीं।

श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद मऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री शीतल पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर तहसील डुमरियागंज में भीटा नानकार नहर से राजेन्द्र विश्वकर्मा के घर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरिशंकर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज में आराजी सं0 162, ग्राम दामोदरपुर उर्फ तिवारीपुर तहसील फूलपुर में ग्राम के प्रधानपति शेषमणि तिवारी अवैध निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित निम्नलिखित 06 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम पचपेड़ा में बरा बरौरा मार्ग से सिरस बाबा धार्मिक स्थल तक पक्की रोड के सम्बन्ध में श्री देवदत्त व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम पचपेड़ा से बहेड़ी फरीदपुर मार्ग के बीच में नन्हे लाल के खेत के पास पुलिया के सम्बन्ध में श्री नन्हे लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम गौरीखेड़ा से मजरा गौटिया तक पक्की रोड के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम में प्रेम पाल सिंह के टावर से नहर तक डामर रोड व पुलिया के सम्बन्ध में श्री जगवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम गिरधरपुर में नदी पर पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में श्री लाजपत राय व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

---

† नोट :-छापी नहीं गयीं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के ग्राम बडौरी से मिर्जापुर रंजीत तक पक्की रोड के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित निम्नलिखित

01 याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमेठी के वि0स0 गौरीगंज व जगदीशपुर के कादुनाला थौरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित निम्नलिखित

07 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज गोमती तट पर नए श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण तथा दोनों ओर सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में सीतापुर रोड, पुरनिया, सुश्रुत हास्पिटल के सामने गाजीपुर बलराम होते हुए हरदोई बाई पास घैला को चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में सीतापुर रोड, मड़ियांव थाने के बगल से गायत्री नगर, नौबस्ता खुर्द को जाने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर रोड ताड़ीखाना से अन्ना पुलिया प्रीति नगर की मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशरण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वार्ड में पेयजल के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

---

† नोट :-छापी नहीं गयीं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के कपूरथला बाजार, अलीगंज में पार्किंग स्थल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित निम्नलिखित 10 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम रजवापुर पक्की रोड से राजेन्द्र गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम भिंगुरी में इन्द्रसेन पाठक के हाता से बगिया बाबा ब्रम्ह स्थान तक इण्टरलॉकिंग व नाली के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम इमलियागंज से कृष्ण नगर कालोनी पुलिया तक इण्टरलॉकिंग व नाली के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर दास मंडल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड तेजवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माधवरेती छैल बिहारी के घर से सरदार सर्वजीत सिंह के आवास तक पुलिया एवं पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छैल बिहारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड तेजवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शेखवदहीर के मजरा रजिस्टर पुरवा तथा कोबरा में डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम कटघरा कला में वृक्षराम कनौजिया के घर से गाँवट स्थान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम इमिलियागंज गंजवा में रामकेवल यादव के घर से काली माता के स्थान तक

इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री ओमकार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम लहडौरा में राम मनोहर के खेत से चिलवरिया मौहारी तक डामर रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमलराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत डोलिया हास्पिटल के बगल से नव्वागहड़ी जाने वाले मार्ग पर रविन्द्र नाथ जायसवाल, नन्द किशोर जायसवाल एवं अतुल चौधरी के घर के सामने इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(10) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौर के अन्तर्गत ग्राम सुसरौली में बांके के घर से बाबूलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामराज व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 01 याचिका†

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा एक्सप्रेस-वे पर हरदोई की सीमा में ग्राम जाहिदपुर के पास कट बनवाने के सम्बन्ध में श्री मुल्ला प्रसाद लोधी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 याचिकाएं एवं जनपद हापुड़ से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम डासना देहात कल्लूगढ़ी कालोनी में सिंचाई विभाग के गन्दे नाले की सफाई एवं नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री दीनू व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के कस्बा डासना में सिंचाई विभाग के पुल का चौड़ीकरण/नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री हाजी रफीक व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम डासना देहात उस्मानगढ़ी कालोनी में सिंचाई विभाग के गन्दे नाले की सफाई एवं नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री सतीश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयी।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम पुट्ठा हुसैनपुर से ग्राम निजामपुर एन0एच0-9 तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हापुड़ के विकास खण्ड धौलाना के ग्राम शेखपुर खिचरा में फायर सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शहनवाज चौधरी निवासीगण जनपद हापुड़ व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 03 याचिकाएं एवं जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात में विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत यमुना नदी में बाढ़ आ जाने के कारण किसानों के खेत में बालू/मौरंग को हटाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात में विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत पुखरायां में एक मिनी स्टेडियम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम असोहा, सेमरी आदि में आर0ओ0 पेयजल की टंकी लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर देहात में विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत निम्न ग्राम देव ब्रह्मापुर, नेरा कृपालपुर, मलाशा, शाहजहाँपुर, सोनियापुर एवं बरौली में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित निम्नलिखित 09 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत ग्राम गौरा पिपरा में गौरा मंदिर से जलवर्षा देवी के घर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत ग्राम विश्वनाथगाँव में भदवारी के घर से गोपाल के घर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशवराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयी।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा मटेही से चफरिया बाजार तक खड़न्जे को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्या प्रकाश विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा ग्राम अडगोडवा में पूरवा नदी पर कटान के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड मिहींपुरवा ग्राम नारायनपुर टोडा कारीकोट में पर्याप्त रोशनी के सम्बन्ध में श्री रामसिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के अन्तर्गत विकास खण्ड बलहा में ग्राम गुरगुट्टा में बराती लाल पुत्र दूबर आर्य के घर से हाई-वे रोड तक 3.5 किमी0 डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड में रायबोझा हाई-वे से ग्राम मदरिया तक लगभग 5 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नफीशा खातून व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मिंहीपुरवा ग्राम सभा कुड़वा गाँव के अन्दर स्थित तालाब से आसाम रोड पुलिया तक नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री राजकुमार निवासीगण जनपद बहराइच व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बलहा में ग्राम सभा दौलतपुर में बरूहीपुरवा से मंगलसिंह लोनियनपुरवा तक 4.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्नू लाल अन्य द्वारा निवासीगण जनपद बहराइच व हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री सुभाष राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम नत्थूपुर लौधना में जलालपुर रामगढ़ से गंगा प्रसाद मौर्य के घर तक सम्पर्क

† छापी नहीं गयी।

मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम नगर जलालपुर के उर्दू बाजार से मुंगराडिला मार्ग के लिए तमसा नदी पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में श्री नदीम अन्सारी निवासी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम चकौरा हरीलाल राजभर के घर से बेलवरिया प्रतापपुर सरहद तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव निवासी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम नत्थूपुर लौधना में जलालपुर-रामगढ़ मुख्य मार्ग से गंगा प्रसाद मौर्य के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

डॉ0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित निम्नलिखित 05 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर में ग्राम बकेनिया में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुत्ता में ग्राम इनौनिया मोहनपुर में खर्रे की पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सृजन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुत्ता में ग्राम अमृती में राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भुत्ता में ग्राम रूपापुर पटना से ग्राम कुईया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर में पचौमी से शाहपुर बनियान मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

†छापी नहीं गयी।

श्री रामकिशोर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री चन्द्रपाल कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित निम्नलिखित 05 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाँदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र में ग्राम परसौली से विश्वकर्मा पुरवा होते हुए कोर्रा बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवबली कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाँदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मुडवारा से भादे बाबा मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राकेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाँदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मऊ से पाण्डेय पुरवा तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री मोहनलाल व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाँदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र में कमासिन दादौं मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कमासिन तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार बबेरू व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बाँदा के बबेरू विधान सभा क्षेत्र में ग्राम लखनपुर के मजरा जगऊ से सिंह वाहिनी मंदिर से बीरा तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री कमल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 05 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत शहरी डामर रोड से शाहपुर डामर रोड तक अवशेष लेपन सड़क के सम्बन्ध में श्री शाकिर अली व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत अकबापुर व जसमन्डा के बीच शारदा सहायक नहर पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

†छापी नहीं गयी।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत चांदपुर बाजार से रूदाइन के बीच में अवशेष लेपन सड़क के सम्बन्ध में श्री राम पाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत चांदपुर पैंतेपुर डामर रोड से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विद्यालय के बगल से रूदाइन डामर रोड तक अवशेष लेपन सड़क के सम्बन्ध में श्री प्रदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत समदा डामर रोड से पडुखा गाँव के पूरब डामर रोड तक अवशेष लेपन सड़क के सम्बन्ध में श्री मनीष वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत माइनरों से लीकेज के सम्बन्ध में श्री ज्ञान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा नगर पंयायत द्वारा निर्मित सीवर लाइन से जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री लाल बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र 252, मंझनपुर के विकास खण्ड कौशाम्बी के अन्तर्गत ग्राम धर्म में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र 252, मंझनपुर के विकास खण्ड सरसवाँ के ग्राम महेवाघाट में शवदाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री अश्वनी द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र 252, मंझनपुर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री हुबालाल दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र 252, मंझनपुर के विकास खण्ड सरसवाँ के ग्राम पभोषा में शवदाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री सुनील त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र 252, मंझनपुर के विकास खण्ड सरसवाँ के ग्राम पभोषा में विवाह गृह की स्थापना के सम्बन्ध में श्री ओम नारायण त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित अत्यन्त जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित अत्यन्त जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर में विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत वार्ड-86 में सीवर लाइन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित निम्नलिखित 07 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ब्लाक बछरावाँ अन्तर्गत ग्राम पहुराँवा से छोटी माइनर के आगे ड्रेन होते हुए चन्दापुर बंकागढ़ सम्पर्क मार्ग तक क्षतिग्रस्त/जर्जर मार्ग का नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री रामफेर व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड हण्डिया के ग्राम सभा झिरीहिरी चौराहा से रहीम पट्टी तक के सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री लालमणि बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत इमामगंज बाजार से वलापुर बिन्द बस्ती तक के सम्पर्क मार्ग

† छापी नहीं गयीं।

का नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री राम शिरोमणि व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खुर्रमशमशाहपुर के पोखरा लाल बहादुर बिन्द के आवास से बन्दी पट्टी बार्डर, प्रधानमंत्री सड़क तक के जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजकुमार बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खिजिरिहा दलित बस्ती से वोडियापुर के मगरू बिन्द के आवास तक के जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री विमलेश बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चकिया प्रा0 वि0 से केबाई बुजुर्ग से ठाकुर बस्ती तक का सम्पर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री भान कुमार बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के ग्राम सभा सराय पीथा प्रधानमंत्री सड़क राम करन बिन्द के आवास से कृष्ण कुमार बिन्द बस्ती के आवास तक मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा झिरीहिरी के मन्ना लाल बिन्द के आवास के पास नहर पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में श्री चन्द्र लोक बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बस्ती, विकास खण्ड दुबौलिया बाजार ग्राम सभा भेलमापुर के अन्तर्गत ग्राम मनिकरपुर में गोकुलपुर से संसारीपुर जाने वाली सड़क मार्ग से राममूर्ति यादव के घर के बगल से श्री काली माता मंदिर तक खड़न्जा सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार दुबे व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री चौधरी नाहिद हसन, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 01 याचिका†

† छापी नहीं गयीं।

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शामली के ग्राम मड़ी से ग्राम चौसाना मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शकील व अन्य निवासीगण जनपद शामली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं एवं जनपद जालौन से सम्बन्धित 01 याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली में नगर पंचायत ऊँचाहार रायबरेली की मलिन बस्तियों में रोड व नाली के सम्बन्ध में श्रीमती तबस्सुम खातून, निवासी जनपद सहारनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम सेवना, विकास खण्ड प्रतापपुर में ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय निवासी जनपद प्रयागराज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के नगर पंचायत ऊँचाहार, रायबरेली में क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत व जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद सलीम व अन्य निवासी जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा की ग्राम पंचयात गोविन्दपुर माधव के गाटा सं0-512 व 642 की वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि के बाद बेघर हुए ग्रामवासियों के सम्बन्ध में श्री विजय कान्त व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के विकास खण्ड उरई में करसान माइनर के 7.15 कि0मी0 पर बनाई गयी पुलिया के जाँच के सम्बन्ध में श्री सुदामा दीक्षित निवासी जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री ठा0 रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कस्बा अकराबाद को नयी नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कस्बा गंगीरी को नयी नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री गजमोतिन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के कस्बा अकराबाद को मानकों के अनुरूप नवसृजित तहसील व मुख्यालय बनाने के सम्बन्ध में श्री संजीव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत वि0ख0 धनीपुर के कस्बा बुढ़ासी को नयी नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री रविकान्त आर्य व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 05 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत ब्लाक-तिलहर के ग्राम रामपुर नवदिया से नहर पटरी पर बख्तियारपुर डामर रोड तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रनवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत ब्लाक-तिलहर के ग्राम नौगाई से ग्राम मित्रपुर बरूआ तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेदव्यास व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत ब्लाक-निगोही के ग्राम विक्रमपुर चकौरा से पश्चिम से ग्राम बरौरा तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमवीर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत ब्लाक-निगोही के ग्राम चकबरैंचा से गौशाला तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के अन्तर्गत ब्लाक-तिलहर के ग्राम पुरायूँ से हुसेनापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित निम्नलिखित 06 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत सड़क चौड़ीकरण एवं गड्ढा मुक्त के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

† छापी नहीं गयीं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत ईटहीयां धाम को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरख पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठूठीबारी को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत निचलौल नगर पंचायत से सटे गाँव का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महराजगंज के अन्तर्गत गडौरा में बन्द पड़ी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद महाराजगंज में विभिन्न मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 01 याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम जयरामपुरवा कोचवा के प्राइमरी स्कूल से भैरमपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री ललित कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सिमर्थी से बरला बसेड़ा मार्ग तक कच्चे लिंक रोड का पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगेन्द्र गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम छपरा से सिमर्थी-खिन्दड़िया से ग्राम बसेड़ा की ओर कच्चे लिंक मार्ग के पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

† छापी नहीं गयीं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेघाखेड़ी से दतियाना की ओर राजवाहे की पटरी कच्चे रास्ते को पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खिन्दड़िया से ग्राम बसेड़ा की ओर कच्चे लिंक मार्ग के पी0सी0सी0/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री संजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड जहांगीराबाद के अन्तर्गत अनूपशहर-बुलन्दशहर के मुख्य मार्ग से सहकारी चीनी मिल तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क का निर्माण लो0नि0वि0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजसिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम खनौदा एवं ग्राम जटपुरा के बीच नहर पर अंग्रेजों के शासनकाल में निर्मित जीर्ण-शीर्ण डाट के पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड जहांगीराबाद की नगर पालिका परिषद् जहांगीराबाद में राजकीय महिला चिकित्सालय के जीर्ण-शीर्ण भवन का पुनरोद्धार/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड अगौता के औरंगाबाद पवसरा मार्ग पर मढका मन्दिर के करीब से शिकारपुर रजवाहे की पटरी पर रजवाना माइनर हेड से टेल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बुलन्दशहर की तहसील अनूपशहर के अन्तर्गत विकास खण्ड अनूपशहर के ग्राम सलामतपुर से करनपुर बिजली घर अनूपशहर से बुलन्दशहर जाने वाली सड़क तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण रजवाहे की पटरी पर कराये जाने के

सम्बन्ध में श्री कुमर पाल सिंह राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री उमेश मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर में जर्जर सामुदायिक केन्द्र की मरम्मत व स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसंत व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 01याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी की गरौठा के गुरसराय नगर में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री नेहिल सिंघई व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर के ग्राम रम्माखेड़ा में नाली एवं आर0सी0सी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बेनी प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड भनवापुर में संचालित गो-वंश आश्रय स्थलों एवं रख-रखाव तथा ग्राम सभा निधि में बड़े पैमाने पर सरकारी धन के घोटाले के सम्बन्ध में श्री हर्ष चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 याचिकाएं †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 राकेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत राप्ती नदी पर निम्न स्थानों पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री पुल्लुर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

† नोट :-छापी नहीं गयीं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत 30 बेड के अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरिद्वार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री धीरेन्द्र बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम मदुरी में सतनेश्वर विद्या मंदिर इण्टर कालेज जाने के मार्ग पर पुल व सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम बण्डई से बरहा मार्ग पर स्थित लोन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री त्रिवेणी राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के ग्राम सभा धावाँ में राय इन्क्लेव गेट से श्री रोजली के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भैरों सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 01 याचिका †

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के ग्राम चकताददुरीनपुर में एक पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की हुई मानी गयीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, इसके बाद कार्य-स्थगन ले लेंगे।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, ये बजट पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हां।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपने तो आज इनको (सुभाष पासी) समय दिया है।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

---

† छापी नहीं गयीं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्यमंत्री जी बजट पर बोल गये हैं, हम ज्यादा समय लेंगे नहीं, केवल 15-20 मिनट बोलेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन ले लीजिए, उसके बाद मंत्री जी बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

अब यह तय कर लिया गया है।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविंद चौधरी)-

कार्य-स्थगन पहले ले लीजिए, चर्चा तो बाद में होती है।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं है, केवल कंक्लूड कर रहे हैं।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

हम केवल चर्चा का जवाब दे रहे हैं।

श्री रामगोविंद चौधरी-

जवाब तो कल मुख्य मंत्री जी दे ही चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

वित्त मंत्री के रूप में मा0 मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केवल उसका समापन करना है।

(श्री सुभाष पासी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जब आगे विभागवार चर्चा होगी, उसमें आप बोल लीजिएगा, आपको हमने समय दे रखा है, हमारा कमिटमेंट है कि आप बोलेंगे।

[01:25] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर वित्त मंत्री का उत्तर भाषण

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद्। मान्यवर, वर्ष 2020-21 का जो बजट दिनांक 18-02-2020 को प्रस्तुत हुआ था, कल उस चर्चा पर मा0 मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बात लेकर सरकार का पक्ष बहुत व्यापक रूप से रखा है लेकिन परम्परा जो वित्त मंत्री बजट रखते हैं उनको इस चर्चा का समारोप करना होता है।

मान्यवर, उसी का पालन करते हुए मैं आपकी अनुज्ञा से खड़ा हुआ हूँ और विशेष रूप से इस समारोप में 4-5 बातों पर फोकस करना चाहते हैं। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के 70 से अधिक लोगों ने इस बजट चर्चा में भाग लिया। मान्यवर, इस पूरे संसार को समझने के लिए कई दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण समग्रता का है जो हम पूरे समाज को, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक मान सकते हैं, उसको समग्रता में देखने का और मान्यवर, दूसरा दृष्टिकोण है, खण्ड में विभाजित करके किसी न किसी रूप में वर्गों में, समुदाय में, जातियों में बॉटकर देखने का। तो मान्यवर, जो बजट हमने प्रस्तुत किया है, उसका आधार विशेष रूप से निर्धनता का है कि हमने निर्धन व्यक्ति को आधार मान करके बजट प्रस्तुत किया और एक समग्रता में बजट प्रस्तुत किया, पूरा इन टोटल, इन टोटैलिटी में यह बजट प्रस्तुत है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हमारे विपक्ष के लोगों का जो दूसरा दृष्टिकोण है, बॉट कर देखना, किसी न किसी रूप में समाज को विभाजित करके देखना, समाज को खण्डित करके देखना, अलग-अलग खण्ड में समाज को देखना, यह दृष्टिकोण मान्यवर, आपका है। लेकिन हमने बजट चर्चा में समग्रता में देखने को फोकस किया है। हमारे नेता विपक्ष ने गीता की बहुत सी बातें कोट कीं, कहीं राम चरित मानस से भी कोट किया। मान्यवर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो इस संसार को अखण्ड देखता है, वही सही देखता है, जो इसे विभाजित देखता है, वह सही नहीं देखता है। मान्यवर, हम एक समग्रता में देखते हैं और इन टोटैलिटी में ही हमने यह कोशिश की है कि निर्धन को आधार मानकर, गरीब व्यक्ति को आधार मानकर यह बजट आपके समक्ष 18 तारीख को 05 लाख करोड़ से अधिक का प्रस्तुत किया। मान्यवर, इसमें विशेष रूप से विकास की रीढ़ और विकास का आधार शिक्षा है। अगर आप गौर करें तो 77 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की व्यवस्था हमने शिक्षा के ऊपर की है (सत्तापक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाईं) शिक्षा विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसलिए हमने विशेष रूप से शिक्षा के ऊपर फोकस किया है। मान्यवर, अगर इसमें चिकित्सा शिक्षा को भी शामिल कर लें तो निश्चित रूप से इस बजट से 84 हजार करोड़ रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च होगा।

....जो अपने आपमें ऐतिहासिक है, और यह हमारी नीयत और दशा को शो करता है। पिछली सरकारों में यहां पर बेसिक, प्राइमरी शिक्षा के बारे में बहुत से सवाल उठाते रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि हर तरह से इस बात की कोशिश की गई कि बेसिक शिक्षा खासतौर से मजबूत हो, आदमी की बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि अगर बुनियाद आदमी की मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से आगे की शिक्षा उसके लिए आसान होती चली चाएगी और इसलिए जो बेसिक प्राइमरी स्कूल की आवश्यकताएं थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। स्कूल चलो अभियान के तहत 1 करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया, कायाकल्प योजना के तहत लगभग 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, फर्श, पेण्टिंग, पीने का पानी, किचन आदि के माध्यम से उनको सुदृढ़ और सुसज्जित करने का प्रयास किया गया। एक हजार उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में

परिवर्तित किया गया तथा पन्द्रह हजार प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। एन0सी0आर0टी0 पाठ्यक्रम जो है, वह लागू किए जाने का पूरी तरह से प्रयास है। फीस ग्रेवित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनिमय विधेयक 2018 लागू किया गया। साथ ही साथ इण्टरमीडियट तक की परीक्षाओं के लिए आपने देखा कि वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं, और किस कदर ट्रांसपैरेंट तरीके से इन परीक्षाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। हरसम्भव प्रयास किए गए हैं कि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति नकल करके पास न हो सके और नकल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए चाहे सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाना हो, चाहे जनपद के बरिस्टेट को विभिन्न एस0डी0एम0एस0 को, सिटी मजिस्ट्रेट को, स्कूलों का चार्ज देना हो इसमें हर कोशिश की गई और यहां तक कमाण्ड कंट्रोल एक सेण्टर स्थापित किया गया कि पूरे प्रदेश के जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं और जहां पर भी यह परीक्षा के केंद्र बनाए गए, उनको यहां से देखा जा सके, ताकि पूरे प्रदेश में ट्रांसपैरेंट तरीके से जो लोग पास हों, वह कम से कम यह कह सके कि हम योगी जी की सरकार में हाई स्कूल और इण्टरमीडियट हमने पास किया। वह अपने आपमें इस बात पर गौरवान्वित महसूस करें कि अगर हम लोग के पास हाई स्कूल और इण्टरमीडियट सर्टिफिकेट है, तो हमें शिक्षित समझा जाए। साथ ही साथ 193 में नए इण्टर कालेज संचालित किए गए। 55 नए राजकीय इण्टर कालेजों को स्वीकृति दी गई और 7 विश्वविद्यालय खोलने की भी व्यवस्था की गई, जिसमें प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, अलीगढ़ में, सहारनपुर और आजमगढ़ तथा लखनऊ में अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। मैं विशेष रूप से इस बात पर फोकस करना चाहता हूं कि विकास का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है। इसमें इस बजट को विशेष महत्व दिया गया है। लगभग 84 हजार करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था इसमें की गई है। मान्यवर हमारे विपक्ष के लोगों ने बजट को दिशाहीन बताया, यह भी बताया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि जिससे पूरे देश का विकास हो सके। मान्यवर, जिस दिन से यह सरकार आई है, हमने पूरा-पूरा ध्यान इस बात पर दिया है कि कृषि हमारे विकास की रीढ़ है और गांव का गरीब किसान, हर हालत में खुश रहे, संपन्न रहे और उसको केवल टेम्परेरी तौर से सुदृढ़ किया जा सके, बल्कि बुनियादी तौर से जो उसकी आवश्यकता हैं, उस पर खासतौर से फोकस करके, उसको मजबूत किया जा सके, उसको स्टेंसिल किया जा सके, ताकि वह प्रगति के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो सकें। मान्यवर, हमने यह कोशिश की और हमने वादा किया था चुनाव में कर्जा माफी का। 44 लाख 54 हजार लोगों का एक लाख रुपये तक का सबका जो कर्जा था, उसको माफ किया और इसके साथ-साथ जैसे ही केंद्र ने और हमारी पार्टी ने यह महसूस किया कि अभी भी किसानों को और अधिक मदद की आवश्यकता है, तो इसके लिए किसान सम्माननिधि की घोषणा की और वह परमानेण्ट घोषणा की, यह नहीं है कि हमने छः हजार रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ 85 लाख 75 हजार किसानों को उनके खाते में 11 हजार 6 सौ 80 करोड़ रुपये की धनराशि

स्थानांतरित करके पूरे देश और दुनिया को इस बात को दिखाया भी है कि किसानों के लिए इससे बढ़िया और इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं कि किसान के ऊपर यह बोझ पड़ गया, वह बोझ पड़ गया। हमने इस तरह से नहीं किया कि हम किसी को बेरोजगारी भत्ता देकर के तात्कालिक रूप से खुश करें, लेकिन हमने परमानेण्ट व्यवस्था किसानों के लिए की है कि 6 हजार रुपये साल में किसानों को मिलेगा। मान्यवर, यह मृदा परीक्षण कार्ड 4 करोड़ से अधिक लोगों को किसानों के लिए, इस मृदा परीक्षण कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड को वितरित करके यह व्यवस्था हमने की है।

मान्यवर, साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र भी बहुत होता रहा है। अब उसको ऐच्छिक भी कर दिया गया है, उसके ऊपर कोई कम्पलशन भी नहीं है। साथ ही साथ वर्ष 2018 में खरीफ में 05 लाख 69 हजार किसानों को 434.27 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के भुगतान में दिया गया है। रबी की फसल वर्ष 2018-19 में 39 हजार किसानों को 18 करोड़ 39 लाख रुपया मिला तथा खरीफ वर्ष 2019 में 01 लाख 55 हजार किसानों को 55 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया जा चुका है। रबी वर्ष 2019-20 में जनवरी तक 19 लाख 91 हजार बीमित किसानों की 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों का बीमा कराया जा चुका है। मान्यवर, पहले किसान की फसल बरबाद हो जाती थी और जिस प्रकार से मा0 मोदी जी ने यह व्यवस्था की कि जो प्रीमियम था उसको घटाया और मुआवजे की राशि बढ़ाई। मान्यवर, हम विशेष रूप से इस बात को फोकस करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर हालत में किसानों को खासतौर से पूरे तरीके से स्ट्रेन्थेन करने का काम किया है। हमारे बसपा के मित्रों ने खासतौर से मा0 नेता, बसपा मा0 वर्मा जी ने भी खासतौर से किसानों के लिए इस बात को फोकस किया था। आज मैं विशेष रूप से उद्धृत करना चाहता हूँ कि चीनी मिलों की बिक्री कब हुई? मान्यवर, बसपा के शासन में 21 चीनी मिलें बेची गईं और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में 1169.84 करोड़ रुपये की कमी दर्शाई गई। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट एक ऐसा ऑथेन्टिक और वैधानिक डॉक्युमेण्ट है जिसका हम संज्ञान लेते हैं, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। वह कमेटी इस बात का परीक्षण करती है कि हम इसमें किस प्रकार से सजा दें? मान्यवर, वह विधान सभा का एक मिनिएचर होती है और उस सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में इस बात को उद्धृत किया गया है। मान्यवर, इसमें 02 एफ0आई0आर0 भी पंजीकृत हुई हैं और दोनों में बसपा से जुड़े हुए लोग मुल्जिम भी बनाए गए हैं। इसलिए उनको इस बात का भी खासतौर से संज्ञान लेना चाहिए। हमने चाहे गन्ना किसान हों, चाहे खेती से सम्बन्धित दूसरी फसलें उगाने वाले लोग हों, हमने सभी का ध्यान रखते हुए यह कोशिश की कि किसान को हर हालत में स्ट्रेन्थेन किया जाए। मान्यवर, मैं नगर विकास विभाग के बारे में भी दो-तीन बातें जरूर कहना चाहता हूँ। जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से हमने लगातार नगर विकास पर फोकस किया और केन्द्र ने 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए थे। लेकिन मा0 योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं, केन्द्र ने तो 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए थे, उसके

अतिरिक्त 07 नगर निगमों को प्रदेश सरकार ने स्मार्ट घोषित करके उनको हर प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास किया है। मान्यवर, यह बहुत सराहनीय कदम है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक शहरी क्षेत्र में 15 लाख 10 हजार 115 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। मान्यवर, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी आबादी को आवास की सुविधा मिल रही है। साथ ही साथ अमृत योजना के तहत प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले 60 शहरों के लिए पेयजल तथा सीवरेज की योजनाएँ हैं, जिसमें 158 परियोजनाएँ पेयजल की तथा 228 परियोजनाएँ सीवरेज की निर्माणाधीन हैं, जिसके लिए 11421 करोड़ रुपये की व्यवस्था जून, 2015 में की गई थी और वर्ष 2020 तक यह योजना चलेगी। यह अपने आप में एक ऐसी योजना है जो शहरी क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को विशेष रूप से स्ट्रेन्थेन करने का काम करेगी।

मान्यवर, इसमें लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा और शाहजहॉपुर में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का निर्णय किया गया है और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है यह हर हालत में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए हम समझते हैं कि यह एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शहरों को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह निश्चित रूप से सुधरेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में पहले साल राष्ट्रीय स्तर पर तीन लोकल बॉडीज को सम्मानित किया गया था और पिछले वर्ष 14 लोकल बॉडीज को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। गॉधी जी के बाद सबसे ज्यादा फोकस मोदी जी ने स्वच्छता पर किया और एक माहौल बनाने का काम किया है तथा एक वातावरण क्रिएट करने का काम किया है कि यह केवल सरकारी काम न रहे यह आम का, जनता का कार्यक्रम बने और सभी लोगों ने इसको महसूस भी किया और आज भी मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मान्यवर, चाहे पक्ष के लोग हो या चाहे विपक्ष के लोग हो इस स्वच्छता को हम सभी लोगों को अपने कार्य व्यवहॉर और दिनचर्या में अंगीकार करना चाहिये और हर समय इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर हम इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो बहुत कुछ बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा विभाग हमारे पास है और हम दो-तीन बातें चिकित्सा क्षेत्र में भी आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहेंगे। मान्यवर, हमने यह कोशिश की है कि कोई भी जॉच उत्तर प्रदेश से बाहर न जाने पाये। हम छोटी-छोटी सी बीमारियों के लिए जैसे ऑख में यदि रेटिनोपैथी हो, रेटिना की कोई प्रॉब्लम हो तो हम साउथ इंडिया की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं मदुरई की तरफ, चेन्नई की तरफ हालॉकि जो मदुरई में अस्पताल खोला गया वह सीतापुर के जो संस्थापक रहे डॉ0 महेश जी, उनसे ही ज्ञान अर्जित करके उन्होंने मदुरई में अपना एक इस्टैब्लिशमेंट किया लेकिन आज वह अपनी सिनसियरटी, पंक्चुएलटी की वजह से बहुत आगे

निकल गये और हम उस क्षेत्र में इतनी आगे नहीं निकल पाये। हम आज भी उधर की तरफ देखते हैं। तो हमारी कोशिश है और मैं तीन दिन जाकर मदुरई में रहा था। मदुरई में देखा वहाँ से हैदराबाद भी गया था और हमारी हर कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की रेटिना की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम लखनऊ के0जी0एम0यू0, प्रयागराज और मेरठ इन तीनों में इस हेतु अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि एक ही साल में रेटिना से सम्बन्धित जितनी प्रॉब्लम है अगर हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में उसका इलाज हो सकता है तो वह हर हालत में उत्तर प्रदेश और खासतौर से लखनऊ में उसका इलाज जरूर हो। (मेजों की थपथपाहट) लखनऊ में उसका इलाज जरूर किया जाये साथ ही साथ हम छोटी-छोटी सी जॉच के लिए कभी पूना को देखते हैं, कभी दूसरे शहर को देखते हैं लेकिन अब हमने स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी भी हालत में हम अपने दोनों संस्थानों लोहिया में भी और पी0जी0आई0 में भी ऐसी एक लैब स्थापित करेंगे जिसमें सभी प्रकार की जॉच हम करवा सकें किसी भी जॉच के लिए हमें पूना या दूसरे किसी प्रांत में जाना न पड़े ताकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। मान्यवर, वह यही इसी प्रदेश में इसी राजधानी में हो सकें और इसके लिए निर्देश भी दे दिये गये हैं और धन की व्यवस्था भी कर दी गई है। मान्यवर, साथ ही साथ हिन्दुस्तान का पॉचवा-छठा आदमी किसी न किसी रूप में डायबिटीज से प्रभावित है। वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है और डायबिटीज से बहुत-सी ज्यादा बीमारियों को और अधिक बल मिलता जाता है। इसलिए हमने यह कोशिश की है कि एक एडवान्स सेन्टर पी0जी0आई0 में एंडोक्राइन का खोले और इसमें हर हालत में जितने भी डायबिटीज से सम्बन्धित बीमारियॉ हैं उन सारी चीजों पर फोकस हो और उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके एक मुकम्मल इलाज की व्यवस्था हो ताकि किसी भी दूसरे प्रदेश की तरफ आदमी को देखने की स्थिति न आये।

मान्यवर, कल भी मैंने हाउस में कहा था कि हम सीट बढ़ाने के लिए हर सम्भव कोशिश करेंगे और आज मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे ट्रॉमा में 60 बेड फंक्शनल हैं, उन 60 बेड के स्थान पर 150 बेड हम हर हाल में 31 मई तक फंक्शनल कर देंगे। यह 150 बेड हमको बहुत राहत देंगे और साथ ही साथ एक साल के अन्दर जनवरी, 2021 में हम 400 बेड इस एडवांस डायबेटिक सेण्टर, एडवांस मेडिकल एण्डोक्राइन सेण्टर जिसमें विभिन्न प्रकार की जो डायबिटीज़ से प्रभावित करने वाली बीमारियां हैं, इसके लिए हमने कल शाम को प्रमुख सचिव और डायरेक्टर पी0जी0आई0 और वहाँ के सी0एम0एस0 सभी को बुलाकर इस बात के लिए टाइम शेड्यूल बनवा दिया है और हम स्वयं इस बात को हर दो महीने में मॉनिटर करेंगे और फोर्टनाइटली हमारे डायरेक्टर मॉनिटर करेंगे कि इसको किसी भी तरह से लेट न होने दिया जाये। हमने एक साल के अन्दर 400 बेड पी0जी0आई0 में बढ़ाने के लिए टाइम शेड्यूल दिया है। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से और पूरी निष्ठा के साथ लागू करने की

कोशिश करेंगे। मेडिकल कालेज की बात आ ही चुकी है। हमारी पहले की सरकारें अगर इस बात की थोड़ी-सी भी चिन्ता करतीं तो आज जो डॉक्टरों की कमी इतने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, वह शायद देखने को न मिलती। अभी 7 मेडिकल कालेज प्रारम्भ हुए हैं और 8 मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 13 मेडिकल कालेज और स्वीकृत हो चुके हैं और कल जैसाकि नेता सदन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जो 16 बचे हुए जनपद हैं वहाँ भी पी0पी0पी0 मॉडल में हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी जनपदों में यदि एक-एक मेडिकल कालेज हो जायेगा तो लोगों को इलाज के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के संबंध में हमारे विपक्ष के लोग इस बात को काफी उठाते रहे हैं। आज हम फिर से कहना चाहते हैं कि एक आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया था उसमें हमने जांच भी करवायी और इसको मैं आज लेकर भी आया हूँ। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो और हमारे रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं है, यह दोनों रिपोर्ट हम लेकर भी आए हैं और हम आपके माध्यम से इसे भेज भी देंगे। जो 304 (बी) की घटना है जिसमें 7 साल के अन्दर लड़की चाहे आत्महत्या करे या उसका मर्डर हो, जो 304 (बी) में मुकदमा पंजीकृत होता है उसमें वर्ष 2017 में 25024 एन0सी0आर0बी0 में भी हैं और हमारे यहां भी हैं। यह रेप के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं। इसमें कोई अंतर नहीं हैं, मैं आपको यह रिपोर्ट भेज देता हूँ। वजह यह है कि जो उनके हेड्स हैं, उनके हेड्स में और हमारे हेड्स में फर्क है। कुछ हेड्स उन्होंने अपने रिकार्ड में नहीं दर्शाए। हमने हर केस को अलग-अलग दर्शाया है। हमने दहेज मृत्यु को अलग दर्शाया, बलात्कार को अलग, शीलभंग को अलग, अपहरण को अलग जैसे छेड़खानी के विरुद्ध जो कार्यवाही हमने की है उसको उन्होंने अपने एन0सी0आर0बी0 में शामिल कर लिया है, इसलिए उस आंकड़े में फर्क है चूंकि आंकड़ा तो यहीं से जाता है। दोनों आंकड़ों में कोई फर्क नहीं है, हम आपको दोनों आंकड़े भेज देते हैं और आप भी इसका परीक्षण कर लें और नेता प्रतिपक्ष तथा मा0 नेता बसपा को भी इस बात के लिए भेज देंगे कि यह भी इसे देख लें। मैंने खासतौर से उनको तलब करके इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था के प्रति सिनसियेरिटी की बात है तो मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में अपराध घटे हैं चाहे दहेज मृत्यु हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे शीलभंग हो और चाहे अपहरण हो। यही चार विषय विशेष रूप से हैं। इसमें बलात्कार में वर्ष 2019 में 2858 (यह 01.01.2019 से लेकर 31.12.2019 तक की फीगर है), वर्ष 2018 में 3946 और वर्ष 2017 में 4246 थे। शीलभंग में वर्ष 2017 में 12,607, वर्ष 2018 में 12,555 और वर्ष 2019 में 11,861 थे। इसमें भी कमी हुई है और दहेज मृत्यु में वर्ष 2018 में 2444, वर्ष 2017 में 2524 और वर्ष 2019 में 2375 थी। ओवर आल अपराध की जो फीगर है चाहे वह महिलाओं के प्रति हो या डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृह भेदन हो सभी में कमी हुई है। डकैती में वर्ष 2019 में 106, वर्ष 2018 में 144 और वर्ष, 2017 में 248 थी और आपके जमाने में वर्ष 2016 में 263 थी, लूट आपके जमाने में वर्ष, 2016 में 4118, वर्ष 2017 में 4089, वर्ष

2018 में 3218, वर्ष 2019 में 2179 थी। हत्या वर्ष 2016 में 4679, वर्ष 2017 में 4324, वर्ष 2018 में 4018 और वर्ष 2019 में 3663 थी। बलवा आपके जमाने में वर्ष 2016 में 7707, वर्ष 2017 में 8990, वर्ष 2018 में 8908 और वर्ष 2019 में 5611 थी। रोड होल्ड-अप में 100 प्रतिशत की कमी है वर्ष 2016 में एक हुआ था उसके बाद वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में कोई रोड होल्ड-अप नहीं हुआ। फिरौती के लिए अपहरण में वर्ष 2016 में 53, वर्ष 2017 में 46, वर्ष 2018 में 32, वर्ष 2019 में 33 इसलिए इसमें 37 प्रतिशत की कमी आयी है। दहेज मृत्यु और बलात्कार के बारे में हम बता चुके हैं इसलिए कुल मिलाकर अपराधों की स्थिति यह है। हमारे शासन में, योगी जी की सरकार में निरन्तर अपराध कम हुए हैं। जहां तक हमने अपराध जीरो टॉलरेन्स की बात कही है उसमें आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2018 के 2 आरोपितों को मृत्युदण्ड, 67 को आजीवन कारावास और 420 को अन्य सजायें दी गयीं, वर्ष 2019 में जो लोग आरोपित हुए उनमें से 3 को मृत्युदण्ड, 152 को आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजायें दी गयी हैं। प्रदेश में जो बेसिक पुलिसिंग की स्थिति है, जितने भी त्यौहार हुए, लोक सभा का सामान्य निर्वाचन हुआ, कुंभ का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हर कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है।

लगातार प्रदेश की जनता का विश्वास भी इसी आधार पर बढ़ा है। एक बात विशेष रूप से कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसाकि मैंने शुरू में कहा था कि हमने समाज को कभी टुकड़ों में नहीं देखा, कभी यह व्यवस्था सोची नहीं कि हम लोगों को अलग-अलग बॉटकर, समाज को बांटकर, यह व्यवस्था करें। मान्यवर, कन्या सुमंगला योजना आई, उसमें समाज की प्रत्येक लड़की को, बिना यह विचार किये हुए कि कौन किस जाति, किस मजहब का है, सारे के सारे लोगों के लिए व्यवस्था की है। मान्यवर, हमारे सामने लोग बैठे हैं, आपकी सरकार में किसी कन्या को पैसा दिया जायेगा, किसी को नहीं दिया जायेगा, इसको दिया जायेगा, इसको मना किया जायगा। मान्यवर, यह हमने नहीं किया। हमने बच्चों को जूते-मोजे और स्वेटर दिये, तो सभी बच्चों के लिए दिया। ऐसा नहीं किया कि किसी विशेष मजहब की लड़की को इतना दिया गया हो और किसी को बिल्कुल मना कर दिया गया हो। मान्यवर, हमने विधान सभा में उस वक्त भी पूछा था, हमने कहा कि किसी विशेष वर्ग के, किसी विशेष समुदाय के, किसी मजहब के लोगों को पैसा दिया जाये तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि जिस माहौल में हम पले-बढ़े, वहाँ 'डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास' नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, वह इस बात को कहते हैं, इसलिए हमको कहना पड़ता है कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में यह डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ कि कब्रिस्तान की बाउण्ड्री तो बनेगी, लेकिन अंत्येष्टि स्थल की बाउण्ड्री के लिए व्यवस्था नहीं है। चार-चार सौ करोड़ रुपये, कब्रिस्तान की बाउण्ड्री को दिया गया। कब्रिस्तान की बाउण्ड्री, इसमें आपत्ति न थी और न है, लेकिन अंत्येष्टि स्थल की भी बाउण्ड्री बने, मान्यवर, यही चाहता हूँ। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें

थपथपाईं) इसलिए हमने जैसे कि आपसे शुरू में कहा कि हमने बजट को इन-टोटैलिटी में प्रस्तुत किया है। समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित हो और खास तौर से गरीब व्यक्ति जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वह उससे जरूर लाभान्वित हो सके। मान्यवर, इस आधार पर यह बजट हमने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, मैं उस बात को नहीं दोहराऊँगा कि जो हमारे नेता जी, हमारे पर बता गये, अभी ''पर कैपिटा इनकम'' की बात, प्रदेश की तरक्की का आंकलन, हमारी समृद्धि से, हमारी ''पर कैपिटा इनकम'' से होता है। मान्यवर, हमारी ''पर कपिटा इनकम'' 2018-19 में 68,792 है, लेकिन केन्द्र से अभी भी बहुत कम है। हमको लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर इस टारगेट को अचीव करना है। मान्यवर, यह योगी सरकार का संकल्प है।

मान्यवर, हम भारत सरकार के द्वारा चार योजनाओं में प्रथम आये हैं, यह 31.01.2020 तक की फीगर है। जन-धन योजना में 6 करोड़ 58 लाख 4 हजार 84, अटल पेंशन योजना में 30 लाख 55 हजार 615, उत्तर प्रदेश, जन-धन योजना में भी प्रथम आया और अटल पेंशन योजना में भी प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर आया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 31.12.2019 तक की जो इसकी फीगर है, उसमें 58 लाख 87 हजार 1 सौ 27, इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 लाख 53 हजार 760 लोगों को लाभान्वित किया है। मान्यवर, अंत में जो हमारा बजट पर विशेष रूप से फोकस था कि हम युवाओं को आधार मानकर, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल आवश्यकता है, स्वरोजगार की, आवश्यकता है लोगों को रोजगार देने की, तो उसके लिए कौशल विकास के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं, ताकि उनका प्लेसमेण्ट हो जाये। उसी प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हमने इस वर्ष 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके एक युवा हब बनाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह युवा हब खोला जायेगा (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) ताकि यह युवकों को फेसिलिटेट करेगा कि कौन व्यक्ति, कहाँ के लिए, किस प्रकार उपयोगी है। अगर वह उद्योग के लिए उपयोगी है, तो उद्योग में और खास तौर से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हमने कई योजनाओं को डवटेल किया है और उसके लिए विभिन्न योजनाओं में लगभग 1198 करोड़ अर्थात् 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था के तहत हम उन युवाओं को जो खास तौर से प्लेसमेण्ट चाहते हैं, उनको कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर और जो स्वयं रोजगार स्थापित करना चाहते हैं उनको जिला केन्द्र के माध्यम से रोजगार देकर उनको रोजगारयुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। लाखों लोगों को रोजगार दिया गया, जिसका कल आंकड़ा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन इस सरकार में रोजगार दिया गया। चाहे वह शिक्षक हों, चाहे पुलिस भर्ती हो, विभिन्न विभागों में हो, लोगों को रोजगार दिया गया है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हर हालत में हमारी कोशिश होगी कि कोई भी युवा, जो रोजगार चाहता है

उसको किसी न किसी रूप में रोजगारयुक्त बनाया जाय और रोजगार के लिए प्लेसमेंट चाहता है तो प्लेसमेंट कराया जाय। मान्यवर, बजट की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, एफ0आर0बी0एम0 की निर्धारित सीमा है 3 परसेंट तो हमने 3 परसेंट की सीमा लांघी नहीं है। हमारा जी0एस0डी0पी0 2.97 परसेंट है, 53195.46 करोड़, तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है उसकी सीमा के अन्तर्गत हमने रखा है। यह बजट जनहित में इस प्रदेश की जनता को समर्पित है और लगातार जिस दिन से माननीय योगी जी की सरकार आई है उस दिन से हर स्तर पर यह कोशिश की गई कि पिछली सरकारों में ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, जो 10 सालों में प्रदेश की स्थिति चरमराई हुई थी, इस योगी जी की सरकार में हर तरफ हमारा ग्राफ ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट का एक-एक पैसा, जो जरूरतमन्द हैं, जिनको आवश्यकता है, उन लोगों के लिए और विकास के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर खर्च हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस अवसर पर हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस सदन में अपने विचार रखे चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हम सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस बजट की चर्चा में भाग लेकर हमें बहुमूल्य सुझाव दिया। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट की चर्चा पर लगभग 70 लोगों ने भाग लिया, चर्चा मैंने शुरू की थी इस चर्चा में जिन पक्ष-विपक्ष के लोगों ने भाग लिया उन सभी माननीय सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने जिन बिन्दुओं को मैंने उठाया था उसमें से एक भी बिन्दु का उत्तर अपने भाषण में नहीं दिया।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना वित्त भाषण पढ़ा था, उसी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा और आज माननीय वित्त मंत्री जी को हमारी बातों का, विपक्ष की बातों का उत्तर देना था क्योंकि आज उत्तर भाषण होता है, इनका पहला भाषण तो हो ही चुका था। आज उत्तर भाषण था लेकिन फिर से उन्होंने अपना भाषण ही दिया, उत्तर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अपराध में कमी आई है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात वापस लेनी चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी बात वापस लेनी चाहिए। जब अलग-अलग हेड में अपराध घटे हैं तो उन्हीं को मिलाकर बनाये गये एन0सी0आर0बी0 के हेड के आंकड़ों में क्यों बढ़ोत्तरी हुई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने जवाब दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अब बोलिये मत, मैंने बोला नहीं है, चुपचाप सुनिये, मैंने चुपचाप सुना है।

श्री अध्यक्ष-

आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जो उस समय इन्होंने बजट भाषण पढ़े, आज भी वही पढ़े तो ये तो उत्तर भाषण दिये नहीं तो मैं स्पष्टीकरण कैसे पूछूं। ये तो अपना पहला ही भाषण दिये हैं, आप इनकी पूरी कार्यवाही निकलवा लीजिये, जो इन्होंने बजट भाषण पढ़ा, वही आज भी कहा और वही मुख्य मंत्री जी ने भी कहा। आज अपराध इस प्रदेश में आसमान की ऊँचाई तक बढ़ गया है, ये कह रहे हैं कि हमें इसमें प्रथम मिला, इसमें प्रथम मिला, इसमें प्रथम मिला। मैं मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इनको एक और मामले में प्रथम ले आइये। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से ये देश और दुनिया में असत्य बोलने में एक नम्बर हो गये हैं, इसके लिए इनको एक अवार्ड यह भी मिलना चाहिए। जब से योगी जी की सरकार आयी है, इनकी बहार आयी है, लेकिन जनता को खूब रुलाई है। आप हर मामले में फेल हैं, जो मैंने सदन में मुद्दे उठाये थे, उस पर आप आये ही नहीं हैं। आपने जो बहुत बड़ा बजट दिखलाया है, वह पिछले वर्ष से भी कम हुआ, मैंने आपको बता दिया, जो आप और मा0 मुख्य मंत्री जी, इसी सदन में हमको दोष देते रहे कि पिछली सरकार ने हमको तंगहाल आर्थिक स्थिति दिया, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति दिया। संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप हमारी तरफ देखिये, तभी मैं आगे कुछ कहूँगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आपका उत्तर भी तो हमको देना है। मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2013-14 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 14 प्रतिशत था, वर्ष 2014-15 में 10 प्रतिशत था, वर्ष 2015-16 में 18 प्रतिशत था और वर्ष 2016-17 में 11 प्रतिशत था। भाजपा की सरकार में वर्ष 2017-18 में 7.88 प्रतिशत है, क्या हमने इनको बर्बाद अर्थव्यवस्था दी थी ? पाँचों साल में हमारी इतनी उपलब्धि रही और ये ढ़ाई साल में ही इतने बावले हो गये कि दोष हमको देने लगे। अब आप किताब पढ़ने लगे। आप यह कह रहे हैं कि हमने नकल कम कर दिया, नकल कम कर दिया, खुद ही नकल करके बोल रहे हो, हम भी नकल करके बोल रहे हैं। हमारा नकल माफ और दूसरे का नकल माफ नहीं। हम आप भी नकल करते हैं, इसी हाऊस में, उसमें किसी का दोष नहीं है। हम भी देख के बताते हैं, आप भी देख के बोलते हैं और मुख्य मंत्री जी भी देख के बोलते हैं, उसमें किसी का दोष नहीं। मैंने जो सवाल उठाया कि आप बजट जरूर पास किये, लेकिन खर्च नहीं किये और मैंने परसेंटेज भी बता दिया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। आपने जो अनुपूरक बजट लिया, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, उसका भी जवाब आपने नहीं दिया। मैंने जो-जो सवाल उठाये, उनमें से आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आज

भाषण नहीं होना चाहिए था, आपको हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए था। मा0 अध्यक्ष जी, ये सरकार कानून-व्यवस्था में और आर्थिक मामलों में भी फेल है। केवल ये असत्य बोलने में माहिर हैं। उस दिन मुख्य मंत्री जी ने कितनी हल्की बात कह दी, इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने क्या-क्या नहीं बोला ? उन्होंने कहा कि समाजवाद अर्थहीन है, व्यवहारहीन है, अप्राकृतिक है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो आपका जवाब आ गया था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके रहते ऐसे शब्द आ जाएंगे। मा0 अध्यक्ष जी, राजनीति का बड़ा ह्रास हो रहा है। मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा इनके अपने पार्टी की संविधान के अनुरूप नहीं है। अभी इन्होंने समग्र विकास की बात कही, तो क्या विपक्ष खण्ड-खण्ड की बात करता है ? हम समग्र विकास की बात करते हैं, खण्ड-खण्ड की बात आप करते हैं। हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात करते हैं तो ये हिन्दू-मुसलमान की बात करते हैं, हम दुनिया को एक बनाने की बात करते हैं, तो ये सीधे गोली छाती में मार करके अल्पसंख्यकों की संख्या कम कर रहे हैं। अभी आपके सामने इन्होंने कब्रिस्तान और श्मशान ले आये।

हमने कर्बिस्तान और शमशान भी बनाये। माननीय मुलायम सिंह एवं माननीय अखिलेश यादव ने सभी जाति, वर्ग एवं धर्म की लड़कियों को कन्या विद्या धन दिया। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हमने बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप दिया वो सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लोगों को दिया।

श्री अध्यक्ष-

यह सब तो आप पहले बता चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इनकी नीति है हिन्दू-मुलसमान को बाँट करके राजनीति करो और इनकी पार्टी के संविधान में क्या है?

श्री अध्यक्ष-

वह संविधान आप एक बार यहाँ पढ़ चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी अभी सुने नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूरा पढ़ा था। आप भारतीय जनता पार्टी का संविधान और समाजवाद इनको सुना चुके हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, क्या सुनाया ? संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें कि क्या सुनाया ? उसी का उत्तर दे दें। मैंने भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ करके सुनाया, मा0 वित्त, संसदीय कार्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री वही बता दें कि मैंने क्या इनको सुनाया ? इनके संविधान के पृष्ठ-3 पर क्या है यही बता दें। अध्यक्ष जी, वही मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष के लोगों ने, चाहे मैंने, मा0 वर्मा जी, आराधना मिश्रा जी, चाहे राजभर जी, चाहे दोनों तरफ के अन्य सदस्यों ने प्रश्न उठाये, उनकी एक भी बात का उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी नहीं दे सके, एक का भी उत्तर नहीं आया ? जब उत्तर नहीं आया तो हम संतुष्ट तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष-

वैसे आप संतुष्ट दिखायी पड़ रहे हो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह तो आपकी कृपा है, थोड़ा इनसे (खन्ना जी से) बहुत लगाव है, हम लोग साथ-साथ सदन में बैठते आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

असल में इन्होंने (खन्ना जी ने) भारतीय जनता पार्टी के संविधान वाला उत्तर इसलिए नहीं दिया कि उसका वित्त विभाग से संबंध नहीं था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

किसका ?

श्री अध्यक्ष-

भारतीय जनता पार्टी की संविधान का।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो भाषण हुआ उसमें तो है। बजट की सामान्य चर्चा में जो भाषण हुये उसमें तो यह आया, कार्यवाही में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि समाजवाद अप्राकृतिक है, अन्यायपूर्ण है, समय का विरोधी है।

(श्री नीलकंठ तिवारी ने अपने आसन पर बैठे हुए टिप्पणी की कि आपके समाजवाद पर मुख्य मंत्री जी ने कहा था।)

हमारे समाजवाद और आपके समाजवाद में ज्यादा फर्क है ? (हंसी) क्या समाजवाद अलग-अलग होता है ?

श्री अध्यक्ष-

अब कार्य-स्थगन लिया जाये ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, विपक्ष की बात का कोई उत्तर नहीं इसलिए यह बजट जनविरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, कर्मचारी विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी व सबका विरोधी है। केवल इनके पक्ष में यह बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न है, मैं कोई भाषण नहीं दूँगा, सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी ने समग्र विकास की बात की कि समग्र बजट है। तो उस समग्र में क्या पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक नहीं आता ? क्योंकि इन तीनों के जो बजट हैं विशेष रूप से छात्रवृत्ति का जो बजट है उस सबमें कटौती की गयी है। सारे बजटों में वृद्धि है परन्तु इनमें कटौती है। तो क्या यह समग्र विकास में शामिल नहीं है, इसका जवाब दे दें ? दूसरा जो सी0एम0आई0ई0 की रिपोर्ट है कि 2019 में 9.9 प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी। अगर इन्होंने इतना रोजगार दिया तो फिर बेरोजगारी दर बढ़ी कैसे ? 2018 में 07 प्रतिशत थी, 2019 में 9.9 प्रतिशत है तो यह कैसे बढ़ी ? यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री शीतल पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

संसदीय कार्य मंत्री जी मेरा भी प्रश्न आ जाये उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सिर्फ दो स्पष्टीकरण हैं जो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगी। सबसे पहले नौजवानों की बात हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह नौजवानों के लिए बजट आया है।

मेरा सीधा-सीधा सवाल है, मैंने अपने बजट भाषण में भी पूछा था कि जितने ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्टर्स हुए कितने नौजवानों को रोजगार मिला और दूसरा कितना इन्वेस्टमेंट आज धरातल पर है। मैं उन आँकड़ों की बात नहीं कर रही हूँ जो कागजों पर हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूँ कि जब किसानों की फसल की बात कही गई कि आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो गोवंश की रक्षा किस तरह से की जा रही है उसकी फेहरिस्त सामने आ गई। किसानों के मुआवजे की कोई बात इस बजट में नहीं की गई जो हम सब लोगों ने, पूरे विपक्ष ने, माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जिस सदन में सुचेता कृपलानी जैसी मुख्य मंत्री रही हैं। जहाँ पर महिला प्रधान बजट रखा जा चुका उस विधान सभा में, जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर जितना गैर जिम्मेदाराना बयान इस सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से आता है वह दुःखद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर यह अपराध कम नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह के संवेदनहीन बयान देना बन्द करे सरकार और स्पष्ट करे कि उनकी क्या नीति है महिलाओं के प्रति अत्याचार पर।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन मैंने भी एक पन्ना आपको दिया था और विपक्ष को भी दिया था। माननीय वित्त मंत्री संयोग से उस दिन नहीं थे। उस दिन मैंने ध्यान दिलाया था कि बजट में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिये शुल्क प्रतिपूर्ति का जो पैसा है वह निल कर दिया गया है। उस पर माननीय वित्त मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

उस दिन सवाल था यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

नहीं वह उत्तर नहीं है जैसे वह कहते हैं गोल बनाकर जीरो। तो जीरो दिया गया है। मैं कम से कम 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि 2019-2020 में 278 करोड़ बजट कम कर दिया गया। वहीं 2017-2018 में 878 करोड़ रुपये बजट था साढ़े 18 हजार बच्चे थे और 2019-2020 में 21 लाख बच्चे हो गये तो उसमें 278 करोड़ बजट कम कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपका प्रश्न बन गया। अब आप बैठ जायं। माननीय वित्त मंत्री जी, आप कहें। आज बिजनेस बहुत है विधान सभा के पास।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल के कान की रूई निकलवा दें किसी मार्शल को भेजकर। उसकी वजह यह है कि मैंने....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इनके कान में पारा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इनके कान में पारा लगवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं हम तो दोनों के कान सुरक्षित रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, 25 मिनट तक हमने इनकी ही बात का उत्तर दिया। केवल एक बात का उत्तर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जितनी बातें आपने उठाई थीं उन सारी बातों का जवाब हमारे पास है। हमने यह सोचा कि आज आप उसमें प्रतिक्रिया करोगे। प्रतिक्रिया करोगे जो नतीजा यह हुआ कि सदन का समय खराब हुआ और चार बजट हैं आज। लेकिन एक बात हम आपको बतायें। आप सुन लीजिये मेरे पास तो हर बात का जवाब है, और माकूल जवाब है। आपने समाज को बाँटा। आपने सी0ए0ए0 के ऊपर कहा कि उन लोगों को पेंशन दी जायेगी जो लोग वो करेंगे। यह आपने कहा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप जेल गये, पेंशन पा रहे हैं कि नहीं। मैं पेंशन पा रहा हूँ इसी तरह का आन्दोलन हुआ था 74 में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लुटिया चोट्टी के लिये पेंशन नहीं पायेंगे। देशभक्ति के लिये पेंशन पायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वही आन्दोलन था 1974 में। हम देंगें जो इस आन्दोलन में जेल जायेगा, गोली खायेगा, संविधान को बचाने के लिये, लोकतंत्र को बचाने के लिये जो आन्दोलन करेगा आप सीधे गोली मारोगे, जेल में भेजोगे, कुचलोगे आन्दोलन को, हम उसको पेंशन देंगे और सहायता भी करेंगे। आपके लोग पेंशन ले रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में।

(नेता विरोधी दल व संसदीय कार्य मंत्री के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक भी लाइन यह साबित कर दें कि हिन्दुस्तान के किस नागरिक के खिलाफ सी0ए0ए0 है। एक लाइन साबित कर दें तो या तो हम इस्तीफा देकर चले जायेंगे या आप चले जाइयेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप आन्दोलन करोगे तो सही है दूसरा करेगा तो गलत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सी0ए0ए0 में ऐसी कौन सी बात है जो आप आन्दोलन पर उतर आये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सी0ए0ए0 में ऐसी कौन सी बात है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने मुसलमानों को क्यों हटाया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस यह तीनों पार्टियां आज पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा कर रही हैं।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 राम गोविन्द जी आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी अराजकता पैदा कर रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम कब तक इनका सम्मान करेंगे, हम इनका सम्मान करते-करते थक गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सभी लोग बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक एससी-एसटी की बात है पिछले साल से 194 करोड़ 10 लाख रुपये ज्यादा है। पिछले साल से एससी-एसटी के लिए 19.37 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल 1001.97 करोड़ था और इस वर्ष 1195.97 करोड़ है, 194 करोड़ ज्यादा है। समाज कल्याण विभाग का अकेले ओबीसी का 34877 करोड़ है। समाज कल्याण विभाग पेंशन के लिए है, छात्रवृत्ति के लिए है, रही बात कानून व्यवस्था की हम फिर दावे के साथ कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को खराब करने वाले समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति को खराब करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्या श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना'' तथा सदस्य श्री नरेश सैनी द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बलात्कार में सपा के कितने विधायक जेल में बन्द हैं और भाजपा के कितने साधू, विधायक जेल में बन्द हैं? क्या विपक्ष पर कभी कोई बलात्कार का कोई आरोप है ? कानून व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

राम गोविन्द जी अब आप बैठ जाइये, यह आरोप-प्रत्यारोप ठीक नहीं है और यह शिष्ट भी नहीं है। अब हम कार्य स्थगन लेते हैं।

[02:25] कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की सूचना के अन्तर्गत पहली सूचना मा0 लाल जी वर्मा जी की है।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अम्बेडकर नगर जिला बनने के पहले अकबरपुर दो चीजों के लिए जाना जाता था। एक क्षेत्रीय गांधी आश्रम के लिए और एक रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता था। वह श्री गांधी आश्रम पूरे देश में अकबरपुर के उत्पादन का प्रतीक था, लेकिन विगत वर्षों में वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया और उस घोटाले में 12 करोड़ के ईपीएफ का गबन हुआ। 9 करोड़ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने अनुदान दिया, उसका भी गबन किया गया। आज वहाँ के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वह रिटायर हो रहे हैं तो उनको ईपीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है और उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गयी है।

लेकिन यह मिली-भगत के कारण जो लोग प्रभावशाली हैं जो गबन वाले लोग हैं वह उसमें प्रभावशाली भूमिका निभाकर स्थानीय जाँच करने वाले लोगों को अपने पक्ष में करके क्लीनचिट लेने का काम कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं और उन्हीं के नाम पर बना हुआ आश्रम इसको पूरे भारत में यहाँ का उत्पादन जाता था यहाँ की बनी हुई धोती पूरे भारत में जाती थी ।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय तो आ गया ।

श्री लालजी वर्मा-

यह बहुत बड़ा गबन है। इसकी जांच किसी अच्छी एजेंसी जो उत्तर प्रदेश स्तर की सबसे अच्छी एजेंसी हो उसके माध्यम से इसकी जांच करा लीजिए । करोड़ों की जमीन लाखों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बेंच दी गई। मेरी इतनी चाहत है कि वहाँ पर अपराध तो दर्ज हुआ है लेकिन जांच ठीक से नहीं हो रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि इन सारे आर्थिक अपराधों की जांच प्रदेश स्तर की किसी एजेंसी के द्वारा उसकी जांच करा दी जाए जिससे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो जाए ।

श्री अध्यक्ष-

अब सरकार को सुन लें।

खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0, निवेश प्रोत्साहन (श्री सिद्धार्थनाथ सिंह)-

अध्यक्ष जी, यह जो क्षेत्रीय गांधी आश्रम अकबर पुर अम्बेडकर नगर में यह एक सोसायटी है जो पंजीकृत है स्वयं सेवा संस्था । आप बीच में न टोकें थोड़ा आपत्ति न हो तो मैं बोल सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

राकेश जी बैठिए।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

यह अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग मुम्बई भारत सरकार से प्रमाणित है और वित्तपोषित है। अब जो प्रमाणित है और वित्तपोषित है उसमें राज्य सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अधिकार क्षेत्र है वह के0वी0आई0सी0 मुम्बई को जाता है न ही राज्य सरकार को। दूसरा जो ई0पी0एफ0 का विषय इन्होंने उठाया ई0पी0एफ0 के अन्दर कोई राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तीसरा जो इन्होंने कहा है उसके बारे में बताना है यह दो विषय के ऊपर जांच के0वी0आई0सी0 ने खुद ही शुरू करी। उसका संज्ञान लिया और दोषी भी पाया और उसके लिए एक रिसीवर भी नियुक्त किया है वहाँ पर श्री सुनील कुमार हैं जो के0वी0आई0सी0 के माध्यम से एप्वाइंटेड हैं। जहाँ तक जमीन का सवाल है इस विषय को लेकर क्योंकि जमीन राज्य सरकार से ली उसका कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो राज्य सरकार उसकी इन्क्वायरी कर सकती है मगर वह दोनों विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि वरिष्ठ सदस्य हैं इसके अन्दर वह बता दें जमीन को छोड़कर कि किस अधिकार क्षेत्र से हम दखल कर सकते हैं। हमें कोई भी इन्क्वायरी करने में कोई भी आपत्ति नहीं है क्योंकि करेप्शन के मामले में जीरो टालरेंस की यह सरकार है इसलिए आप बता दीजिए कि किस अधिकार क्षेत्र से तो हम उस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है 84/18 यह अकबरपुर कोतवाली में दर्ज है इसमें धाराओं को बता दें 419/420/467/468/471/409 तो मान्यवर, यह जो दर्ज है इसकी जांच हो रही है लेकिन इसमें चूँकि इतना बड़ा घपला है जो लोकल स्तर पर उसकी जांच हो रही है निश्चित रूप से जो प्रभावशाली अपराध करने वाले लोग हैं वह मिलीभगत कर ले रहे हैं। क्योंकि इसमें करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उसकी जॉच वह आपके स्तर की है यह जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करा दें सतर्कता विभाग से करा दें या एस0आई0टी0 गठन करके उसकी जांच करा दें यह आपके अधिकार क्षेत्र में है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने तीन विषय उठाये तो उन तीन विषयों का जैसाकि मैंने बताया कि दो विषय हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मैं फिर कहता हूँ कि आप बता दें कि यह हमारे किस अधिकार क्षेत्र में आता है हम उसके अन्तर्गत जांच करा लेंगे। जो जमीन का विषय आपने रखा है मैं उसका संज्ञान लेता हूँ और उसमें मैं देख लेता हूँ। उसमें हमारा एक जी0ओ0 भी है जिसमें प्रमुख सचिव के माध्यम से मैंने स्वयं हर जगह हर जिले में जो खादी के अधिकारी हैं, क्योंकि 1950 के लगभग राज्य सरकार द्वारा जमीनें दी गयी थीं। उन जमीनों के बारे में कुछ खबरें आयी थीं तो यहाँ कहा कि सबके बारे में विस्तार से एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाए और उस जमीन का क्या इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार पर मैं ओवरऑल एक पूरी की पूरी जॉच करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक अकबरपुर का प्रश्न है तो उन दो विषयों में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो अधिकार क्षेत्र में आता है उस जमीन का इन्होंने कहा है तो मैं उसमें देखकर अगर कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो जरूर जांच करवाऊंगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

आप इसकी जॉच ई0ओ0डब्ल्यू0 से करा लीजिये, यह तो आपके अण्डर में ही है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

आप बताईये किस अधिकार क्षेत्र में मैं इसकी जांच ई0ओ0डब्ल्यू0 से करा लूं ? यह तो केन्द्र सरकार की चीज है। आप बताईये कि जो लोक सभा में है हम विधान सभा में तो उठाते नहीं हैं।

(इस मध्य नेता, बहुजन समाज पार्टी, श्री लाल जी वर्मा एवं नेता विरोधी दल, श्री राम गोविन्द चौधरी जी एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मुकदमा जो लिखा गया है वह आपराधिक मुकदमा है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उसमें के0वी0आई0सी0 निर्णय करेगा।

श्री लालजी वर्मा-

वह आपराधिक मुकदमा है और आपराधिक मुकदमें में के0वी0आई0सी0 थोड़े ही निर्णय करेगा। इसमें निर्णय आपको करना है, प्रदेश सरकार को निर्णय करना है। यह आपराधिक मुकदमा है और आपराधिक मुकदमा दूसरा नहीं देखेगा। उसमें निर्णय आपको करना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इसको दिखवा लीजिये।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसको दिखवा लेता हूँ

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। नियम-56 की दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी जी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, श्री संजय गर्ग जी, श्री राकेश प्रताप सिंह जी की प्रदेश में बढ़ती महंगाई जैसे दिसम्बर, 2019 में खुदरा महंगाई दर, सब्जियों, प्याज के दाम, उर्वरक बीज, कीटनाशक दवा एवं बस किराया आदि में बढ़ी दरों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन के अन्तर्गत जो सूचना हमनें और हमारी पार्टी के लोगों ने दी है वह महंगाई पर है।

श्री अध्यक्ष-

उसको हमने पहले ही निरस्त कर दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गयी है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मूल्यों का मामला तो भारत सरकार का होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं मान्यवर। अगर यह भारत सरकार का मामला होता तो हम लोग क्यों यहाँ पर बैठते।

श्री अध्यक्ष-

(हँसी) आप बोल लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में क्या महंगाई नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता भी जब महंगाई से ग्रस्त है तो उसकी बात हमको कहने का अधिकार है और उसकी बात आपको सुनवाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

हम कह रहे हैं कि आप खूब कहिये, लेकिन अभी लड़ाई न करियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लीजिये कि जब किसान चीज पैदा कर रहा है, सब्जी, चावल, गेहूं चाहे जो भी चीज हो, उसकी औने-पौने दामों पर खरीद हो जा रही है, चाहे वह सरकार खरीदे या सरकार के नाम पर बिचौलिये खरीदें, लेकिन वही चीज जब मार्केट में आ जा रही है तो उसके दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीमन्, देख लीजिये, 2019 में खुदरा महंगाई दर 7.3 प्रतिशत तक पहुँच गयी। 10 पैसा प्रति किलोमीटर बस का किराया बढ़ाया गया, प्याज का दाम 128 रुपया हो गया, लेकिन किसान के यहाँ से वह 15 रुपया-20 रुपया खरीदा गया। सरकार ने 10 पैसा प्रति किलोमीटर बस का किराया बढ़ाया। उर्वरक मंहगा, कीटनाशक महंगा, बीज महंगा हो गया। बिजली के दाम दिनो-दिन बढ़ाये जा रहे हैं और उस पर सेस लिया जा रहा है। सीमेन्ट, बालू, मौरंग सब महंगा हो गया, बिजली के उपकरण महंगे हो गये, पेट्रोल-डीजल तथा रसोई की गैस के दाम बढ़ गये। आपके भी घर में खाना बनता होगा। सरकार इस सबको अपनी उपलब्धि बताती है। इन्हीं के राज में देख लीजिये क्या हुआ कि किसानों से जो सस्ता खरीदा गया वह जब मार्केट में आया तो क्या हो गया। दाल उड़द 2019 में 70 से 90 तक था और 2020 में क्या हो गया 100 से 140, यह योगी जी की सरकार है। मूंग दाल 2019 में 60 से 80 थी 2020 में 100 से 130 हो गयी, दाल अरहर जो 2019 में 65 से 80 थी वह 2020 में 90 से 120 हो गयी। दाम बढ़ गये। लाल मसूर 2019 में 55 से 75 थी 2020 में 80 से 90 हो गयी।

चने की दाल 2019 में 60 से 80 रुपये किलो थी और 2020 में 70 से 90 रुपये किलो हो गयी, छोला 2019 में 35 से 60 रुपये किलो था जबकि 2020 में 60 से 80 रुपये किलो हो गया, मटर 2019 में 45 से 50 रुपये किलो और 2020 में 80 से 85 रुपये किलो हो गया, मटर की दाल 2019 में 55 से 60 रुपये किलो थी जबकि 2020 में 85 से 90 रुपये किलो हो गयी, चक्की का आटा 2019 में 22 रु0 किलों था जबकि 2020 में 28 रु0 किलो हो गया, कम्पनी का आटा 2019 में 30 रु0 किलो था जबकि 2020 में 35 रु0 किलो हो गया, चीनी 2019 में 32 रु0 किलो थी 2020 38 रु0 किलो हो गयी, डालडा घी 2019 में

75 रु0 में था जबकि 2020 95 रु0 में हो गया, रिफाइंड 2019 में 80 रु0 और 2020 में 110 रु0, सरसो तेल 2019 में 80 और 2020 में 120 रु, मिर्च 2019 में 180 और 2020 में 300 रु0 में हो गयी, हल्दी 2019 में 100 रु0 और 2020 में 150 रु0, धनिया 2019 में 120 और 2020 में 180 रु0 और परमल चावल 2019 में 26 रु0 में था और 2020 में 30 रुपये हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से इनकी सरकार है। इन सब चीजों का 2019 में क्या भाव था और 2020 में क्या भाव हो गया है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई से सब त्रस्त हैं और यह सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा रही है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपके पास आज नियम-56 में और कुछ नहीं है?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसलिए मैं यह मांग करता हूँ कि इस भीषण महंगाई पर जहां जनता त्राही-त्राही कर रही है सभी स्तर के लोग फिर वह चाहे किसान, गांव, शहर, मानव, पशु पंक्षी ही क्यों न हों सब महंगाई से परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सदन की अन्य कार्यवाही रोक कर इस मुद्दे पर चर्चा करायें और महंगाई को कम कराने का स्पष्ट निर्णय दिलवायें। क्योंकि इससे अहम मुद्दा और कोई नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार की तरफ से कौन बोलेगा?

***श्री संजय गर्ग**-

माननीय अध्यक्ष जी हमें दो मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल ने बोल लिया है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण क्या है? जब इसका सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, महंगाई का विषय है।

श्री अध्यक्ष-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप एक मिनट उत्तर सुन लें। पहले आप उत्तर सुन लें। आप बैठ जाईये।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बिजली, सीमेन्ट, मौरंग, पेट्रोल, डीजल, प्याज, सब्जी, दालें और धनिया के भाव दिए गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

केवल तम्बाखू नहीं है।

(सदन में हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अगर किसी एक विषय के ऊपर रखते, चार विषय दिए गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, विषय केवल एक है और वह है महंगाई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक विभाग से सम्बन्धित होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

महंगाई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और जी0एस0टी0 लागू होने के बाद बहुत से परिवर्तन आए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात पूरे सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि आप जो धनिये की, अब मुझे मालूम नहीं कि यह धनिया मसाले वाला है या हरा धनिया खेत वाला है। मान्यवर, यह केवल डिमाण्ड सप्लाई के ऊपर होता है जिस दिन डिमाण्ड ज्यादा होती है उस दिन बाजार महंगा हो जाता है, और जहां सप्लाई कम हो जाती है।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास किया गया)

जब इन्होंने प्याज कहा तो हमने कहा धनिया भी, तो प्याज के संग धनिया तो हरा वाला ही होगा। मान्यवर, यह तो अपने आप में भी सोचना चाहिए। आप तो किसानों के हितैशी बनते हैं। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सख्ती होगी तो क्या किसान के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? जो रोज दो, चार सौ रुपये का धनिया, मिर्चा और प्याज पैदा करता है।

मान्यवर, यह अपने आपमें विरोधाभासी है। एक तरफ तो आप मंहगाई को कोसेंगे और दूसरी तरफ अगर वे जो लोग केवल सब्जी पैदा करते हैं तो क्या आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उनके जीवन स्तर में कोई सुधार हो? इससे वे डिसकरेज होंगे या इससे

उन्हें बल मिलेगा। अगर कोई जमाखोरी हो या किसी तरीके से मुनाफाखोरी हो उसमें तो बात समझ में आ सकती है कि जमाखोरी मुनाफाखोरी में सरकार हस्तक्षेप करे लेकिन अगर खेत में पैदा होने वाली चीज जो कि रोजमर्रा की हो, उसमें सब चीज लिखा है। रोज में पैदा होने वाली सब्जी को अगर डिसकरेज करेंगे तो वे और नहीं बायेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि सब्जी और मंहगी होगी। मान्यवर, यह एक विभाग से सम्बन्धि नहीं है। डीजल, पेट्रोल के दाम आप जानते हैं कि कैसे तय होते हैं यह तो रोज कम्पनियां तय करती हैं दूसरी बात यह कि हमने उसके ऊपर अधिभार नहीं बढ़ाया। अगर कोई अधिभार बढ़ाया होता तब तो आप कहते, एक तो यह एक विभाग से सम्बन्धित नहीं है दूसरी बात यह है कि जब बिजली की आपने बात की, तो जब आप 24 घण्टे बिजली जलायेंगे तो बिल नहीं देंगे। मोबाइल का बिल तो पहले जमा हो जाता है बिजली के बिल जमा करने में आनाकानी करते हैं। मान्यवर, इसका कोई एक सर्वमान्य उत्तर नहीं हो सकता। मंहगाई में जमा खोरी, मुनाफाखोरी, नाजायज तरीके से पीड़ित करना किसी प्रकार से परेशान करने उस तरीके की कोई बात आई नहीं। इसलिए मान्यवर, मेरा यह सबमिशन है कि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इन्होंने किसान की बात की वह मटर देता है 5 से 8 रुपया प्रति किलो और मार्केट में 15-20 रुपया। फूलगोभी बेचता है 2 से 5 रुपया और 10 से 15 मार्केट में है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, हम अगला विषय लेते हैं इसको हमने अग्रहाय किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार मंहगाई के प्रति गम्भीर नहीं है, मंहगाई से क्षेत्र की जनता परेशान है कमर टूट गयी है इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने मंहगाई पर जो बयान दिया है वह हमको संतुष्ट करने वाला नहीं है। मंहगाई चरम सीमा पर है सभी लोग परेशान हैं इनके बयान के विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी सहित समाज वादी पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मोना जी की अलग नोटिस है इसी विषय पर हमारी भी है, केवल एक लाइन हमको भी बोलने का मौका दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले मोना जी बोल लें।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐसे दृष्टांत की ओर मैं सदन का ध्यान करना चाहती हूं क्योंकि डी0आर0डी0ए0 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो लगातार ग्राम विकास के साथ जो महत्वपूर्ण योजनायें हैं जो गांव से गांव के विकास से गरीब लोगों से जुड़ी हुई चाहे मनरेगा हो आवास की योजनायें हों यहां तक कि विधायक निधि के भी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इसी विभाग पर है पर 1980 में इस संगठन डी0आर0डी0ए0 का गठन हुआ। 29 अक्टूबर 1983 में शासनादेश हुआ कि डी0आर0डी0ए0 की सीधी भर्ती के कर्मियों को सारी सुविधायें भी मिलेंगी, कराई जायेंगी सरकार के कर्मचारी का दर्जा भी दिया जायेगा। जब 2000 में उत्तराखण्ड प्रदेश अलग हुआ तो वहाँ पर 2013-2014 में शासनादेश हुआ और इन कर्मचारियों को वहाँ पर राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया गया और सारी सुविधायें भी दी गयीं जबकि 2016 में उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा डी0आर0डी0ए0 संगठन के अधिकारियों कर्मचारियों को ग्राम विकास विभाग में समविलीन तो किया गया परन्तु ग्राम विकास में समविलीन के साथ-साथ डी0आर0डी0ए0 संगठन की प्रतिनियुक्ति पर भी रखा गया।

वर्ष 2016 से पूर्व की इनकी सारी सेवायें शून्य कर दी गयी और दिनांक 18-07-2016 के बाद ही उनको राज्य कर्मचारी माना जायेगा तथा ना ही उनको उससे पहले की पेंशन मिलेगी और ना ही किसी योजना का उन्हें लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और उन पर आश्रित परिवार काफी हैं जो आज इस नये शासनादेश की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। आगे आने वाले समय में भी इनके परिवार का भरण-पोषण, परिवार की शिक्षा, सब कुछ पर एक प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, हम सब लोगो से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह बहुत अविलम्बनीय है इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि आप इस पर एक व्यवस्था दे दें और इस पर कोई ना कोई उचित निर्णय सरकार को लेना चाहिये। मैं इस पर बल देती हूँ।

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीया मोना जी ने विस्तृत रूप से इस पर अपनी बात रख दी है और डी0आर0डी0ए0 विभाग के महत्व के बारे में भी बताया है। यह विषय इतना गंभीर इसलिये है क्योंकि डी0आर0डी0ए0 के गठन के बाद यहां पर कर्मचारी नियुक्त हुये जिसके बाद प्रदेश का बंटवारा हुआ। हमारे डी0आर0डी0ए0 के कुछ कर्मचारी उत्तराखण्ड में चले गये और कुछ कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश में रह गये। प्रदेश के बंटवारे के बाद उत्तराखण्ड का जो छोटा सा नया प्रदेश बना था, वहाँ की सरकार का कितना बड़ा हृदय है कि बंटवारे से उनके वहाँ जो डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारी गये उनको वहाँ की सरकार ने राज्य कर्मचारी मान लिया और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासनादेश जारी करके पेंशन और भत्ता सहित सारी सुविधायें दे दी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस विभाग में मूल रूप में कर्मचारी नियुक्त हुये थे वहाँ के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर कर दिया गया है। इस तरह उनके ही मूल विभाग में प्रतिनियुक्ति पर उनको लाकर उन्हें पेंशन और भत्ता सबसे विरत कर दिया गया है। मेरा यह कहना है कि पेंशन की व्यवस्था खत्म करने से वह कर्मचारी, उनके परिवार और बच्चे कहां जायेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि इस विभाग से संबंधित मा0 मंत्री जी, आप तो कम से कम हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी का सम्मान करिये क्योंकि उनका एक सम्मान है। हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी जब लोक सभा के सदस्य थे उस समय इन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी को इन्हीं कर्मचारियों के बारे में एक पत्र लिखा था। जिसमें लिखा था कि मैं अनुग्रहीत होऊंगा कि पत्र में वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के कर्मचारियों को उनके विभाग में समायोजित करके उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष, पेंशन या भत्ता जो भी हो उनको दिलाने के लिए उनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाये। आज वह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इसलिये मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी को खड़े होकर सीधे कह देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी पूरी बात आ गई।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अभी कहां पूरी बात आ गई। अभी तो बात चल रही है, हम इतना कह दें तो आ जायेगी कि मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी अभी आश्वासन दे दें और कह दें कि इन कर्मचारियों के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। जब एक छोटा प्रदेश उत्तराखण्ड उन कर्मचारियों को लाभ दे सकता है तो हम भी देंगे। क्योंकि दो भाई थे, एक भाई यू0पी0 में रह गया और एक भाई उत्तराखण्ड में चला गया, जब एक भाई को मिल गया तो दूसरा भाई यू0पी0 में क्यों मर रहा है। आप तो बड़ा हृदय करिये, बड़ा स्टेट है, संसाधन अधिक हैं। वह तो कम संसाधन वाला स्टेट था फिर भी उसने दे दिया। यहां पर जितने मा0 सदस्य हैं सब जानते हैं कि डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारियों का कितना अच्छा योगदान है। यही एक कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति आज मानी जा रही है जबकि उनकी नियुक्ति चयन समिति के द्वारा हुई थी और प्रापर ढंग से हुई थी। उसी चयन समिति से नियुक्त किये गये उत्तराखण्ड के कर्मचारी हैं तो उनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन आपने रेगुलर कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर कर दिया है। उनका विभाग तो डेड हो गया और मूल विभाग यही रह गया है इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आप डी0आर0डी0ए0 के कर्मचारियों को यह सारी सुविधायें दे दीजिये।

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं। इनका विषय मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही उचित प्रतीत होता है। इस विषय के सदन में आने से पूर्व ही हमने एक निर्देश विभाग को दिया है और सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

मान्यवर, उसमें समयबद्ध निर्देश दिया है कि उनकी समस्या को सुन लें और गुण-दोष के आधार पर समिति जो निर्णय करे वह हमारे सामने अंतिम विचार के लिए रखें, लेकिन एक नया विषय आज आया है कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा ऐसे कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे और जब उत्तराखण्ड नया राज्य बना तो उन्होंने उन सभी लाभों को दिया जो एक राज्य के कर्मचारियों को दिया जा सकता है। माननीय सदस्य की नोटिस में एक और विषय था कि उसका संविलीन कर लिया गया है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप डेपुटेशन पर हैं। मेरी समझ से जो शासनादेश हमारे विभाग ने पहले निर्गत किया है उस समय किन परिस्थितियों में वह उनका संविलीन और डेपुटेशन का अंतर क्यों नहीं समझ सके यह विचार का विषय है, लेकिन यह बात सही है कि अगर उत्तराखण्ड अपने ऐसे कर्मचारियों को जो अविभाजित उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे और उन्हें वह कोई सुविधा दे रहे हैं तो हमारे भी जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या करीब साढ़े नौ सौ है क्योंकि यह बहुत बड़ा राज्य है और माननीय योगी जी का नेतृत्व है जो सबके संकट को काटने में विश्वास करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी बहुत छोटी संख्या है। हमारा विभाग कर्मचारियों के साथ पूरी सहानुभूति रखता है और निश्चित रूप से उत्तराखण्ड राज्य की जो व्यवस्था है हम उसे मंगा लेंगे तथा यह कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोई अन्याय न हो और हमारा विभाग अनुकूल विचार करने का पूरा प्रयास करेंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन की शेष सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही और ध्यानाकर्षण के लिए मैं निर्देशित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-74 कुछ नहीं है।

[02:53] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020†

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री राम चौहान)-

† दिनांक 12 मार्च, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-75, 76 पहले ली जा चुकी हैं।

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि आज चार विभाग हैं और चारों विभाग एक साथ अपना बजट प्रस्ताव रख दें फिर जिसको बोलना होगा वह बोल लेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, अभी तक केवल दो विभागों की बजट सामग्री हम लोगों को मिली है। एक पंचायती राज विभाग और एक लोक निर्माण विभाग की मिली है और इधर कटौती प्रस्ताव रखना है तथा उसमें चर्चा करना है। हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग की सामग्री भी नहीं मिली है। मान्यवर, बताइए हम लोग उस पर क्या चर्चा करेंगे?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखे वह पहले अपना भाषण दे ले फिर दूसरी कटौती हो तो वह भी अपना भाषण दे ले, तीसरा कटौती हो वह भी अपना भाषण दे लें, चौथा भी रख लें फिर जो जनरल लोग हैं वह चारों पर बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप लोग सहमत हैं? यह ठीक है।

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, हम सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

चारों विभागों के प्रस्ताव पहले रखने हैं कि रखे हुए माने जाएं।

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती)-

मान्यवर, साथ भी रख सकते हैं और हमारी जो कार्य योजना है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं उस पर आज्ञा देंगे तो अपना विचार भी रख देंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो पहले ग्राम्य विकास मंत्री जी रखें।

[02:56] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कृपापूर्वक ग्राम्य विकास का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी।

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20316,15,80,000 रुपये (बीस हजार तीन सौ सोलह करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मनरेगा के अन्तर्गत गरीबों को आवास बनाकर देने की व्यवस्था करते हैं। मनरेगा में 260 कार्यक्रमों की अनुमन्यता है जिसे हम गरीबों के बीच उनकी सेवा करके उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं और जो लोग श्रमिक हैं, गरीब हैं जिन्हें हमेशा मजदूरी की आवश्यकता पड़ती थी हम मनरेगा में उनको कम से कम 100 दिन का न्यूनतम रोजगार देने की गारंटी भी देते हैं। उन्हें 182 रुपये प्रतिदिन मजदूरी भी देते हैं। मजदूरी बढ़ाने के लिए भारत सरकार को हमारा विभाग समय-समय पर अनुरोध भी करता है। और जो इसका उद्देश्य है वह मजदूरी की गारंटी देना यह मनरेगा का मूल उद्देश्य है। मनरेगा में कच्चे मार्गों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, जल स्तर को ऊँचा करने का कार्य, जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत हम कार्यक्रम को संचालित करके सोखपिट बनाकर उसमें हैण्डपम्प के वेस्ट वाटर को उसके माध्यम से ग्राउंड वाटर के लेवल को ठीक करने का भी इंतजाम हम मनरेगा से करते हैं।

मनरेगा में किसी प्रकार की धनराशि की कोई कमी नहीं है। हम मनरेगा में जहाँ श्रमिकों को श्रम के माध्यम से रोजगार देते हैं, वहीं हम असेट क्रियेटिंग का काम भी करते हैं जिससे स्थाई सम्पत्तियों का सृजन हो। उसका एक रेशियो तय है। 60 प्रतिशत हम श्रम के अंश में खर्च करते हैं और 40 प्रतिशत हम सामग्री अंश में खर्च करते हैं। 60:40 का रेशियो

भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। जिसका जो धनावंटन है उसमें 75 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें डवटेल करती है। मनरेगा में हम बंधा, तालाब, चकमार्ग बनाते हैं, हम व्यक्तिगत कार्य भी करते हैं। एन0आर0एम0 योजना का भी कार्य उसमें शामिल है। उसके माध्यम से मनरेगा की मदद से प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का भी कार्य सुनिश्चित किया है। जिसमें पांच लाख रुपये हम डवटेल करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए । हम पंचायत भवन का निर्माण कर सकते हैं। उसमें हम डवटेल कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से अगर हमारे जो पंचायत के मा0 प्रतिनिधि हैं अगर वह हमें सहयोग करते हैं और वह हमें सहयोग करते भी हैं, उनका सहयोग मिलता भी है। पंचायतीराज विभाग हमारा सहयोगी विभाग है। हमारे जो साथी मा0 मंत्री हैं आदरणीय चौधरी भूपेंन्द्र सिंह जी, उनका भी बराबर हमें सहयोग मिलता है। मनरेगा को कैसे विशेष रूप से लागू कर सकें, हमें सहयोगी के रूप में हमारे युवा राज्य मंत्री जी हैं शुक्ला जी, उनका भी जब से वह हमारे साथ राज्य मंत्री हैं।

बहुत ही अच्छा काम, चाहे वह असर नेता विरोधी दल जी के बड़प्पन का हो, आशीर्वाद का हो। मैं मानता हूं कि हमारे विभाग ने जो प्रगति की है वह प्रगति चाहे मनरेगा के क्षेत्र में की हो, प्रधानमंत्री आवास कार्यक्रम के क्षेत्र में की हो, मुख्य मंत्री आवास कार्यक्रम के क्षेत्र में की हो और एन0आर0एल0एम0 के काम में भी राज्य मंत्री जी ने बड़ी रुचि ली एवं समीक्षा की और पूरे प्रदेश का भ्रमण करके जो परिणाम दिया है वह परिणाम बड़ा सुखद एवं बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। इसके लिए जहां मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं, वहीं अपने राज्य मंत्री के सहयोग के लिए बधाई देता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। श्रीमन्, मुख्य मंत्री आवास योजना, सेट डाटा 2011 पूर्ववर्ती सरकारों की देन थी। उन्होंने जो भी बनाया था हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। स्वस्थ आलोचना हो क्योंकि यह बजट पूरे प्रदेश के लिए है। यह बजट उत्तर प्रदेश के 821 विकास खण्डों के विकास के लिए है। 821 विकास खण्ड इधर के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का भाग है और सामने बैठे मा0 सदस्यों के भी निर्वाचन क्षेत्र का भाग है। वह 821 क्षेत्र कैसे विकास की दृष्टि से जुड़े, यह हमारे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य है। आपको मैंने मनरेगा में बताया है, हमारे सदस्य उत्तर भाषण में कहेंगे। हमारे मित्र कटौती का प्रस्ताव रखेंगे, उनकी जो अपेक्षा होगी, अपने उत्तर भाषण में उनकी शंका को भी दूर करेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्य मंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई है। सेट डाटा 2011 में कुल 12 लाख 47 हजार आवासों का निर्माण कराया गया है और इस पर पूरे प्रदेश ने संतोष व्यक्त किया है। जो सेट डाटा 2011 का शेष था उसमें कुल 1 लाख 53 हजार केवल आवास उन आंकड़ों के सापेक्ष शेष थे, उसके लिए भी भारत सरकार ने हमारी डिमाण्ड पर पैसा दिया है। हमारी 25 हजार की मांग पर हमको और रुपया दिया गया है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से कुल 01 लाख 78 हजार और इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने दिया है लेकिन

जब हमने उनकी पात्रता का सत्यापन कराया तो उसमें केवल 23 हजार से 25 हजार के बीच में लोग पात्र पाये गये हैं। उनके आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे सामने एक दिक्कत आती थी कि जो सेट डाटा के सर्वे में थे, उसके बाद जो बच रहे थे, यद्यपि उस पात्रता एवं मानकों में आते थे, लेकिन सेट डाटा का जो विवरण था उससे वह आच्छादित नहीं थे। इसलिए उस योजना का लाभ देने में कठिनाई हो रही थी।

मा0 योगी जी ने कृपा की और हम उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहते हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री आवास योजना देकर कृपा की है। मुख्य मंत्री आवास योजना से निश्चित रूप से ऐसे गरीबों का कल्याण हुआ है जो सेट डाटा के गलत आंकड़ों के कारण वंचित थे। उन्हें मुख्य मंत्री आवास योजना से चिन्हित कर उनकी पात्रता को सुनिश्चित कर, 50 हजार से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि ग्राम्य विकास विभाग की है। उनकी श्रेणी भी चिन्हित की गई। उसमें मुसहर जाति के लोग थे, उपेक्षित, वंचित एवं परेशान लोग थे। उनके पास अभिलेख नहीं थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों को पूरा करते हों, लेकिन वह गरीब थे, उनके सिर पर छत नहीं थी। मा0 मुख्य मंत्री जी को दया आई और उन्होंने कृपा की और इसके सापेक्ष उन्होंने 50 हजार आवास की गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति दी। उसमें मुसहर, वनटांगिया और काला जार से पीड़ित लोगों को लाभान्वित किया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक नयी स्वीकृति एवं अनुमति दी जो कुष्ठ रोगी समाज से उपेक्षित थे, कुष्ठ रोगी अपने परिवार से उपेक्षित थे। कुष्ठ रोगियों के पास कोई भी सहारा नहीं था। इसलिए उन्हें कहीं भी बसेरा नहीं मिलता था। उन पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने कृपा की और जो शासनादेश ग्राम्य विकास विभाग का मुख्य मंत्री आवास योजना के क्रम में निर्गत हुआ था, उसमें उन्होंने अनुमति दी कि कुष्ठ रोगियों को शत्-प्रतिशत उत्तर प्रदेश का ग्राम विकास विभाग पोषित करेगा ...

(इसी मध्य अपराह्न 03 बजकर 06 मिनट पर अधिष्ठाता श्री संजय गर्ग पीठासीन हुए।)

और उन्हें आवास के लाभ से लाभान्वित करेगा, जिसका कार्यक्रम भी हम लोगों ने लोकभवन में किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी का आगमन हुआ था, वे हमारे मुख्य अतिथि थे और मा0 मुख्य मंत्री जी ने उस कार्यक्रम को सम्पादित कराया था, जिसमें 500 लाभार्थी चलकर अपने परिजनों के साथ आए थे। जो कुष्ठ रोगी थे, जिन्हें कोई नहीं पूछता था उनके परिजन उन्हें लेकर लोकभवन आए और उन्होंने अपना स्वीकृति पत्र लिया तथा सम्मानपूर्वक उस सुविधा को प्राप्त कर वे अपने घरों को वापस गये, इसे भी हमने उसमें शामिल किया। हम सब समाज के सेवक हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में निश्चित रूप से हमारे सामने समस्याएं और संकट आते हैं, वह समस्या है उन महिलाओं से संबंधित जिनका डायवोर्स हो जाता है। जिन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, जिनका वैवाहिक संबंध से विच्छेद हो जाता है, विच्छेद होने के बाद अगर अपने पिता

के घर जाती हैं तो थोड़े दिनों में वहाँ से भी उपेक्षित हो जाती है, तो उसके सामने संकट रहता है कि ससुराल में जगह नहीं और मायके में भी स्थान नहीं। उस महिला का जीवन त्रिशंकु की तरह हो जाता था, उस पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कृपा की और उस निर्गत शासनादेश में संशोधन की अनुमति दी और अब जो डायवोर्सी लेडी हैं उन्हें भी मुख्य मंत्री आवास योजना से पोषित किया जाएगा, यह भी स्वागत योग्य कदम ग्राम्य विकास विभाग का है।(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी) मान्यवर, मैंने बताया कि 12 लाख 47 हजार आवास हमने दिए, उनका परीक्षण कराया और देखा भी, जहां गलतियां मिलीं, उस पर हमने जो विधिक कार्रवाई सम्भव थी, उसे कराने में हमारे विभाग ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। मैं उस सफलता के लिए अपने प्रमुख सचिव एवं ग्राम्य विकास आयुक्त और क्षेत्र तक के अधिकारियों को बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है।

देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अलग-अलग विचारधारा की भी सरकारें हैं, उन्होंने उन कार्यक्रमों में रूचि ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी रेटिंग कराई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और यह उत्तर प्रदेश के मा0 सदन के लिए, मा0 सभी सदस्यों के लिए चाहे वे उस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों, सभी के गर्व की बात है और यह उनके सहयोग के बिना सम्भव नहीं था क्योंकि क्षेत्र के विकास में जन-प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर जन-प्रतिनिधियों का क्षेत्र में सहयोग न हो तो कोई भी शासकीय पक्ष किसी कार्यक्रम को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता है, जो भी सफलता हमारे विभाग को मिली और जो उस रेटिंग में प्रथम स्थान मिला, उसके लिए मैं सदन के सभी मा0 सदस्यों को उनके सहयोग और कृपा के लिए तथा विकास के कार्यक्रमों में उनकी रूचि के लिए बधाई देना चाहूंगा। इस तरह की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इस तरह अपने पक्ष को जनता तक पहुंचाने में सफलता हासिल की इसके लिए हम योगी जी के नेतृत्व को बधाई देते हैं और विभाग पर उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मा0 सदस्यगणों को हम बधाई देते हैं क्योंकि उनका सदैव सहयोग प्राप्त हुआ। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे विभाग के पास आजीविका मिशन का कार्यक्रम है, मुझे बहुत दिनों से आपका आर्शीवाद मिलता रहा है, आप छात्र नेता रहे हैं, जब मैंने राजनीति की शुरूआत की और 1983 में ब्लाक प्रमुख हुआ, मैंने दो मूतिर्यों को देखा है, तब मा0 नेता प्रतिपक्ष मंत्री थे और इनके साथ गौरी भैया थे, दोनों लोग मंत्री थे और इसी ओ0सी0आर0 में रहते थे रॉयल होटल में, तब से मैं आपको जानता हूँ। लेकिन इस उम्र में भी आपकी आवाज कम नहीं हुई। मुझे लगता है कि कौन सी ऐसी जड़ी-बूटी है जो आपके गले को इतना मजबूत रखती है। जब कोई बात आती है तो आप इतनी मजबूती से खड़े होते हैं, या तो उपेन्द्र जी उस आवाज में बोल पाते हैं या आदरणीय हमारे बड़े भाई, नेता प्रतिपक्ष की आवाज इतनी बुलन्द रहती है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

यह बलिया का असर है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती-

हो सकता है, बलिया का असर हो। माननीय अधिष्ठाता जी, अगर बलिया का इतना असर है तो आनन्द जी की आवाज भी उतनी बुलन्द हो जाए, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद भी मांगता हूँ।

श्रीमन्, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन तथा मुख्य मंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना, हमारा विभाग संचालित कर रहा है। सोशल आडिट का भी एक विंग हमारे पास है, जो काम कर रहा है। इसमें श्रीमन्, हम आपके सामने यह निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 58770 ग्राम पंचायतें और 821 विकास खण्ड हैं, संस्थाएं हैं, इनकी सेवा हम ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया कि एक लाभार्थी को हम 01 लाख 20 हजार देते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम 01 लाख 30 हजार देते हैं। हमारा 14 लाख 61 हजार का लक्ष्य था, 13 लाख 72 हजार बनाया है। पहले भी मैंने आपके सामने यह विवरण रखा है और 2020-21 में जो प्रस्तावित बजट है, इसमें जो मैनडेट क्रिएट करना है, जो मानव दिवस हमें सृजित करना है, वह अपेक्षाकृत विगत 03 वर्षों के सापेक्ष प्रोगेसिव है, ज्यादा है। 25 लाख मानव दिवस सृजित करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री ने जो भी हमारे विभाग ने बजट मांगा, जितनी धनराशि की मांग की, उसे कृपापूर्वक वित्त मंत्री जी ने हमें उपलब्ध कराया। इसी तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना में भी हमें 40 हजार आवासों की आवश्यकता है। दैवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं, जो भीषण वर्षा हुई थी, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे, जो दैवी आपदा से प्रभावित हुए, उन्हें पोषित करना है। उनकी आवश्यकता है, वह मजबूर हैं, जिनके लिए हमें विशेष धन आवंटन की आवश्यकता थी।

मुख्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक उसकी भी व्यवस्था की है, उसका उल्लेख जो हमने विवरण पुस्तिका दी है, उसमें वह उपलब्ध है, अंकित भी है। 40 हजार नए आवास हमने वर्ष 2020-21 में बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हम बनायेंगे। प्रभावी रूप से आवश्यकता को पूरा करेंगे, यदि उसमें कमी होगी तो हम मुख्य मंत्री जी से निवेदन करके उस भाग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि जो सबकी सेवा कर रहा है, उसमें कल ही पीठ से भी आपने निर्देश दिया है, माननीय नेता सदन के सामने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो विचार रखे थे, कदाचित् वह विचार स्वागत योग्य हैं, स्वीकार्य

योग्य भी लगते हैं, निर्णय आपको लेना है। दलीय नेताओं की बैठक में आप विधायक निधि के संबंध में जो सुझाव देंगे जो निर्णय करेंगे, मेरा विभाग उसे सहर्ष स्वीकार करेगा और उसे माननीय जनप्रतिनिधियों की सुविधा के अनुसार उसे लागू करने में भी कोई विलम्ब नहीं करेगा, यह मैं अपने विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त भी करता हूँ। श्रीमन्, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके बीच है। मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रति जनप्रतिनिधियों का, समाज का जो विश्वास है, उसके अनुरूप कार्यदायी संस्थाओं को और सजग होने की आवश्यकता है और मेरी कोशिश होगी कि हमारा यू0पी0आर0आर0डी0ए0 इसे संचालित कर रहा है, इसे देखता है, अब तक उसने जो कार्य किया है, चाहे वह पीरियाडिकल रेन्युअल रहा हो, 05 वर्षों तक अनुरक्षण का कार्य रहा हो, नई सड़कों के निर्माण का रहा हो, उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का रहा हो, इन सब विषयों पर समय-समय पर कहीं न कहीं से कुछ प्रश्न भी उपस्थित हुए हैं। प्रश्न उपस्थित होने चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम कमी को उजागर करें और आप जानते हैं कि जीरो टालरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत गुणवत्ता के सम्बन्ध में आयेगी तो हम जांच भी करायेंगे और अगर उसमें कोई दोषी पाया जायेगा तो गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुरूप कठोरतम कार्यवाही जो भी सम्भव है, दोषी के विरुद्ध करने में हमारा विभाग कहीं भी कोई कमी नहीं करेगा, इस बात का भी आश्वासन हम इस सदन में देना चाहते हैं और सभी पक्षों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं।

आप अपनी विधान सभा के प्रथम नागरिक हैं, प्रथम सेवक हैं। दलीय संपदा से अलग भी हम सबका दायित्व है कि अपने क्षेत्र को उन्नत करें और वहाँ जो भी काम हो उसके सजग प्रहरी के रूप में हम कहीं न कहीं जनता के बीच लिखें। उसमें सरकार का पूरा सहयोग सभी पक्षों को मिलेगा। अगर आपके क्षेत्र में गुणवत्ता के क्षेत्र में कोई शिकायत आती है, जब भी आप ध्यान आकृष्ट करेंगे सरकार का तो निश्चित रूप से विधिक कार्यवाही होगी। गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं और केवल आपका सहयोग चाहता हूं कि जहां डेवलपमेण्ट का काम हो, उसमें दल से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश की सड़कें ठीक हों, उत्तर प्रदेश का यातायात बेहतर हो, उसमें आप सबका स्नेह और सहयोग मिले, यह आपसे प्रार्थना भी करता हूं। मैंने फेज-3 में आपसे निवेदन किया। फेज-3 में साढ़े चार हजार किलोमीटर फर्स्ट पेज में हमें सड़कों का चयन करना है। मा0 लोक निर्माण मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं और इनकी बड़ी कृपा रहती है, प्रदेश में सड़कों को बेहतर बनाने में। लोक निर्माण विभाग का जो स्नेह डिप्टी सी0एम0 साहब के नेतृत्व में और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिला है, उससे सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अभी तक हमने काम किया, उसमें कुल 184 सड़कें हमने बनाई थी। 14827.33 किलोमीटर सड़कों के रिपेयर को हमारे पांच वर्षीय निरीक्षण की योजना के अधीन

हमने रेन्यू किया और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 66.56 करोड़ रुपया व्यय करके हमने सड़कों का निर्माण किया और वर्ष 2019-20 में 26.2.2020 तक कुल 330.73 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हमने पूरा भी किया, जो बाकी है उसकी निरंतरता बनी हुई है उसका निर्माण भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 में 308.83 किलोमीटर सड़कों का प्यूरॉटिकल रिन्यूवल जो हमारे पास रहता था, जो एग्रीमेण्ट हम बनाते हैं, उसमें पांच वर्षों तक अनुरक्षण की धनराशि रहती है और हमें भारत सरकार में नियमित नवीनीकरण के लिए जो धनराशि 50 करोड़ की दी थी, मैंने उसे भी पूरे प्रदेश में जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के निर्धारित मानक हैं भारत सरकार के उसके अनुरूप जो भी प्रस्ताव हमारे पास आए, उस पर हमने कार्य कराया है।

जो अब हम करने जा रहे हैं, जो अच्छा काम होने जा रहा है, वह पी0एम0जी0एस0वाई0-3 के अन्तर्गत भारत सरकार ने 18937.05 किलोमीटर का लक्ष्य है, जो 75 जनपदों को आवंटित होने हैं। उन 75 जनपदों में भारत सरकार का धन है, इसलिए कभी-कभी यह विषय आता है कि लोग सभा के सदस्य जो कहेंगे, वह होगा और विधान सभा के सदस्यों की सहमति नहीं ली जाएगी। मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य की जवाबदेही सीधे जनता को ज्यादा है। लोक सभा के सदस्य हमारे संरक्षक हैं, हमारे अगुवा हैं मैं तो मानता हूं कि हमारे प्रिंसिपल हैं, हम उनके लेक्चरर हैं यही तो है हम उनके वाइस प्रिसिंपल हैं। वह एक प्रिंसिपल हैं और हम पांच वाइस प्रिंसिपल हैं। जिस-जिस ब्रांच से वह चलवाना चाहें एक एम0बी0ए0 का वाइस प्रिसिंपल हो जाए, एक इंजीनियरिंग का हो जाए, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का हो जाए, एक प्रोफेशनल का हो जाए गर्ग साहब हमारे पीठ पर बैठे हैं, बड़े योग्य हैं। सदन में बोलते हैं तो लगता है कि सरस्वती उनकी जिह्वा पर हैं। एक आध इनके भी सुझाव से इस समय पीठ पर विराजमान हैं, यह भी एक सुझाव दे देंगे। पांचवा कहां बैठा दिया जाए। इन पांचों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए प्रिंसिपल साहब से अनुरोध है कि हम लोगों को अपने विषय की कॉपी जांचने का वह अवसर दें, इनका सादर सम्मान हैं, उनकी बात मानना चाहिए, उनको हम सर पर बिठाएंगे, उनकी बात सरआंखों पर रखेंगे, लेकिन अपने पंच परमेश्वर को वह अनुमति दें कि पंच परमेश्वर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मंजूर कराकर बेहतर सड़क बनाकर, उनको आमंत्रित कर, पत्थर में ऊपर उनका नाम लिखाकर और नीचे अपना लिखाकर बढ़िया एक सुंदर आयोजन आयोजित कराकर उनका भी मुंह मीठा कराएं, अपना मुंह मीठा करें। कॉफी पीएं तो कॉफी पिलाएं, ग्रीन-टी पीएं तो ग्रीन-टी पिलाएं जो भी आवश्यक हो वह राकेश सिंह जी को हम बता देंगे, पड़ोसी हैं जो भी कमी बेसी रहेगी उसको यह पूरा कराएंगे, अगर राकेश सिंह जी को कोई आपत्ति न हो। श्रीमन् इसमें जो लक्ष्य हमें मिला है।

अरे हमने कहा कि वर्मा जी को सब सुना दें। अब नेता प्रतिपक्ष ने अनुमति दी थी तो हम मौके का लाभ ले रहे थे, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। चूँकि मा0 वर्मा जी ने कहा कि कुछ उत्तर भाषण में कह लीजिएगा तो बाद में कह लिया जाएगा। श्रीमन्, इसके अलावा रूर्बन

मिशन और जो अन्य योजनाएँ हम चला रहे हैं, हमने एस0आर0एल0एम0 बताया, हमने मनरेगा बताया और मुख्य मंत्री जी ने विभागीय बैठक में एक विचार व्यक्त किया था, मैं उसी को कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा कि हमने एक विकास खण्ड में दो-दो गांव का समानता के आधार पर मनरेगा गांव में चयन किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के 821 विकास खण्डों में हमने दो-दो मनरेगा गांव प्रथम चरण में सिम्बॉलिकली लिए हैं। आप यह कह सकते हैं और सिम्बॉलिक इसलिए लिया है कि हम ट्रायल करेंगे कि हम उसको कितने कार्यक्रमों से जोड़ कर एक आइडियल विलेज बना सकते हैं। यहाँ समग्र गॉव की कल्पना हुई, अम्बेडकर गांव की कल्पना हुई, लोहिया गॉव की कल्पना हुई, उन कार्यक्रमों में कहीं न कहीं हमें एक-दूसरे विभाग पर आश्रित रहना पड़ा। हमने देखा कि मनरेगा के पास धन की कमी नहीं है। हम डकटेल कर सकते हैं तो हम पंचायती राज मंत्री जी की कृपा मांगेंगे कि अगर वे ग्राम प्रधानों का सहयोग करा देंगे, कुछ डकटेल कर देंगे। उनके पास जो स्थायी सम्पत्तियों के सृजन की धनराशि है, उसको हम कनवर्ट कर लेंगे, डकटेल कर लेंगे। जो 40 परसेण्ट मनरेगा का है, हम उसको जोड़कर स्थायी सम्पत्तियों का सृजन कर लेंगे। हमारे मन में विचार है कि पक्के मार्ग तो हमारे डिप्टी सी0एम0 साहब बना ही रहे हैं। लेकिन हम पक्के मार्ग से लेकर गांव के भीतर जो सम्पर्क मार्ग हैं, अगर हम उनको इण्टर लॉक, के0सी0सी0 ड्रेन या सी0सी0 मार्ग से सैचुरेट कर सकेंगे तो मैं मानता हूँ कि मनरेगा का जो लक्ष्य हमें मिला है, अगर हम उसको इस स्वरूप में परिवर्तित कर सके तो मैं इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्ध मानूँगा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कन्वीनिएंस बढ़ेगी, जनता का आवागमन बढ़ेगा और जो अर्बनाइजेशन की ओर जो उन्मुख लोग हम उनका भी पलायन रोकने में सफल होंगे, हम यह बहुत बड़ा उद्योग करने जा रहे हैं।

अगर हम इसमें कामयाब हुये तो ये भी बताना चाहते हैं इस सदन को कि हम किसी भी विभाग से एक रुपया नहीं मांगेंगे, डबटेलिंग और कन्वर्जन के अलावा। मनरेगा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजेंगे तुरन्त जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा डेफिसिट है या जो हमारी डिमाण्ड है उसे भारत सरकार पूरा करेगी तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी सदन का सहयोग मिलेगा। विचार तो बहुत कुछ रखने का था कि हम पंचायत भवन बना सकते हैं यह भी हमारे कार्यक्रम में है हमारे जो माननीय सदस्य चाहते हो डबटेलिंग से पंचायतीराज मंत्री जी के पास जो संसाधन हैं उससे हम सभी न्याय पंचायतों को इससे नहीं जोड़ सकते हम उसको जोड़ सकते हैं जो हम एस0आर0एल0एम0 के जो समूह हैं उन्हें भी कम्युनिटी सेन्टर दे सकते हैं। कम्युनिटी सेन्टर देंगे तो वह मल्टी प्रपज होगा। मल्टी प्रपज भी होगा और वह गांव में होगा। यदि गांव में होगा तो गांव के सभी संवर्ग चाहे वह पंचायत के प्रतिनधि, चाहे विकास के प्रतिनिधि हो, चाहे समूह के प्रतिनिधि हो, चाहे आंगन बाड़ी केन्द्र के लोग हो, जितने भी गॉव स्तर के कार्यक्रम संचालन के जिम्मेदार लोग हैं उनको हम उससे जोड़कर उनके लिए बेहतर प्लेस दे सकेंगे, मीटिंग प्वाइंट दे सकेंगे और यदि कोई उत्पाद वह

बनाते हैं, समूहों के माध्यम से तो उनको मार्केट करने का भी एक सेन्ट्रलाइज प्वाइंट हम एस0आर0एल0एम0 के माध्यम से दे सकेंगे। उसमें भी पैसे की कोई कमी नहीं है। हम उसमें रिवालविंग फण्ड देते हैं। हम उसमें 1 लाख 10 हजार उसको आर्थिक सहायता देते हैं। सी0सी0एल0 हम बैंक से देते है, उन महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो कैसे उनको व्यवसाय से हम जोड़े, मैं सेस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहा था। यू0एन0ओ0 ने 17 गोल्स दिये थे, उसमें से पहला गोल गरीबी उन्मूलन का था। गरीबी को हम तभी दूर कर सकते हैं जब उन्हें हम रोजगार से जोड़ दें जब हम उनको धनार्जन से जोड़ दें तभी हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, यह ग्राम्य विकास विभाग महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने का विचार रखता है उसी विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं, आप सबका सहयोग चाहिये। आप सबका श्रेय चाहिये, आप सबका आशीर्वाद भी चाहिये।

हम सब अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्तापक्ष के जो लोग हैं उनका जिम्मा है कि सबके प्रति न्याय करें और जो सामने बैठे लोग हैं उनका भी जिम्मा है कि उत्तर प्रदेश के विकास का स्वरूप सुन्दर हो और इस देश के विकास के जो मानक निर्धारित हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ हो तो उत्तर प्रदेश के सदन का भी सम्मान बढ़ेगा। इस सदन के सदस्यों का भी सम्मान बढ़ेगा और आपकी जनता का भी विश्वास आपके प्रति बना रहेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा निवेदन है अधिष्ठाता महोदय कि आपने मुझे बहुत समय दिया और मेरे विचारों को आपने सुनने की कृपा की और हमारा विभाग भविष्य में क्या करेगा वर्ष 2020-21 में यह आश्वस्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा के अनुसार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन में ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेगा। मैं पुनः अंत में इस बेहतर बजट के प्रस्तुतीकरण में ग्राम्य विकास विभाग के अपने मा0 राज्य मंत्री जी को, अपने विभाग के प्रमुख सचिव को, अपने ग्राम्य विकास आयुक्त सहित उनके सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम से इस बजट के प्रस्तुतीकरण में अपना सहयोग दिया। मैं पुनः इस सदन के माननीय सदस्यों से सादर अनुरोध करूँगा कि आपका कुशल मार्गदर्शन इस विभाग के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्राप्त हो और उसमें जहां भी आपका उचित मार्गदर्शन मुझे मिलेगा उसमें आपको हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि आपके सुझाव को आप द्वारा बताये गये कार्यों को उस विधान सभा में करने का प्रयास जो भी उचित सीमा तक हमारा विभाग करेगा। इस बात को भी आश्वस्त करते हुए मैं पुनः माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

एक निवेदन मैं करना चाहूँगा मा0 अपने ग्राम्य विकास मंत्री जी की पूरी बातों से स्वयं का सम्बद्ध करते हुए। केवल एक मिनट बोलना चाहूँगा।

***श्री लालजी वर्मा-**

बिना कटौती के बोलेंगे ? मान्यवर, पहले कटौती तो रख दें उसके बाद ये बोलें। बिना कटौती का प्रस्ताव रखे कैसे होगा ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

पहले कटौती का प्रस्ताव तो रख लेने दें।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ा लम्बा भाषण दिया और भाषण से यह लगा कि पूरा रामराज गांव-गांव में उतर आया है। कोई दुखी नहीं रह गया है, अब कोई कच्चे मकानों में नहीं रह गया है, अब कहीं कोई रास्ता बनवाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है, कहीं कोई नाली बनाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा भाषण दिया कि इस बजट का मैं जरूर समर्थन करता अगर यह इस किताब से कहीं परे न होता तो। किताबों में केवल योजनाएं हैं। यह पूरा का पूरा बजट गांव से, गरीब से, मजदूर से, किसान से दूर है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरा सदन अवगत होगा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 17-18 करोड़ आबादी गांव में रहती है, इस प्रदेश की 70 से 75 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है इसलिए पूरे बजट का 70 प्रतिशत गांव के लिए होना चाहिए था। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने समग्र गांव की बात की। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में गांवों का चयन तो किया गया, वहाँ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क आदि का विकास होना था परन्तु अभी तक केवल सर्वे का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है, ऐसे काम यह विभाग कर रहा है। माननीय मुख्य मंत्री समग्र गांव का पिछले ढाई साल से सर्वे हो रहा है। घोषणाएं कर ली गयीं, प्रस्ताव ले लिया गया और एक विधान सभा में 5 से 10 गांवों का प्रस्ताव वहाँ के विधायकों से लिया गया है और संगठन के इनके पदाधिकारियों से, अध्यक्षों से लेकिन एक भी गांव में एक रुपये का काम आज तक नहीं शुरू हो पाया है। इसी प्रकार से पण्डित दीन दयाल उपाध्याय समग्र गांव की घोषणा सरकार की तरफ से की गयी कि पण्डित दीन दयाल समग्र गांव के माध्यम से पूरे गांव का विकास किया जायेगा, सड़कें बनवायी जाएंगी, कालोनी दी जायेगी, पंचायत भवन बनाये जाएंगे, सामुदायिक मिलन केन्द्र बनवाये जाएंगे, सड़क-नाली, खड़ंजे लगाये जाएंगे लेकिन अभी तक केवल सर्वे हो रहा है। यह चौथे वित्तीय वर्ष का बजट रखा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है और अभी एक रुपये का काम उत्तर प्रदेश के किसी गांव में नहीं किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गांवों में मजदूर पलायन कर रहा है। आखिर इतनी बड़ी योजना आपके पास है, इस तरह की व्यवस्था आपके पास है और आपने इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है जिससे यदि गांव में रामराज उतर आया है तो मजदूर गांव से पलायन क्यों कर रहा है इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

हम सबको चिंतन की जरूरत है, चिन्ता करने की जरूरत है। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में ही कहा है कि 182 रुपये मजदूरी मनरेगा के तहत दी जा रही है। यहां सदन में बैठे चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, चाहे सत्तापक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों सभी को पता है कि 182 रुपये में किसी भी गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, किसी भी ब्लॉक में नहीं मिल रहे हैं। इससे माननीय मंत्री जी भी अवगत होंगे और इन व्यवस्थाओं से मंत्री जी बहुत जुड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ इनकी और मेरी पड़ोस की विधान सभा है, गांव के गरीब तक यह जाते रहते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी आप हमको थोड़ा समझाने का प्रयास करियेगा कि 182 रुपये में मजदूर कैसे उपलब्ध करायेंगे और अगर 182 रुपये में मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो यह पूरी योजना भ्रष्टाचार के जंजाल में जा रही है इसलिए क्योंकि यह पूरा काम जे0सी0बी0 और पोकलैन से कराया जा रहा है। फर्जी मस्टर रोल भरा जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एफ0टी0ओ0 हो जा रहा है परन्तु 6-6 महीने मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। काम करके मजदूर घर बैठा है और यदि 6-6 महीने उस गरीब को मजदूरी नहीं मिलेगी तो वह पलायन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वह गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, प्रत्येक गांव का सर्वे करा लिया जाना चाहिए। उसकी मूलभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखकर विकास कराया जाना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, गांव की स्थिति क्या है? पी0डब्लू0डी0 के बजट के अनुरूप सभी विभाग काम करते हैं।

केवल मनरेगा ऐसी योजना है। अलग-अलग मण्डलों में पी0डब्लू0डी0 के सर्किल रेट से हर विभाग काम करता है। पी0डब्लू0डी0 के मंत्री बैठे हैं, यह इस बात को जानते होंगे। कहीं 6500 रुपये ईंटे का है, कहीं 340 रुपये सीमेन्ट का है, मनरेगा में आज भी 5200 रुपये ईंटे का है और मार्केट में कहीं भी 6500 रुपये से कम में ईंटा नहीं मिल रहा है। मनरेगा के माध्यम से कैसे खड़न्जे लगेंगे और कैसे यह सपना देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी की हम गांव में सी0सी0 रोड बनवायेंगे और इण्टरलाकिंग करवाते हुए नालियों का काम करवायेंगे। माननीय मंत्री जी को पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मटेरियल का रेट कम-से-कम एक होना चाहिए, वह चाहे बलिया हो, चाहे गाजियाबाद हो। जब कहीं 6500 रुपये, कहीं 7000 रुपये और कहीं 5000 रुपये में ईंटा होगा तो यह काम कर पाना

सम्भव नहीं है। इस व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी स्वरोजगार सेवक की है। गांव में स्वरोजगार सेवक मस्टर रोल भरता है, कार्यों पर खड़ा होता है और उसको मानदेय के रूप में मात्र 6000 रुपये दिया जाता है। हम जानना चाहते हैं कि कल ही हम इस सदन में खड़े होकर अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे, अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रहे थे और हम पढ़े-लिखे नौजवाने से गांव में 6000 रुपये में काम लेने की बात करते हैं और योजना तैयार करते हैं कि केवल 6000 रुपये गांव में उसको दिया जायेगा। इसी प्रकार से पॉलीटेक्निक करके इंजीनियर होकर हमारे बीच के नौजवान को 11,200 रुपये देकर हम तकनीकी सहायक को हर न्याय पंचायत में रखकर उससे काम लेते हैं जिससे न तो वह अपनी सुख-सुविधाओं का ध्यान रख सकता है, न बच्चों की फीस दे सकता है और न ही अपना पेट भर सकता है। ऐसी योजना के माध्यम से हम स्वर्ग बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने हर ब्लाक में 2 गांव को मनरेगा के तहत समग्र गांव करते हुए सारी सुविधाओं से युक्त करने का काम किया है। इसके पहले जब माननीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंनें लगभग 9000 गांवों को लोहिया समग्र गांव के माध्यम से संचित करने का काम किया था और 3,25,000 रुपये प्रत्येक आवास के लिए देकर गरीब को छत देने का काम किया था। आपने ऐसी कौन-सी योजना बनायी है, जिसमें गरीब को आवास दे सकें। जनेश्वर मिश्रा समग्र गांव के माध्यम से लगभग 38000 राजस्व गांवों को इस उत्तर प्रदेश में नाली, सड़क, खड़न्जा और सी0सी0 रोड से संचित करने का काम किया और सोलर लाइट देकर उस गांव में उजाला करने का काम किया।

माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पूरा बजट पढ़ने के बाद उन्हें ऐसी कोई योजना दिखायी नहीं दी जिससे कि उस तरह से गांव का विकास किया जा सके। माननीय मंत्री जी अभी मुख्य मंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे कि दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों को माननीय मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिया जायेगा। सरकार स्वयं सर्वे कराकर लगभग 60000 लोगों को चिन्हित करा चुकी है और अभी तक केवल 15000 लोगों को यह सरकार आवास दे पायी है। अभी कुछ दिन पहले बरसात हुयी, लोगों के घर गिरे, लोगों के घर बह गये और आपने 60,000 से ऊपर लोगों को चिन्हित करा लिया। लगभग 6 महीने हो गये आप केवल 15000 लोगों को आवास दे पाये हैं, माननीय मंत्री जी ने इस बात को बताने की जहमत नहीं उठायी कि 45000 लोग किस छत के नीचे रह रहे हैं ? माननीय मंत्री जी ने यह तो बताया कि मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम से मैंनें 40000 आवास का लक्ष्य रखा है। अगर पूरे 40000 आवास इस वित्तीय वर्ष में बन भी जायेंगे तब भी कम-से-कम लगभग 6000 लोग ऐसे होंगे जो बिना आवास के रह जायेंगे, उनके लिए आपने कौन-सी व्यवस्था की है? ऐसे किस मकान में रहेंगे अगर बरसात में उनका पूरा घर गिर गया है, आग से उनका पूरा घर जल गया है तो वह वर्ष 2020-21 में कहां रहेंगे ?

क्या उनको 2022, 2025, 2026 का इंतजार करना पड़ेगा? माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने 40 हजार का लक्ष्य तो ले लिया, लेकिन उसके लिए 369 करोड़ 40 लाख रुपये बजट रखा है, जबकि 40 हजार आवास बनाने के लिए 480 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। आप एक तरफ बजट का प्रावधान नहीं करते हैं, लक्ष्य देते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों के आंसू पोछने की बात करते हैं, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं करते हैं। तो आप आवास कहां से देंगे, इसको बताने का काम माननीय मंत्री जी ने नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात की और माननीय मंत्री जी ने बड़ी सफाई से बता दिया कि यह केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। माननीय मंत्री जी इतने योग्य हैं, जानकार हैं, इतने पुराने हैं कि जब हम लोग कक्षा 2-3 में पढ़ रहे थे, तब यह ब्लाक प्रमुख हुए थे, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तब यह उत्तर प्रदेश में विधायक हो गये थे, एम0एल0सी0 हो गये थे, मंत्री हो गये थे। माननीय मंत्री जी, जो प्रधानमंत्री सड़क बनती है, उसका 60 परसेण्ट पैसा भारत सरकार देती है और 40 परसेण्ट पैसा स्टेट सरकार देती है और उसके पांच साल के रख-रखाव का पैसा स्टेट सरकार देती है। जितना सांसदों का अधिकार है, उससे ज्यादा उस सड़क पर हम पैसा देते हैं। लेकिन जब उस सड़क का शिलान्यास होता है, उस सड़क का लोकार्पण होता है, तो सांसद केवल अपना पत्थर लगाकर, फीता काटकर, लड्डू खाकर उस गांव में चला जाता है और विधायक को बुलाने की जहमत भी नहीं उठाता है। शायद यह मंत्री जी के संज्ञान में नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि सत्तापक्ष के विधायकों को बुला लेते हों, लेकिन विपक्ष के किसी विधायक को कभी नहीं बुलाया जाता है, न ही शिलापट में उस विधायक का नाम डाला जाता है। जबकि गाइड लाइन में स्पष्ट है कि उस क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता में ही उस सड़क का लोकार्पण किया जायेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़कें बन रही हैं। माननीय मंत्री जी, अपने क्षेत्र की केवल दो सड़कों का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना ब्लाक में, काटूनाला से लेकर गौरी तक जो सड़क है, लगभग 4 कि0मी0 जगदीशपुर विधान सभा में पड़ती है और 5 कि0मी0 200 मीटर सड़क मेरी विधान सभा में पड़ती है। जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक आपके मंत्रि-परिषद के सदस्य भी हैं। 2 साल पहले पी0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से उस सड़क को बनाया गया और उस सड़क की स्थिति आज यह है कि उस पर रोज 5-10 एक्सीडेंट हो रहे हैं। आदमी मोटर साइकिल से गिर रहा है। आदमी बड़ी गाड़ियों को लेकर तो जा सकता है, लेकिन कार लेकर चला जाये तो वह कार सीधे सर्विस स्टेशन जायेगी, उसका चैम्बर निश्चित टूट जायेगा। इसी प्रकार से मुसाफिरखान से इसौली होते हुए पारा तक की सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से बनायी गयी है, उस सड़क में आबादी क्षेत्र में इंटरलॉकिंग लगाई गई, आज एक भी इंटरलॉकिंग सुरक्षित नहीं है। पूरी सड़क ध्वस्त हो गई है, उस मार्ग से दुर्गा पूजा के समापन पर पूर्णिमा के

दिन लगभग एक हजार मूर्तियों का गोमती नदी के किनारे विसर्जन होता है। उस सड़क की यह हालत थी कि डी0एम0 को यहां तक कहना पड़ा कि उस विभाग के अधिकारियों को जेल भेजो। जेल भेजने तक की बात हुई, फिर भी गड्ढा नहीं भरा गया, उस रोड के माध्यम से मूर्तियां नहीं जा पाईं। राम राज्य की बात करते हैं, हिन्दूवाद की बात करते हैं, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं और जिस मार्ग से एक हजार मूर्तियों का विसर्जन होता हो, उस मार्ग पर पी0एम0जी0एस0वाई के अधिकारी गिट्टी तक नहीं डाल पाये, पैचिंग नहीं कर पाये और केवल दो साल उस सड़क को बने हुआ है, पांच साल की इस सड़क को रख-रखाव करने की जिम्मेदारी होती है। इस तरह से विभाग काम कर रहा है। इस तरह से विभाग सड़कों की देख-रेख कर रहा है। पी0एम0जी0एस0वाई0 वाले सड़क बना रहे हैं, एक साल के अंदर पूरी की पूरी सड़क उखड़ जा रही है। हम जानते हैं और हम भी गांव में रहते हैं। मैं बहुत तो नहीं जानता हूँ कि कितने विधायक गांव में रहते होंगे, लेकिन मैं एक ऐसा विधायक हूँ जो अपने गॉव में रहता हूँ। किसी शहर, कस्बे और मुख्यालय पर नहीं रहता हूँ और गांव में ही परमानेण्ट टहलता हूँ। जो भी सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से बनाई जा रही हैं। एक साल के अंदर उस सड़क में ऐसे गड्ढे हो रहे हैं कि आप उस सड़क से चल नहीं सकते और पैचिंग के नाम पर इस विभाग के द्वारा सारा का सारा पैसा निकाल लिया जाता है और एक गिट्टी तक नहीं डाली जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यह योजना बहुत अच्छी है, मैं भी ब्लॉक प्रमुख था और जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। यह योजना बहुत अच्छी है इस योजना के माध्यम से गरीब मजदूर, किसान के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। नीति आप चाहे जितनी बना लीजिए लेकिन जब तक आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी तब तक किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि गांव के गरीब के चेहरे पर मुस्कान आये, आप नहीं चाहते हैं कि गांव में लोग रोजगार कर सकें। आप चाहते हैं कि वह शहरों में जाएं और शहर में व्यापारियों के बीच में रहें। वह जब व्यापारियों के बीच में रहेंगे तो वह व्यापारियों के बीच में रहकर भाजपा की बात सुनेंगे और जब भाजपा की बात सुनेंगे तो गांव में जाकर भाजपा को वोट देने का काम करेंगे, इसलिए आप पलायन कराते हैं गांव से। पलायन आप जान-बूझ कर कराते हैं, गांव में आप रोजगार नहीं देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी आपकी नीति तो सही है लेकिन यदि आपकी नीयत भी साफ है तो इस उत्तर प्रदेश में उन 10 ब्लॉकों को चयनित कर लीजिये, जिन 10 ब्लॉकों में, क्षेत्र पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से सबसे ज्यादा काम हुए हों, शासन स्तर पर कमेटी बनाकर उन 10 ब्लॉकों की जांच करा लीजिये, आपको भ्रष्टाचार का पता चल जायेगा कि इस योजना में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। आप 10 उन ब्लॉकों का चयन कर लीजिए जिन ब्लॉकों में सबसे कम पैसा मनरेगा का खर्च किया गया हो, बिलकुल

काम न किया गया हो, क्या कारण है कि उन 10 ब्लॉकों में काम नहीं हुआ है इसकी जांच भी आप शासन स्तर पर कमेटी बनाकर करा लीजिये तो आपको भ्रष्टाचार का पता चल जायेगा।

(इसी मध्य अपराह्न 03 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इसी प्रकार से मैं एक अनुरोध आपसे और करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 58 से 59 हजार ग्राम पंचायतों में केवल 100 ग्राम पंचायतें ऐसी आप चयनित कर लीजिये, जिसमें मनरेगा के तहत् सबसे ज्यादा काम हुआ हो और शासन स्तर पर कमेटी बनवा कर उनकी जांच कराइये और जांच सिर्फ काम की मत कराइये नहीं तो जवाब आ जायेगा कि तीन साल पहले मिट्टी पड़ी थी, पांच साल पहले खड़न्जा लगा था, यह सब बरसात में बह गई, तूफान आया था, मिट्टी उड़ गई, आप उन मस्टर रोलों की जांच करा लीजिये, जो मस्टर रोल सड़कों पर भरकर, उन तालाबों में भरकर, उन नाली की सफाइयों में भरकर जो मस्टर रोल भर कर एफ0टी0ओ0 किया गया है, आपके संज्ञान में आ जायेगा कि उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं बल्कि देश के बाहर वीजा लगाकर दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में काम करने वाले लोगों का मस्टर रोल यहां भरा गया और उनके नाम पर पैसा यहॉ निकाला गया है। आपको पता चल जायेगा कि जो इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया से दूसरे लोक में जा चुके हैं उनके नाम पर भी पैसा इस मस्टर रोल के माध्यम से एफ0टी0ओ0 करके निकाला गया है, आप इसकी जांच कराकर देख लीजिये। मैं जानता हूँ कि आप करायेंगे जरूर इन सारी चीजों को क्योंकि आप में इच्छाशक्ति बहुत है लेकिन आप कराने पायेंगे तभी तो करायेंगे जब इस मकड़जाल से निकल पायेंगे तब इस चीज को करा पायेंगे, इसलिए इस मकड़जाल से निकलने का प्रयास कीजियेगा। आपके विभाग की संवेदनहीनता देख लीजिये, मैं पिछली सरकार में भी विधायक था, उधर बैठता था, जब किसी भी विभाग का बजट प्रस्तुत होता था तो विभागाध्यक्ष और उसका पूरा विभाग राज्यपाल की दर्शक दीर्घा में बैठने का काम करता था। यहां न तो आपके आयुक्त बैठे हैं, न ही प्रमुख सचिव बैठे हैं, यह संवेदनहीनता विभाग के अधिकारियों की कब खत्म होगी। जब यह संवेदनहीनता इनमें रहेगी, तो इन विभागों का संचालन और गरीब के चेहरे पर मुस्कान कैसे लायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया समाप्त करें, हमने आपका सुना है, आपने बहुत अच्छा बोला है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे भी आप जब टोकते हैं तो मैं तुरन्त बैठ जाता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल एक चीज और कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी आपने विधायक निधि की बात की है, विधायक निधि ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से ही संचालित होती है। ये बी0डी0, डी0आर0डी0ए0 के लोग, जब विधायक का प्रस्ताव जाता है तो 6-6 महीने पड़ा रह जाता है और जब तक सुविधा शुल्क उनके ऑफिस में नहीं पहुंच जाती है

तब तक विधायक का प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ता है फिर चाहे सत्तापक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, यह स्थिति है इस विभाग की। नीचे से ऊपर तक, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी तक दोहन करने का काम करता है।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर देता हूँ कि जब माननीय विधायकों के प्रस्ताव आयें तो उनको बड़ी तत्परता के साथ लिया जाय और कार्रवाई की जाय।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

वही मैं कहने जा रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग जल्दी इस्टीमेट बनाकर पैसा निर्गत करने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती-

मान्यवर, जो आपका निर्देश है उसका पालन किया जायेगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आप निर्देश करिये कि विभाग 15 दिन के अंदर इस्टीमेट बनाकर पैसा निर्गत करने का काम करे (सत्ता पक्ष के मा0 विधायक श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह' के खड़े होकर कुछ बोलने पर)। आप अभी बैठिये, समर्थन में बोल लीजियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जो बजट रखते हैं, वह कम बोलते हैं और कटौती जो रखता है, वह अधिक बोलता है। आज माननीय मंत्री जी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया, लेकिन बहुत देर तक दिया, इसलिए उसका आधा तो कम से कम राकेश जी बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, आपकी बात सही है, लेकिन आज एजेण्डा ज्यादा है, कई विधेयक हैं। उसमें हम सैद्धांतिक/व्यवहारिक रूप से आप से सौ प्रतिशत सहमत हैं। इधर समय ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं तो बराबर मिलना ही चाहिए, लेकिन विषय ज्यादा हैं। आज पांच मदें इसी पर ही लगी हैं और कई विधेयक भी लगे हुए हैं। जैसा माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं और जैसी मेरी इच्छा रहती है पांच बजे तक सदन चलें, लेकिन पांच बजे क्या हम लोग सात बजे तक भी समाप्त नहीं कर पाएंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम समय का ध्यान रखेंगे। आपका आदेश मानते हुए मैं बहुत कम शब्द में अपनी बात समाप्त करूँगा और आपको मुझे दोबारा नहीं टोकना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश में ग्यारह लाख से ऊपर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनवाने की बात करते हैं। आखिर यह कौन सा आवास है? उसी इंदिरा आवास का नाम बदलकर तो प्रधानमंत्री आवास किया गया है और आप कहते हैं कि पीछे की किसी सरकारों ने आवास नहीं बनाये, केवल हमने बनाया है। माननीय मंत्री जी, पीठ के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आवास का एक लाख बीस हजार रुपया निकल जाता है (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य श्री अवधेश सिंह के अपने सीट पर बैठे-बैठे कुछ बोलने पर)। मान्यवर, जब समर्थन में बोलना, तो आप खूब अच्छे से बोलना। मैं बहुत अच्छे से बैठकर आपको सुनूंगा, लेकिन मैं जब कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दें। अवधेश भाई आप बीच में मुझे डिस्टर्ब न करें, आपको वैसे भी नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप दूसरों की न सुनें, अपनी बात रखें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मंत्री जी आप जरा इसका भी सर्वे करा लीजिये कि जो 15 से 18 हजार रुपये उस आवास के निर्माण में मनरेगा से मजदूरी दी जाती है, वह अभी तक कितनों को दी गयी है। गरीब आदमी ग्राम प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, एम0एल0सी0 और विधायकों के पास घूम रहा है कि मुझे मजदूरी मिलनी चाहिए थी, मजदूरी मेरे खाते में नहीं आयी है। उस समय सिक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, बी0डी0ओ0 किसी का भी इन्ट्रेस्ट नहीं रह जाता। इंट्रेस्ट इसलिए नहीं रह जाता, क्योंकि जो शोषण उनको करना होता है, वह पहले ही कर लेते हैं। वह पैसा उनके खाते में जाता है और वह मनरेगा के मजदूरी का पैसा मस्टर रोल के माध्यम से उनके खाते में जाता है। हमने अभी एक दिन पूछा था तो पता चला कि 76 प्रतिशत लोगों का पैसा भेजा गया है और 24 प्रतिशत गरीबों के मजदूरी का पैसा प्रधानमंत्री आवास का जो उनके खाते में जाना चाहिये, वह नहीं गया है। माननीय मंत्री जी उनके खाते में पैसा क्यों नहीं गया है और बजट में कोई ऐसी बात भी नहीं कही गयी है, इसकी भी अगर जॉच करा लेंगे, तो क्लीयर हो जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, हमने इस ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर कटौती रखा और यह बजट जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, भ्रष्टाचारयुक्त है, इसलिए मैं कटौती पर बल देता हूँ, धन्यवाद।

[03:54बजे] आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

अब मैं एक अनुरोध करने जा रहा हूँ। शेष अभी चार मदें बजट से ही जुड़ी हैं, तो कृपया जो सरकार की तरफ से माननीय मंत्रीगण बोलें, वह अपनी बात 10 मिनट में समाप्त करें। शायद मा0 नेता विरोधी दल इससे सहमत भी होंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि मंत्री जी लोग अपना बजट रख दें और कटौती पेश हो जाए, तत्पश्चात् उत्तर भाषण वह दें, तो इससे जल्दी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह भी ठीक है, हम आपसे सहमत हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय ग्राम विकास मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बोला, लेकिन बढ़िया समय लिया। मा0 अध्यक्ष जी, अगर माननीय मंत्री जी लोग उत्तर भाषण देंगे, तो जल्दी हो जायेगा। जो इधर से आपत्ति हो, उसका उत्तर वह उधर से दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, आपके प्रस्ताव से हम सहमत हैं।

ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो, तो कटौती के प्रस्ताव पर जो शंका व्यक्त की गयी, उसका उत्तर हम दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय पंचायतीराज मंत्री को बुलाता हूँ। आप दस मिनट में अपनी बात कहिये।

[03:55] वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18460,87,78,000 रुपये (अठारह हजार चार सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख अठहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, गांधी जी का सपना था कि हर गांव में पंचायत का राज हो। निःसंदेह देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है इसलिए जरूरी है कि पंचायतों के

पास पूरी सत्ता और ताकत हो। प्रदेश की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के समुचित आर्थिक एवं सामाजिक विकास से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास सम्भव है। माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में पंचायती राज विभाग प्रगति की ओर अग्रसर है। 73वें संविधान संशोधन के परिपेक्ष्य में वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देने तथा उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पंचायतों की क्षमता सम्वर्धन प्रशिक्षण का कार्य वृहद स्तर पर किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों में लगभग 01 लाख 86 हजार पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि एवं विभिन्न विभागों के अनुश्रवण के माध्यम से पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य-योजना को तैयार किया जा रहा है। पंचायतों द्वारा हस्तांतरित धनराशि के उपयोग एवं जन-समुदाय की आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए सहभागी नियोजन से वार्षिक कार्ययोजनाओं को तैयार किया जाता है। कार्य-योजनाओं के माध्यम से जनसमुदाय को मूलभूत सुविधायें यथा-नाली, खड़न्जा, पेयजल, अनुरक्षण तथा रख-रखाव के कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पादित करने का कार्य किया जाता है ताकि सामान्य सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। पंचायत स्तर पर सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र तथा जिला पंचायत में 06 समितियां गठित कर, समितियों की संस्तुति के आधार पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था की गयी है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष में 97 अरब 52 करोड़ रुपये मात्र का आय-व्ययक प्राविधानित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन योजना में 2020-2021 में हमें 07 लाख शौचालयों का निर्माण करना है क्योंकि आबादी का प्रतिशत है जिस प्रकार से आबादी की वृद्धि हो रही है वह 02 प्रतिशत के हिसाब से हो रही है तो हमें इस अभियान को पूरा करना है। 821 विकास खंडों में सेनेटरी पैड बनाने की यूनिट की स्थापना इस वर्ष करनी है, इसके लिए प्रत्येक जनपद को 10 लाख रुपये रिवाल्विंग फण्ड के रूप में दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, 30,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरे प्रदेश में करना है। प्रत्येक के लिए 02 लाख

रुपये दिये जायेंगे। 19,384 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायतों को 20-20 लाख रुपये दिये जायेंगे। इस वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक मद को सम्मिलित करते हुए 44 अरब, 59 करोड़, 19 लाख 42 हजार रुपये का आय-व्ययक प्राविधानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 410 स्थानों को चिन्हित कर अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 01 अरब रुपये का आय-व्ययक प्राविधानित किया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में कुल 25 करोड़ रुपये का आय-व्ययक का प्राविधान किया गया है। ई-गर्वनेंस हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रुपया 4 करोड़ 5 लाख का आय-व्ययक प्राविधानित किया गया है। प्रत्येक 4 ग्राम पंचायत पर एक चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रुपया 30 करोड़ का आय-व्ययक का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज योजना अभियान के अन्तर्गत पंचायतों में क्षमता सम्वर्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों के संगठनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु वर्ष 2020-2021 में धनराशि 3 अरब, 57 करोड, 58 लाख, 32 हजार रुपये का आय-व्ययक प्राविधानित किया गया। जिला पंचायतों में कांजी हाउस के पुनर्निर्माण एवं स्थापना हेतु वर्ष 2020-2021 में 26 करोड़ रुपये का आय-व्ययक प्राविधानित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व मद में कुल 176 अरब, 86 करोड़, 48 लाख, 24 हजार रुपये तथा पूंजीगत मद में रुपये 3 अरब, 15 करोड़, 93 लाख, 59 हजार रुपये इस प्रकार कुल 182 अरब, 2 करोड़, 31 लाख, 83 हजार मात्र वित्तीय वर्ष 2020-2021 में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये प्राविधान किया गया है। मान्यवर, प्रदेश की सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की प्रगति को और उसके आधारभूत ढॉचे को सशक्त बनाने के लिये संकल्पित है। मैं विभाग के सभी अधिकारियों का और माननीय राज्य मंत्री जी का इस बजट के लिये उन्होंने जो सहयोग दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं और विनम्रतापूर्वक 2020-2021 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक समय पर अपनी बात रखी। एक मिनट मैं इधर से बुलवा दूं लगे हाथ, फिर आप लोग इकट्ठे बोलिये।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है रखिये।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

समय का ध्यान रखियेगा। मंत्री जी ने बहुत सही समय में अपनी बात रखी है।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं और इन्होंने पंचायती राज विभाग का बजट रखा। जिस तरह से आपने बजट रखा ऐसा लगा कि वाकई कोई सारी योजनाओं को खाली रुपये में गड़कर बता दिया गया लेकिन धरातल पर कौन सी योजना कैसी चल रही है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। आपने जिक्र किया महात्मा गांधी जी की सोच का, कि महात्मा गांधी जी की सोच थी कि गांव में खुशहाली आये, गांव की जनता मजबूत हो, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पूरे बजट में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इससे गांव की जनता खुशहाल होगी या मजबूत होगी। हमारे आदर्श माननीय राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और श्री अखिलेश सिंह यादव जी भी कहते हैं कि ग्राम खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा और इसीलिये जब-जब सरकारें समाजवादी पार्टी की बनी या रहीं तो उन्होंने ग्रम सभाओं को, ग्रामों को मजबूत करने के लिये ग्राम में रहने वाले लोगों के लिये क्योंकि 80 प्रतिशत जनता आज भी गांव में निवास करती है, उनको मजबूत करने के लिये विभिन्न योजनाएं चलाईं। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात से अपना आंकलन कर सकते हैं कि 1945 और 1947 में चीन और जापान ने आजादी हासिल की थी और लगभग उसी समय हमारा हिन्दुस्तान भी आजाद हुआ था लेकिन आप तुलना करके देख लीजिये कि चीन और जापान कहां खड़ा हैं और हम लोग कहां खड़े हैं। आज हम लोग यहां पर खड़े हैं कि हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग अपने गांव में अच्छी सड़कें नहीं दे सकते, आज हम अपने गांवों में लोगों को पक्की छत नहीं दे सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम अपने गांव में लोगों को पक्की छत तक नहीं दे सकते। पंचायत राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग दोनों लगभग-लगभग मिलते-जुलते हैं और दोनों की योजनायें एक साथ मिलकर के एक-दूसरे से संबद्ध होकर चलने का काम करती हैं। गांवों में रहने वाले लोगों के लिए मात्र 1 लाख 20 हजार का मकान दे रहे हैं। आज इस महंगाई के युग में 1 लाख 20 हजार रु0 में क्या होता है? इस समय आप सीमेन्ट के रेट देख लीजिए, लोहे के रेट देख लीजिए, बजरी के रेट देख लीजिए, हमारे पश्चिम में एक कहावत है कि 1 लाख 20 हजार रुपये में तो गाय और भैंस का कमरा भी नहीं बनता तो मकान क्या बनेगा? गांवों में सड़कों का बुरा हाल है, गांवों में आज भी कीचड़ भरे रास्ते हैं। पहले गांवों में पक्की सड़कें और सी0सी0 की सड़कें बना दी जाती थीं, लेकिन आज उनको भी बैन कर दिया गया है। ग्राम सभा के पास इतना पैसा नहीं होता कि आज वह सी0सी0 सड़कें बनाने का काम कर सकें। मैं आपके माध्यम से सुझाव रखना चाहता हूं कि पूर्व की भांति गांवों में पक्की सी0सी0 सड़कें जिला पंचायत के माध्यम से बना दी जायें, जिससे ग्राम सभाओं की पोजीशन अच्छी हो सके। जिला पंचायत के माध्यम से आज प्राविधान किया गया है कि दूसरे गांवों की बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा आज पूरे प्रदेश की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनपद बिजनौर के हालात से मैं काफी अच्छी तरह वाकिफ हूं कि जिला पंचायत की योजना के माध्यम से गांव से गांव को जोड़ने के लिए सी0सी0 रोड, डामर रोड नहीं बनायी जा रही हैं, बल्कि खड़ंजे लगाने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तेजी आयेगी। हमारे नेता जी कहते हैं कि **इफ यू डबल द स्पीड, यू कैन ग्रो फोर टाइम्स ऑफ द स्पीड** "If you double the speed, you can grow four time's of the speed." अगर हम स्पीड को डबल कर दें तो हमारे अनुसार उसकी उपयोगिता भी बढ़ जायेगी, लेकिन एक तरफ तो यह आपकी सरकार का प्राविधान है और दूसरी तरफ गांव को गांव से जोड़ने के लिए आज सिर्फ खड़ंजों का कार्य किया जा रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गांव में गौशाला बनायी जायें। ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों के माध्यम से गायों को संरक्षित किया जाए, उनको रखा जाए, लेकिन आज मात्र 30 रु0 एक गाय के पेट भरने के लिए दिये जा रहे हैं।

इस महंगाई के दौर में 30 रु0 में कैसे गाय का पेट भरा जा सकता है, वहाँ पर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए भी आपने कोई प्राविधान नहीं रखा है, उनका कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है। चारे और भूख की वजह से वहाँ जो गायें रखी गयी हैं, वह दिन-प्रतिदिन कितनी ज्यादा मर रही हैं, यह पेपर और मीडिया के माध्यम से पता चल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम 30 रु0 से बढ़ाकर कोई ऐसी धनराशि फिक्स कर दी जाए, जिससे कि उनका आराम से पेट भरा जा सके। सरकार ने पूरे उत्तर

प्रदेश में शौचालय बनाकर के यूडीएफ घोषित करने का काम कर दिया, उनका नाम भी बड़ा अच्छा ''इज्जत घर'' रख दिया, लेकिन इज्जत घर में जाते हुए डर लगता है कि बेइज्जती कब हो जाये। मात्र 12 हजार रुपये में जब वह शौचालय बनकर तैयार होता है तो न तो उसमें पर्याप्त जगह होती है कि आदमी बैठकर उसमें शौच कर सके न इतनी अच्छी दीवारें होती हैं। कई बार ऐसी घटनायें घटी हैं कि लोग अन्दर गये और पता चला कि उसकी दीवार गिर गयी। उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इतनी गन्दगी रहती है। मैं अपनी ओर से और आप सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से भी कहना चाहता हूं कि 12 हजार रु0 में ऐसा अच्छा शौचालय नहीं बन सकता जिसे कि आप इज्जत घर का नाम दे सकें। अभी आपने अपनी योजना में जिक्र किया कि आप लोग शुलभ शौचालय बना रहे हैं, उसमें भी मात्र 2 लाख रुपये दे रहे हैं। 2 लाख रुपये में किस तरह का शुलभ शौचालय होगा? क्या पानी की व्यवस्था होगी या नहीं होगी? उसके बाद क्या सफाई कर्मचारी होगा या नहीं होगा? पानी की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो वह शौचालय एक बार सुबह तो कोई यूज कर सकता है, लेकिन पानी डालने के बाद उसे कोई पूरे दिन यूज नहीं करेगा, बल्कि गन्दगी और बढ़ेगी, गांव में बीमारियां फैलेंगी, इसलिए अगर शुलभ शौचालय बनाना भी है तो जब तक पूर्ण व्यवस्था न की जाए तब तक शुलभ शौचालय बनाने का कोई मतलब नहीं उठता।

शुलभ शौचालय बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह से सफाई कर्मी आज गांव में सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। आपकी सरकार यह प्रचार करती है कि हर गांव में सफाई कर्मी है। हर राजस्व गांव में सफाई कर्मी है । आप जाकर पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए पहले तो लोग अपने घर का कूड़ा खुद उठाकर फेंक देते थे, अपने घरों के रास्ते खुद भी साफ कर लेते थे। लेकिन जब से सफाई कर्मी रखने की बात ग्राम सभा में हुई है तब से कोई खुद तो सफाई करता नहीं है इस तरह से इतना कूड़ा गांव में इकट्ठा हो जाता है कि नालियां चोक हो जाती हैं, रास्ते गन्दे हो जाते हैं, कि सफाई कर्मी आएगा और सफाई कर्मी कूड़ा उठाएगा । इस तरह से बीमारियां फैलती हैं, रोज आए दिन नई नई बीमारियां पनप रही हैं और जो संख्या आपने वहां पर रखी है आपने अब तक जितने सफाई कर्मियों को नियुक्त किया है उनका भी मानदेय बढ़ाने की जरूरत है जिससे वह तन मन से काम कर सकें। आज एक और इसमें भ्रष्टाचार फैला है मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी जाति के लोगों ने सफाई कर्मचारी के नाम पर एप्वाइंट तो हो गए।

श्री अध्यक्ष-

बुलेट प्वाइंट पढ़ दीजिए।

श्री मनोज कुमार पारस-

लेकिन मौके पर वह सफाई कर्मी सफाई करने नहीं जाते हैं। बल्कि अपने एवज में उन्होंने पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को रख रखा है वह उसके बदले में जाकर सफाई करते हैं और पैसा उनके नाम पर निकालने के बाद बन्दरबांट किया जाता है। इसकी आप जांच करा लें। इसी तरह आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक तरफ तो पंचायतों के अधिकार बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन आज ग्राम प्रधान की क्या हैसियत है ग्राम प्रधान जब ब्लाक में जाता है तो वहां के कर्मचारी उसको नौकर की हैसियत से देखते हैं जबकि वह जनप्रतिनिधि होता है ।वह जब जाता है उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है यहां तक ग्राम का सेक्रेट्री भी उसकी बात को प्राथमिकता नहीं देता है। प्राथमिकता जब नहीं देता है तो उसके खाते से भी अपनी मनमर्जी से पैसे निकाल लेता है। और कोई विकास कार्य नहीं कराता है। आपने जिक्र किया कि पानी पीने की व्यवस्था गांव में ग्राम सभा करेगी। किस तरह से करेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि जब भी विधायकगण नलों की मांग करते हैं तो नल आपकी सरकार नहीं देती।

जब नल नहीं लगेंगे पानी की टंकी का कोई जिक्र नहीं है अगर आप पानी की टंकी देंगे तो उसका प्रारूप क्या होगा उसके ऊपर ग्राम सभा को क्या अधिकार देंगे कि पानी की टंकी बनने के बाद क्या पानी की कीमत वसूली जाएगी। क्या मीटर लगेंगे क्या जब वहां पर टंकी बनाई जाएगी तो उसका रख-रखाव कैसे किया जाएगा आप नगर निगमों और नगर पालिकाओं में देखते होंगे कि जगह जगह लीकेज हो जाती है नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं में इतना बड़ा स्टाफ होता है उसके बाद भी वह लीकेज ठीक नहीं हो पाती । अगर टंकी बनाने का प्राविधान सरकार करना चाहती है पीने का पानी देना चाहती है तो इन सारी चीजों का प्राविधान आपको करना पड़ेगा। तभी आप सक्सेज हो पाएंगे तभी हम लोग गरीब आदमियों को पीने के पानी की व्यवस्था सुचारूप रूप से दे सकेंगे। इसलिए अध्यक्ष जी आप देख रहे होंगे कि नगर निगम में चुनाव सीधे जनता से कराया जाता है लेकिन आज ब्लाक प्रमुख का और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है और वह सदस्य मिलकर फिर ब्लाक प्रमुख चुनते हैं या जिला पंचायत का चेयरमैन चुनते हैं लेकिन उसमें किस तरह से पैसों का आदान प्रदान होता है कितना भ्रष्टाचार होता है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार गरीबों के प्रति ईमानदार है निष्पक्ष है और चुनाव को निष्पक्ष बनाना चाहती है तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह ब्लाक प्रमुखी के चुनाव और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से क्यों नहीं करा सकते। अगर जनता से कराएगी तो पैसे का लेन देन खत्म हो जाएगा और जो मुकदमें एक दूसरे के खिलाफ लिखे जाते हैं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उन सब पर भी रोक लगने का काम होगा। मैं आपके माध्यम से इन्हीं सारे प्रस्तावों पर बल देते हुए आपसे कहना चाहता हूँ ग्राम प्रधान क्षेत्र

पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी जनप्रति होता है उसका भत्ता बढ़ाने का मानदेय बढ़ाने का काम करें । अगर यह सारी बातें हो जाएंगी तब तक विचार रखेंगे कि आपकी सरकार कहीं न कहीं इन सबके प्रति हमदर्द है लेकिन मैं जानता हूँ कि इन सबको करने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी।

जो इस सरकार में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार खाली राम राज्य का दिखावा करती है, खाली ढोंग करने का काम करती है। इसी के साथ मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर जोर देते हुये अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। यह जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की मदें हैं क्या यह एक साथ रखी जा सकती हैं ?

***चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)**-

मान्यवर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण दोनों विभाग मेरे ही पास हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो दोनों मदें एक साथ रख दीजिये।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, 03 मदें हैं जो मेरे विभाग से संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो आप तीनों को एक साथ रख दीजिये और उन पर एक साथ बोल दीजिये, लेकिन मिनट 10 ही रहेंगे। (हंसी) आप देख रहे होंगे कि मद संख्या-77 के अन्तर्गत 03 मदें हैं जो आपके विभाग से संबंधित हैं।

श्री जय प्रताप सिंह-

मान्यवर, मद संख्या-77 के अन्तर्गत 3, 4 तथा 5 हैं, हम तीनों पर एक साथ बोल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप तीनों को एक साथ रख दीजिये। इधर से जो मित्र कटौती प्रस्ताव रखेंगे वह भी तैयार रहें कि तीनों को एक साथ करना है और 08 मिनट में करना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[04:16 बजे] अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

***चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9230,34,35,000 रुपये (नौ हजार दौ सौ तीस करोड़ चौंतीस लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

[04:16 बजे] अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

***चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6629,43,45,000 रुपये (छः हजार छः सौ उन्नतीस करोड़ तैंतालीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

[04:16 बजे] अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

***चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 894,86,88,000 रुपये (आठ सौ चौरानवे करोड़ छियासी लाख अट्ठासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे विभाग की पूर्व से चली आ रही एक बहुत बड़ी व्यवस्था का एक छोटा सा सारांश मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश में 174 जिला चिकित्सालय, 853 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6021 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 27 ट्रॉमा सेन्टर, 29 प्लास्टिक तथा बर्न यूनिट, 35 सौ शैय्या मातृ-शिशु चिकित्सालय, 20,521 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 403 ब्लड बैंकों की इस पूरी व्यवस्था के साथ 23 करोड़ की आबादी की चिन्ता करते हुए उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये हम संकल्पित हैं। इसके साथ में मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये 2200 वाहन 108 के तथा 2270 एम्बुलेंस 102 के निरन्तर एक समय सीमा के अन्दर काम करते हैं। 250 ए0एल0एफ0 के एम्बुलेंस भी हैं और लगभग 170 मेडिकल मोबाईल यूनिट जो 53 जनपदों में अलग-अलग गांवों में जाने के लिये दिये जाते हैं। इसके साथ में जिला अस्पतालों में 52 जनपदों में सी0टी0 स्कैन मशीन जो पी0पी0पी0 मॉडल पर अभी चल रही हैं, बाकी मशीनें भी पी0पी0पी0 मॉडल पर लगाने की तैयारी है।

40 जनपदों में हीमो डायलिसिस सेन्टर भी चल रहे हैं जिसमें लगभग 5,038 मरीजों की जान बचायी जा चुकी है। एम0आर0आई0 की सुविधा के लिए दो मशीनें अभी फिलहाल लगायी गयी हैं उसको भी पी0पी0पी मॉडल पर आगे लगाने का प्रस्ताव है और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए आज के दिन हमारे पास 12,395 चिकित्सक, 4,578 नर्स, 7,756 फार्मासिस्ट, 934 एक्सरे टैक्नीशियन, 1846 लैब टैक्नीशियन, 15264 ए0एन0एम0 और लगभग एक लाख से ऊपर आशा वर्कर उपलब्ध हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जहां आवश्यकता पड़ती है या जहां भी कमी पड़ती है हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर उनको उन जगहों पर भरने का प्रयास करते हैं चाहे वह डाक्टर हो, चाहे वह फार्मासिस्ट हो और चाहे वह ए0एन0एम0 हो। बहुत से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दूर-दराज इलाकों में बने हुए हैं और ऐसे 321 सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं जहां पर हमने टेली रेडियोलाजी के माध्यम से 2.8 लाख मरीजों को लाभ पहुँचाया है और उसी तरह हमने टेली मेडिसीन के माध्यम से 1.48 लाख मरीजों को लाभ पहुँचाया है। डाक्टर की कमी के नाते इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किसी तरह जनता को पूरी व्यवस्था दे रहे हैं। केन्द्र से संचालित बहुत सारे कार्यक्रम हमारे प्रदेश के मरीजों के लिए जो चल रहे हैं जिसमें फ्लोरोसेस की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 10 जनपदों में चलायी जा रही है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 10 जनपदों में कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज हृदयघात की रोकथाम एवं नियत्रंण कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चलाये जा रहे हैं। क्षय नियत्रंण कार्यक्रम, अन्धता नियत्रंण कार्यक्रम, संचारी रोग नियत्रंण कार्यक्रम तथा बुर्जुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चलाये जा रहे हैं। 56 जनपदों में नियत्रंण कार्यक्रम गतिमान हैं इसके अतिरिक्त नेशनल ओरल हेल्थ कार्यक्रम भी प्रदेश के 36 जनपदों में चलाये जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने एवं कुपोषण से बचाव के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जननी सुरक्षा के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों की संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये और बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाली महिलाओं, घरेलू प्रसव कराने हेतु रु0 500 सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में आशा कार्यकत्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन एवं प्रसव उत्तर सभी सेवायें उपलब्ध कराती हैं जिसके लिए ग्रामीण आशा बहू को रु0 600 तथा शहरी आशा बहू को रु0 700 मानदेय दिया जाता है।

महोदय, मातृ शिशु कल्याण के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें दी जाती हैं तथा उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है। गर्भस्व से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियां जैसे पोलियो, टी0बी0, गला घोट, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाईटिस-बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा एवं डायरिया से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में नियमित टीकाकरण कराया जा रहा है। प्रदेश के 73 जनपदों के 725 विकास खण्डों में सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान 4 चरणों में 02 दिसम्बर, 2019, 06 जनवरी, 2020, 03 फरवरी, 2020 और 02 मार्च, 2020 को चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रथम चरण में निर्धारित लक्ष्य 54 हजार 986 के सापेक्ष 7 हजार 234 बच्चों और कुल निर्धारित लक्ष्य 1,29,480 के सापेक्ष 1,29,611 गर्भवती महिलाओं को आच्छादित किया गया है। नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर नवजात शिशु सेफ्टीकरण इकाई सिन्स न्यू बॉर्न कॉर्नर यूनिट एस0एन0सी0ओ0 और एन0सी0यू0 इकाई पुनर्वास केन्द्र करमबद् रूप से स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में आशा बहू द्वारा गृहभ्रमण आधारित होम बेस न्यू बॉर्न कॉर्नर कार्यक्रम सभी जनपद में संचालित किए जा रहे हैं।

परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में प्रजनन दर को 2020 तक 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। देश के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के परिवर्तन में युवाओं की अहम भूमिका होती है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जाता है जिसमें 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों को फियर एजुकेटर के माध्यम से उनको कई प्रकार की बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वास्थ्य विभाग की जो पूरे देश में चलाया जा रहा है वह 23 सितम्बर, 2018 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान भारत को लान्च किया गया था। जिसमें हर एक परिवार को पांच लाख के बीमा का कवर दिया जायेगा। जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख लोगों को चिन्हित किया गया जिसमें 90 लाख लोगों का कार्ड बन चुका है, सेट सूची में जो छूटे हुए लोग थे, उनका पुनः सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री जन आयोग्य योजना के अन्तर्गत 8 लाख 43 परिवारों को चिन्हित किया गया जिसमें 43 हजार कार्ड अभी तक बन चुके हैं, शेष जितने भी कार्ड हैं वह अभी जल्द से जल्द बनाया जायेगा हर एक जनपद में। इसके बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम जो अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 फरवरी को प्रारम्भ किया गया था मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। इस मेले के अन्दर हर एक पी0एच0सी0 में 3504 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह मेला लगाया जा रहा है। 4 मेलों के अन्दर हम लोगों ने 17 लाख मरीजों को देखा और 17 लाख मरीजों के हिसाब से एक-एक मरीज को अलग-अलग करके उनका पूरा डाटा बेस बनाकर उनकी इस

तरह से उपचार करने की व्यवस्था की और इसी के साथ-साथ 1 लाख 31 हजार गोल्डन कार्ड भी साथ में हमने बनाकर जनता में इसकी जागरूकता पहुंचाई है।

मान्यवर, हमारा स्ट्रक्चर यह है जिसमें हमने आपको इसका मूल बताया कि कितने हमारे अस्पताल है कितना हमारा स्टाफ है कौन-कौन सी योजनायें है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और 23 करोड़ की आबादी को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम जानते हैं कि हमारे विभाग में बहुत सारी कमियां है, हम जानते हैं कि हमारे जितने आज भवन बने हुए हैं, ऐसे भी भवन हैं जो आज तक बनने के बाद उसमें क्रियाशील नहीं हो पाया, किसी के दरवाजे उखाड़ दिये गये, किसी में भैंस बांधा हुआ है, यह सारी कमी हम जानते हैं।

हम जानते हैं कि हमारे जिला चिकित्सालय में जर्जर भवन भी हैं, आवास के भवन भी जर्जर हैं, हमारी डाक्टर्स की कमी की वजह से बहुत सारी कमियां हमारे अन्दर हैं। हमारी बहुत सारी मशीनें भी नहीं चल रही हैं, इसके बावजूद भी यह जो बजट हमने प्रस्तुत किया है हमारा इरादा भी है और हमारा संकल्प भी है कि ये सारे चीजों को हम पहले ठीक करेंगे जितने भी भवन हमारे जर्जर हैं, जितने भी डाक्टर की कमी है और जितने भी स्टाफ की कमी है उन सब कमी को पूरा करते हुए हम बेहतर चिकित्सा सेवा जनता को प्रदान करेंगे। हमारे बहुत सारे चिकित्सालयों में पैथालाजी के 100 से अधिक जाचें हमारी फ्री हैं। सी0एच0सी0 पर हमारी बहुत सारी जांचे फ्री हो गयी हैं। इन सारी व्यवस्था को लेकर आगे भविष्य को लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्दर हम जानते हैं कि हमको ये सारी सेवायें एक साल के अन्दर ठीक करके एक बेहतर सेवा हमको उत्पन्न कराना है उसके लिए हम संकल्पित हैं। यही बात मैं कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मनोज जी समय का ध्यान रखियेगा, माननीय मंत्री जी ने कम समय में ही कहा है।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-36- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया और देश कहता है कि भगवान के बाद यदि धरती पर कोई ईश्वर है तो वह चिकित्सालय और चिकित्सक होते हैं। गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीज जब अस्पताल में रोते, बिलखते, तड़पते अस्पताल में जाते हैं तो सामने बैठा हुआ चिकित्सक उसे भगवान नजर आता है और उसे लगता है कि उसका यह भगवान उसके जीवन को बचाने का काम करेगा, लेकिन यह विडम्बना है कि आजाद भारत में आज दो तरीके के मरीज हैं। एक गरीब मरीज है और एक अमीर मरीज है। माननीय अध्यक्ष जी, अमीर मरीज को यदि सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में इलाज नहीं मिल पायेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वह सहारा, एम्स ओर मेदांता में पहुंच जायेगा लेकिन आज सवाल बड़ा है उस गरीब मरीज के लिए जो अपने गांव से चलकर उस पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में जाता है लेकिन आज यह स्थापित सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 के नाम बदल कर यदि हम रिफरल हास्पिटल कर दें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ से मरीज का उत्पीड़न शुरू होता है और वहाँ से मरीज को तुरन्त जिला अस्पताल रिफर कर देते हैं और कभी-कभी जिला अस्पताल वाले भी वहाँ से के0जी0एम0सी0 और पी0जी0आई0 रिफर कर देते हैं। चाहे कितनी बड़ी बातें इस बजट में कर ली जायें और चाहे कितने सपने इस बजट में देख लिये जायें लेकिन जहां से हमने अपनी बात की शुरूआत किया है यर्थाथ वही है कि जब तक उस गरीब को उस गांव से जुड़ी हुई सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में सही इलाज नहीं मिल पायेगा और उस व्यवस्था में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक उस गरीब मरीज की सेवा और मदद नहीं हो सकती है। अब क्या परिस्थितियां हैं। मा0 मंत्री जी ने अपने आंकड़ों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) की संख्या 22000 बताई है लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि इस बजट में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत, सुदृढ़, आधुनिक और मशीनों से युक्त करने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है और आपने उसमें कितना बजट दिया है।

आज स्थिति यह है कि सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 में डाक्टर्स नहीं हैं, आज स्थिति यह है कि जो नये सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 वर्ष 2016 में बने थे उसमें आधे से ज्यादा स्टाफ नहीं है, अगर सिटी स्कैन मशीन खराब है तो वह खराब पड़ी हुई है,

अल्ट्रासाउण्ड मशीन बिगड़ी हुई है तो वह बिगड़ी हुई है, एक्सरे मशीनें अगर खराब हैं तो या तो उनको बनाया नहीं गया है अथवा नई मशीनें लाई नहीं गई हैं, तो जब तक उस ग्रामीण क्षेत्र की सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 को इस बजट में सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था नहीं की जायेगी और वहाँ पर अनुमन्य स्टाफ की उपलब्धता की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक स्वास्थ्य सेवायें कभी बेहतर नहीं हो सकती हैं। आज बात होती है, चर्चा भी होती है और मा0 मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि डाक्टर्स की कमी है और अच्छे डाक्टर्स की भी कमी है। क्या कारण है कि आपके पास अच्छे डाक्टर्स की कमी आ गई अथवा अच्छे डाक्टर्स आपको छोड़कर जा रहे हैं। क्या कभी स्वास्थ्य विभाग ने इसकी चिन्ता की है कि जो अच्छे फिजीशियन हैं, जो एम0डी0 मेडिसिन हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वह आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इस पर चिन्ता करनी होगी और इसी बजट में चिन्ता करनी होगी और व्यवस्था देनी होगी कि वह अच्छे डाक्टर सरकारी हास्पिटल को छोड़कर ना जायें, उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, उसे विस्तार से देखना होगा। हमें देखना होगा कि क्या इस बजट में हमने उनकी सुविधाओं और वेतनवृद्धि पर कोई विचार किया है। आज एक बड़ी चिन्ता का विषय है कि अच्छे चिकित्सकों की कमी होती जा रही है, ज्वाइन करने के एक साल, दो साल और पांच साल बाद वह सहारा और मेदांता जैसे बड़े प्राइवेट हास्पिटलों में नजर आते हैं। जहां तक चिकित्सकों की कमी का सवाल है तो इस कमी को कौन पूरा करेगा, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि एक सी0ए0सी0 और पी0एच0सी0 एक डॉक्टर और दो नर्स चला रही हैं। मैं आगे उनके उदाहरण दूंगा। वह सुबह एक हॉस्पिटल को देखती हैं और दोपहर में दूसरे हॉस्पिटल को देखती हैं। अगर हम एक महीने का विवरण निकलवा लें तो एक भी मरीज उन हॉस्पिटलों में एडमिट नहीं हुआ है और एडमिशन जीरो है। आज यह चिन्ता का विषय है। जब माननीय मंत्री जी चिन्ता नहीं करेंगे कि हमारे जो पुराने हॉस्पिटल बने हुए हैं उनका कैसे सुधार करें तथा कैसे मजबूत कर दें तो नये हॉस्पिटलों का प्राविधान बजट में करना यह कोरी कल्पना है, झूठ है और जनता को बेवकूफ बनाना है तथा उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना है। आपने कह दिया कि हम नई बिल्डिंग बनायेंगे और नये विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपकी कृपा चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी 36 मिनट बोले हैं मैंने नोट किया है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने 36 मिनट नहीं बोला है 11 मिनट बोला है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक नीचे के हॉस्पिटल मजबूत नहीं होंगे और नीचे के हॉस्पिटलों का शुद्धिकरण नहीं होगा तथा नये उपकरण नहीं लगाये जाएंगे तथा रोक

नहीं लगायी जाएगी तो यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। आज प्राइवेट डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं न कहीं बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। वही डॉक्टर जो जिला अस्पताल में बैठता है वह मरीजों से दूसरी तरह से पेश आता है, लेकिन माननीय मंत्री जी माफ करिए जब वही डॉक्टर अपने प्राइवेट किसी मेडिकल स्टोर में बैठता है तो वह मरीजों के साथ दूसरी तरह से ट्रीटमेंट करने का काम करता है। जब हम समता और समानता की बात करते हैं तो समता और समानता उस डॉक्टर के आचरण तथा व्यवहार पर भी अंकुश लगाने का काम करता है और प्राइवेट व्यक्ति पर भी अंकुश लगाने का काम सरकार को करना होगा। जब सवाल है कि हम तमाम आंकड़ों को अगर देखें तो आज राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर के क्या आंकड़े हैं ? हमारा यह दुर्भाग्य है कि 7.2 जब हम यह आंकड़ा लेते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में 8.9 है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा मृत्यु के आंकड़े हैं। मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। जहां तक चिकित्सकों की कमी का सवाल है तो आज हम कहेंगे कि प्रोफेसर 7 मेडिकल कॉलेज में 100 होने चाहिए उसमें केवल 5 भरे गये हैं। रीडर का सवाल आता है तो वह 140 होने चाहिए। आज यह 32 हैं। समूह-'ग' की भर्ती रूकी हुई है। उसमें भर्ती नहीं हो पा रही है। अगर भर्ती नहीं हो पायेगी तो आप कैसे इस कमी को पूरा करेंगे। नकली दवाएं आज बाजार में बहुत बड़ी चुनौती है। आज कहीं न कहीं मानव स्वास्थ्य जीवन के लिए नकली दवाएं चुनौती बनकर के उभरी हैं। जिस तरह से आज बाजारों में नकली और खराब कम्पनी की दवाएं बिक रही हैं, इसमें कुछ सरकारी अस्पताल में बैठे डॉक्टर्स भी उन दवाओं को लिख रहे हैं और प्रेसर बना रहे हैं कि आप इन दवाओं को खरीदने का काम करिए। कहीं न कहीं यह सब एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। मान्यवर, हम कहना चाहता है कि आज जब पूरा विश्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जब बात मानव जीवन के स्वास्थ्य की कर रहा है और दूसरा एजुकेशन की बात कर रहा है। एजुकेशन तो वह तब लेगा जब वह जीवित रहेगा। मान्यवर, यह आज बड़ी चुनौती है। आज डेंगू जैसी महामारी आ गयी है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा निकल कर आ रही है। बड़े-बड़े संक्रामक रोगों से आज उत्तर प्रदेश घिर रहा है। जब स्वास्थ्य को लेकर हमारे सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं तो उस समय स्वास्थ्य विभाग का जो यह बजट आया है यह बहुत निराशाजनक है। यह बहुत निराशाजनक है इस पर चर्चा क्यों नहीं की गयी? अगर यह चर्चा नहीं की गयी तो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के साथ यह सीधा धोखा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और आपको देखना होगा कि जब तत्काल चिकित्सा का सवाल आया है तो इसी उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश को एक लकीर देने का काम किया। 108, 102 एम्बुलेंस उनके दरवाजे जाकर के उस गरीब मरीज को लाकर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मेडिकल कॉलेजों में सुधार करने के लिए जिला अस्पतालों में 24 घण्टे निर्बाध बिजली देने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 के निर्माण का कार्य वर्ष 2012-17 में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। 15 लाख की वह गाड़ी एम्बुलेंस जब उस बूढ़े गरीब कमजोर के घर उसकी मां, बच्चे को लेकर अस्पताल तक आती थी। तो उसको पहली बार ऐसा लगा कि समता भी है और समानता भी है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज भेद खत्म होना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच में इलाज का भेद खत्म होना चाहिए और मान्यवर, इसी सदन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया था जब मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार का सवाल उठाया था। और आँकड़ों में भी आया और उन्होंने स्वीकार किया कि एन0टी0पी0सी0 होने के कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट पूरे उत्तर प्रदेश में ऊँचाहार में हुये। एन0टी0पी0सी0 की सात सौ गाड़ियाँ रोज निकलती हैं। एन0टी0पी0सी0 में इतना बड़ा ब्वायलर का ब्लास्ट हुआ लोग मारे गये। 300 लोग एक साथ घायल हुये थे, 73 लोग मरे थे। उस समय हमने सी0एच0सी0 की हालत देखी थी। इसी सदन में मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि ऊँचाहार सी0एच0सी0 में अगर हम ट्रामा सेंटर नहीं कर सकते तो ट्रामा सेंटर जैसी सुविधायें दे देंगे। इसी सदन में मैंने कहा था कि वर्ष 2016-17 में तीन सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 हमारी विधान सभा में मानक के अनुसार बनी। हनुमान गजरोनिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी एक पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। एक डाक्टर जाता है दो घण्टे में चला आता है। दिनसा गौरा के गौरा हरके में अस्पताल बना एक नर्स और एक डाक्टर पर चल रहा है। और जलालपुरधई में उसी ब्लाक में दिनसा गौरा के 40 किमी0 दूर उस गरीब बस्ती में गंगा किनारे बने हुये अस्पताल में आज तक ताला बन्द है। मा0 मंत्री जी ढाई साल हो गया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 राकेश जी की बात का समर्थन करना चाहता हूँ कि परम्परायें वही होनी चाहिए जो इस सम्मानित सदन की थीं कि जब हाउस में कम से कम जब बजट जैसे

महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो और उस विभाग के अधिकारी यहां पर न रहें यह कहीं न कहीं विधान सभा की गरिमा का हनन करने का भी काम करता है और कमजोर भी करने का काम करता है। इसको ठीक करने की जरूरत है। हम लोग भी मंत्री थे, कृषि मंत्री थे जब बजट होता था तो उस विभाग के अधिकारी यहां उपलब्ध हुआ करते थे। क्वेश्चन में बैठे रहते थे। आज वह परम्परायें कमजोर की जा रही हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा की नियमावली कहती है कि हम लोग दीर्घाओं का संज्ञान नहीं लेते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव पर दो मिनट बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कटौती प्रस्ताव पर आपका नोटिस नहीं है। प्रतिपक्ष ने मिलकर आप लोगों ने तय किया है। तो क्या नियम तोड़ दें। आप वरिष्ठ नेता हैं। मैं मा0 उप मुख्यमंत्री जी का नाम लेता हूँ कि वह एक साथ अपनी मदें रख दें।

[04:43 बजे] अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2863,44,33,000 रुपये (दो हजार आठ सौ तिरसठ करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[04:43 बजे] अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन)

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 159,16,16,000 रुपये (एक सौ उनसठ करोड़ सोलह लाख सोलह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[04:44 बजे] अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 350,00,00,000 रुपये (तीन सौ पचास करोड़ रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[04:45 बजे] अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2597,31,00,000 रुपये (दो हजार पांच सौ सत्तानवे करोड़ इकतीस लाख रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[04:46 बजे] अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 21835,44,50,000 रुपये (इक्कीस हजार आठ सौ पैंतीस करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व वाली सरकार का वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें लोक निर्माण विभाग का कुल बजट है उसमें उनतीस हजार चार सौ अड़तालीस करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। मैं सभी को एडवांस में होली की शुभकामनाएं भी देता हूँ और एक शुभकामना देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि जो आशा है वह निराशा में नहीं बदलेगी।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोका-टोकी करने पर)

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस घोषणा के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि 05 करोड़ नहीं, मा0 सदस्य पुल को लेकर, नव-निर्माण को लेकर, सुधार को लेकर प्रस्ताव देंगे। नव वित्तीय

वर्ष में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को 10 करोड़ रुपये की धनराशि दूँगा। (मेंजे थपथपाई गयीं)। आप लोग 10 करोड़ रुपये की सीमा के अंदर प्रस्ताव दीजिएगा लेकिन उसमें सिर्फ नव-निर्माण का प्रस्ताव मत दे दीजिएगा कि कहीं आपके यहां गढ्ढे रह जायं। आपको कहीं पुल की जरूरत होगी, आपको कहीं नव-निर्माण की जरूरत होगी और कहीं पर सड़कों की सुधार की जरूरत होगी। मैंने आपके सामने इन तीनों विषयों को इसलिए रखा है क्योंकि मैं भी इस विधान सभा में सदस्य के नाते वर्ष 2012 में चुनकर आया था। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि उस समय भेदभाव होता था। लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। भेदभाव नहीं करने की दिशा में एक आंकड़ा भी दे दूंगा। 4-5 मा0 सदस्य हमारे सामने बैठे हैं उनके संबंध में भी आंकड़ा दूंगा कि हमने 03 वर्षों में अकेले लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किन-किन मा0 सदस्य का, मेरे पास सभी मा0 सदस्यों का डेटा उपलब्ध है, मैंने कोशिश की है कि आज डेटा आपको उपलब्ध हुआ होगा और यदि नहीं उपलब्ध हुआ होगा तो उपलब्ध हो जायेगा और यहां पर उसकी डिटेल्स भी हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोगों ने केवल एक्सप्रेस-वे नहीं बनाया है। हमारा ध्यान प्रदेश की 85 प्रतिशत आबादी की ओर था कि गांव का जो किसान, गरीब एवं मजदूर है वह कहां है? हम एक्सप्रेस-वे भी बना रहे हैं, हम स्टेट हाईवे भी बना रहे हैं और एम0डी0आर0 और ओ0डी0आर0 का भी निर्माण कर रहे हैं लेकिन जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, हमने उसका सबसे अधिक ध्यान रखने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा कि जो एक्सप्रेस-वे बना था और जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना, चुनाव लड़ रहा था और उस समय चुनाव लड़ा रहा था, जब सरकार बनी तो मैं उप मुख्यमंत्री के नाते आगरा एक्सप्रेस-वे से गया और जब मैं उस एक्सप्रेस-वे से जा रहा था तो मैं उस समय दायें और बायें देख रहा था कि जो गांव में लोग हैं उनको एक्सप्रेस-वे तक आने का क्या रास्ता बनाया गया है? मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वह एक्सप्रेस-वे केवल कार, ट्रक वालों के लिए बनाया गया था, वह गांव में रहने वाले किसानों एवं गरीबों के लिए नहीं बनाया गया था। और हमने उसी दिन फैसला किया, मैं हरदोई जिले के दौरे पर गया था और रात में लौटकर विभागीय अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई। मैंने कहा, देखिए यदि हम उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का ध्यान नहीं रखेंगे, गरीबों का ध्यान नहीं रखेंगे, गांवों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते। उस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 07 मीटर तक की जितनी सड़क और एक्सप्रेस-वे तक, चाहे वह नेशलन हाई-वे हो, स्टेट हाई-वे हो, 07 मीटर से अधिक चौड़ी जितनी भी सड़के हैं और उस सड़क से 05 किमी0 अंदर तक अगर 250 तक की आबादी वाला कोई गांव है उसको हमने संपर्क मार्ग से, एक्सप्रेस-वे से, नेशनल हाई-वे से, स्टेट हाई-वे से भी जोड़ा है और आप सभी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं)

मान्यवर, जब हम सरकार में आए, मैं तो सरकार में पहली बार जिम्मेदारी के नाते आया, विधान सभा में रहा, लोकसभा में भी रहा, लेकिन जब मैं आया, तो मुझे लगा कि 2001 में जनगणना के हिसाब से जिन गांवों की आबादी 250 है, अगर उन गांवों को भी जोड़ने का काम हम लोगों ने नहीं किया तो सरकार को इतने बड़े जनादेश के साथ बैठने का काम जिस जनता ने किया है उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। हमने फैसला किया कि 2001 की जनगणना के अनुसार 250 तक की आबादी वाले, कोई भेदभाव किए बगैर, चाहे वह इधर बैठे हमारे साथी हों या उधर बैठे हुए हमारे मित्र हों, सभी के लिए हमने 250 तक की आबादी वाले गांवों को संतृप्त करने का काम किया, मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं)

मान्यवर, इसके आगे हम लोग 2011 की ओर बढ़े, जब 2011 की ओर आगे बढ़े तो ऐसे 250 तक आबादी वाले गांवों के लिए, 1481 बसावटों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और उसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। हर क्षेत्र में सड़के बन रही हैं, मुझे लगता है कि मेरे कोई मित्र जब सामने से कटौती प्रस्ताव रखेंगे तो इस बात का उल्लेख करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं करेंगे तो वह अलग विषय है लेकिन हमने कोशिश की है। जब हम सरकार में आए तो हमें लगा जो तहसील है, चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या नगर में रहने वाला व्यक्ति हो, उसे तहसील और ब्लाक जाना पड़ता है। 26 ऐसी तहसीलें शेष थीं जो दो लेन की सड़कों से नहीं जुड़ी थीं, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने सभी 26 की 26 तहसीलों को दो लेन की सड़कों से जोड़ने का काम किया है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी) जब हम लोग सत्ता में आए तो 139 ऐसे विकास खण्ड थे, विकास खण्डों को तहसीलों, गांवों और ब्लाक से जुड़ना चाहिए क्योंकि जो गांव का व्यक्ति है उसे ब्लाक और तहसील जाना पड़ता है तो हमने 139 ब्लाकों को चिन्ह्ति करने के बाद 107 ब्लाक मुख्यालयों को दो लेन चौड़े मार्गों से जोड़ने की स्वीकृति दे दी है और 32 जो ब्लाक शेष हैं उनकी स्वीकृतियां बहुत जल्द निर्गत करने जा रहे हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी) मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, पिछले 15 वर्षों में स्टेट हाई-वे कब बनाये गये, इसकी फाइल मांगी, ये कब बने, इसको मैं जानना चाहता हूं, मैंने पूरा खोज निकाला लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पाया, परन्तु आपके माध्यम से सदन के सभी मा0 सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है हमने 46 स्टेट हाईवे घोषित कर दिया है, बाकियों को चिन्ह्ति करने का काम कर रहे हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी) हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो और हम जानते भी हैं, मानते भी हैं कि सड़कों के बिना उत्तर प्रदेश के विकास के कीर्तिमान का जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, वह पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस दिशा में कदम उठाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से यात्रा कर

सके (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी), इस दिशा में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, हमारे यहां 17 एयरपोर्ट टर्मिनल हैं, जिनको हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने, उनको बनाने का काम किया है। मैं उन सबका नाम ले लूंगा लेकिन आप सब जानते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश है कि 10 मिनट में बात को खत्म करना है।

श्री अध्यक्ष-

ये लोग सुनना चाहते हैं। प्रतिपक्ष आपको सुनना चाहता है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

चलिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के हमारे हैं, उन एयरपोर्ट्स के लिए हमने एक शानदार सड़क बना करके, चाहे उस पर गरीब आदमी, चाहे अमीर आदमी, चाहे पक्ष वाले, चाहे विपक्ष वाले जो भी जाना चाहें, उनको असुविधा न हो। इसलिए हमने इन एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक जानकारी और देना चाहूँगा। हम सब जानते हैं, कौशाम्बी जनपद, मेरी जन्मभूमि का क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा स्थान है, 16 महा जनपदों में से एक स्थान होता था, उसको भी हम लोगों ने प्रयागराज एयरपोर्ट से, चूँकि दुनिया भर से पर्यटक वहाँ पर आते हैं तो हमने उसके लिए 800 करोड़ रुपये दिया है। प्रयागराज एयरपोर्ट से कौशाम्बी जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, बौद्धों का, जैनों का, हिन्दुओं का, उससे जोड़ने का एक प्रस्ताव किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, हम जितने सदस्य हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने हाथ से स्वयं ड्राइव करके गाड़ी से जाते होंगे। हमारे कोई न कोई चालक साथी होते हैं, लेकिन जब भी हम 07 मीटर या उससे चौड़े रास्ते से जाते हैं तो कहीं पर भी अगर किसी को रुक करके अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई जरूरत हो तो कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बजट में हमने यह नई योजना प्रस्तावित की है, यह जनता की भलाई के लिए है, सड़क मार्ग से चलने वाले लोगों के लिए है। सड़क मार्ग पर कोई सार्वजनिक स्थल होगा, कोई धार्मिक स्थल होगा, उसके बगल में हम शेड बनाने का काम करेंगे, जहां कोई भी आदमी विश्राम कर सकता है। कोई धार्मिक स्थल होगा, उसको सुधारने का काम करेंगे, उसको रंगने का काम करेंगे, उसको पोतने का काम करेंगे, उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। यह भी हम लोगों ने इस बजट के माध्यम से एक नई व्यवस्था को शुरू किया है। रात का समय है तो वहाँ सोलर लाइट की भी व्यवस्था करेंगे। पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी, वहाँ पर लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए भी व्यवस्था करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। यात्रा के दौरान जो चालक है, अगर उसको विश्राम नहीं मिलता है, हम सब जो भी चार पहिए में चलने वाले हैं, हम तो आराम से गाड़ी में भी सो लेते हैं, लेकिन चालक की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इस दिशा में भी हमने प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र हमारे लिए

अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गांव और शहर के बीच की जो दूरी है, उसको पाटने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का भी निर्माण करना, चौड़ीकरण करना, सुदृढ़ीकरण करना, उच्चीकरण करना, यह भी नई योजना हमने प्रस्तावित की है। इसमें भी हमने 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में एक धारणा थी, नेपाल की सीमा भी हमारे प्रदेश से लगी हुई है। जब दूसरे पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य से कोई हमारे राज्य में प्रवेश करता था तो उसको लगता था कि उत्तर प्रदेश माने, सबसे खराब प्रदेश। दूसरे राज्य वाला जब उत्तर प्रदेश में आता था या उत्तर प्रदेश वाला दूसरे प्रदेश में जाता था तो अन्तर साफ समझ में आता था कि उत्तर प्रदेश किधर है और दूसरा प्रदेश किधर है। मान्यवर, हम लोगों ने इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया और उत्तर प्रदेश के अन्दर जो इण्टरस्टेट, दूसरे स्टेट से और इण्टरनेशनल जो प्रवेश मार्ग हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया है और उन पर भव्य द्वार बनाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले का स्वागत है और उसे केन्द्रीय सड़क निधि सी0आर0एफ0 के माध्यम से और आप लोग जो हमारे माननीय सदस्य हैं, कई लोगों के क्षेत्रों में चाहे इधर बैठे हैं, चाहे उधर बैठे हैं, सभी क्षेत्रों में निर्माण का कार्य हम लोग करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना थी, वह ठण्डे बस्ते में पड़ी थी, उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने और हमारे विभाग ने बहुत जिम्मेदारी से कदम बढ़ाया है और इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 15 करोड़ रुपये भूमि अध्याप्ति तथा 124 करोड़ रुपये का आर्थिक प्रस्ताव इसमें किया है। भारत सरकार के माध्यम से जो हमें अनुमोदन मिला है, उसके क्रम में हम यह काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात माननीय सदन के सामने रखना चाहूँगा। ए0डी0बी0 और वर्ल्ड बैंक, हमारे देश के लगभग अधिकतम राज्य पहली चरण की नहीं, दूसरे चरण की नहीं, छठवें और सातवें चरण तक पहुंच गए। जब हम लोग सरकार में आए थे, तो ए0डी0बी0 और वर्ल्ड बैंक केवल कागज और फाईलों में बन्द थे, लेकिन जब सरकार में आए तो 27 जून को ए0डी0बी0 के साथ हम लोगों ने आठ सड़क को 4 सौ 30 किलोमीटर लंबी 2 हजार 7 सौ 82 करोड़ रुपये का एक समझौता किया, एक ऋण देने का काम किया और उस ऋण के आधार पर आज हमारे प्रदेश के अंदर 4 सौ 30 किलोमीटर सड़कों का बहुत शानदार निर्माण हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने का काम करेगा। इसी प्रकार से विश्व बैंक परियोजना, जो 11 अक्टूबर 2019 को एम0यू0 हस्ताक्षरित हुआ था, जिसकी लंबाई 262 किलोमीटर है, और 1 हजार 4 सौ 15 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर है। अब द्वितीय चरण में भी हम 2 सौ 30 किलोमीटर लंबाई के डी0पी0आर0 का कार्य तेजी से कर रहे हैं और इसको भी बहुत जल्द ही शुरू करने का काम करेंगे। मैं मा0 सदस्यों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा चाहे लघु सेतु हों, चाहे दीर्घ सेतु हों, चाहे रेलवे ओवर ब्रिज हों इनको लेकर भी मा0 अध्यक्ष जी हम लोगों ने बहुत गंभीरता की दिशा में प्रयास

किया और उस प्रयास का परिणाम यह है कि हर तीन दिन में एक सेतु बन करके तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की अगुवाई में बनी है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी 2 हजार 5 सौ 30 करोड़ रुपये की हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की। प्रयागराज मेरा रहने का स्थान है और जब हम लोग यहां लखनऊ से बाई रोड प्रयागराज जाते हैं तो कई जगह रेलवे क्रासिंग होती थी, जिसके कारण दो घंटे में पहुंचना होता था तो चार घण्टे लग जाते थे, लेकिन अब जब से बाईपास बन गया है या आर ओ बी बन गया है तो दूरी और समय दोनों की बचत हो जाती है, आज जिस प्रकार से हमें उत्तर प्रदेश के अंदर आर ओ बी बनाना हो, फ्लाई ओवर बनाना हो, बाईपास बनाना हो इस दिशा में तेजी से काम करने के साथ-साथ मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि जो भारत सरकार की एक विशेष परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश से होकर के जा रही है उसमें 29 सेतु हैं जिनकी लागत 13 सौ 87 करोड़ रुपये है। इसमें एक बात मैं और बताना चाहूंगा विशेष तौर से डी0एफ0सी0सी0 के जो सेतु बन रहे हैं उन सेतुओं में गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात हैं सहारनपुर में पांच हैं, चंदौली में आठ हैं, प्रयागराज में तीन हैं, कानपुर देहात में दो हैं, मुजफफ्रनगर में दो हैं, मेरठ में एक है और ओरैया में एक है कुल 29 सेतु हैं। आर ओ बी रेलवे वर्ग में डी0एफ0एफ0सी0सी0 बनाने का यह भी काम उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यह मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2 लाख 43 हजार 7 सौ 56 किलोमीटर लंबाई की सड़कें अपने लोक निर्माण विभाग के पास हैं, जिसमें अभी तक राज्य मार्ग हमारे 6 हजार 5 सौ 93 किलोमीटर, अब यह 3 हजार 7 सौ 13 किलोमीटर और बढ़ जाएंगे। तो अब 10 हजार किलोमीटर से अधिक हमारे स्टेट हाईवे राज्य मार्ग बनकर के तैयार होंगे। इसी क्रम में हमारे जो प्रमुख जिला मार्ग हैं, अन्य जिला मार्ग हैं और ग्रामीण मार्ग हैं, जिनके लगातार सुधार का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बिना भेदभाव के करने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी सदन को मैं इसलिए देना चाहूंगा, उस जानकारी से मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के अगर इस दिशा में प्रोत्साहन देने का काम करेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सड़क निर्माण के लिए हमारी जिम्मेदारी है, वह हम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब मैं सरकार में आया तो कुछ उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों का कार्यक्रम था, जो टॉपर बच्चे थे और वहाँ जब मैं गया तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को क्या दूं, तो मुझे लगा कि इन बच्चों के अंदर प्रोत्साहन की भावना पैदा हो, मैंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि जो टॉप-20 उत्तर प्रदेश बोर्ड के जो हाई स्कूल और इण्टर के बच्चे होंगे उनके घर तक की सड़क बनाने का काम करेंगे और उस सड़क का नाम डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ रखा और उस सड़क का उद्घाटन और शिलान्यास उस बच्चे के हाथ से करवाया जायेगा, उस पर

उस बच्चे का नाम भी लिखवाने का काम किया गया। मा0 अध्यक्ष जी, आज आप के माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम पहले यू0पी0 बोर्ड के बच्चों की बात करते थे।

लेकिन हमारे यहां सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के भी बच्चे पढ़ते हैं और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के भी बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए अब सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के भी जो टॉपर बच्चे होंगे, उनके घर तक की सड़कों को भी बनाने का काम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम करेंगे। मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, यहां हमारे बदायूं के मा0 सदस्यगण हैं। एक बदायूं का बच्चा था और जब हम लोगों ने यह घोषणा की और सड़क बनानी शुरू की तो वह बच्चा आकर के मिला और कहा कि मेरे घर तक की सड़क बनी है। लेकिन मेरे स्कूल तक की सड़क नहीं बनी है तो मैंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे स्कूल तक की सड़क बनाने का काम करेंगे। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के इस सदन के माध्यम से हमने यह भी घोषणा की है और सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबन्धक महोदय को हम यह सन्देश देना चाहते हैं कि जिस विद्यालय का बच्चा टॉपर बनकर के निकलेगा, उस विद्यालय तक की सड़क को बनाकर देने का काम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक और जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि जो शहीद देश के लिए बलिदान देते हैं अगर उनके सम्मान में हमारी ओर से कोई कमी रह जाए तो हमें लगेगा कि हम जो योगदान कर सकते हैं, हमने नहीं किया। पुलवामा के अन्दर आतंकवादी हमला होता है और उस आतंकवादी हमले में हमारे वीर जवानों का बलिदान होता है। उसके आगे पीछे के घटनाक्रम की चर्चा मैं यहां इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसको पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमारे यहां हम लोगों ने तय किया कि हमारे लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत दो पी0एस0यू0 भी हैं, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम है और उ0प्र0 राज्य सेतु निगम है तो इसके फोर्थ क्लास के कर्मचारी से लेकर के टॉप स्तर के जितने अधिकारी हैं, सब लोगों ने अपने एक दिन का वेतन देने का काम किया था और उस वेतन से 04 करोड़ 95 लाख की राशि एकत्र हुई। जिस समय यह हमला हुआ था, उस समय पूरा देश दुखी था और उनके सम्मान में जो कर सकता था, वह किया था। लेकिन उसका एक वर्ष पूरा होने पर अभी हम लोगों ने 14 फरवरी को बलिदानियों की बरसी मनाते हुए उनके परिजनों को बुलाने का काम किया और यह 04 करोड़ 95 लाख की राशि जिनके लिए एकत्र हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश के ऐसे 16 बलिदानी परिवार थे। हम लोगों ने इसमें यह व्यवस्था की कि जो पैसा एकत्र हुआ है तो इसमें से रु0 11 लाख उनके माता-पिता को और रु0 11 लाख बलिदानी सैनिक की पत्नी और बच्चों को दो हिस्सों में देंगे। हमने यह पैसा देने का काम किया है, यह पैसा दे भी दिया गया है। साथ ही हम ऐसे बलिदानियों के सम्मान में आज इस सदन में यह भी घोषणा कर रहे हैं कि हम शहीदों के सम्मान में उनके गांव के मार्ग को भी बनाने का काम करेंगे और जिस गांव के वह निवासी हैं, वहाँ पर एक शहीद द्वार बनाने का काम भी करेंगे। हम यह घोषणा भी इस सदन के माध्यम से करते हैं। यह केवल पुलवामा के ही बलिदानियों के लिए नहीं बल्कि

किसी भी मा0 सदस्य के क्षेत्र में अगर देश की सेवा में हमारे किसी भी बहादुर सैनिक का बलिदान होता है तो आप उसका प्रस्ताव भी हमें दे सकते हैं। हम उसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और हमें लगेगा कि हम अपने वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। उन परिवारों को हमें जो सम्मान देना चाहिए, हम वह सम्मान देने का काम कर पा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण घोषणा मैं आज यहां पर आपके माध्यम से सदन के सामने करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अन्दर अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़े। हमारी सरकार होने के नाते हम यह जिम्मेदारी महसूस करते हैं, उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश का जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीतकर लाने का काम करेगा, उसके घर तक की सड़क को मेजर ध्यान चन्द मार्ग के नाम से, शानदार ढंग से बनाने का काम किया जाएगा। मैं यह जानकारी भी इस सदन के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, पर्यावरण की रक्षा करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आज हम हैं तो इसके लिए हमारे पुरखों ने जरूर कुछ ऐसा किया है कि जिसके कारण आज के वातावरण में हम सुरक्षित हैं। हम लोगों को इसमें दो वर्ष हो गए हैं, हम लोग हर्बल मार्गों को विकसित कर रहे हैं। जो औषधीय वृक्ष होते हैं ऐसे औषधीय वृक्षों को स्थापित करके हमने पहले हर्बल मार्ग की घोषणा की थी और उसमें 49 जिलों के अन्दर 14439 हर्बल पौधे मतलब औषधीय वृक्षों की स्थापना की गई थी और उनको सुरक्षित रखने का काम भी किया जा रहा है। मैं मा0 सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये जिनके क्षेत्र में भी है, सबको मालूम होगा। न मालूम हो तो पता करिए, मैं अपने अधिकारियों को भी निर्देश दूंगा कि वे आपसे मिल करके बताएं। तनिक आपको भी जा करके देखना चाहिए। इसी प्रकार से 18 लाख 38 हजार वृक्षारोपण का काम भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के किनारे किया गया है। और हमने ऐसे वृक्ष लगाने के लिए कहा है जो फलदार हो जो लोगों के लिए लाभकारी हो ऐसा हमने करने का काम किया है और यह हो रहा है। इसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है और देश गौरवान्वित होता है उन्होंने पहले स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का आवाहन किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सम्मान में किया था उसी प्रकार से प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारतवर्ष को बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हम अवगत कराना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हमने प्रारंभिक चरण में आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में जो नवीनीकरण का काम कराया है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का, एक तरीके से कचरे, अनुपयोगी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़क बनाने का काम किया है। इससे 8 प्रतिशत विपणन की बचत हुई है। आगे हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्लास्टिक जो कि लोगों के लिए नुकसान दायक है उसको

एकत्र करेंगे उससे सड़कों को बनाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और जानकारी देकर मैं समापन की ओर चल रहा हूँ कि हम लोगों ने कोशिश की है कि दुनिया की जो नई-नई तकनीकी है उसका उपयोग करें। उत्तर प्रदेश यदि देश होता तो दुनिया के चार देशों के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला देश होता लेकिन हम प्रदेश हैं। हमने नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जिसमें री-साइक्लिंग का इस्तेमाल किया गया है। मैं आदरणीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी का नाम इस समय इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि गोरखपुर में एक ऐसी सड़क बन रही थी। वह सड़क इतनी ऊंची होती जा रही थी कि सड़क का गंदा पानी हो या वर्षा का हो वह घरों में उस पानी के जाने की स्थिति बन गई। हम लोगों ने नई तकनीकी का इस्तेमाल करके उसको री-साइक्लिंग कराने का काम किया। री-साइक्लिंग करा करके जो मैटेरियल, गिट्टी आदि डालकर उसके ऊपर ही रोड को बना दिया जाता था उसका हमने पुनः उपयोग किया, उससे हमें लगभग 900 करोड़ रुपये की पिछले वित्तीय वर्ष में बचत भी हुई। हम यह भी आपको जानकारी देना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी और डॉमर ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब चूँकि गांव के अंदर हम सब जाते हैं, अब कोई नगर हो या चाहे गांव हो, चाहे हमारा ग्रामीण मार्ग हो, चाहे हमारा अदर डिस्ट्रिक रोड हो चाहे हमारा एम0डी0आर0 हो या कोई भी हमारी सड़कें हों, मैं चूँकि बचपन से देखता रहा हूँ, गांव में रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियों से गुजरता रहा हूँ तो मैंने स्पष्ट तौर से यह भी निर्देश सरकार में आने के बाद दिया था कि हम गांव के अंदर किसी भी सड़क पर अगर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सुधार का काम होगा या नवनिर्माण का काम होगा तो माननीय सदस्यों से मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम केवल सड़क ही नहीं बना रहे हैं गॉव जहॉ पड़ते हैं, वहॉं सी0सी0 रोड का निर्माण करना और ड्रेनेज की भी सुविधा हमने लोक निर्माण विभाग की सड़कों के माध्यम से मुहैया करने का फैसला किया है। जिन भी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में कोई ऐसा मार्ग छूट रहा हो या काम नहीं हो रहा हो तो वह निःसंकोच हमें बता दीजिये। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास इस भावना से हम अच्छे भाव से काम करना चाहते हैं आप जरूर हमें दीजियेगा और उसे हम कराने का काम करेंगे यह भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से री-साइक्लिंग के अतिरिक्त एक माइक्रो सरफेसिंग पद्धति भी आई है जिसे अभी हमने नगरीय क्षेत्रों में शुरू किया है उससे लागत में और कमी आ रही है। उसमें गिट्टी की जगह मिट्टी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अभी नगर क्षेत्र में है भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको ले जाने का काम करेंगे जिससे कम लागत में अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कर सकें। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने ई-गवर्नेन्स की दृष्टि से चूँकि डिजिटल इण्डिया, डिजिटल यू0पी0 हो इसके दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के अंदर भी एक चाणक्य नाम के साफ्टवेयर का निर्माण किया है, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहकर कई

प्रकार की शिकायतें भी आती हैं। पहले क्या होता था यदि किसी को ठेकेदार बनना है। ठेकेदारी करनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने इस चाणक्य साफ्टवेयर के माध्यम से ठेकेदारी हेतु ऑन लाइन पंजीकरण की व्यवस्था कर दी है (मेजों की थपथपाहट)। आप ऑनलाइन चाणक्य साफ्टवेयर पर जाइये, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराइये कोई भी जो बिजनेस करना चाहता है तो उसका स्वागत है। ई-टेण्डरिंग की भी व्यवस्था है उसमें भी आप आइये। एम0बी0 बनानी हो, आंगणन बनाना हो, ऑनलाइन देयक के भुगतान का मामला हो इस दिशा में हमने इसी प्रकार से विश्वकर्मा साफ्टवेयर का भी निर्माण किया है और अब यह विश्वकर्मा साफ्टवेयर क्या करेगा ? यह जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हमारे होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग का काम करता है। बजट की दृष्टि से उसकी भी व्यवस्था हम इस साफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं।

मार्गों के प्रबंधन और अनुरक्षण का काम भी होता है। एक निगरानी ऐप है जिसे आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से ई-क्वालिटी मॉनिटरिंग की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। साथ ही मेरे पास विषय बहुत हैं। आज जहां हम 3 दिन में एक सेतु, आर0ओ0बी0 या छोटा पुल-पुलिया बनाने का काम कर रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क इस समय बनाने का काम कर रहे हैं जिसमें 9 किलोमीटर प्रतिदिन नवनिर्माण होता है। बिना भेदभाव के आप इस बात के साक्षी हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कों की क्या दशा थी। हमने गुणवत्ता में सुधार किया है और उसमें आप सबका सहयोग है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ और आगे भी यह सहयोग रहना चाहिए, पैनी दृष्टि रहनी चाहिए। मैं आपसे यह विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ। हमारे यहां लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो दो निगम महत्वपूर्ण हैं एक सेतु निगम है जो पहले सिमटता जा रहा था, यह आप सब जानते हैं। इसका हमने फिर विस्तार किया है। हम उत्तर प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। अभी देश में जा रहे हैं और भविष्य में दुनिया में जाएंगे। जो भी हमारे निगम हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे यह भी मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें यद्यपि आपका समर्थन है और किसी भी प्रकार से उसमें कोई न नहीं कहेगा लेकिन फिर भी मैं केवल जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। हमारे नेता विपक्ष बहुत वरिष्ठ हैं और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं लेकिन हम जानकारी के लिए बता रहे हैं। जब से हम सरकार में आए हैं तब से अकेले बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में हमने लगभग 36 करोड़ रुपये के नवनिर्माण वहाँ किये हैं, विशेष मरम्मत का काम भी लगभग 7 करोड़ की लागत से किया है। ऐसे ही जो उपरिगामी सेतु छोटे-बड़े कुछ हुए होंगे वह भी लगभग 4 करोड़ की लागत से किये होंगे। कुल 46 करोड़ 13 लाख का काम हमने आपके विधान सभा क्षेत्र में किये हैं यह जब तक का आंकड़ा मेरे पास है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आदरणीय लालजी वर्मा जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनको भी इसलिए बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ सबका साथ, सबका विकास की बात नहीं करते, वह हम करके दिखाने का काम करते हैं।

इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि माननीय लालजी वर्मा जी के क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ की लागत के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया है। 15 करोड़ 51 लाख से अधिक की लागत के हमने नवनिर्माण आपके क्षेत्र में किया है और लगभग मरम्मत के काम भी 3 करोड़ की लागत के किये हैं और जो छोटे-बड़े सेतु बनाए हैं उनको भी लगभग 8 करोड़ 68 लाख की लागत के कराये गये हैं। इसका पूरा विवरण है जिसे मैंने किताब में देने का प्रयास किया है, हो सकता है कोई कमी इधर-उधर हो। मैं विशेष तौर से लल्लू जी को जरूर बताना चाहूँगा। लल्लू जी के क्षेत्र में चौड़ीकरण और सृदृढ़ीकरण की दृष्टि से हमने 79 करोड़ 50 लाख की लागत के काम किये हैं। नवनिर्माण का काम लगभग 14 करोड़ 69 लाख की लागत के किये। मरम्मत का काम लगभग 19 करोड़ की लागत से किये और छोटे-बड़े पुल मिलाकर 3 करोड़ 68 लाख की लागत से अर्थात् कुल 126 करोड़ 85 लाख की लागत के काम किये हैं। यह केवल मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ जिससे यह न कहना हो कि सबके साथ, सबके विकास में हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है, वह हम करके दिखाने का काम कर रहे हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

चिन्ता मत करिए, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं अभी एक और बात अंत में बोलूंगा। इसी प्रकार से मैं मोना जी, जो नेता कांग्रेस हैं उनके रामपुर खास की भी बात इसमें जरूर करूंगा जिससे सदन के माध्यम से संदेश जाना ही चाहिए। लगभग चौड़ीकरण और सृदृढ़ीकरण का काम हमने आपके विधान सभा क्षेत्र में 45 करोड़ 21 लाख की लागत से किया है। नवनिर्माण 9 करोड़ 60 लाख की लागत से किया है।

मरम्मत का काम लगभग 30 करोड़ की लागत से किया गया और छोटे पुलिया वगैरह का निर्माण लगभग 1 करोड़ 6 लाख की लागत से किया गया। आपके यहां कुल रु0 85,76,60,000 की लागत से कार्य किया गया। मेरे एक साथी ओम प्रकाश राजभर जी दिखायी नहीं दे रहे हैं। आपके माध्यम से मैं उन्हें संदेश जरूर देना चाहता हूं कि हमने आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के क्षेत्र में नवनिर्माण का कार्य रु0 10,37,00,000 की लागत से और मरम्मत का काम रु0 30,71,00,000 की लागत से किया, कुल रु0 41.00 करोड़ की लागत से क्षेत्र में काम किया गया। मैं इसलिए यह बात बताना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया है और मैं अपने माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप सब कई बार मेरे बगल में मेरे नेता रहे हैं, नेता हैं, चाहे माननीय महाना जी, चाहे खन्ना जी चाहे यहां सामने सब लोग। कुछ हमारे माननीय सदस्य जो यहां नये-नये आये हैं, वह सोचते हैं कि 5 साल बीतने के बाद फिर मौका आ जायेगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। मैं चाहता हूं कि जो काम जनता के हित के हैं वह सभी क्षेत्र में बराबर हों। हमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का समर्थन मिला है। हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्ष 2014 में 73 सांसद देने का काम किया, वर्ष 2017 में 325 विधायक देने का काम किया और वर्ष 2019 में जब सपा और

बसपा एक साथ लड़े तब हमें 51 प्रतिशत वोट, 64 सांसद और 291 विधान सभा सीटों पर नम्बर एक का स्थान देने का काम किया। हम अगर भेद-भाव करेंगे तो हमें लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जिस भरोसे से यहां बैठाया है, हम उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि हम आप सबसे आवाह्न करना चाहते हैं, सभी लोगों से, विशेष तौर से जो नये सदस्य आये हैं, जैसे वह मेरे पास कोई कागज लाये हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि सभी क्षेत्रों में मैं अपने सभी विभागीय अधिकारियों को जो यहां बैठे हैं, उनको धन्यवाद देते हुए सब अभियन्तागणों को लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं यह क्यों करता हूं कि कहीं कोई यह न महसूस करे। कई बार हमारे पश्चिम के जो हमारे बहुत से साथी हैं, उनको लगता है कि पश्चिम में थोड़ा काम कम जा रहा है। वहाँ कम काम नहीं जा रहा है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि मैं लगातार प्रयास करता हूं चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे पूर्वांचल हो किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भेद-भाव नहीं होना चाहिए। हम पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा का संकल्प ले करके आये हैं, और जो संकल्प ले करके आये हैं उसको पूरा करना चाहते हैं और उस पूर्णता की दृष्टि से जैसे कि आप सब जानते हैं पहले क्या होता था जब उत्तर प्रदेश में सेतु निगम था। मैं आया तो मैंनें पूछा भईया जरा ये बताओ कि ये पुल कौन बना रहा है इसमें तो रेलवे का पार्ट नहीं बना है, तो फिर सेतु निगम का हिस्सा कोई और बना रहा है तो उसका अप्रोच पी0डब्लू0डी0 बना रहा है, मैंनें कहा कि ये नहीं चलेगा। हमने रेलवे, पी0डब्लू0डी0 और सेतु निगम को बैठा करके एक व्यवस्था दे दी कि अब सेतु का काम चाहे वह रेलवे का पार्ट हो, चाहे अप्रोच का पार्ट हो, चाहे सेतु निगम का पार्ट हो, अकेले सेतु निगम बनाने का काम करेगा। जो काम 3-4 वर्ष में होते थे, वह काम एक वर्ष से भी कम समय में करके देने का है। हमारा लक्ष्य जनता को जल्दी-से-जल्दी, अच्छी-से-अच्छी सेवा देने का है और उस सेवा को देने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं एक और बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य उसका लाभ लेना चाहें, अपने क्षेत्र में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हमारे पास संसाधन हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कहीं पर भी छोटी नदी हो, नाला हो, बड़ी नदी हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, जो बनाना है, जैसे-जैसे हमारे पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगें वो तो करेंगे ही। लेकिन पीपे के पुल का भी बड़ा महत्व होता है। अभी लल्लू जी हमारी ओर देख रहे थे, पीपे का पुल हमने आपके यहां बनाने का काम किया है। मैंने कर दिया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मेरे पास इस समय पर्याप्त मात्रा में पीपे उपलब्ध हैं। आप सबको कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कि अगर कोई मां होती है और बच्चा भी उसका होता है, जब तक वह रोता नहीं है उसको दूध नहीं मिलता है। लेकिन आप न बच्चे हैं और न मैं मां हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र की जहां जरूरत है आपको लगता है कि यहां पर पीपे का पुल बनना चाहिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में इस समय पीपे के पुल उपलब्ध हैं, आप प्रस्ताव दीजिये, हम

प्राथमिकता के आधार पर उसको बिना भेदभाव के जहां से भी प्रस्ताव होगा। यह जनता की सेवा के लिए है और हम वह करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय एक हजार पीपा हमारे पास उपलब्ध है। मैं बता रहा हूं तब आप मांग रहे हैं, यह आपका है यह उत्तर प्रदेश की जनता का है।

आप जो लेकर जाओगे, सड़क बनाओगे, तो अपना माल नहीं बनाने वाले, पीपे का पुल बनाओगे, तो आप ही अकेले जाने वाले नहीं हो, उसमें सबको आना-जाना है, जनता की सेवा के लिए है, इसलिए मैं सबका आवाहन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि आने वाले समय में हम लोगों ने तय किया है कि बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे गांव हैं, जिनको मुख्य मार्गों से नहीं जोड़ पाये, उसके लिए धन की जितनी हमारे पास बजट में उपलब्धता है, वह तो हम ठीक ढंग से, गुणवत्तापूर्ण ढंग से, पूरा एक-एक पैसा जिस काम के लाए हैं, उसमें खर्चा हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर टोल की व्यवस्था समाप्त हो गई है। आज मैं समझता हूँ, हमारे सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी ही एक बार फिर टोल की व्यवस्था शुरू करेंगे, लेकिन केवल कॉमर्शियल वाहन से। कोई भी चार पहिया वाहन, कोई कार आदि से वसूली नहीं की जायेगी। वह जो पैसा आयेगा, उससे अनुरक्षण करना और गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना। यह एक विचार हमने विभाग ने किया है और बहुत सारी बातें जो की गई हैं, मैं बता सकता हूँ लेकिन आज न बता करके, आप सबके सामने मैंने यह लोक निर्माण विभाग का बजट रखा है। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पास करने का कष्ट करें। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो यहॉ पर बजट प्रस्तुत किया, उधर से 5 करोड़ की मांग आई, इन्होंने 10 करोड़ बोल दिया। वह कह रहे थे कि भेदभाव हो रहा है, इन्होंने सारा का सारा चिट्ठा खोल करके रख दिया। मान्यवर, अब कटौती का मतलब ही नहीं होता है। कटौती करेंगे तो इसका मतलब यह है कि बजट नहीं चाहते। अगर कटौती में बजट चाहते नहीं हैं, तो फिर काम के लिए भी नहीं कह सकते। इन्होंने बिना भेदभाव के किया। एक उदाहरण प्रस्तुत करें, लोकतंत्र में कोई न कोई उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। मेरा निवेदन है कि इस बार कटौती प्रस्तुत न करें, एक मिशाल प्रस्तुत करें कि इस प्रकार का बजट आज से पहले कभी नहीं हुआ। सर्वसम्मति से बिना कटौती के इसको पास करवायें, यह मेरा निवेदन है। (सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

अगर कटौती करेंगे, तो पीपा भी नहीं मिलेगा। (सदन में हंसी)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी चाहते हैं कि उप मुख्य मंत्री के बहाने हम भी निकल जायें। (सदन में हंसी) आपको निकलने नहीं दिया जायेगा, कटौती होगी।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन संक्षेप में करवा दीजिए।

***श्री संजय गर्ग**-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण विभाग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मानवीय सभ्यता के विकास में आदिम साम्यवाद से जबसे इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तबसे किस तरह से नदियों के किनारे शाकाहार, पेड़, कन्द-मूल के सहारे जिन्दगी जीने वाला इंसान अपनी सभ्यता के उस दौर में दास प्रथा के समय में पहुंचा और उसके बाद सामन्तवाद के युग में जाते-जाते सड़कों की महत्ता के साथ पत्थर से पत्थर को टकराकर निकली हुई उस आग से, उस उत्तेजना से, मन की उस क्रान्ति से उसने समाज के विकास की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की शुरुआत करने का काम किया। तभी से सड़कों का महत्व बढ़ गया और सड़कों के साथ-साथ इंसान अलग ढंग के सपने देखने लगा। इंसान पहले दूरियां घोड़े के जरिये तय करता था, घोड़े-बुग्गियों के जरिये कच्चे रास्ते का सपना देखता था और उसके बाद उसने घोड़े के हार्सपॉवर का इंजन बनाकर उस तरह के व्हीकल और फोर-व्हीलर की स्थापना अपने लिए आविष्कार करने की कोशिश की जिससे कि वह उन दूरियों को और जल्दी तय कर ले और उस प्राकृतिक सौन्दर्य को जो प्रभु की देन है न केवल उसके साथ बल्कि तहजीब के उन तमाम दूरियों के दरवाजों को खोलने का काम कर दे और संस्कृति के उस दौर के वाहक के रूप में इन सड़कों का इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में वहाँ से निकली हुई सड़कें निश्चित रूप से इस बात का द्योतक हैं और उसी के साथ-साथ वहाँ तांबे के रथ और पहिये की मौजूदगी को दर्ज कराने का काम मानवीय सभ्यता के इतिहास में करती है। लोक निर्माण विभाग अपने आप में बहुत पुराना विभाग है। सड़कों की जरूरत को देखते हुए हिन्दुस्तान की आजादी के बाद कोई इस तरह की योजना भारत सरकार के पास नहीं थी कि किस तरह से हम बहुत ही छोटे बजट में अपने विकास की शुरुआत को करने का काम कर सकें। ऐसे में हिन्दुस्तान के जितने भी इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट थे, जितने बड़े कंसलटेंट थे, सभी ने मिलकर 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस की व्यवस्था की और इंडियन रोड कांग्रेस ने सबसे पहले बाम्बे प्लान बनाया और उसके बाद लखनऊ प्लॉन बनाया। लखनऊ प्लॉन के साथ लोक निर्माण विभाग से सिंचाई विभाग अलग हुआ और लोक निर्माण विभाग का दायरा बढ़ता चला गया और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती चली गईं। आज के इस पूंजीवादी इंडस्ट्रियल युग में निश्चित रूप से अगर अर्थ को आगे बढ़ाना है, अगर अर्थ नीतियों को आगे बढ़ाना है, अगर बाजार को आगे बढ़ाना है, अगर संस्कृति को आपस में जुड़ना है तो निश्चित रूप से उसमें सड़कों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। हम इस कनेक्टिविटी को कितना और ज्यादा बेहतर कर सकें, एक इंसान की जिन्दगी में गुणवत्तापूर्ण जिन्दगी जीने का काम किस तरह से देने का काम कर सकें, मैं समझता हूँ कि आज की इस इक्कीसवीं सदी में सड़कों का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमारे बड़े भाई महाना जी ने कहा, हम आभार प्रकट करते हैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का, जो उन्होंने घोषणा की, परन्तु कितना सबका साथ, कितना सबका विकास करने की इमानदारी के साथ वेदना है उसे हम भी महसूस करते थे और शायद वह और ज्यादा प्रतिफल हो जाती परन्तु यह द्वंद इन्हीं की पार्टी का द्वंद है। नेता सदन किस तरह से मानीटरिंग करते हैं और किस बात की ऑडिटिंग कराने का काम टेंडरिंग में करते हैं, कटौती हम लोगों ने नहीं की बल्कि इनके सड़क निर्माण के बजट में कटौती करने का काम

अगर किसी ने किया तो शायद नेता सदन ने किया होगा नहीं तो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले सड़कों के निर्माण के मामले में जितना पैसा पिछले साल था उससे कम मिलने का मतलब कभी नहीं इतने महत्वपूर्ण विभाग के बजट में हो सकता था। लेकिन इन सबके बावजूद उन तमाम चीजों को शिरोधार्य करते हुए हम इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि आपने जितनी खूबसूरती के साथ इस बजट को रखने का काम किया है वह तारीफ योग्य है। हम तो चाहते थे और पूरा विपक्ष चाहता था कि आपका हक आपको मिले, आपने जितनी मेहनत की और मेहनत करने के बाद 2017 में जो परिणाम आये और उस परिणाम के बाद आपको जहां होना चाहिए था आप वहाँ नहीं आये।

गो धन, गज धन, बाजि धन, और रतन धन खान।
जब आवे संतोष धन, सब धन दूरि समान।।

श्री अध्यक्ष-

इस बात का लोक निर्माण विभाग के बजट से क्या सम्बन्ध है ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, एक संतोषी प्राणी के रूप में आपने सबका विकास करने की परिकल्पना का बीजारोपड़ करने की शुरुआत करने का काम किया है निश्चित रूप से हम पूरे विपक्ष की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। हम आभार इसलिए भी प्रकट करते हैं कि अनुदान सं0-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), मैं कुछ ऐसी चीजों की ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूँ जो एलार्मिंग हैं, जो हमें एक साधारण सदस्य होने के नाते चेताने का काम करती हैं। 35 प्रतिशत धन आवंटित हुआ, जिसमें किराया शुल्क कर स्वामित्व के वह तमाम बिल्डिंगों के और दूसरे मामलात आते हैं जबकि 0.17 करोड़ रुपया वर्ष 2019-20 में मिला था। इस बार उसे छीनकर ..88 कर दिया गया। हम तो सोच रहे थे कि आम उप मुख्य मंत्री हैं, आपका बजट सबसे बड़ा होगा, और तो और कम से कम पिछले साल से बढ़कर बजट मिलना चाहिए था, परन्तु आतिथ्य व्यय विषयक भत्ते में 307 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गयी। वर्ष 2019 में 32.50 लाख रुपया, यानी .32 करोड़ रुपया मिला था, इस बार उसे 132.50 लाख रुपया आवंटित हुआ। एक साल के अन्दर इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी करने का क्या कारण है ? मैं नहीं समझता कि कहीं नेता सदन ने ट्रंप के स्वागत की जिम्मेदारी आपके विभाग को तो नहीं दे दी, क्योंकि इतना बड़ा आतिथ्य सत्कार के बजट का बढ़ना निश्चित रूप से प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। इसीलिए इस तरह से ये बजट इतने बड़े रूप में फैलने का काम किया।

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण भवन के अन्तर्गत भी जो मशीनें और साज-सज्जा उपकरण हैं, जिस उपकरण के जरिये आप बेहतर और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कर सकते थे और तेजी के साथ उस निर्माण को पूर्ण करने का काम कर सकते थे। गुणवत्ता को जांचने हेतु

उपकरण खरीदने का जो मद आपको मजबूत करने का काम कर रहा था, उस बजट के अन्दर 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी। इधर 50 प्रतिशत की कटौती करके आपका हाथ काट देंगे और दूसरी तरफ टेन्डर की ऑडिट समीक्षा करेंगे और उसके साथ सवाल करेंगे कि सड़क दिवाली के पहले गड्ढामुक्त क्यों नहीं हुई ? उन तमाम चीजों पर सवाल करने के साथ-साथ अगर बजट देने की बात हुई होती, तो अच्छा होता। हमें भी लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है वो न्याय किस तरह से मिल सके, इसमें हम आपके सहयोगी हैं, जहां भी कहेंगे, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। वर्ष 2019 में मशीन सज्जा हेतु 80 लाख रुपया मिला था, जो अब घटाकर 40 लाख कर दिया गया। बहरहाल इन तमाम चीजों के अलावा मेन अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण संचार साधन और सड़कें, जो मुख्य कार्य इस विभाग का है, सड़कों का निर्माण करना और जिसकी तरफ पूरे सदन के तमाम मा0 सदस्यों की अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं इसलिए भी हैं कि जहां से चुनकर हम लोग आये हैं और जिस इलाके का दर्द रखते हैं, निश्चित रूप से चाहते हैं कि उन तमाम सड़कों का निर्माण हो। जिसके जरिये आप सड़कों का निर्माण कर सकते थे, उस अनुदान में भी 9.11 प्रतिशत बजट में कटौती कर दी गयी है। ये बजट में कटौती नेता विरोधी दल के कहने पर नहीं किया गया है। आप तो बड़े दिल के हैं, आप दरिया दिल हैं, सबका विकास साथ में है, तो निश्चित रूप से बजट में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव नेता विरोधी दल और हमारी तरफ से होता, परन्तु आपके बजट में वर्ष 2019 के मुकाबले और कटौती करने का क्या कारण और मानक रहा है, यह बात निश्चित रूप से हमारी समझ के बाहर है ?

24 नम्बर में अनुदान संख्या-58 में बृहद् निर्माण कार्यों के लिए पिछली बार 10849.34 करोड़ रुपया मिला था, उसे इस बार 10536 करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी लगभग 300 करोड़ रुपया आपके बजट में कटौती की गयी, जबकि आप हमें भी 10-10 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 9.11 प्रतिशत कटौती हुई है और ये निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा करने का काम करता है। जब आपके सामने चुनौती हो, ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्रीज बढ़ रही हों, ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ रही हो, सड़कों पर तमाम फोर व्हीलर, टू व्हीलर गाड़ियां बढ़ रही हों, ओ0डी0आर0 और एम.डी.आर., जो तीन मीटर से 3.75 मीटर चौड़े हैं उन्हें इस लायक बना सकें, जिससे कि वह उन तमाम जो फोर व्हीलर्स घनत्व हैं, उनकी जो बढ़ती हुई क्षमता है, उसका बोझ वह ले सकें। मैं नहीं समझ पा रहा कि बजट में हुई कटौती के बाद वह तमाम चीजें कैसे सम्भव होंगी ? स्टेट हाई-वे और नेशनल हाई-वे के बारे में आपने बताया है परन्तु इन तमाम चीजों में, एक बात आपने बहुत खूबसूरती के साथ कही कि उन बसावटों को जहां ढाई सौ की आबादी है उसकी योजना आपने की है, जिसमें समग्र विकास योजना के माध्यम से सभी गांवों को जोड़ने का आपने संकल्प लिया है, परन्तु उस सबके बावजूद 'सबका साथ, सबका विकास' केवल नारा रह गया और

2011 ऐसी बसावटें हैं, जो विपक्ष के विधायकों से संबंधित हैं, उन तमाम बसावटों को आपने छोड़ने का काम किया है।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके आशीर्वाद/संरक्षण में सदन का प्रत्येक सदस्य बराबर का अधिकार रखता है। निश्चित रूप से वह यह अपेक्षा भी करता है, अगर प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से जायेगा, तो काम दूसरे ढंग से होगा और अगर प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से जायेगा, तो काम दूसरे ढंग से होगा। कौन सी गाड़ी में कौन से हार्स पावर का इंजन लगाना है और किसका स्विच ऑन करना है यह आपके हाथ में है और उससे यह प्रतीत होता है कि मात्र बात घोषणा तक रह गयी और 2011 गांव इस तरह के हैं जो 250 की आबादी के हैं तथा वे नहीं जुड़ पाये हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि जो आपने 250 आबादी वाले गांव है वह विपक्ष के प्रस्ताव के भी जो गॉव होंगे उन्हें भी आप प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने का काम करेंगे ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सबके अलावा माननीय उप मुख्य मंत्री जी का मैं पूरे सदन की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समस्त विधायकों के लिए नव-निर्माण, गड्ढे या पैच मरम्मत के प्रस्ताव देने की बात कही है। परन्तु प्रस्ताव हम दें या न दें। मेरा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सबका साथ, सबका विकास के साथ, जो गिनती गिनाने का काम किया गया उन तमाम सड़कों के प्रस्ताव क्या नेता विरोधी दल ने, क्या नेता बहुजन समाज पार्टी ने, क्या नेता कॉग्रेस ने तथा क्या नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने दिये थे। आप ही की पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर किये गये कामों में जब उसका उद्घाटन हो और उद्घाटन पट्टिका हो उसमें इनका नाम भी न हो, उद्घाटन समारोह में बुलाया भी न जाये तो फिर इस बात का मक्खन लगाया जाये कि हमने आपको काम देने का काम कर दिया तो निश्चित रूप से इस बात की शंका पैदा होती है (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) कि नीयत साफ या नीयत साफ नहीं है। मैं यह उम्मीद करूंगा कि आपने जो 10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बहुत ओपेनली कहे हैं, यह केवल झांसा न रह जाये क्योंकि ये लोग (विपक्ष के सदस्य) बहुत पीड़ित, उपेक्षित व परेशान हैं, पिछले 02 साल से चिल्ला रहे हैं। लोक सभा चुनाव के पहले 05 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रत्येक विधान सभा में देने की बात कहकर वायदा किया गया था। यहॉ औचित्य का प्रश्न आया, आपसे संरक्षण मांगने का अनुरोध मा0 अध्यक्ष जी हमने किया। तब मुख्यमंत्री जी ने ही सब जवाब दिया था। 05 करोड़ के काम हों और प्रत्येक विधान सभा में हों, हमने यह नहीं कहा कि प्रत्येक विधायक को देने का काम करेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि उसी अर्थ के आपके कौन से मुहावरे और कौन से जुमले में कौन सा अर्थ मौजूद है और कहीं यह 10 करोड़ का भी जुमला न बन जाये और उसी तरीके से इन लोगों का फिर अधिकार का हनून न हो जाये। हम यह उम्मीद करेंगे कि इसमें बहुत सारे विधायक शहरी क्षेत्र के भी हैं। यह 10 करोड़ के जो प्रस्ताव विधायक को देने का काम है वह शहरी क्षेत्र के विधायकों को भी 10 करोड़ के प्रस्ताव मिलें, केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक वह सीमित न हो जॉये और उनकी उद्घाटन पट्टिका में आपकी

पीठ से इसके पहले भी विधान सभाओं में इस बात के निर्णय लिये गये हैं कि जहॉ पर भी कहीं किसी भी विभाग के द्वारा कोई कार्य किसी भी विधान सभा में होता है तो निश्चित रूप से उस उद्घाटन पट्टिका पर वहाँ के संबंधित विधायक का नाम अंकित हो तथा उस समारोह में उस विधायक की अध्यक्षता रहे। परन्तु उस बात का उपहास न उड़ाया जाए। विधायकों की गरिमा विधान सभा की गरिमा के साथ जुड़ी है। अगर विधायक का नाम नहीं होगा और अन्य कुछ लोग हावी होंगे तो निश्चित रूप से इस बात के लिए प्रश्न-चिन्ह् खड़ा होगा और जिस बात की राजनीति है, जिस बात के लिए इंसान अपना पूरा जीवन त्यागकर के लोगों की सेवा के लिए आया है तो वह भी यह सपना देखता है कि उसके क्षेत्र के लोग यह समझ सकें कि उसने नियम-51 में सवाल उठाया, नियम-301 में उठाया, आपने निर्देश दे दिया, शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया, सड़क बन गयी, नाले का पुल बन गया परन्तु उसके उद्घाटन में उस विधायक को नहीं बुलाया गया, उसकी पट्टिका में उसका नाम नहीं लिखा गया। तो ये रोजमर्रा के जिंदगी में चौराहे की चाय व पान की दुकान पर खड़े होने वाले लोगों के बीच में बात है कि यह विधायक ने कराया है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। इसलिए यह बात बहुत मन साफ करके कहनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप उस बात को मान करके इस भेदभाव को दूर करेंगे और इस जुमले को पहले दिये गये 05 करोड़ रुपये के जुमले जैसा जुमला नहीं होने देंगे। इसमें कुछ न कुछ इस बात का अहसास हम आप सब लोग मिल करके करने की कोशिश करने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने यह दावा किया कि सड़कें गड्ढामुक्त हो गयीं। यह मैं नहीं कह रहा, मा0 नेता सदन का बयान है कि पी0डब्ल्यू0डी0 की 30 हजार कि0मी0 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। नेता सदन ने पी0डब्ल्यू0डी0 की समीक्षा बैठक के दौरान 13 जून, 2019 को विभागीय सड़कों के टेण्डर के आडिट कराने के आदेश दे दिये। इसके बाद अगस्त में मुख्य सचिव की सहमति से ऑडिट टीम का गठन हो गया। दीपावली से पहले शहरी क्षेत्र की सड़कें गड्ढ़ा-मुक्त होनी थी, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की परन्तु 30 हजार से भी ज्यादा किलीमीटर की सड़कें हैं जो अभी भी गड्ढ़ायुक्त है जिस पर चलना मुश्किल है और तो और छोड़िये बल्कि फूलपुर लोक सभा की सारी सड़कें खराब हो चुकी हैं। जहां से आपका प्रतिनिधित्व है। ऊँचाहार, खरैली, रायबरेली, भंगनी जो वर्ष 2016-2017 में 7 मीटर चौड़ी प्रस्तावित है उसे आपने उसमें शामिल करने का काम नहीं किया है। मुँगरा बादशाहपुर से फूलपुर तक की सड़क अगर अभी भी आज ही आप जांच करा लें अपने एक्स0ई0एन0 से और उसकी फोटो वॉट्सऐप पर मंगवा लें तो आपको महसूस हो जायेगा कि वह गड्ढायुक्त है या गड्ढ़ामुक्त है। इन तमाम चीजों के अलावा प्रदेश की हर सड़क जब नेता सदन, मंत्रि-परिषद् की एक कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी होती है और उस कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी के अंदर अगर नेता सदन इस तरह का प्रश्न चिन्ह उठायें तो निश्चित रूप से हमारे मन में दया का भाव जगता है और माननीय मंत्री जी ने उस सबके बावजूद इस तरह का फैसला कर हम

सबका साथ, सबका विकास में जो आज घोषणा करने की बात की है हमें फिर डर है इस बात का कि कल तक बजट सत्र या परसों तक जब तक आपका संरक्षण होगा चलेगा परन्तु उसके पहले या बाद में फिर दोबारा यह एक जुमला न बन जाय और उसकी सही सूरत सामने न आ पाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ और बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी होने के बजाय लगातार वृद्धि हुई है। हिन्दुस्तान के ऑकड़ों में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है। जिसमें 22,256 लोगों की मृत्यु हुई और देश में वर्ष 2017-2018 में भी सबसे ज्यादा मृत्यु में नम्बर एक उत्तर प्रदेश रहा। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट में यह बात शामिल की गई कि 42,568 दुर्घटनाएं 2018 में हुई हैं। सड़क दुर्घटना के लोगों को मेडिकल और गोल्डेन ऑवर में अगर समय न मिले तो निश्चित रूप से उनकी जान चली जाती है। इस तरफ भी सरकार चिन्तित नहीं है और न ही सड़क के किनारे इस तरह के ट्रॉमा सेन्टर बनाने का सुझाव समन्वित रूप से प्रयास देने की कोशिश है। मेरा एक सुझाव माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से है कि सड़क सुरक्षा के लिये सड़क दुर्घटना और प्रारम्भिक इलाज के जो स्टैप एक किसी भी नागरिक को उठाने चाहिए वह अगर हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दें तो मैं समझता हूं कि आज के इस युग में जो इस तरह से तेजी से बढ़ती हुई जिन्दगी है उसको हम कुछ सहूलियत देने का काम कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ-साथ एक चीज की तरफ और कहना चाहता हूं यह जो सी0आर0एफ0 का केन्द्रीय मार्ग निधि है। केन्द्रीय मार्ग निधि में जो इतना भेदभाव जब हमारी सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की तब केन्द्र सरकार ने कितना पैसा 2015-2016 में 2016-2017 में देने का काम किया और उसके बाद जब आपकी सरकार आई तो कितना पैसा देने का काम आपकी सरकार ने किया। गड्ढे तो तब भी थे सड़कों के प्रस्ताव भी गये थे, प्रस्ताव स्वीकृत भी हुए थे परन्तु उस सबके बावजूद जो धनराशि मिलनी चाहिए थी वह हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश को नहीं मिली। 2015-2016 में 1265.17 करोड़ के प्रस्ताव दिये गये जो मंजूर हुए, स्वीकृत हुए परन्तु मात्र 225.39 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किये गये। 2016-2017 में 1630.90 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हुए परन्तु केवल 219.17 करोड़ पैसा केवल अवमुक्त किया गया। जबकि 2017-2018 में अवमुक्त हुआ 890.24 करोड़ रुपया 2018-2019 में अवमुक्त हुआ 655.91 करोड़ रुपये। 2019-2020 में अवमुक्त हुआ 541.09 करोड़ रुपये। यह अपने आप में दर्शाता है कि केन्द्र में यू0पी0 की हिस्सेदारी उस रूप में जो सैस के रूप में केन्द्र में गई हो, सीजी0एस0टी0 के रूप में गई हो, इनकम टैक्स के रूप में गई हो, एक्साइज ड्यूटी के रूप में गई हो। जो हमारे ही नागरिकों ने यहॉ केन्द्र में दी थी उसमें जो हिस्सेदारी 2015-2016, 2016-2017 में हमें मिलनी चाहिए थी वह हिस्सेदारी हमें मिलने का काम नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, एक और बात जो अभी माननीय मंत्री जी ने जिसके बारे में कहा था टोल प्लाजा को ले करके, टोल प्लाजा में बहुत सारी ऐसी विसंगतियॉ मिली हैं। यह सुप्रीम

कोर्ट का निर्णय है कि टोल प्लाजा के करीब पड़ने वाली जो भी टाउनशिप गांव हैं उनके लोगों को टोल से मुक्त रखा जायेगा परन्तु पूरे प्रदेश में बहुत सारे टोल अभी भी ऐसे हैं जहां उन तमाम बस्तियों से और बसावटों से और टाउन एरिया से टोल वसूलने का काम किया जा रहा है। इस बात की तरफ भी मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि केन्द्रीय रोड कॉग्रेस की गाइड लाइन में यह साफ कहा गया है कि शहरी क्षेत्र से होकर निकलने वाली सड़क या हाई-वे को गड्ढा मुक्त किया जाय और हाई-वे पर अवैध कट नहीं लगने चाहिए। जिस एक्सप्रेस-वे की बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही निश्चित रूप से वह समाजवादी पार्टी का एक सपना था और वह सपना समाजवादी पार्टी का नहीं पूरे हिन्दुस्तान के लिये एक उदाहरण बनाने का सपना था।

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का वह एक सपना था और वह सपना समाजवादी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए उदाहरण बनाने का सपना था। गुणवत्तापूर्वक लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण और उसी के साथ उसके दोनों तरफ मंडियों का निर्माण और मंडियों के निर्माण के साथ किसानों का जुड़ना, यह केवल हम 15-16 और 16-17 के दो सालों में कर पाये। अभी तो मंडियां बननी थीं आपने किसानों का हक छीन लिया। आप सम्पर्क मार्ग की बात करते हैं। जब मंडियां बनती हैं, किसान आता है तो निश्चित रूप से वहाँ सड़कों का निर्माण होना था परन्तु उन तमाम चीजों को समन्वित रूप से न रखकर एक रूप से रखने की कोशिश की जायेगी तो वह निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ बात सही नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पीडब्ल्यूडी के एक विभाग यूपीआरएनएन के बारे में बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम अपने आप में बहुत ही गुणवत्तापूर्वक कार्य करने वाली संस्था है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम की स्थापना 1975 में मात्र 05 लाख रुपये की धनराशि से हुई थी। वर्तमान में कुल वार्षिक टर्नओवर 5 हजार 500 करोड़ रुपये लक्षित है। निगम का सृजन भवन निर्माण के क्षेत्र में गतिशीलता, मितव्ययिता, गुणवत्ता तथा समयबद्धता के सूत्र बांटने का पालन करने हेतु, परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विभागीय पद्धति से बाजार से निर्माण सामग्रियां क्रय कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, छोटे ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्यों को सम्पादित किये जाने के लिए किया गया था और उसी का नतीजा निकला कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर, अपनी मैनपावर के आधार पर इस संस्था यूपीआरएनएन को दुनिया के मानक के अनुरूप आई0एस0ओ0 9001-2015 में और आई0एस0ओ0 14001-2015 में प्रमाणित संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित किया गया। देश-विदेश के अन्दर इसे टेण्डर मिलने का काम होता है। लखनऊ में हमारे लोकभवन लखनऊ, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज की लखनऊ खण्डपीठ का भवन, सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस भवन, अति विशिष्ट संस्थान लोहिया अस्पताल, आयुर्विज्ञान संस्थान डा0 भीमराव आम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन स्थल, ई0एस0आई0सी0 के बैंग्लोर, अल्वर, दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबार के अति

विशिष्ट अस्पताल, विभिन्न स्टेडियमों, खेल विश्वविद्यालय, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, कैंसर इंस्टीट्यूट, मा0 कांशीराम स्मारक स्थल सहित प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भवन, लखनऊ इत्यादि कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न किये गये हैं परन्तु अफसोस की बात उस समय होती है कि जब एक निर्णय इस बात का 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाता है कि अगर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कोई भी काम होगा, वह यूपीआरएनएन नहीं करेगा। मैं नहीं समझता कि यह बात किस आदेश के साथ सम्पन्न हुई? यह आदेश शासनादेश संख्या-उत्तर प्रदेश शासन के वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-19/2019/बी-615/10, 2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 जिसमें यह लिखा गया है कि यह 50 करोड़ से ऊपर का काम नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय जी, अब आप समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल द्वन्द की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप अधिकार छीन रहे हैं योग्यपूर्ण अपने जो स्टाफ हैं, जो गुणवत्ता रखता है, जिसे महारत हासिल है, उन्हें आप पीछे हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 2015-2016 में यूपीआरएनएन का 4200 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था और इन्हें 5 हजार 456 करोड़ रुपये की उपलब्धि हुई थी। 2016-17 में फिर 4350 उपलब्धि हुई 4050 रुपये तक की।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, बहुत हो गया है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, 2017-18 में फिर 4500 उपलब्धि हुई 3825 की। 2018-19 में आपने 50 करोड़ का प्रस्ताव घटा दिया और वह 50 करोड़ से ऊपर का कोई काम कर नहीं पायेंगे और आपने लक्ष्य रखा 6610 करोड़ रुपये का। 2019-20 में आपने 5500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा। काम केवल 2570 करोड़ रुपये का। हमारे यहां योग्य इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, वास्तुविद हैं, स्टाफ है, उपक्रम मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने आई0एस0ओ0 9001 और 14001 लेने का काम किया है, ऐसी संस्था को हम घर बैठाने का अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कहीं न कहीं बू आने का काम होता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, वह निर्देश आपका निर्देश नहीं हो सकता, उसके अन्दर जरूर किसी और का निर्णय है। यह निर्णय सार्वभौमिकता के साथ अपने विभाग में आपके द्वारा लिये जा सकें, ऐसी मेरी कामना है और मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके संरक्षण से पूरे सदन की ओर से एक और बात रखता हूं।

एक और बात आपके समक्ष रखता हूँ आपने सबका साथ देने के लिए जिस तरह से विश्वास जताया है मैं समझता हूं कि मंत्रिपरिषद् में पहली बार आपकी ओर से कुछ सही हवाएं बाबुल की हवाएं इस तरह की आई हैं। जिससे लोगों को यह विश्वास हुआ है कि शायद वह भी अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। आपकी दयादृष्टि अगर हो जाए कि विधान सभा सदस्यों के गांव तक भी विधायकों के जो अपने गांव हैं उन्हें भी दो लेन से जोड़ देने की घोषणा करने का काम यदि आप कर देंगे और 10 करोड़ रूपए जो आपने दिया है उसमें जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उन शहरी क्षेत्र के विधायकों के प्रस्ताव को भी मंजूर किया जाएगा और उसी के साथ-साथ उन प्रस्तावों में आपके नाम के साथ-साथ माननीय नेता सदनके नाम के साथ-साथ विधायकों के नाम भी उनके साथ अंकित हों और उनके लोकार्पण समारोह में उन लोगों को आमंत्रित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य श्री संजय गर्ग जी ने बहुत विस्तार से जो अपनी बातें रखी हैं सबसे पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर दया दिखाने की कोशिश की लेकिन दया आप उधर जो लोग बैठे हैं उन पर दिखाइए । मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा आपके ध्यान में रहे इसलिए बोले दे रहा हूँ 403 टिकट में से 403 टिकट हम लोगों ने तय करके दिया मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपने कहा तो बता रहा हूँ मुझे लगता है कि तीन टिकट वह अपनी इच्छा से नहीं दिला सकते हैं। दूसरा मैं चूँकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं हैं लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से किसने हटाया क्यों हटाया और समाजवादी पार्टी की बहुत बार सरकार बनी है क्या कभी केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी-किसी व्यक्ति को उप मुख्य मंत्री सपा ने बनाया था । (मेजों की थपथपाहट) आपने जो तमाम विषय रखे हैं उसके सम्बन्ध में बस इतना ही कहना चाहूँगा पहले तो मेरी जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश विधान सभा के किसी माननीय सदस्य का नाम उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के

आधार पर किसी सड़क सेतु आदि का जो निर्माण हुआ हो उसमें किसी सदस्य का नाम न रहा हो ऐसा...

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा ना-ना कहने पर)

पहले मेरी बात सुन लें। कहीं अगर किसी ने किया होगा तो आप मुझे जरूर शिकायत कीजिएगा उसमें कार्यवाही करेंगे । हम कोई कथनी और करनी में अन्तर नहीं करते। आमंत्रण सबमें जाता है अगर आमंत्रण जा रहा है और आपको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ जी हैं हम कैसे जाएं केशव प्रसाद मौर्य हैं तो हम कैसे जाएं अगर इस संकोच में आप नहीं आते तो हमारा दोष नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार और मेरा स्पष्ट निर्देश है कि किसी उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य का जिस विधान सभा क्षेत्र का काम है उसका नाम जरूर अंकित होना चाहिए अगर कहीं कोई ऐसी गलती किया है तो आप शिकायत दीजिए और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ मैंने कहा कि भेदभाव हम नहीं करते अगर कहीं कोई शिकायत है तो लिखकर दीजिए। कौन सी सड़क थी कहाँ पर आपका नाम होना चाहिए कहां पर नाम नहीं रखा गया अगर कोई केन्द्रीय निधि की सड़क होगी उसमें नाम चाहेंगे तो उसमें नाम नहीं होगा वह केन्द्र सरकार का पैसा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नाम चाहेंगे तो उसमें हो जाए कोई कर दे मेरे स्तर से विरोध नहीं है लेकिन जो राज्य सरकार की योजना है जो माननीय सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्य हैं उनका नाम हर हालत में रहे यह हम पहले भी निर्देश दे चुके हैं आज भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। एक बात माननीय संजय गर्ग ने बड़ी महत्वपूर्ण उठाई केन्द्रीय मार्ग निधि का जो पैसा है उसमें क्षेत्रफल और आबादी मैं बताना चाहता हूँ आपको न नालेज हो, पता करिएगा सपा और बसपा के समर्थन से केन्द्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी।

और श्री कमलनाथ जी केन्द्र सरकार में जब सड़क परिवहन मंत्रालय के मंत्री थे तो उन्होंने अपने स्वार्थ में आपके समर्थन से क्षेत्रफल के आधार पर उस समय परिवर्तन किया था और जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी आती थी (सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) आपके कारण यह गड़बड़ हुयी। आपको यह जानकारी नहीं थी आप इसकी जानकारी कर लीजियेगा। चूँकि उस समय सरकार आपके समर्थन से चल रही थी इसलिये मैं आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूँ दूसरा, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो नगरीय क्षेत्र के सम्मानित माननीय विधायकगण हैं, हमनें 403 विधायक की बात कही और 403 माननीय विधायक अपने क्षेत्र में चाहे जिस प्रकार का प्रस्ताव देंगे, अब यह न दे देना कि नगर निगम की सड़क है तो वह पी0डब्ल्यू0डी0 बना दे, ओवलैपिंग हो जायेगी, हम नहीं करेंगे, लेकिन पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क के लिये नगर क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी माननीय विधायक हैं वह 10 करोड़ रुपये लागत तक की, अब कोई काम हो रहा है और आप कहें कि इस काम को रोक दीजिये और यह काम करिये तो

वह सम्भव नहीं है। अब जैसे आपके क्षेत्र में स्टेट हाईवे बन रहा है वह रोका नहीं जा सकता, मुख्य जिला मार्ग है वह नहीं रोका जा सकता। जो आबादी 2001 से 2011 वाली है उसको तो हमनें संतृप्त कर दिया, 2011 की जो 250 तक की आबादी है उसके लिये हमनें इस बजट में भी प्रावधान किया है और बजट में कोई कमी नहीं है, आप चिन्ता मत करिये। चिन्ता करिये समाजवादी पार्टी की, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) आप विरासत में हमारे लिये क्या छोड़कर गये थे यह आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर बताईये और मैं दावा के साथ सदन में कह रहा हूँ कि उस सरकार के समय में जो माननीय मंत्री थे उनके क्षेत्र के गड्ढों को पाटने का काम भी हमारी सरकार के समय में हुआ है। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) और बिना भेदभाव के हुआ है और शानदार ढंग से हुआ है। गड्ढामुक्ति यह भी एक बड़ा अभियान है। पारदर्शिता रखना तथा हमारे मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है मैं जानता हूँ कि उससे थोड़ी सी बेचैनी आपकी ओर भी है और वह बेचैनी इसलिये है कि उस समय के कामों की भी जॉच हो रही है जिसकी आंच आप तक भी कहीं पहुंच रही होगी, मैं नहीं जानता कहां पहुंचेगी और किससे आप चिन्तित हैं। मुझे तो कोई चिन्ता नहीं है वह इसलिये कि सबका साथ सबका विकास पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और आप सबको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश का गरीब, किसान और नौजवान यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अमेरिका के मार्गों के बारे में आप सब जानते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मार्गों का निर्माण हमारी सम्पदा से नहीं हुआ, अपितु मार्गों के निर्माण से हमारी समृद्धि हुयी तो हम मार्गों का निर्माण अच्छे से करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश बने, गरीबी से मुक्त प्रदेश बने, विकास से युक्त प्रदेश बने। इतना कहते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो अनुदान मांगें रखी गयी है उन्हें पारित करायें।

(इस मध्य नेता, बहुजन समाज पार्टी श्री लाल जी वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, बैठिये। अब हो गया।

***श्री लाल जी वर्मा-**

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लें। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट सुन लें। यह तय हुआ था कि सभी कटौती प्रस्ताव रखने के बाद जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, सबको एक साथ बुलवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब उसका समय नहीं रह गया है। सब लोग बोल लिये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

तो मान्यवर सबका एक साथ रखा दीजिये फिर क्या फायदा हुआ। कटौती प्रस्ताव रखवाने का तात्पर्य क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, माननीय मंत्रीगणों ने अपने-अपने विभाग जितने आज यहां पर प्रस्तावित थे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्रीगण ने कह दिया इतने से तो काम नहीं चलेगा। माननीय सदस्य भी तो बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

वह भी तो बोले हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, केवल कटौती प्रस्ताव रखने वाले सदस्य ही बोले हैं बाकी सदस्य भी तो बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

अब तो 6 बज गये हैं और अभी तो विधेयक भी लेने हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आज 04 महत्वपूर्ण विभाग थे इसीलिये तो बढ़ाने की बात थी, लेकिन अब वह बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिये जो बात तय हो उस पर अडिग रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब हम ग्राम्य विकास विभाग की मद संख्या-77(1) लेते हैं। माननीय नेता विरोधी दल, क्या आपको ग्राम्य विकास विभाग का कटौती प्रस्ताव वापस लेना है ?

(माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कटौती प्रस्ताव वापस न लिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए बीस हजार तीन सौ सोलह करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुनाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए अठारह हजार चार सौ साठ करोड़ सत्तासी लाख अठहत्तर हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है माननीय विधायकों की सदस्यों की एक इच्छा है कि वह प्रस्ताव जो 10 करोड़ के लिए जाने हैं वह किसे कहां पे उपलब्ध कराये जायें।

श्री अध्यक्ष-

वह बाद में पूछ लीजिएगा। अब उस विषय से आगे बढ़ गये हैं। वह विषय बाद में लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए नौ हजार दो सौ तीस करोड़ चौंतीस लाख पैंतीस हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए छः हजार छः सौ उन्नतीस करोड़ तैंतालीस लाख पैंतालीस हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आठ सौ चौरानवे करोड़ छियासी लाख अट्ठासी हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54-लोक निर्माणा विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए दो लाख आठ सौ तिरसठ करोड़ चौवालिस लाख तैंतीस हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए एक सौ उनसठ करोड़ सोलह लाख सोलह हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपयो कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तीन सौ पचास करोड़ रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए दो हजार पांच सौ सत्तानवे करोड़ इकतीस लाख रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए इक्कीस हजार आठ सौ पैंतीस करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

[06:15 बजे] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अननुमोदन एवं उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश,2020 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और संकल्प अस्वीकृत हुआ)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जब यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है तो हम चाहेंगे कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और उस समिति के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी होंगे तो निश्चित रूप से जो इसमें बार-बार संशोधन लाना पड़ रहा है वह नहीं लाना पड़ेगा और सारी चीजों पर एक साथ चर्चा हो जायेगी और उसके बाद फिर जो निकल कर आयेगा वह यहां पास हो जायेगा।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, श्री लालजी वर्मा जी ने संशोधन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यादेश है और यदि इस अधिनियम में कोई भी परिवर्तन किया जाये तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले हमें सौ बार सोचना चाहिये और बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें जी0एस0टी0 का सबसे बड़ा हिस्सा 13.2 प्रतिशत है जो इससे प्रभावित होगा। वर्तमान में भी वर्ष 2019-2020 के मुकाबले 19.4 प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा सेल टैक्स में 26.5 प्रतिशत का किया है।

यह तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि क्योंकि जी0एस0टी0 कम्पनसेसन ग्राण्ट केंद्र सरकार जो 14 प्रतिशत देती है वह वर्ष 2022 में बन्द हो जाएगी और वर्ष 2022 में जब कम्पनसेसन ग्राण्ट की आपकी रिकवरी नहीं हो रही है और उसके बदले में जो जी0एस0टी0 कम्पनसेसन ग्राण्ट मिलती है वह इस वित्तीय वर्ष में 7 हजार 608 करोड़ रुपया उसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने उसके रेवेन्यु में जोड़ने का काम किया है। 7 हजार 608 करोड़ रुपया एक साल बाद आपको मिलेगा नहीं और संविधान में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। वन-टैक्स-वन-नेशन के बावजूद भी ऐसे बहुत से कानून हैं। मण्डी समिति और दूसरे टैक्स, जिसे हम लेने का काम करते हैं। मजोला व्यापारी का जी0एस0टी0 आने के बाद उसका व्यापार करना बिल्कुल भारी हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में जहां सिर्फ पोर्टल के आधार पर टैक्स जमा कराने की बात हो वहाँ कभी बिजली आती है, कभी नहीं आती है, कभी नेट आता है और कभी नहीं आता है और नेट नहीं आता है तो चाहकर भी वह अपना जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर अर्थदण्ड और तमाम ब्याज तथा तमाम तरह की चीजें लगती हैं। इसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस तरह के थे कि जिला अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना इसके अन्तर्गत हो। यह और भी ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब हमारे उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 861 करोड़ रुपयो जो था उससे ज्यादा हमारा ऋण

5 लाख 16 करोड़ रुपये का है और 5 लाख 16 लाख करोड़ रुपये (5.16) लाख करोड़ रुपये का ऋण यानी कि उत्तर प्रदेश का हर बच्चा 22 हजार 442 रुपये का कर्जमंद है। कोई भी बच्चा यदि कल पैदा होगा तो वह 22 हजार 442 रुपये का कर्जमंद है। वह उस कर्ज के बोझ में डूबा हुआ होगा। ऐसे में हम स्टेट ओन टैक्स जैसे उस अध्यादेश को इस तरह से हल्के में लेकर उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि वह बात ठीक नहीं है। अपने फेडरल स्ट्रक्चर को देखते हुए तथा अपनी समस्याओं को देखते हुए और प्रदेश की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए अगर हमें कुछ दूसरे तरह के भी निर्णय लेने पड़े तो निश्चित रूप से उसमें हमें अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल मैं चाहता हूं कि करना चाहिए। खासतौर से इसके अन्तर्गत जो व्यापारियों को समस्या आ रही है कि जी0एस0टी0 ट्रिब्युनल का गठन जिला स्तर पर नहीं है। हम चाहते हैं कि यह भी इसके अन्तर्गत होने का निर्णय हो जाता बजाय इसके कि हम केवल उसी के अन्तर्गत जाकर अपील करने की बात करें।

मान्यवर, जी0एस0टी0 नियम पोर्टल पर लागू हो न की पोर्टल के अनुसार जी0एस0टी0 हो और पोर्टल के अनुसार जी0एस0टी0 है, लेकिन पोर्टल को अपडेट किया नहीं जाता है। जी0एस0टी0 काउंसिल की रोज मीटिंग होती है और हर महीने उसमें एक हजार परिवर्तन होते हैं कि कौन सा परिवर्तन किस तारीख तक लागू है? इसमें व्यापारी केवल इसी उलझन में उलझ जाता है और चार्टेड एकाउंटेट की उलझनों में उसका शोषण होने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। बड़ी-बड़ी कार्पोरेट कम्पनियां जो इक्यूप्ट स्टॉफ रख रही हैं वह केवल जी0एस0टी0 के अनुसार अपना कर्ज जमा कराने की बात कर रही हैं, परन्तु तमाम कस्बों में, तमाम गांवों में, तमाम मझोला तथा छोटा व्यापारी निश्चित रूप से उस बात के साथ न केवल परेशानी महसूस कर रहा है, बल्कि इस बात का अहसास करता है कि इसके अन्तर्गत जो परिवर्तन होने चाहिए वह परिवर्तन किस तरह से जल्दी से जल्दी होने की बात हो। एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें तमाम आई0पी0सी0 और लिमिटेशन ऐक्ट जो उसके अन्तर्गत हैं, लेकिन इसके अन्तर्गत आपने कानून बना दिया कि 30 दिन के अंदर अपील नहीं की तो दण्डित किया जाएगा। इसे इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट के अन्तर्गत लाना चाहिए कि उसके अंदर जितना समय है और उस अपील का समय उसके अन्तर्गत दिया जाना चाहिए। इन तमाम विसंगतियों पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार हो सके और एक कमेटी बन सके तथा सु-संगत विचारधाराओं में प्रदेश के हित में निर्णय लेने का काम किया जा सके इस बात के लिए निश्चित रूप से आपका संरक्षण लेते हुए मैं इस बात का प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत करे। उसके बाद वह निर्णय लें और निर्णय लेने के बाद यह अध्यादेश आ जाए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इन्होंने इस पर कुछ बोला है तो थोड़ा सा जवाब देना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जी हां। इन्होंने जैसे कहा है कि बहुत सारे काम बहुत तेजी से नहीं करने चाहिए। मान्यवर, बहुत सारे काम बहुत तेजी से ही करने चाहिए। अगर व्यापारी को लगता है कि उसको 20 लाख तक की छूट से बढ़ाकर 40 लाख रुपये तक की उसको छूट दी जा सकती है तो वह काम तेजी से करना चाहिए। इसे तेजी से करना चाहिए। धीरे से नहीं करना चाहिए। इसमें एमेंडमेंट सेक्शन-22 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है और उसमें यह लिखा है कि एक्जेम्पसेन लिमिट जो 20 लाख रुपये तक थी उसको एक्सीड करके 40 लाख रुपये तक का प्रोविजन किया गया है। यह तो अच्छी बात है इसका स्वागत करना चाहिए।

मान्यवर, हम बहुत तेजी से काम करते हैं। दूसरा मान्यवर, महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि जो कंपोजिट स्कीम के अन्तर्गत आते हैं उन लोगों को हर तीसरे महीने अपनी रिटर्न भरनी पड़ती थी और हर महीने उनको टैक्स जमा करना पड़ता था। अब मान्यवर यह प्रस्ताव है कि हर तीसरे महीने भरने की जरूरत नहीं है आप हर साल भरिये और तिमाही टैक्स जमा करिये। इसमें कौन सी परेशानी थी। अपोजीशन को अगर इसमें भी परेशानी है तो यह भी अनुचित बात है। मान्यवर, बहुत सारी चीजें थीं जो कमिश्नर लेवल पर डिसाइड नहीं होती थीं। मान्यवर, कमिश्नर को मंथली स्टेटमेंट का समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। जितने भी इसमें अमेंडमेंट किये गये हैं क्योंकि जी0एस0टी0 एक ऐसा टैक्स आया है जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश एक कंज्यूमर स्टेट है और कन्ज्यूमर स्टेट होने के नाते उत्तर प्रदेश को जी0एस0टी0 का सबसे बड़ा लाभ होने वाला है जो केंद्र सरकार ने वन टैक्स वन नेशन और वन मार्केट की बात कही है तो जी0एस0टी0 का सर्वत्र स्वागत हुआ है और उसमें जो भी सुझाव समय-समय पर व्यापारियों के द्वारा आते गये उसको जी0एस0टी0 काउंसिल ने स्वीकार किया है। मान्यवर, जो जी0एस0टी0 काउंसिल स्वीकार करती है उसको प्रदेश को मेंडेटरी होता है कि हमें उसको पास करना है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो यहां पर बिल आया है उसको पास करने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-22 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 3,4,5,6,8,9,11,12 और 21 के उपबंध दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे तथा इस अधिनियम की धारा 2,7,10,13,14,15,16,17,18,19 व 20 के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में, खंड (4) में शब्द ''अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' के पश्चात शब्द ''राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण,'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-10 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''स्पष्टीकरण 1-द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदत्त छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।'';

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) खंड (घ) के अंत में आने वाले शब्द ''और'' को निकाल दिया जायेगा;

(ii) खंड (ङ) में शब्द ''अधिसूचित किया जाए'', के स्थान पर शब्द ''अधिसूचित किया जाए, और रख दिये जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:'';

(ग) उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा-9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) कि उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा-(2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय करके स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,-

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा-52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहाँ ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन योजना का तब तक के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं'';

(घ) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपधारा (1),'' दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर यथास्थिति ''उपधारा (1) का उपधारा (2क)'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द कोष्ठक और अंक ''उपधारा (1)'' के पश्चात् शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क), बढ़ा दिये जायेंगे;

(च) उपधारा (5) में, शब्द कोष्ठक और अंक ''उपधारा (1)'' के पश्चात् शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर ''यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क)'', बढ़ा दिये जायेंगे;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

''स्पष्टीकरण 1-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पद ''सकल आवर्त'' के अन्तर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की आपूर्तियां सम्मिलित होंगी जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी बन जाता है, किन्तु इसमें सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, पद ''राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त'' में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :-

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की पूर्तियां, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) सेवाओं की ऐसी करमुक्त पूर्ति, जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हो और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हों।''

धारा-22 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-22 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक

के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

''परन्तु यह भी **कि सरकार, परिषद्** की सिफारिशों पर बीस लाख रुपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति में लगा हुआ है जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो ''

धारा-23 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात :-

''(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किये जाने वाले प्रारुप और रीति में तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सत्यापन कराये जाने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध, इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति को, आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहाँ व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबन्ध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग के लिये लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए पर ''आधार संख्यांक'' का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा-2 के खंड-(क) में उसके लिए निर्दिष्ट है।''

नई धारा-31क का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा-31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा

''31क-सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गयी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और तद्नुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।''

धारा 39 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा-39 में-

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा-10 या धारा-51 या धारा-52 के उपबन्धों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐस प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाएं, इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा-10 के उपबन्धों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रारूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।'';

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

''(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परन्तुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा :

परन्तु उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किये गये इनपुट का प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को

देय कर का संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर संदाय करेगा।''

धारा-44 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा-44 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

''परन्तु आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''

धारा-49 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा-49 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :-

''(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर सम्बन्धी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहाँ उसे उपधारा (1) में यथा उपबंधित रूप में उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।''

धारा-50 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा-50 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा अर्थात् :-

''परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के सम्बन्ध

में संदेय कर पर ब्याज, जिसे धारा-39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहाँ के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के सम्बन्ध में धारा-73 या धारा-74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उदगृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकालकर किया गया है।''

धारा-52 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा-52 में,-

(क) उपधारा (4) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

''परन्तु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।'',

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित पन्तुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

''परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।''

नई धारा 53-क का बढ़ाया जाना

12-मूल अधिनियम की धारा-53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''53-क-जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद

कतिपय रकमों का अंतरण

खाते से केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर हेतु इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहाँ

सरकार केन्द्रीय कर खाता या एकीकृत कर खाता या उपकर खाते को, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के समतुल्य रकम का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी।''

धारा-54 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा-54 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :-

''(8क) जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण किया हो, वहां राज्य सरकार इस प्रकार प्रतिदायकृत रकम के समतुल्य रकम, केन्द्र सरकार को अंतरित करेगी।''

धारा-95 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 95 में,-

(i) उपखण्ड (क) में,-

(क) शब्द ''अपील प्राधिकरण'' के पश्चात् शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द और अंक ''धारा-100 की उपधारा (1)'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''उपधारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101-ग'' बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) उपखण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्-

''(च) ''राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।''

नई धारा-101क, 101ख और 101ग का बढ़ाया जाना

15-मूल अधिनियम की धारा-101 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्-

''101क-इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन,

राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को

''101ख-(1) जहां धारा-97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के सम्बन्ध में, धारा-101 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्य

अपील क्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी

अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहाँ आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा-25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जिनमें ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, आवेदक, सम्बन्धित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, सम्बन्धित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किये जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक अग्रतर अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्रारूप में होगी, जिसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।''

''101ग-(1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश प्राधिकृत अधिकारी, केन्द्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर

मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट या उपांतरित करते हुये ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु पर भिन्न राय हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासम्भव नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसे सुनाए जाने के पश्चात् यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।''

धारा-102 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा-102 में, प्रारम्भिक भाग में,-

(क) शब्द ''अपील प्राधिकरण'' दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हों, के पश्चात् शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) शब्द तथा अंक ''या धारा-101'' के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर ''या धारा 101ग'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) शब्द ''या अपीलार्थी'' के स्थान पर शब्द ''अपीलार्थी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण'' रख दिये जाएंगे।

धारा-103 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा-103 में,-

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

''(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति है, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा हो और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी लेखा संख्या हो;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी एक ही स्थायी लेखा संख्या हो।'';

(ii) उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक और अंक ''उपधारा (1)'' के पश्चात् शब्द कोष्ठक, अंक तथा अक्षर ''और उपधारा (1क)'' बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा-104 का संशोधन

18-मूल अधिनियम की धारा-104 में, उपधारा (1) में,-

(क) शब्द ''प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण'' के पश्चात् शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) शब्द और अंक ''धारा-101'' के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर ''या धारा-101ग'' के अधीन'' बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा-105 का संशोधन

19-मूल अधिनियम की धारा-105 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात्-

''प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां'';

(ख) उपधारा (1) में, शब्द ''अपील प्राधिकरण'' के पश्चात् शब्द या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द ''अपील प्राधिकरण'' के पश्चात् शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-106 का संशोधन

20-मूल अधिनियम की धारा-106 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात्-

''प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया'';

(ख) शब्द ''अपील प्राधिकरण'' के पश्चात् शब्द ''या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा-171 का संशोधन

21-मूल अधिनियम की धारा-171 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित संशोधन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जॉच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह कि ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद ''मुनाफाखोरी'' से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरुपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 2020

22-(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-22 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***वित, संसदीय कार्य, चिकित्सक शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[06:30 बजे] उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)**-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह से इस विधेयक में है कि यदि नागरिकों की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे उप धारा के एक अधीन ऐसे श्रेणी के आरक्षित व्यक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा। तो जो व्यवस्था इसमें की जा रही है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का, हालांकि मान्यवर, यह प्रस्ताव जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये रिजर्वेशन का, हमारी पार्टी हमेशा इससे सहमत रही है और हमारी नेता माननीया बहन कुमारी मायावती जी ने हर जगह इसका समर्थन किया है। लोक सभा में भी राज्य सभा में भी और मंचों से भी इसका शुरूआत उन्होंने करने का काम किया तो इसलिए मेरा इसमें कोई संशोधन नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ।

मान्यवर, मेरा इसमें कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी तरह से जैसे इसमें किया गया है कि जो मेरिट से सेलेक्ट होंगे, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उसी तरह से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए भी मा0 मंत्री जी यह घोषणा करें कि जो मेरिट से सेलेक्ट होंगे उनकों इसमें शामिल नहीं किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाएगा। इसमें मेरी तरफ से संशोधन नहीं है। मा0 नरेन्द्र वर्मा जी संशोधन करना चाहें तो करें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण) विधेयक 2020 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, क्रम संख्या-05 इस विधेयक में 10 प्रतिशत आरक्षित सामान्य वर्ग। जो सामान्य वर्ग का फार्म भरेगा और जो जनरल कैटेगरी आरक्षण की 40 प्रतिशत बच रही है, अगर उनके बराबर नम्बर पायेगा, तब भी जनरल कैटेगरी में सामान्य वर्ग के गरीब लाभार्थी को लाभ नहीं मिल रहा है। क्रम संख्या-06 पर 10 प्रतिशत गरीब सवर्ण को आरक्षण की बात कहीं गयी है तो अगर 10 प्रतिशत का कोटा फुल नहीं होता है तो जो 40 प्रतिशत अमीर सवर्ण हैं उनकों उसमें मौका दिया जा रहा है। मेरी क्रम संख्या-05 और 06 पर आपत्ति है और हमारी पार्टी का भी कहना है कि गरीब सवर्णों को उनके हक का लाभ मिलें। हमारा और मा0 अखिलेश यादव जी का क्रम संख्या-05 और 06 पर विरोध है कि 10 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में गरीब सवर्णों को न बांटा जाए। जो जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं उनकों वहाँ ले जाया जाए और क्रम संख्या-06 पर जो 10 प्रतिशत रिक्तियां बचेंगी उनको सामान्य बड़े लोगों से न भरा जाए, उन्हीं से भरा जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बहुत सालों से सभी राजनीतिक दलों की तरफ से यह मांग होती रही है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाए और यह 103वां संविधान संशोधन है। जहां तक मेरी जानकारी है और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, सभी ने लोक सभा और राज्य सभा में समर्थन इसका किया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने आपत्ति नहीं लगाई है, हमने पूरा समर्थन किया है और अपनी पार्टी का व्यू बताया है। लेकिन हमारा यह भी कहना है कि इसी तरह से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति...

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे! वह विषय जब आये तब बात कीजिएगा। अभी आप कहते हैं कि विषयान्तर न हो और स्वयं वरिष्ठ सदस्य होकर विषयान्तर कर रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, 18 फरवरी, 2019 को एक शासनादेश के माध्यम से यह यहां लागू हो गया। आज हम बिल के माध्यम से लाए हैं और जैसी भी सदन की भावना है तो उसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, इससे सभी सहमत हैं। मा0 मंत्री जी को ज्ञात होगा कि जब पहली बार मा0 मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सवर्णों के आरक्षण के लिए कौशिक कमेटी का गठन किया था और उसकी संस्तुति भी आ गई थी, लेकिन सरकार चली गई और वह धीरे-धीरे बढ़ता गया। आप लाए हैं, ठीक है। मा0 वर्मा जी ने कह दिया है कि इनकी भी पार्टी पक्ष मे है और हमारी भी पार्टी पक्ष में है। आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, गरीब, गरीब है। शंकाएं दो हैं। जैसे वर्मा जी ने कहा है। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने उठाया गया था कि लोक सभा ने एक नियमावली निकाली है, आदेश। चाहे जी0ओ0 कह लीजिए। अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राएं किसी कम्पटीशन में बैठते हैं तो चाहे कितनी भी मेरिट हाई हो, वह अपने आरक्षण के अंदर ही रहेंगे। अगर पिछड़े वर्ग का छात्र 27 प्रतिशत में है तो वह 27 प्रतिशत में ही रहेगा। लेकिन पहले यह था कि यदि छात्र टॉप कर गया तो वह सामान्य वर्ग में चला जाता था और इससे तमाम पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को मौका मिलता था। ऐसा ही अनुसूचित जाति में भी था। हम लोगों को इसमें भी वही आशंका है। अगर इसमें जो टॉप लड़का 10 प्रतिशत में जो आता है यदि वह टॉप में आ जाये तो उसको आप सामान्य में नियुक्त करेंगे या 10 प्रतिशत में नियुक्त करेंगे। अगर सामान्य में करेंगे तो फिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो हुआ नहीं। गरीब सवर्ण जाति के मन में आशंका भी है कि गरीब सवर्ण जाति के लड़के जो गरीबी में फार्म भरते हैं, अगर वह टॉप नंबर पाते हैं तो उनको 10 प्रतिशत के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे और पिछड़ा और दलित टॉप नंबर पाता है तो उसको अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे, यही आशंका थी इसलिए संशोधन किया गया था, इसके पक्ष में सभी लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो आप समर्थन कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, पहले क्लैरीफिकेशन तो हो, शंका का निवारण तो हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि साहब! विषयांतर हो गया और वर्मा जी तो हमेशा कहते हैं। आज जो विषय सामने है उसके बारे में

चर्चा करें या पूरे ब्रह्माण्ड के बारे में चर्चा करेंगे तो पूरे ब्रह्माण्ड के बारे में चर्चा तो हो नहीं रही। सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास तो है ही।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, शंका का समाधान होना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब वह मैटर आएगा तो शंका का समाधान कर देंगे। आज केवल 103वां संविधान संशोधन जो राज्य सभा और लोक सभा से पास हुआ, केन्द्र में कानून बना, उसको एक शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी, 2019 को लागू किया गया, आज हम उसका बिल लेकर आए है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारी आशंका यह है कि जो गरीब सवर्ण छात्र-छात्राएं अप्लाई करेंगे, परीक्षा होगी, अगर टॉप नंबर पा गये तो दस के बाहर रहेंगे या दस के अंदर रहेंगे, यही क्लैरीफिकेशन तो आपसे मांगा जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसमें पांच में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रस्तुत करें ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इस विधेयक को हम लोग सर्वसम्मति से मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें तो प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में तो कोई नहीं है इसलिए प्रवर समिति वाला तो अब खत्म हो गया। अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 पर विचार किया गया ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति का प्रश्न तो तब आता है जब शंका का समाधान हो जाये। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय कहा है उसे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

राज्य में लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य ऐसी सेवाओं या पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) ''नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप एफ0एन036039/1/2019 ई0एस0टी0टी0 (आर0ई0एस0), दिनांक 19-01-2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों से है;

(ग) ''लोक सेवाओं और पदों'' का तात्पर्य राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और जिसमें निम्नलिखित की सेवायें और पद सम्मिलित हैं :-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें समिति की अन्यून इक्यावन प्रतिशत अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो;

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें अन्यून इक्यावन प्रतिशत समादत्त अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो;

(चार) संविधान के अनुच्छेद-30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई ऐसी शिक्षण संस्था, जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित है;

(पॉच) जिनके सम्बन्ध में आरक्षण, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को ऐसी शासनादेशों द्वारा लागू था जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन आच्छादित नहीं हैं;

(घ) ''आरक्षण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से है;

(ङ) किसी रिक्ति के सम्बन्ध में ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की ऐसी अवधि से है जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के सापेक्ष सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में आरक्षण

3-(1) लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली दस प्रतिशत रिक्तियॉ, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित की जायेंगी

परन्तु इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी हेतु लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

(2) इस धारा के अधीन आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन उपबंधित आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

(3) कार्मिक अनुभाग-2 की संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0सी0-II दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा एक रोस्टर जारी किया है जो अनवरत् रूप से तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उसे समाप्त न कर दिया जाय।

(5) यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा।

(6) जहां किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा (1) के अधीन रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई निश्चित की गयी रिक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके, वहाँ ऐसी रिक्तियां, आगामी भर्ती वर्ष के लिये बैकलाग के रुप में अग्रनीत नहीं की जायेगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जायेंगी।

इस अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां

4-(1) राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को सौंप सकती है।

(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियां या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निवर्हन के लिए आवश्यक हों।

शास्ति

5-(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी, जिसे धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, जो इस अधिनियम के प्रयोजन का जानबूझकर उल्लंघन करने या उसे विफल करने

के आशय से कार्य करता हो, दोषसिद्ध होने पर, ऐसे कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है, या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-262 की उपधारा (1), धारा-263, धारा-264 और धारा-265 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अभिलेख मागने की शक्ति

6-यदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह आता है कि धारा-3 की उपधारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों या इस निमित्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

आय और आस्ति प्रमाण-पत्र

7-इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आरक्षण के प्रयोजन के लिए आय और आस्ति प्रमाण-पत्र, राज्य के ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी, जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे प्रपत्र में जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जायेगा।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0सी0-II, दिनांक 18 फरवरी, 2019, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करना

8-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

9-इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

10-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

11-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने पर अनुसूची को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

आदेश इत्यादि का रखा जाना

12-धारा-3 की उपधारा (4) और धारा-4 तथा धारा-8 के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

व्यावृत्तियां

13-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आरम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले, विधि के उपबन्धों और शासनादेशों के अनुसार, जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण-जहां सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार-

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया आरम्भ हुई समझी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

[धारा 3 (1) देखें]

ऐसे व्यक्ति, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित किसी आस्ति का स्वामित्व या कब्जा हो, परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रूप में अभिज्ञानित किये जाने से अपवर्जित होंगे;

एक-5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि;

दो-1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासी फ्लैट;

तीन-अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;

चार-अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

ऊपर यथा उल्लिखित परिवारों की आय और उनकी आस्तियों का सत्यापन, राज्य में तहसीलदार की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसा अधिकारी, जो प्रमाण-पत्र जारी करेगा, समस्त सुसंगत दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के पश्चात् ऐसा करेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[06:40बजे] राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सक शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, 02 महत्वपूर्ण और बहुत छोटे सुझाव मेरे हैं, मैं चाहती हूँ कि उस पर यह सदन, संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लें। उत्तर प्रदेश सचिवालय और उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् के जो समीक्षा अधिकारी हैं, उनका एच0आर0ए0, हाउस रेंट एलाउन्स एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जबकि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा जो भवन आवंटित किए जा रहे हैं, उसमें भेद बरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी को टाइप-3 और विधान सभा और विधान परिषद् के समीक्षा अधिकारी को टाइप-2 के आवास का आवंटन किया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि यह भेदपूर्ण है, गलत है और इसमें संशोधन आवश्यक है।

***श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस संशोधन पर कुछ बातें कहना चाहूँगा। जैसा अभी नेता कांग्रेस ने आपके समक्ष रखा कि जो एच0आर0ए0 हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के आर0ओ0 से ले रहे हैं और उनको टाइप-2 दे रहे हैं। जबकि उतने ही एच0आर0ए0 में सचिवालय प्रशासन में नियुक्त आर0ओ0 को हम टाइप-3 दे रहे हैं। जो एच0आर0ए0 यहां उत्तर प्रदेश विधान सभा के आर0ओ0 दे रहे हैं, उससे कम में सचिवालय के अन्य कर्मचारी जो ड्राइवर हैं, चतुर्थ श्रेणी में हैं, उनको टाइप-2 मिल रहा है, लेकिन उससे दोगुने एच0आर0ए0 में विधान सभा सचिवालय के समीक्षा अधिकारी को टाइप-2 का आवास आवंटित किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा करके इतना संशोधन इसमें हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका विषय आ गया।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी इसको प्रवर समिति को सौंपने पर बल देता हूँ और मेरा आशय इस बात के साथ है, यह तो आपके ही क्षेत्र का मामला है और हम सब लोग इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा को संचालित करने में सभी साथियों के सहयोग से इस बात को यहां तक इस संचालन को खूबसूरती के साथ कर पाते हैं और निश्चित रूप से यह भेदभाव है कि जब उत्तर प्रदेश सचिवालय के स्टाफ, हाई कोर्ट के स्टाफ, लोक सेवा आयोग के स्टाफ, रेवेन्यू बोर्ड के स्टाफ को राजपत्रित दर्जा दिया गया, परन्तु उतने ही वेतनमान और समकक्ष होते हुए भी इन्हें राजपत्रित अधिकारी का अभी तक दर्जा नहीं मिला है और इसी वजह से टाइप-2 और टाइप-3 का भेदभाव इनके साथ हो रहा है। और दूसरा जब आवासों के आवंटन का अध्यादेश, विधेयक के रूप में सदन में आया है तो यह बहुत दिनों से लम्बित है कि जो सीनियर विधायक हैं, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए, मकानों का आवंटन किया जाय। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर समन्वित रूप में यह प्रयास होकर एक ही विधेयक में यह बात आ जाती तो ज्यादा बेहतर था। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

विधायकों को आवास दिए जाने वाली बात तो इससे भिन्न है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा व्यू भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

अरे, क्यों बोल रहे हो ? आपके दल के लोग तो बोल चुके हैं, बात आ गयी है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, नियम बनाने में जो संशोधन दिए हैं, वह भी बोल सकते हैं और जो नहीं दिए हैं, वह भी बोल सकते हैं। यह तो नियम बन रहा है तो नियम बनने में जितने मा0 सदस्यों को रूचि हो, वह बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमको कोई कठिनाई नहीं है।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, समान पदों पर सचिवालय प्रशासन और विधान सभा सचिवालय के लोग समान रूप से कार्य कर रहे हैं। इसमें आवास की बात आई है। इसमें बात राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने की है, वहाँ दिया जा रहा है, और यहां नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कोई नई बात बताईये, जो संजय जी ने न कही हो वह बताईये। संजय जी ने विस्तार से कह दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि यह जो विधेयक लाया गया है और राज्य संपत्ति नियंत्रणाधीन के जितने भवन हैं, उन्हीं भवनों में विधायक के और मंत्रियों के भवन भी शामिल होते हैं, तो इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि इसमें प्रवर समिति को कर दिया जाए और जिससे इसमें समग्र रूप से, विचार करके एक अलग से विधेयक आए, इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि जो विधायक और मंत्रियों के लिए भवन हैं उनका अलग से चिन्हीकरण कर दिया जाए, फिर वह न तो हाई कोर्ट को दिया जाए और न किसी अधिकारी को दिया जाए, उन्हीं में से एक कमेटी बन जाए, जो आपकी अध्यक्षता में हो, या विधान सभा की एक कमेटी बन जाए और आवास कमेटी बनकर उसका भी निर्धारण वह करे कि सीनियारिटी या उसकी नियमावली बनकर इसके मैं चाहूंगा कि इसमें यह भी तय किया जाए कि उसके नियंत्रणाधीन जो भवन हैं उसमें से मंत्रियों और विधायकों के लिए जितने भवन की जरूरत है उसको अलग से चिन्हीकरण करके उसको सदन की एक कमेटी के द्वारा उसका आवंटन किया जाए यह भी इसमें आना चाहिए।

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, हमारा केवल एक ही विषय है जो मा0 वर्मा जी ने कहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरी एक दिन बात हुई थी तो इन्होंने हम से कहा कि जो आप कह रहे हैं हमने उसको मान लिया है। जैसे लोक सभा में है कि सीनियारिटी के हिसाब से मा0 सांसदों को राज्य सभा सदस्य को वहाँ पर कमरा और बंग्ला आवंटित होता है और उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू नहीं है। जैसे कल संसदीय कार्य मंत्री जी कल यहां आ कर बैठेंगे आठ बार विधायक और नौवी बार आएंगे तो क्या कोठरी में रहेंगे? तो यहां भी आपने हमसे कहा था कि इसके लिए मैंने व्यवस्था कर दिया है, इसमें तो कहीं इसकी व्यवस्था ही नहीं है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि प्रवर समिति को दिया गया और सभी मा0 को ठीक से कोई इसमें कोई तेजी तो है नहीं। सभी मामले आ जाएं विधायक के लिए, राजपत्रित अधिकारी के लिए, हम सब विचार करके एक अच्छा अधिनियम लेकर आए और उसको सदन में पास कराएं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह दो ऐक्ट अलग-अलग हैं, एक केवल विधायकों की सुख-सुविधा का अधिनियम है। इनमें कोई 81 का है, उसके तहत वह आ रहा है और यह दूसरा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंणाधीन भवनों का आवंटन संशोधन विधेयक यह ऐक्ट अलग है। उनकी

उपलब्धियां वह अलग है वह 1981 का है, उसका परीक्षण हो रहा है, विधायिक परीक्षण हो रहा है, उसे बनाकर भेज दिया और उसमें केवल एक बात थी। अभी जो कांग्रेस की नेता मोना जी समीक्षा अधिकारी की बात जो कही उस संबंध में जानकारी दे दें। यह सही है कि सचिवालय के समीक्षा अधिकारी जो हैं उनको राज्यपत्रित अधिकारी के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन जो सचिवालय के कर्मचारी हैं समीक्षा अधिकारी उनको गजटेड ऑफीसर के रूप में मान्यता नहीं दी गई। अब उसके लिए भी आप हमें दोषी बना दीजिए। जब कोई विषय सामने आता है तब उस पर विचार होता है। आवश्यकता अविष्कार की जननी है।

तो इसलिए अब आपने आवश्यकता महसूस की, अब इसके ऊपर विधिवत् विचार हो जाएगा। लेकिन अभी तक की व्यवस्था यह है कि सचिवालय के जो समीक्षा अधिकारी हैं, उनकी मान्यता गैजेटेड रूप में हैं और जो विधान सभा के लोग हैं, वे नॉन गैजेटेड में आते हैं। इसलिए उन लोगों को क्लास-3 वाले मकान मिल जाते हैं, जो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी हैं और इसलिए इनको नहीं मिले। उसकी वजह यह है, वजह बता देंगे। अब रही बात इसकी। मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत से लोगों को, जिनको सांविधिक रूप से कहीं न कहीं किसी कमेटी का, किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, मेम्बर बनाया गया, सलाहकार बनाया गया, हम उन लोगों को अभी तक 10 हजार रुपये हाउस रेण्ट के रूप में देते थे तो एक तरफ 10 हजार रुपये देते थे और दूसरी तरफ हमारे पास ओ0सी0आर0 में काफी मकान ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। इसलिए उनको खासतौर से अगर आप देखें, इसमें पेज-3 पर जो क्रम संख्या-5 है उसमें खासतौर से ओ0सी0आर0 ही लिखा हुआ है कि केवल ओ0सी0आर0 का ही उनको दे रहे हैं। एक तरफ तो 10 हजार रुपये में मकान आजकल मिलता नहीं, 10 हजार रुपये में इस लोकैलिटी में मकान मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना बड़ा मकान कि जिसमें दो कमरे हैं, एक बैठक/ड्रॉइंग रूम है। मान्यवर, इसलिए विशेष रूप से यह लाया गया और उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए उनको ओ0सी0आर0 में दे दिया जाएगा। अब 10 हजार रुपये के स्थान पर उनको यह निवास मिल जाएगा। दूसरी अभी एक बात जो सीनियरटी के हिसाब से विधायक वाली कह रहे थे, उसका विधायी में परीक्षण हो रहा है। जैसे ही उसका परीक्षण हो करके आ जाएगा तो उसको हम सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन यह मानसिकता बन गई कि मा0 नेता सदन ने, मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा था और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात से कंविन्स्ड भी होंगे कि जो लोग तीन बार या उससे अधिक बार के विधायक हैं, उनको कम्पैरिटिवली जो न्युली कमर विधायक हैं, उनसे बेटर आवास उनको मिल जाएगा क्योंकि हमारे वहाँ एक से आवास तो हैं नहीं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था के तहत वह बिल तैयार हो गया है और जैसे ही वहाँ आ जाएगा, वैसे ही हम उसे सदन के सामने लेकर आएँगे। मान्यवर, फिलहाल हमने जो यह व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की है तो मेरा अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, हमने जो संशोधन की मांग की है, हम उस पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016 के वृहद् नाम का संशोधन

2-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के वृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित वृहत् नाम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

''राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, न्यासों तथा न्यायमूर्तिगण को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवंटन को विनियमित

करने के लिए''

धारा-2 का संशोधन

3-मूल अधिनियम में, धारा-2 में,-

(क) खण्ड (ट) को निकाल दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जाएंगे, अर्थात् :-

''(त) 'बाजार दर' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से नियत दर से है;

(थ) 'सांविधिक आयोग' का तात्पर्य किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग से है।''

धारा-3 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-3 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि आवासों का प्रकार एवं उसकी विशिष्टियां ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।''

धारा 4 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''4-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवंटन की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

सारणी

क्रमांक	आवंटन की पात्रता	भवनों के प्रकार
01	राज्य सरकार के अधीन समूह 'घ' के कर्मचारी;	एक
02	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'ग' एवं 'ख' के अराजपत्रित पदाधिकारीगण;	दो
03	(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'ग' के राजपत्रित अधिकारीगण; (2) राज्य सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'ख' के राजपत्रित अधिकारीगण;	तीन
04	(1) राज्य सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश	चार

	सचिवालय के अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'ख' के अधिकारीगण; (2) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनु सचिव या उप सचिव या संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'क' के अधिकारीगण; (3) न्यायिक सेवाओं के अधीनस्थ अधिकारीगण; (4) पत्रकार, सोसाइटी एवं मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ;	
	(5) उपलब्धता के अध्यधीन, राज्य सरकार के यथास्थिति विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यगण या सलाहकारगण;	चार (विधायक निवास-3, ओ0सी0आर0)
05	(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष सचिव या सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'क' के अधिकारीगण; (2) उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला न्यायाधीशगण एवं समकक्ष वेतनमान में कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारीगण; (3) न्यास; (4) राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोग तथा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यगण; (5) वरिष्ठ पत्रकारगण;	पांच
06	(1) उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति;	छः एवं सात

	(2) प्रमुख सचिव की श्रेणी से अन्यून राज्य सरकार के अधिकारीगण; (3) जिला न्यायाधीश तथा समकक्ष वेतनमान के न्यायिक अधिकारी; (4) राजनैतिक दल; (5) संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य।''	

धारा-5 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-5 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त यथास्थिति गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या सलाहकारों को भवन आवंटन, राज्य सम्पत्ति विभाग के मंत्री के पूर्व अनुमोदन में राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।''

धारा-6 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा-6 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

''(3) किसी न्यास को भवन आवंटन अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा न्यास द्वारा आवेदन किए जाने पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अग्रतर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा;

(4) सांविधिक आयोग या अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्य तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त यथास्थिति गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या सलाहकार को भवन आवंटन, उपर्युक्त पदों पर उनकी तैनाती के कार्यकाल तक के लिए किया जायेगा।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएँ ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सक शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[06:55 बजे] पीठ द्वारा मा0 सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना आदरणीय सदन को देनी है जो माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी, रिहाई इत्यादि के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय में दिनांक 27 फरवरी, 2020 को निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई। अधीक्षक जिला कारागार, रामपुर द्वारा प्राप्त रेडियोग्राम और जिलाधिकारी रामपुर का पत्र दिनांक 26-02-2020 इस सचिवालय में दिनांक 27-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती तंजीम फातमा, पत्नी मोहम्मद आजम खॉ, सदस्य, विधान सभा रामपुर सदर, निवासी-घेर मीर बाज खां, थाना-गंज, जनपद-रामपुर उत्तर प्रदेश को माननीय विशेष न्यायाधीश एम0पी0, एम0एल0ए0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर के आदेश दिनांक 26-02-2020 द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रामपुर में निरुद्ध किया गया है।

[06:56 बजे] विशेषाधिकार हनन एवं सदस्य की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

1-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिय तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत ''श्री विनोद कटियार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग'' पर मेरे द्वारा निर्णय ले लिया गया है और उसमं सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

2-उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी निवेश (पन्द्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या 166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय शुक्रवार दिनांक 15 फरवरी, 2019 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-27 के उत्तर के सन्दर्भ में श्रीमती बिमला सोलंकी, मा0 सदस्य, विधान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य के सम्बन्ध में संशोधित उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद शासन द्वारा उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसन्धान एवं प्रतिवेदन हेतु मैंने विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

उपर्युक्त मामलों में दी गयी सूचनाएं आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 के उपवेशन की कार्यवाही कर अंग मानी जायेगी।

श्री विनोद कटियार, सदस्य, विधान सभा द्वारा मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्री विनोद कटियार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन'' नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दी गयी।

माननीय सदस्य द्वारा सूचित किया गया था कि जनपद-लखनऊ के ग्राम-अमराई (तकरोही) के तालाब के सौन्दर्यीकरण के बारे में याचिका समिति के समक्ष प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा कार्य पूरा कराये जाने का आश्वासन दिया गया था तथा तालाब के बारे में उल्लेख किया गया था कि ''यह तालाब बहुत ही छोटा गड्ढेनुमा है और इसकी गहराई 3-4 फीट ही है। इसलिए इसमें रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता नहीं है।'' रिकास्टिंग की जा रही है। मा0 सदस्य की जानकारी के अनुसार यह तालाब 0.395 हे0 से भी अधिक परिक्षेत्र में फैला तथा यह तलाब बहुत बड़ा और मिट्टी से पट गया है, अवैध कब्जा भी हो गया है। याचिका समिति के निर्देश पर तत्कालीन नगर आयुक्त स्वतः मौके पर अभियन्ताओं के साथ गये थे। उनकी देख-रेख में नगर निगम की अमृत योजना के तहत 2 करोड़ 39 लाख का न्यूनतम टेंडर 1.97 करोड़ का आया था, फिर भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

मा0 सदस्य द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बार-बार साक्ष्य बदलने एवं वास्तविकता के विपरीत गलत सूचना देकर याचिका समिति को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 नगर विकास मंत्री के माध्यम से श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि याचिका सं0 16/17 में उक्त तालाब के सौन्दर्यीकरण के लिए अमृत योजना में प्रोजेक्ट प्रस्तावित है उसके अधिकांश भाग पर तालाब मूल रूप से अवस्थित है तथा किनारे-किनारे के भाग पर समतल है, जिसमें ग्रामवासियों के पूर्वजों की तीन समाधियां बनी हुई हैं, तालाब के

किनारे एक पीपल का बड़ा वृक्ष है, जिस पर गांव वाले कुड मूर्तियां रखे हैं तथा लोग इसकी ''डीह स्थान'' के रूप में पूजा करते हैं। ग्रामवासियों की तरफ से तालाब के किनारे श्मशान भूमि का बोर्ड भी लगाया गया है। तालाब में 12 महीने पानी भरा रहता है तथा वर्षा के दिनों में आस-पास के क्षेत्र का पानी इसमें एकत्रित होता है। अतः तहसील प्रशासन एवं पुलिस की उपस्थिति में इस तालाब की पूर्ण पैमाइश करके अवैध कब्जा हटवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही साथ जन-भावनाओं का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तालाब के किनारे-किनारे ग्रामवासियों के मृत बच्चों के शव दफनाये जाने हैं। उक्त तालाब के सौन्दर्यीकरण करने से कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही समाधियों को भी हटाने से स्थिति अप्रिय हो सकती है। इस प्रकार स्थानीय जनता को विश्वास में लेकर ही तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया जाना समीचीन होगा। वर्णित परिस्थितियों के कारण कार्य में हो रहे विलम्ब के लिए एवं उनके किसी कथन से मा0 समिति के हुए विशेषाधिकार के हनन के लिए श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा खेद प्रकट किया गया है और प्रकरण समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री सिंह के स्पष्टीकरण को मा0 संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित भी किया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में मा0 सदस्य से उनका भी पक्ष उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु मा0 सदस्य द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के सापेक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य के आरोपों एवं उनके सापेक्ष प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के स्पष्टीकरण का परिशीलन किया गया और पाया गया कि मामला विधान सभा की याचिका समिति के समक्ष याचिका सं0 16/17 में साक्ष्य के समय प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं मा0 सदस्य श्री विनोद कटियार के मध्य वार्तालाप से सम्बन्धित था। मा0 सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यात्मक है और इसके बावजूद उनके द्वारा खेद भी प्रकट किया गया है। किसी प्रकरण से सम्बन्धित समिति में विचार के समय हुए किसी वाद-विवाद को उसी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं निपटाया जाना उपयुक्त होता है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण याचिका समिति में लम्बित है इसलिये उसके किसी बिन्दु पर विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न लाया जाना तर्कसंगत नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

***श्री लाल जी वर्मा-**

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल मैंने एक सूचना लगाई थी जिस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि कल तक मैं अवगत करा दूंगा अभी तक वह जवाब आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब फिर कल ले लीजिये आज देर हो गई है। मुझे लगता है कि वह आज व्यस्त रहे। उनका अपना भाषण भी था।

***वित, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जवाब तो आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आप आज देंगे कि कल देंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

कल दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, जवाब कल लेना चाहते हैं। कल दे दीजिएगा।

[07:00 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में आज हमारे पास जितनी सूचनायें आयीं थीं। दो-एक सूचनायें जहां कहीं कोई आपत्तिजनक होंगी, उनको हम देख लेंगे, उसके अलावा बाकी सब स्वीकृत हैं। (मेजों की थपथपाहट)

आज दिनांक 27-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 82 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के ग्राम पंचायतों में हो रहे घोटालों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के थाना महमूदाबाद के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्र प्रभारी जसवंत राव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज में धान क्रय केन्द्र पर हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 4-मौहम्मद असलम ''राइनी'' एडवोकेट की जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों को विकास खण्ड विशेश्वरगंज से हटाकर श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है, 5-श्री रामचन्द्र की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में बेतवा नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 6-श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर

में मृतक व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में तथा 7-श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया की जनपद बदायूं के विकास खण्ड समरेर में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 3-श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विकास खण्ड ठेकमा में बाइपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की बादशाहनगर राजकीय कालोनी, लखनऊ के आवास सं0 यू0 15/5 से अनधिकृत कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में, 2-श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद लखनऊ के श्रीनगर कालोनी थाना मड़ियांव निवासी आशीष उर्फ प्रशान्त व उनके परिवारजनों की गिरफ्तारी कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-श्रीमती रवि कुमार सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में चन्द्रो ताल को कब्जा मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, 4-श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के सिसवां बाजार में कृषि उत्पादन मण्डी समिति बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 5-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 6-डॉ0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत अधूरे बन्धे का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7-श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कैलाश रजवहा में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, 8-श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बांसगांव में आमी नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 9-मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के ग्राम बसई मोहम्मदपुर में निर्माणाधीन हाई स्कूल की अंतिम किश्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में, 10-श्री पंकज गुप्ता की जनपद कानपुर नगर में मृतक आश्रित पुलिस कर्मी को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में, 11-श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में यूनिटेक प्राइ0 लि0 द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में, 12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा लीज पर दिये गये औद्योगिक प्लाटों को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में, 13-श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के घाघरा नदी के कटान से बचाव के सम्बन्ध में, 14-श्री तसलीम अहमद की जनपद कासगंज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मिड-डे मील के गबन की जांचोपरान्त कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में, 15-श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में बन्द पड़े सरकारी शीतगृह को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, 16-श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर

नगर में मेट्रो के नाम पर अवैध खनन के सम्बन्ध में, 17-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 18-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की इण्डियन कॉफी हाउस जहांगीराबाद मेंशन हजरतगंज लखनऊ को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, 19-श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर अन्तर्गत बरौली से जहानपुर तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 20-श्री रमेश चन्द्र मिश्र की एन0एच0-56 बघाड़ी कला इमिलिया से पट्टी नरेन्द्रपुर होते हुए लखनऊ-बलिया मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, 21-श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर के ग्राम सभा सरावां में प्राथमिक विद्यालय केन्द्र में नये कक्ष का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 22-श्री उमेश मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 23-श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 24-श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल की भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 25-डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के पुरनिया तिराहे से पक्का पुल तक गोमती तटबंध व सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री पूरन प्रकाश, 2-श्री धर्मेन्द्र कुमार शाक्य ''पप्पू भइया'', 3-डा0 अनिल कुमार मौर्य, 4-श्री कैलाश नाथ सोनकर, 5-श्री रामानन्द बौद्ध, 6-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, 7-श्री विजयपाल (आढ़ती), 8-श्री अवस्थी बाला प्रसाद, 9-श्री सत्यपाल सिंह राठौर, 10-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, 11-श्री सीताराम वर्मा, 12-श्री संजीव कुमार गोंड, 13-डॉ0 मंजू शिवाच, 14-श्री प्रमोद उटवाल, 15-श्रीमती सरोज सोनकर, 16-श्री भूपेश चौबे, 17-श्री राम प्रताप सिंह, 18-श्री सत्यवीर त्यागी, 19-श्री राजीव तरारा, 20-श्री जवाहर लाल राजपूत, 21-श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', 22-श्री बम्बा लाल, 23-श्रीमती राजबाला, 24-इंजी0 बृजेश कठेरिया, 25-श्रीमती जयदेवी, 26-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट', 27-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, 28-श्री अबरार अहमद, 29-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, 30-श्री उमाशंकर सिंह, 31-श्री नाहिद हसन, 32-श्री मनोज कुमार पारस, 33-श्री लालजी वर्मा, 34-श्री राम अचल राजभर, 35-श्री असलम अली, 36-श्री हाकिम लाल बिन्द, 37-मो0 मुजतबा सिद्दीकी, 38-श्री महबूब अली, 39-श्री बहोरन लाल मौर्य, 40-सुश्री अदिति सिंह, 41-श्री पल्टूराम, 42-श्री योगेश वर्मा, 43-डॉ0 श्याम बिहारी लाल, 44-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, 45-श्रीमती निर्मला संखवार, 46-श्री अनिल कुमार दोहरे तथा 47-श्री सुभाष राय।

[07:00 बजे] जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज के कतिपय ए0पी0 तटबंधों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

***जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-**

जनपद कुशीनगर में अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध एवं अमवाखास तटबंध बड़ी गण्डक नदी...

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य जल शक्ति मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गत तीन वर्षों से अहिरौलीदान, नोनियापटटी और बाघाचौर ग्राम सभा के अन्तर्गत खैरखुटा, मदुरही टोला और कचहरीटोला बाघाचौर का नौनियापट्टी टोला बंधे के करीब लगभग 5 गांव कट कर विलीन हो चुके हैं जबकि तीन वर्षो से कार्य योजना बनती है और यही स्थिति पिछले साल अमवाखास तटबन्ध के निकट रामपुर बड़हल के पास हुई थी वहाँ भी तीन गांव नदी में विलीन हो गये। तीन बार से परियोजना बनती है और परियोजना स्थायी संतुलन समिति से स्वीकृत भी होती है लेकिन धन के आवंटन न होने की दशा में वह परियोजना स्वीकृत नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा इन्होंने जवाब में दिया है कि ''प्रक्रियागत है'' मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या इसके लिए धन आवंटन हो गया है कि नहीं हुआ है ? ताकि समय से पहले बाढ़ के आने से पहले वहाँ पर परियोजनाओं का निर्माण हो सके जिससे बंधे का रख-रखाव हो सके। क्या इस परियोजना की स्वीकृति के बाद धन का आवंटन हुआ है कि नहीं, मैं यह जानना चाहता हूँ।

डा0 महेन्द्र सिंह-

[के दाहिने तट पर निर्मित है। अहिरौलीदान पिपराघाट तटबन्ध एवं अमवाखास तटबन्ध बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील की श्रेणी में है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति से वर्ष 2016 में ए0पी0 तटबन्ध की 09 परियोजनायें, वर्ष 2017 में अहिरौलीदान पिपराघाट तटबन्ध एवं नरवाजोत पिपराघाट रोड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की कुल 06 अदद परियोजनायें, वर्ष 2018 में अमयाखास तटबन्ध की 06 अदद परियोजनायें अनुमोदित की गयी थीं। अनुमोदित परियोजनाओं का कार्य कराकर तटबन्ध एवं सम्बन्धित ग्रामों को सुरक्षित किया गया है। विगत वर्षों में बाढ़काल के समय फ्लड फाइटिंग का कार्य कराकर नदी एवं तटबन्ध के मध्य बाढ़ क्षेत्र में स्थित अहिरौलीदान ग्राम सभा के नोनियापट्टी टोला, खैरखुटा टोला, मुदरही टोला व कचेहरी टोला एवं बाघाचौर ग्राम सभा के नौनियापट्टी टोला को सुरक्षित किया गया है। विगत बाढ़काल में रामपुर बरहन ग्राम सभा के सामने अमवाखास तटबन्ध टूटा नहीं था। विगत बाढ़काल के पूर्व अमवाखास तटबन्ध की 06 अदद परियोजनायें उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित हुई थीं, जिस पर धनावंटन कराकर परियोजना के सभी कार्य बाढ़ 2019 से पूर्व पूर्ण कर लिया गया था।

अहिरौलीदान एवं बाघाचौर ग्राम सभा को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए अहिरौलीदान पिपराघाट तटबन्ध पर 09 अदद परियोजनायें स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित की गई हैं। रामपुर बरहन ग्राम सभा को बाढ़ के सुरक्षित करने के लिए अमवाखास तटबन्ध की 06 परियोजनायें स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित की गई हैं। आगामी बाढ़काल में अमवाखास तटबन्ध, अहिरौलीदान पिपराघाट की संवेदनशील रीचों एवं उक्त तटबन्धों पर पड़ने वाले अहिरौलीदान, बाघाचौर, रामपुर बरहन ग्राम सभा को सुरक्षित रखने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं पर धनावंटन एवं कार्य कराने के लिए ई-निविदा आमन्त्रण का कार्य प्रक्रियागत् है।

समय-समय पर बाढ़काल के पूर्व एवं बाढ़काल के दौरान अनुरक्षण मद के अन्तर्गत तटबन्धों के अति संवेदनशील स्थलों पर अनुरक्षण का कार्य कराकर तटबन्ध को बाढ़ से सुरक्षित किया गया है।]

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों से अहिरौलीदान, नौनियापट्टी और बाघाचौर ग्रामसभा के अन्तर्गत खैरखुटा, मदुरही टोला और कचेहरीटोला बाघाचौर का नौनियापट्टी टोला बंधे के करीब लगभग 5 गांव कट कर विलीन हो चुके हैं जबकि तीन वर्षों से कार्य योजना बनती है और यही स्थिति पिछले साल अमवाखास तटबन्ध के निकट रामपुर बड़हल के पास हुई थी वहाँ भी तीन गांव नदी में विलीन हो गये तीन बार से परियोजना बनती है और परियोजना स्थायी संतुलन समिति से स्वीकृत भी होती है लेकिन धन के आवंटन न होने की दशा में वह परियोजना स्वीकृत नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा इन्होंने जवाब में दिया है कि ''प्रक्रियागत है'' मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए धन आवंटन हो गया है कि नहीं हुआ है ? ताकि समय से पहले बाढ़ के आने से पहले वहाँ पर परियोजनाओं का निर्माण हो सके जिससे बंधे का रख-रखाव हो सके क्या इस परियोजना की स्वीकृति के बाद धन का आवंटन हुआ है कि नहीं, मैं यह जानना चाहता हूँ।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार भी धन का आवंटन हुआ था और समय से काम पूरा किया गया था। 65 करोड़ रुपये उस तटबंध के लिए अवमुक्त किया था और वह काम समय से पूरा किया गया था। जो अभी हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उसके लिए भी संचालन समिति से स्वीकृति हो गयी है और निविदा प्रक्रियाधीन है। इसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे और पूरा करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ और आप दूसरी बात कर रहे हैं। इस साल भी मैंने इसी सदन में यह बात रखी थी कि नदी के कटान से 5 गांव अमवा तटबंध के पास नदी में विलीन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह कह तो रहे हैं कि स्वीकृत हो गये हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ चूंकि पिछली बार तो आपने धन आवंटन नहीं किया। जहां पर परियोजना बननी चाहिए वहाँ पर आपने धन आवंटन नहीं किया। स्थायी संचालन समिति में योजना स्वीकृत हो गयी तो क्या इस बार भी आपने इस वर्ष धन आवंटन अमवा तटबंध के लिए और अहिरौलीदान, पिपराघाट के लिए किया है कि नहीं, यह बता दीजिए।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूँगा कि अमवाखास और पिपरौली जहां की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, कोई तटबंध नहीं टूटा है, एक भी गांव बहा नहीं है और कोई गांव विलीन नहीं हुआ है, सबसे पहले तो मैं सदन को यह जानकारी देता हूँ। जब नदी में कटाव तेज हुआ और पानी बढ़ा तो जो तटबंध बना हुआ था वह क्षतिग्रस्त हुआ लेकिन समय से हमारे विभाग ने उस पर काम करते हुए उस क्षति की पूर्ति की। कोई तटबंध नहीं टूटा और कोई गांव नहीं बहा। मान्यवर, अब दूसरी बात के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी समय से धन अवमुक्त किया गया था और काम पूरा किया गया। फिर से अमवाखास की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी धन आवंटित कर दिया गया है और संचालन समिति से स्वीकृति हो गयी है। अभी यहां से बजट पास होगा उसके बाद धन जायेगा और उसकी निविदा की प्रक्रिया से काम पूरा किया जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे हैं। इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने पिछली बार यहीं स्वीकारा था कि नदी के कटान के कारण 6 टोले नदी में

विलीन हुए हैं और अभी मंत्री जी जो कह रहे हैं इसमें आप पिछली बार की कार्यवाही निकाल कर देख लीजिए। मैंने सिर्फ यह पूछा कि स्थायी संचालन समिति में हर साल जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें अनुमोदन तो हो जाता है, पिछले साल भी धन आवंटन नहीं हुआ और इस साल भी जहां नदी ने कटान किया है वहाँ आप धन आवंटन करेंगे कि नहीं करेंगे सिर्फ यह बता दें।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन आवंटन और उसका खर्चा पढ़कर सुना देता हूँ बकायदा नोटिस में लिखा है लेकिन हमारे नेता जी की जो स्थिति है उसमें सामान्य रूप से होता यह है कि यह वहाँ भी काम नहीं करने देते और यहां भी काम नहीं करने देते और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि इनकी मंशा क्या रहती है, वह मैं नहीं जानता हूँ। जब हमारे विभाग के अधिकारी वहाँ पानी बरस रहा था और बंधा टूट रहा था तो लोग काम करना चाहते थे तो यह वहाँ नेतागिरी कर रहे थे। यह काम नहीं करने दे रहे थे और यहां भी काम नहीं करने देते।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, देखिए यह गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने पूछा कुछ और है, अगर हमारे क्षेत्र में नदी के कटान से गांव डूबेंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा कि नहीं।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार भी एक भी गांव नहीं डूबा, एक भी तटबंध नहीं टूटा। पिछले 12 वर्षों से तटबंध नहीं टूटा है। मान्यवर, अब उसका कारण आप सुनिए कि पिछली बार भी वर्ष 2019-20 में अमवाखास की 6 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं और उसकी लागत 65 करोड़ 60 लाख रुपये थी। इस धनराशि का पूरा काम समय से पूरा कराया गया है। इस बार का मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, इसमें रामपुर बरहन के सामने परियोजना स्वीकृत हुई है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने कहा कि इसमें सारा सम्मिलित है इसलिए मैंने 6 परियोजनाएं बोली हैं। 2020-21 के लिए अमवाखास में 6 परियोजनाएं उसकी अगल-बगल की छोटी-बड़ी सभी हैं। उसके बाद अहिरौलीदान, पिपराघाट इसकी कुल 9 परियोजनाएं और नरवाजोत पिपराघाट की 1 परियोजना 2020-21 में स्वीकृत हो गयी। 45 करोड़ 11 लाख की अमवाखास की 6 परियोजनाएं, अहिरौलीदान, पिपराघाट की 9 परियोजनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह इसी वक्तव्य का अंग हैं ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी मान्यवर, इसी वक्तव्य का अंग हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसी को मैं बता रहा हूँ। जो पूरा बांध है यह बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों से जुड़ा हुआ है और इसकी एक बड़ी समिति है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से मिलकर बनती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह हो गया है, अब हम अगली मद लेते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप उनकी चाय पीजियेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यही तो दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या करें ?

जनपद महाराजगंज के सोहगी बरवा वन्य क्षेत्र से 5 कि0मी0 की परिधि में स्थित ईंट भट्ठों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी...

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ये पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(वक्तव्य वन एवं पर्यावरण मंत्री ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री दारा सिंह चौहान-

[आख्या में अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय पार्क अथवा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 01 किमी0 की दूरी तक ईंट-भट्ठों की स्थापना एवं खनन कार्य माननीय सर्वोच्च

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

न्यायालय के आदेशों से प्रतिबंधित है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 05 किमी0 की परिधि के भीतर ईंट-भट्ठों की स्थापना को प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 2012 के पूर्व जिला पंचायत, उ0प्र0 गजट, 1992 की उपविधि के अनुसार जिला पंचायत में पंजीकरण के उपरान्त ईंट-भट्ठों की स्थापना की जाती थी तथा उक्त उपविधि में वन्य जीव अभ्यारण्य से ईंट-भट्ठों की दूरी के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं थी।

सोहगी बरवा, वन्य जीव अभ्यारण्य, महाराजगंज की सीमा के चारों तरफ 01 किमी0 के क्षेत्र में कोई ईंट-भट्ठा स्थापित नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, वन्य जीव प्रभाग, सोहगी बरवा के स्तर से वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से 01 से 05 किलोमीटर के अन्तर्गत निचलौन रेन्ज, पकड़ी रेन्ज तथा दक्षिणी चौक रेन्ज के अन्तर्गत कुल 48 ईंट-भट्ठों के स्थापित होने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त ईंट-भट्ठे बोर्ड द्वारा निर्गत गाइड लाइन उ0प्र0 ईंट-भट्ठा (स्थापना स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के पूर्व से स्थापित है। उक्त ईंट-भट्ठों द्वारा मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति तथा बोर्ड के स्तर से संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किये जाने के दृष्टिगत ईंट-भट्ठों के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये थे। उक्त 48 ईंट-भट्ठों में से 27 ईंट-भट्ठों द्वारा बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति प्राप्त कर लिये जाने एवं उनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रेवीटेशनल सेटलिंग चैम्बर की स्थापना तथा निर्धारित ऊँचाई की चिमनी स्थापित होने के दृष्टिगत उनके बन्दी आदेश इस शर्त के साथ निक्षेपित किये गये हैं कि इन ईंट-भट्ठों का संचालन बोर्ड से सहमति तथा मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जाय। उक्त समस्त 27 ईंट-भट्ठों द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। शेष 21 ईंट-भट्ठों के द्वारा बोर्ड से पूर्व में अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति न प्राप्त होने के कारण इनके बन्दी आदेश निक्षेपित नहीं किये गये हैं। इन ईंट-भट्ठों के विरुद्ध बन्दी आदेश प्रभावी हैं। उक्त 21 दोषी ईंट-भट्ठों का संचालन न किये जाने तथा बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी, महाराजगंज एवं पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज से अनुरोध किया गया है।

अतः वर्ष 2012 के पूर्व से स्थापित ईंट-भट्ठों को हटवाये जाने के निर्देश निर्गत किये जाने का विधिक एवं वैधानिक आधार नहीं है। पर्यावरण एवं वनीकरण के मानकों का उल्लंघन करने वाले 21 ईंट-भट्ठों के विरुद्ध नियमानुसार बन्दी की कार्यवाही कर दी गयी है। सोहगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से 05 किमी0 की परिधि में नये ईंट-भट्ठों की स्थापना वर्ष 2012 से प्रतिबंधित है।

जहां तक ईंट-भट्ठों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रश्न है, ईंट-भट्ठों के संचालन से जल प्रदूषण नगण्य होता है। रोहिन नदी में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक-01-02-2020 को चिउटहा रोड ब्रिज से जल के नमूने का एकत्रण कराकर उसका क्षेत्रीय प्रयोगशाला में

विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार रोहिन नदी की जल गुणता जलीय जीवों हेतु उपयुक्त पायी गयी है। रोहिन नदी में प्रदूषण मुख्य रूप से नेपाल राष्ट्र के अन्तर्गत नवलपरासी जिले के सोनवल में स्थापित चीनी उद्योगों एवं आसवनी उद्योगों के उत्प्रवाह के झरही नदी के माध्यम से रोहिन नदी में होने के कारण होता है।]

श्री अध्यक्ष-

प्रेम सागर जी, आपको कुछ कहना है क्या ?

श्री प्रेम सागर पटेल-

कहना नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी से अनुरोध यही है कि वह भट्टे बन्द हो जायें और वहाँ बड़ी चिमनियां लग जायें।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत सरयू नदी पर बने बंधे का अनुरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

मान्यवर, गण्डक के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के तहसील मौला के अन्तर्गत घाघरा नदी के बांय...।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(वक्तव्य जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

[तटबंध पर स्थित खड़ेसरी से लेकर कोडहाभावर, मुजौना, छपिया उमराव, खजुरी से होते हुए दुमरी तक किमी0 6.500 की लम्बाई तटबन्ध निर्मित है तटबन्ध का निर्माण लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराया गया था, उक्त बन्धा सिंचाई विभाग का नहीं है।

यह भी अवगत कराना है कि उक्त तटबन्ध छतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा सिंचाई विभाग के मानकों के अनुरूप निर्मित नहीं है। अतः तटबन्ध का अनुरक्षण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री विनय शंकर तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी हमने शासन का ध्यान आकृष्ट किया था उसमें माननीय मंत्री ने माना है कि वो बंधा क्षतिग्रस्त है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। लेकिन जो हमने उनसे आग्रह किया था कि क्या जल शक्ति विभाग उस बंधे को अपने अन्तर्गत ले करके उसका अनुरक्षण करने का काम करेगा। चूंकि यह लोक हित का प्रश्न है, उस बंधे की वजह से कई गांव हर बार कट जाते हैं और पिछली बार भी।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने उत्तर तो सही दिया है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

यह कौन करेगा, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने स्वीकार किया है कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, क्षतिग्रस्त है।

श्री विनय शंकर तिवारी-

यह ठीक कैसे होगा। अगर यह ठीक नहीं होगा तो वहाँ के लोगों की समस्या वैसे की वैसे ही रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

बस इतनी बात बता दीजिये ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बंधा 40-45 साल पहले डी0आर0डी0ए0 ग्राम विकास के द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने बनाया था और उन्हीं के पास यह बंधा है। यह सिंचाई विभाग के अधीन बंधा नहीं आता है। आपका प्रश्न आया है इसलिए मैंने सिंचाई विभाग और ग्राम्य विकास विभाग से मंगा करके आपको उत्तर दिया है। इस बंधे का काम सिंचाई विभाग नहीं देखता है, स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। 40-45 साल पहले यह बंधा डी0आर0डी0ए0 द्वारा बनाया गया था और आज भी उन्हीं के अधीन है। सिंचाई विभाग के अधीन यह बंधा नहीं आता है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था।

श्री विनय शंकर तिवारी-

डी0आर0डी0ए0 में धन आता नहीं है। आज की तारीख में अगर उसका अनुरक्षण जल शक्ति विभाग या सिंचाई विभाग करेगा नहीं, तो वहाँ के लोगों को कैसे बचाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अभी तो इनके विभाग में है नहीं।

श्री विनय शंकर तिवारी-

यह तो अपने अन्दर अधिग्रहण कर सकते हैं, सरकार में तो हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर गवर्नमेन्ट के किसी डिपार्टमेन्ट की प्रापर्टी है, तो उसका प्रासेस होगा।

श्री विनय शंकर तिवारी-

चूंकि डी0आर0डी0ए0 अब इस पर कोई काम करता नहीं है और बार-बार वहाँ बाढ़ आती ही है। वहाँ समस्या बनी रहती है, तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां सरकार इतना कर रही है। लोगों के जान-माल के खतरे के लिए खेती के बचाव के लिए उसको अपने अन्दर लें और उसका अनुरक्षण का कार्य करें।

श्री अध्यक्ष-

आप जिला योजना में रखे इसको ?

श्री विनय शंकर तिवारी-

जिला योजना में रखा था लेकिन वह कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास धन नहीं है। इसका एक मात्र तरीका है कि उसको जल शक्ति विभाग अपने पास ले ले और बंधा बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या कहना है इसके उत्तर में।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने जानकारी प्राप्त की है, अभी तक उस बंधे के कारण से या बंधा टूटने या बाढ़ आने से कहीं कोई क्षति आज तक नहीं हुई। न किसानों की न किसी चीज की, न जनहानि, न धनहानि, किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई। जो जानकारी मेरे पास है। अभी भी बंधा उनके अधीन है, मेरे अधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब तो वह इन्कार कर दिये।

श्री विनय शंकर तिवारी-

इस पर आपका संरक्षण हमें मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उनके विभाग में नहीं है।

(श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक सीतापुर सहित आठ पालीटेक्निक में शैक्षणिक सत्र शून्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में अवगत कराना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित संस्थाओं के साथ-साथ प्रदेश...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(प्राविधिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[की कतिपय अन्य राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में मुख्यतः फैक्ल्टी/इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित कमियों को इंगित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु उक्त संस्थाओं में नो-एडमिशन की श्रेणी/प्रवेश क्षमता में कटौती प्रस्तावित की गई है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-39/सोलह-3-2020-15(80)/2016, दिनांक 31-01-2020 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-39/सोलह-3-2020-15(80)/2016, दिनांक 03-02-2020 द्वारा अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में उक्त राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निकों में प्रवेश क्षमता की कटौती तथा नो-एडमिशन की श्रेणी में रखे जाने के परिषद् के निर्णय को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि राज्य के गरीब व पिछड़े क्षेत्रों के छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहें तथा प्रदेश के सभी युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहे। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 राज्य के उक्त अनुरोध पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

2-यह भी अवगत कराना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश की प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं (डिप्लोमा सेक्टर) में कार्मिकों के वेतनमान, सेवाशर्तों एवं अर्हताओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

03-05-2018 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के विनियम, 2019 के अनुसार अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के कार्मिकों की अर्हताओं एवं वेतनमान में संशोधन हेतु सेवा नियमावली, 1996 में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश की राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निकों पर इस वर्ष प्रवेश के लिए रोक लगा दी गयी है। कई-कई संस्थानों में 100 में 100 परसेण्ट रोक लगी है। कहीं 50 प्रतिशत, कहीं 75 प्रतिशत रोक लगी है। रोक लगने का कारण यह है कि स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, गवर्नमेण्ट के ऐडेड पालीटेक्निक में इन्फ्रास्ट्रक्चर कम पाया गया। आपने जवाब में कहा है कि अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के कार्मिकों की अर्हताओं एवं वेतनमान में संशोधन हेतु सेवा नियमावली, 1996 में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हमारा आपसे अनुरोध यह है कि जो गवर्नमेण्ट पालीटेक्निक हैं, ऐडेड पालीटेक्निक हैं, उसमें पूरा वेतन सरकार देती है। शिक्षक की नियुक्ति आयोग, सरकार करती है, जो भारत सरकार में प्रक्रिया और संशोधन के विचाराधीन है। इसके साथ-साथ संविदा के बजाय हम रेगुलर शिक्षकों की नियुक्तियों पर भी ध्यान दें। जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कम है, उसको बढ़ाने का भी काम करें क्योंकि यह काम भारत सरकार नहीं करेगी। यह काम राज्य सरकार करेगी। अगर समय पर इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 6 हजार बच्चों का भविष्य अन्धरामय हो जायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रवेश होने के पूर्व सरकार अपने संसाधनों से गवर्नमेण्ट ऐडेड पालीटेक्निक में शिक्षकों की नियुिक्त करे। संविदा के शिक्षकों की नियुक्ति के कारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने रोक लगायी है।

श्री अध्यक्ष-

सरकार अपने संसाधन से शिक्षक नियुक्त करे, यही बात है न ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, शिक्षक नियुक्त किए जायें, उनकी कमी है, इसीलिए वहाँ पर यह सब दिक्कत आ रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करें और 100 परसेण्ट यह गारण्टी दें कि अगले प्रवेश सत्र में कोई भी प्रवेश शून्य नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, दो कारणों से ऐसा होता है, एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, उसमें 66 स्क्वायर मीटर क्लासरूम चाहिए और सेकेंडियर और थर्डियर में 66-66 स्टूडेण्ट भी अनुमन्य हैं। इसके लिए अगर उत्तर का आखिरी पैरा देख लिया जाये तो आपकी जिज्ञासा का समाधान हो सकता था। 2020-21 में उक्त संस्थाओं में, उक्त राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निकों में प्रवेश का अनुरोध किया गया है, ताकि राज्य के गरीब व पिछड़े क्षेत्रों के छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित न रहें तथा प्रदेश के सभी युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहें। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 राज्य के उक्त अनुरोध पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश की प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं (डिप्लोमा सेक्टर) में कार्मिकों के वेतनमान, सेवा-शर्तों एवं अर्हताओं को लागू किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 03.05.2018 को निर्गत किया गया है। मान्यवर, इसके लिए 3 करोड़ रुपया भी रिलीज कर दिया गया है। यह समस्या जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की है, वह जल्दी दूर हो जायेगी और आपकी जो जिज्ञासा है, इसमें 75 परसेण्ट नहीं बल्कि 25 परसेण्ट लोग कम हैं। आपकी जो जिज्ञासा है, उसका समाधान हो जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पालीटेक्निक के बच्चों का प्रवेश सत्र शून्य नहीं होगा, ऐसा आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर ध्यानाकर्षण हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने पैसा भी दे दिया। क्या आपको आखिरी पैराग्राफ से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा मालूम नहीं हो रही है ? ए0आई0सी0टी0ई0 ने हमारे उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए उसकी प्रक्रिया को रोक दिया है। हमने 3 करोड़ रुपया भी जारी कर दिया, तो सवाल यह है कि आप हमारी मंशा तो देखिये। हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि वह वंचित रहें। लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में जो समय लगेगा, वह समय तो लगेगा, ओवरनाइट तो यह सम्भव नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इतनी बात के बाद भी क्या रह गया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, हम केवल एक चीज चाहते हैं, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। अगला शैक्षिक सत्र शून्य न हो, इसके लिए आपने 3 करोड़ रुपये भी जारी कर दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उस शैक्षिक सत्र के पूर्व अगर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें और सत्र शून्य न हो, यही तो हम आश्वासन चाह रहे हैं। सत्र शून्य न हो, ऐसी व्यवस्था आप करवा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पैसा इसलिए थोड़े दिया है कि शैक्षणिक सत्र निकाल दिया जाय बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के। कोशिश यही है और इसी आधार पर ए0आई0सी0टी0 ने पुनर्विचार किया है। दूसरी बात कि आप हमारी मंशा और नीयत देखिये, हमने तीन करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आप कह दीजिए कि सत्र शून्य नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम नहीं चाहते हैं कि उनका सेशन शून्य हो और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा और भी किया जायेगा।

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में वनों के किनारे खाईं का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

मान्यवर, श्री अमन मणि त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान सभा जनपद महाराजगंज द्वारा ...

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य वन एवं पर्यावरण मंत्री ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री दारा सिंह चौहान-

[दिनांक 14-02-2020 एवं 24-02-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में वनों के किनारे की खाईं का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है :-

''हमारा क्षेत्र। चारों तरफ से वनों से आच्छादित है जिस कारण किसानों का जंगली जानवर भयानक रूप से नुकसान करते हैं। अनेकों बार कह सुनकर आदेश दिलवाया गया। परन्तु वन विभाग वनों के किनारे। 1 खाए। का जीर्णोद्धार नहीं करा रहा है। जिसके कारण जंगली जानवर आबादी में घुसकर जनधन का नुकसान कर रहे हैं। पैसा नरेगा का पड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कृपया तत्काल आदेशित करने की कृपा करें कि वनों के किनारे पर अविलम्ब खाईं का जीर्णोद्धार कराया जाए। जिससे किसानों के फसल की रखवाली हो सके।''

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि नौतनवां विधान सभा क्षेत्र में सोहगीबरवा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र की पड़ने वाली बाहरी सीमा पर, कई स्थानों पर, मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड/ग्राम पंचायत के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुरक्षा खाईं का खुदान कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 31-01-2020 तक नौतनवां विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्मीपुर ब्लॉक में रु0 33.74 लाख के कार्य स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध रु0 27.66 लाख का कार्य कराया जा चुका है। अवशेष धनराशि से कराये जाने वाले कार्य प्रगति पर हैं। नौतनवां विधान सभा क्षेत्र के अन्य स्थानों पर जंगल के किनारे सुरक्षा खाईं का जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य मनेरगा योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर कराया जा सकेगा।]

***श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

मान्यवर, इसमें आपका संरक्षण चाहते हुए मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपका उत्तर आया है कि जिगना चकदा के टोला शाहपुर तक 9.6 किलोमीटर की लम्बाई में जिगना चकदा तटबन्ध का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया परन्तु कतिपय कारणों से तटबन्ध पूरा नहीं कराया जा सका।

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

पहले आप मद सं0-90 पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं वह बाद में आयेगा।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, अनुरोध यह करना है कि अंग्रेजों के जमाने से सुरक्षा खाईं खोदी जा रही है जंगल और ग्रामों के बीच में जिससे कोई भी जंगली जानवर आकर फसलों को

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षतिग्रस्त न कर सकें। इससे पूर्व में भी मैं मानता हूँ कि नरेगा से कार्य हुआ है लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी इसमें हर वर्ष काम होना चाहिए, हर वर्ष मरम्मत होती रहे, जिससे सुरक्षा खाईं बनी रहे और कोई आदमी जंगल में न जा सके, जंगली जानवर को हानि न पहुंचा सके और कोई जंगली जानवर हमारी तरफ न आ सके, यह अति आवश्यक इश्यू है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया है, सभी का बोलने का मन करता है।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हमने नरेगा से इतना पैसा खर्च किया है लेकिन मान्यवर, जो ग्राउण्ड जीरो की रिपोर्ट है उसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी सुरक्षा खाईं नहीं पाई जा सकती है, जंगली जानवरों का आतंक सटे हुए ग्राम सभाओं में है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये, मैं अगली मद ले रहा हूँ।

जनपद सहारनपुर में घंटाघर के नजदीक स्थित राजीव तलवार आदि के प्लाट के पश्चिम में सुमित मलिक आदि दबंगों द्वारा अवैध रुप से खोली गई खिड़कियों आदि को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का मुख्यमंत्री का वक्तव्य

आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की आख्यानुसार होटल...

श्री संजग गर्ग-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

[जनपद सहारनपुर में घंटाघर के नजदीक स्थित श्री राजीव तलवार आदि के प्लाट के पश्चिम में श्री सुमित मलिक पुत्र श्री हरीश मलिक द्वारा घंटाघर के निकट बने होटल राजदूत के पश्चिम भाग में राजीव तलवार आदि के प्लाट की ओर खिड़कियां खोलकर उसमें एयर कंडीशनर व पानी की पाइप आदि लगाये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पक्षों के व्यक्तियों को बैठाकर खिड़की आदि बन्द करने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी व दोनों पक्षों में सुलहनामा कराने के प्रयास किये गये, किन्तु दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पायी। इस सम्बन्ध में थाना स्तर से दोनों पक्षों के विरुद्ध शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से धारा 107/116 द0प्र0सं0 की कार्यवाही कर नोटिस तामिल करायी जा चुकी है तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध मा0 सिविल न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं, जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है एवं प्रकरण के अनुक्रम में एस0डी0एम0, सहारनपुर से पत्राचार किया गया, जिसके अनुसार एस0डी0ए0 के समक्ष अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें श्री सुमित मलिक उपरोक्त द्वारा खोली गयी खिड़की आदि को बन्द करने हेतु एस0जी0ए0 के माध्यम से प्राप्त नोटिस तामिल करायी जा चुकी है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर से अपेक्षित है। अपेक्षित कार्यवाही हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की मांग पर शान्ति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में मौके पर शान्ति है। प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एस0एस0पी0 सहारनपुर से भी बात किया, वास्तव में यह बहुत नाजायज घटना हो रही है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने डी0जी0सी0 की रिपोर्ट तलब की, डी0जी0सी0 ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण से भी रिपोर्ट तलब की और उसकी रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि सुमित मलिक, हरीश मलिक द्वारा अवैध रूप से होटल के प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल पर कुल 10 खिड़कियां, 6 ए0सी0, 3 एक्जॉस्ट और तृतीय तल पर ईंट की जाली की एक बड़ी खिड़की रियर सेट बैक में निर्माण करते हुए श्री राजीव तलवार के खाली भू-खण्ड की ओर अवैध रूप से खोली है। मान्यवर, जवाब यह है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर से अपेक्षित है। अपेक्षित कार्रवाई हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की मांग पर शान्ति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा, मौके पर शान्ति है। हमारा आपसे केवल यह अनुरोध है कि इसमें टाइम फ्रेम वर्क कर दिया जाय कि एक हफ्ते में हो जायेगा। डी0जी0सी0 की रिपोर्ट है, एस0डी0ए0 की रिपोर्ट है, आपकी बात कप्तान साहब से हो चुकी है उसके बाद भी हीलाहवाली हो तो यह बात ठीक नहीं लगती क्योंकि वहाँ जो वी0सी0एम0 हैं वही नगर पालिका के मुख्य नगर आयुक्त भी हैं, जो निर्णय लिया जाना चाहिए वह लिया नहीं जा रहा है ऐसे ही टल रहा है जबर्दस्ती।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर में दो सप्ताह का समय दिया हुआ है, उनको नोटिस दिया गया है कि वह हटा लें, अगर वह नहीं हटायेंगे तो सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब तो सारी बात हो गई, आप समय सुनिश्चित मांग रहे थे, दो सप्ताह कहा गया है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद उन्नाव में विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत मार्गों का डामरीकरण कराये जाने हेतु मार्गवार विवरण निम्नवत् है...

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है। इसमें आपको कुछ कहना है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[**1-अकोहरी मवई मुख्य मार्ग स्थित चैनखेड़ा नहर पुलिया से शहीद सैनिक स्मृति शेष रमाकांत सिंह के गांव धनोखर तक मार्ग लम्बाई लगभग 1.50 किमी0** :-जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा के हिलौली विकास खण्ड अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का हिलौली करदहा मवई अकोहरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पड़ता है, इस मार्ग के कि0मी0 17 में चैन खेड़ा ग्राम पड़ता है, जहां से ग्राम धनोखर तक 2.25 कि0मी0 कच्चा/खड़ण्जा स्तर का मार्ग है, जिसको लेपित सम्पर्क से जोड़ने की मांग की गई है, बसावट धनोखर दूसरी ओर से मौरावां गुलरिहा गुरुबक्शगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 4 से 3.20 कि0मी0 लम्बे पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन लेपित सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। लो0नि0वि0 में एक ही ग्राम को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की वर्तमान कोई नीति प्रचलित नहीं है।

2-बछौरा के काशीप्रसाद खेड़ा तक मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 :-ग्राम बछौरा, मोहनलालगंज मौरावां उन्नाव प्रमुख जिला मार्ग के कि0मी0 29 से निकलने वाले ग्राम बछौरा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0 लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं काशीप्रसाद खेड़ा सगौली से असरी खेड़ा मार्ग से निकलने वाले काशीप्रसाद खेड़ा सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है। जिसकी लम्बाई 0.300 कि0मी0 है। इस प्रकार दोनों मार्गों को आपस में जोड़ा जाना डबल कनेक्टिविटी

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का प्रकरण है। लोक निर्माण विभाग में एक ही गांव को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की वर्तमान में कोई नीति प्रचलित नहीं है।

3-ग्राम मुसण्डी से बकसपुर होते हुए भाटन खेड़ा तक मार्ग लगभग लम्बाई 2.50 कि0मी0 :-ग्राम बकसपुर कालूखेड़ा असरेन्दा हिलौली मार्ग के कि0मी0 5 से बक्सपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.50 कि0मी0 से जुड़ा हुआ है।

ग्राम मुसण्डी लो0नि0वि0 के ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जो हिलौली-मुसण्डी पारा मार्ग के कि0मी0 3 से निकलता है। इसकी कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 है।

ग्राम भाटर खेड़ा हिलौली मुसण्डी पारा कि0मी0 4 से निकलने वाले बठुआ शाहपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 2 पर स्थित है।

इस प्रकार तीनों ग्राम 1-मुसण्डी, 2-बक्सपुर, 3-भाटन खेड़ा लो0नि0वि0 के पृथक-पृथक मार्गों से जुड़े हुए हैं। लोक निर्माण विभाग में एक ही गांव को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की वर्तमान में कोई नीति प्रचलित नहीं है।

4-ग्राम लउवा से शाह खेड़ा होते हुए जनवारन खेड़ा सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 2.00 कि0मी0 :-ग्राम लउवा, कालूखेड़ा असरेन्दा हिलौली (अन्य जिला मार्ग) पर स्थित है। शाह खेड़ा, कालूखेड़ा असरेन्दा हिलौली मार्ग कि0मी0 16 से निकलने वाले शाह खेड़ा सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है, जो कि जिला पंचायत द्वारा निर्मित है। इसकी कुल लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। जनवारन खेड़ा मजरा की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 182 है जो कि 250 से कम है। जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5-मौरावां-गुरुबक्शगंज मुख्य मार्ग से ग्राम भैया खेड़ा ओहड़ा खेड़ा होते हुए विश्वनाथ खेड़ा तक मार्ग लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 मार्ग :-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा एवं विकास खण्ड हिलौली अन्तर्गत लो0नि0वि0 के स्वामित्व के मौरावां गुलरिहा गुरुबक्शगंज मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 17 से भूप खेड़ा ईटबांध लो0नि0वि0 के स्वामित्व के लेपित मार्ग के कि0मी0 3 तक 2.50 कि0मी0 खड़ण्जा स्तर के सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक निर्माण की मांग की गई है। भईया खेड़ा मजरा मौरावा गुलरिहा गुरुबक्शगंज मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 17 के किनारे स्थित है तथा लेपित मार्ग से संतृप्त है तथा विश्वनाथ खेड़ा, ईटबांध सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 3 में स्थित तथा लेपित सम्पर्क मार्ग से संतृप्त है। इस संरेखण पर मध्य से ओड़हा खेड़ा/लाल खेड़ा एवं जगपाल खेड़ा मजरा पड़ता है, जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी क्रमशः 81 व 101 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से कम आबादी के गांवों को आपस में जोड़ना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की नीति से आच्छादित नहीं है।]

श्री अनिल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से इस संबंध में बात किया था, तो मा0 खन्ना जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको बनवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

तब आप फिर इसे क्यों लगा दिये थे ?

जनपद गोरखपुर के सहजनवा में बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीतल पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत बाईपास मार्ग की कुल लम्बाई 9.90 किमी है...

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[जिसमें से 6.90 कि0मी0 लम्बाई का भाग बन्धा है तथा शेष 3.00 कि0मी0 लम्बाई में कच्चा/लोक निर्माण विभाग का निर्मित मार्ग है। उक्त संरेखण में लखनऊ/गोरखपुर रेलवे लाइन भी क्रास करती है। इस प्रकार उक्त बाई पास के निर्माण में बांध/मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु भूमि अध्याप्ति/7 मी0 मार्ग निर्माण तथा रेलवे वाले भाग में ओवर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता होगी। तद्नुसार सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत रु0 350.00 करोड़ है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद प्रयागराज के फूलपुर के अन्तर्गत कतिपय कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद से प्राप्त आख्यानुसार प्रकरण की जांच...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[तहसीलदार फूलपुर से कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम दामोदरपुर उर्फ तिवारीपुर तहसील-फूलपुर, थाना थरवई जनपद-प्रयागराज स्थित आराजी संख्या-162 रकबा 0.285 हे0 जो कि ऊसर खाते में दर्ज है, के रकबा 0.0170 हे0 भाग पर श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा अवैध कब्जा किये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 (कम्प्यूटर वाद सं0 टी0 202002030200670) के अन्तर्गत बेदखली का वाद प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 02-03-2020 नियत है। श्री शेषमणि तिवारी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया। मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद रामपुर में नियम 52-क के तहत अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति के अन्तर्गत जनपद रामपुर में किसानों के...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[52क के तहत जिलाधिकारी/खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया है। आवेदन-पत्र लगभग 4 माह से लम्बित है। जिलाधिकारी/खान अधिकारी द्वारा एक भी किसान को अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किया गया। किसानों के खेतों में बाढ़ के कारण बालू एवं अन्य उप खनिज के जमाव को तत्काल हटाये जाने का अनुज्ञा-पत्र न मिलने से हजारों हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो रही है।

नियम-52 'क' के अन्तर्गत जिलाधिकारी/खान अधिकारी द्वारा डी0एस0आर0 संशोधन के लिए पर्यावरण निदेशक, लखनऊ को पत्र भेजा गया है। अन्य जनपदों में जिले स्तर पर डी0एस0आर0 संशोधन कर 52'क' के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा रहा है। 52'क' के

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत डी0एस0आर0 के संशोधन का अधिकार जिलाधिकारी को ही प्रदान किया गया है। मेरे द्वारा पूछे गये नियम-51 के प्रश्न में खनन विभाग द्वारा बताया गया है कि दिनांक 11-12-2018 को एन0जी0टी0 द्वारा अधिसूचना दिनांक 15-01-2016 को निरस्त कर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान प्राधिकरण से अनापत्ति जारी किये जाने के आदेश किये गये हैं। वास्तविकता यह है कि पर्यावरण अनापत्ति एवं डी0एस0आर0 संशोधन दो विषय पृथक है। पर्यावरण की अनापत्ति पर्यावरण निदेशालय द्वारा दिया जाता है। डी0एस0आर0 संशोधन जिले स्तर का विषय है।

वर्ष 2019-20 में 110 एवं 2020-21 में 9 अनुज्ञा पत्र 52 'क' के अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं। उनमें डी0एस0आर0 जिलाधिकारी स्तर पर किया गया। पर्यावरण मुख्यालय द्वारा आज तक एक भी डी0एस0आर0 की अनापत्ति नहीं दी गयी है।

खनन विभाग की स्पष्ट नीति न होने के कारण पूरे प्रदेश में सर्वत्र अनुज्ञा पत्र न देने के कारण से 100 से 200 प्रतिशत तक बालू मौरंग मंहगा हो गया है। पूरे देश में हाहाकार मचा है।

मुझे जानकारी है कि इटावा, उन्नाव, सीतापुर एवं मुरादाबाद आदि जनपदों में डी0एस0आर0 की जिले पर अनुमति देकर अनुज्ञा पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी रामपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-483, दिनांक 17-01-2020 में 17 मामलों में पर्यावरण मुख्यालय से डी0एस0आर0 जारी करने का पत्र जारी कर 52क के समस्त मामलों में अनुज्ञा पत्र जारी करने के मामले में अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है। एक माह में मामला अर्निणीत पड़ा है।

मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि रामपुर जनपद 52क के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र दिये जाने में उत्पन्न गतिरोध को तत्काल समाप्त किये जाने हेतु डी0एस0आर0 का निर्णय जिलाधिकारी रामपुर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सन्दर्भ में निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म द्वारा जिलाधिकारी, रामपुर से प्राप्त आख्या के अनुक्रम में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत् है :-

1-यह कि गतवर्ष 2018-19 में भूमिधरी कृषकीय निजी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए खनन अनुज्ञा पत्र हेतु 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की जांच आख्या के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्र शासनादेश संख्या 2883/86-2017-198/2011 टी0सी0 दिनांक 02-11-2017 के अनुसार पोषणीय न होने के कारण निरस्त कर आवेदन पत्रों को निस्तारित कर दिया गया था। वर्ष 2018-19

में नियम 52क के अन्तर्गत जिस स्थल का आवेदन पत्र निरस्त किया गया था उसी स्थल हेतु वर्ष 2019-20 में पुनः एक आवेदन पत्र नियम 52-क के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियान्तर्गत है।

2-जनपद रामपुर में निजी भूमि पर ई-टेण्डरिंग के माध्यम से बालू खनन क्षेत्रों के अल्प अवधि हेतु परिहार पर उठाये जाने के लिए जिन क्षेत्रों हेतु कृषकों द्वारा सहमति दी गई है उन्हें डी0एस0आर0 में सम्मिलित करने के लिए डी0आर0एस0 संशोधन हेतु पर्यावरण विभाग लखनऊ को नियमानुसार कार्यवाही के लिये पत्र सन्दर्भित किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पर्यावरण जिला स्तरीय कमेटी वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। नियम-52क के अन्तर्गत कोई भी प्रकरण पर्यावरण विभाग को नहीं भेजा गया है।

3-जनपद स्तर पर बालू खनन के जिन क्षेत्रों में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से परिहार पर अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हैं उन क्षेत्रों में शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी कर दी जायेगी। इस प्रकार निजी क्षेत्रों में ई-टेण्डरिंग और 52-'क' के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध उत्पन्न नहीं किया जा रहा है।]

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपके द्वारा पूछा हुआ प्रश्न भी मान लिया गया।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से दि0 14-02-2020 को खनन के ऊपर प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष जी, उसमें आपका जनपद विशेष रूप से आता है।

श्री अध्यक्ष-

जो बता रहे हैं, वह बताइये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, 14 दिन व्यतीत हो गये हैं, लेकिन मोरंग/गिट्टी व बालू में से किसी का भी रेट कम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

क्या इसमें रेट कम कराने की बात है ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका जो उत्तर आया है, उसमें वर्ष 2018-19 में 110 अनुज्ञा-पत्र जारी हुआ और वर्ष 2019-20 में मात्र 09। तो पिछले साल जब 110 जारी हुआ और इस साल 09 जारी हुआ, तो खनन का रेट बढ़ेगा कि घटेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह रेट पर नहीं है। यह नियम-51 में वक्तव्य है। आप क्या चाह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल यह चाहता हूं कि कम से कम सैकड़ों मा0 विधायक मुझसे इन्हीं 14 दिनों में खुद कहे हैं कि।

श्री अध्यक्ष-

इसमें सैकड़ों विधायक से मतलब नहीं है। इसमें नियम-51 में वक्तव्य से मतलब है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह चाहता हूं कि मोरंग और गिट्टी जनता के जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, इसको यह उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात हो गयी।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय इण्टर कालेजों में शिक्षक/अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य मा0 मंत्री के अनुरोध पर स्थगित

श्री अध्यक्ष-

स्थगित है।

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय के अनुरूप सहारनपुर नगर के बीचों बीच बह रहे ढमोला नदी के पिचिंग कार्य का वित्त पोषण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

***(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि इस वर्ष 2013 में महानगर सहारनपुर में अत्यधिक वर्षा होने के कारण ढमोला नदी के निकट शहर की कालोनियों में अत्यधिक जलभराव हुआ था...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है। इसमें आपको कुछ कहना है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[होने के कारण शहर में काफी नुकसान हुआ था। ढमोला नदी के किनारों पर शहर/आबादी की सुरक्षा हेतु सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर द्वारा पीचिंग के कार्य की परियोजना लागत रुपये 566.47 लाख मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद को स्थायी संचालन समिति की दिनांक 20-11-2018 को सम्पन्न हुई 51वीं बैठक के कार्यवृत्त के क्रमांक 296 पर समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है जिसका वित्त पोषण नगर विकास विभाग से प्रस्तावित है। प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

***श्री संजय गर्ग-**

मा0 अध्यक्ष जी, इस समस्या के लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। शहर के बीच में एक नदी गुजर रही है। उस नदी में कई जगह पीचिंग की रिपेयर के लिए और एक रेलवे ब्रिज के पास हुये भूमि कटाव होने के कारण बरसात में वहाँ पूरी बस्तियों में जल भर जाता है, उसकी वजह से लोग बहुत दहशत में रहते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थायी संचालन समिति की एक मीटिंग हुई, जिसमें 194वीं बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृत हुई। इसमें मात्र 5 करोड़ 66 लाख का प्रस्ताव है। जब माननीय मंत्री जी नगर विकास विभाग में थे, तो मैंने माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध भी किया था।

श्री अध्यक्ष-

इसमें है तो कि वित्त पोषण नगर विकास से प्रस्तावित है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, वित्त पोषण नगर विकास से प्रस्तावित तो है, लेकिन बाद में कह दिया गया कि प्रकरण अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब सिंचाई विभाग लगातार नगर निगम को लिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव, नगर विकास को लिखा है तो भी नहीं हो रहा है। इस तरह से यह तो कभी हो नहीं पायेगा और हमेशा बरसात आने पर लोग परेशान होते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

सिंचाई विभाग ने कहा है कि यह प्रस्तावित है, इसमें वित्त पोषण को पैसा देना है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रस्तावित है, मंजूर है, नगर विकास विभाग से होना है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि यह अगर पांच करोड़ का पूरा कार्य अभी नहीं करा पा रहे हैं तो कम से जहां पर भूमि कटाव है, वहाँ आंशिक ग्रांट करके कार्य करा दें।

श्री अध्यक्ष-

इस उत्तर में मा0 मंत्री आशुतोष टण्डन जी की तरफ से आश्वासन है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 मंत्री जी को इसकी सारी गम्भीरता भी मालूम है। आपने कहा था कि इसको योजना समिति में रखने को कहा था। हमने इसको योजना समिति में भी रखने की बात की, लेकिन उसमें भी यह नहीं आ पाया। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इसमें निर्देशित कर दें, तो थोड़ा जल्दी हो जायेगा। अगर पूरा पांच करोड़ नहीं दे सकते हैं तो आंशिक ही कर दें, तो कम से कम भूमि कटाव का कार्य ही पूर्ण हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी चले गये। मान्यवर, एक ही दिन में इनकी यह दूसरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 जिस क्रम से लौटता है, जैसे आज स्वीकृत हुआ है तो वह न जाने कौन-कौन सी सूचना एक ही डेट में लगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मेरा कहना यह है कि इनकी आज ही दो सूचनायें लगी हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की दिनॉक 20.11-2018 को सम्पन्न हुई 51वीं बैठक के कार्यवृत्त के क्रमांक 296 पर समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। जब मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अनुमोदित हो गयी तो उसका एक्जीक्यूशन ही रह गया है। आगे इसमें यह है कि जिसका वित्त

पोषण नगर विकास विभाग से प्रस्तावित है। प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। आपने जब नियम-51 लगा दिया तो हर पूरी चीज फिर से घूम गयी होगी और यह हो रहा होगा जब उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन है। तो यह आश्वासन बन ही गया।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर निवासी श्रीमती शिप्रा राठी के भट्ठे सम्बन्धी मुआवजे का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य

***(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के...

(जल शक्ति मंत्री) डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[संरेखण में आ रहे ग्राम बड़ाडाड की गाटा संख्या-199मि0/0.9570 हे0 भूमि, जिसके अधिकांश भाग पर शिवशक्ति ब्रिक फील्ड बड़ाडाड स्थित था, जिसकी मालिक श्रीमती शिप्रा राठी हैं। भट्ठा स्वामी द्वारा परियोजना से प्रभावित भट्ठे व उसकी परिसम्पत्तियों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किये जाने पर नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार के पत्रांक-मेमो/12-10-2018 से भट्ठे की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-3, सुल्तानपुर से जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा गया। जांचोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-3 द्वारा मूल्यांकित लागत रु0 57.37 लाख सूचित की गयी। प्राप्त मूल्यांकित लागत 57.37 लाख रुपये के भुगतान को तत्कालीन जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर पुनः सही मूल्यांकन करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड-3, सुल्तानपुर को निर्देशित किया गया जिसके उपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 30-05-2019 को ईंट भट्ठे की परिसम्पत्तियों की मूल्यांकित लागत रु0 20.42 लाख सूचित की गयी, जिसका भुगतान दिनांक 01-06-2019 को ईंट भट्ठा स्वामी श्रीमती शिप्रा राठी के खाते में भुगतान कर दिया गया है। तद्नुसार जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा श्रीमती राठी का प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष कोई भी आर्बिट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु उनके द्वारा समन्वित जनसुनवाई प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष दिनांक 26-06-2019 को प्रार्थना पत्र संख्या-20017919009622 प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण दिनांक 26-07-2019 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा किया जा चुका है।]

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, उद्योग से जुड़ा हुआ मामला है और एक महिला भट्ठे का संचालन करती है। मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी खड़े होंगे और इनकी विद्वता, वाकपटुता और अनुभव के आगे इस जवाब का कोई मतलब नहीं होगा और वह इसे घुमा देंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं इसमें केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस भट्ठे को ध्वस्त किया गया। 12.10.2018 को 57 लाख 37 हजार रुपये पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा इसका मुआवजा निर्धारित किया गया कि इनकी इतनी क्षतिपूर्ति होती है। आप इसमें कोई कार्यवाही करें या न करें लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और यह क्यों किया गया है। 57 लाख 37 हजार के मुआवजे को सात-आठ महीने बाद 30.05.2019 को 20 लाख रुपये कर दिया जाता है। 20 लाख रुपया मुआवजा करने का उद्देश्य यह है कि वहाँ कोई ए.डी.एम. है वह 10 लाख रुपया भट्ठा मालिक से डिमाण्ड करता है, न देने पर वह दोबारा उसकी जांच कराता है न उसकी कोई रिपोर्ट मिलती है। 12 जून, 2019 को जन-सूचना अधिकार के तहत शिप्रा राठी के द्वारा सूचना मांगी गयी परन्तु उनको कोई सूचना नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

राकेश जी, आपकी बात आ गयी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दे दीजिए। एक छोटा उद्योग चलाने वाली महिला का मामला है और उसका 37 लाख 37 हजार रुपया कम कर दिया गया। 30.05.2019 को 07 महीने बाद उसका मुआवजा 20 लाख रुपया कर दिया गया। सात महीने तक 57 लाख 37 हजार रुपया नहीं दिया जाता है और उससे 10 लाख रुपये की डिमाण्ड की जाती है और जब वह पैसा नहीं देती है तो 30 मई, 2019 को उसके खाते में 20 लाख रुपयो भेजकर 01 जून, 2020 को उसको भट्ठे को बुल्डोजर द्वारा गिरा दिया जाता है और 01 जून को ही डम्पर व पोकलैण्ड मशीन लगाकर पूरे मलवे को उठा ले जाते हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं इनके क्षेत्र का मामला है, हो सकता है कि इनके संज्ञान में भी हो। मैं केवल इसमें इतना चाहता हूँ कि न्याय होना चाहिए। उसी जनपद में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सुन लें बहुत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूरी मामला है। उसी जनपद में और भट्ठों को 65 लाख, 66 लाख, 68 लाख रुपये मुआवजा पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के लिए दिया गया है। क्या कारण है कि पक्की चिमनी के भट्ठे का मुआवजा 20 लाख रुपया कर दिया गया और 24 घण्टे के अंदर भट्ठा मालिक को बिना कोई सूचना दिये भट्ठा गिरा दिया गया और उसका मलवा भी उठा लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

राकेश जी काफी समय हो गया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक काम कर दीजिए जितने भट्ठों का मुआवजा सुल्तानपुर में दिया गया है आप एक सर्वदलीय कमेटी बना कर अपनी अध्यक्षता में या किसी अन्य मंत्री की अध्यक्षता में जांच करवा लीजिए और इस पूरे प्रकरण की भी जांच करवा लीजिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, भट्ठा मालिक इस पर भी तैयार हैं कि 20 लाख रुपये सरकार वापस ले ले और मैं जमीन भी दे रहा हूं, मेरा भट्ठा उसी तरह अन्य जगह बनवा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वह 20 लाख रुपये देने को तैयार है और जमीन भी दे रहा है कि मेरा भट्ठा और ऑफिस बनवा दें। इस पर भी भट्ठा मालिक तैयार है। जरा इसको आप व्यक्तिगत तौर पर देख लें आपकी कृपा हो जायेगी तो उद्यमी बच जायेगा, उसका रोजगार भी गया, पैसा भी गया, वह भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। इतनी देर नियम-51 में कोई नहीं बोला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हम एक डी0एम0 से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और उसके बाद जैसा बतायेंगे वैसा कर देंगे।

जनपद महाराजगंज की तहसील नौतनवां में जिगना चकदह तटबन्ध के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का वक्तव्य

(जल शक्ति मंत्री) डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जनपद महाराजगंज तहसील नौतनवा के अन्तर्गत बघेला नदी पर जिगिना चकदह...

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य जल शक्ति मंत्री ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 महेन्द्र सिंह-

[तटबंध का अधूरा कार्य पूर्ण न होने के कारण लिगना चकदह बन्ध के बीच आने वाले हमारे विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव बाढ़ से हर वर्ष प्रभावित होते हैं मान्यवर हिमालय पर्वत नेपाल से आने वाले समस्त बाढ़ हमारा क्षेत्र होकर ही गोरखपुर तक प्रभावित करते हैं जिसमें जिगना चकदह तटबंध जो बघेला नदी जैसे हमारे क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण नदी पर बन रहा था जो अधूरा पड़ा हुआ है जिसका पूर्ण होना अत्यन्त लोक महत्व का कार्य है अविलम्ब पूर्ण कराया जाना जनहित में लोकहित में आम जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या माननीय जल शक्ति मंत्री इस पर अभिलंब संज्ञान लेकर इस अधूरे काय को पूर्ण कराएंगे इस पर ध्यान आकृष्ट होगा आपका जिससे हमारे क्षेत्र के तमाम जन धन की रक्षा हो पाए।

2-श्री अमन मणि त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत है :-

जनपद महराजगंज में तहसील-नौतनवां के अन्तर्गत बघेला नदी के बायें तट पर स्थित ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु वर्ष 2007-08 में ग्राम सभा गंगवलिया से ग्राम सभा जिगना चकदह के टोला शाहपुर तक 9.600 कि0मी0 की लम्बाई में जिगना चकदह तटबंध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया, किन्तु कतिपय कारणों से तटबंध पूरा नहीं हो पाया। इसकी तकनीकी साध्यता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।]

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा-सीधा सवाल है कि शाहपुर तक 9.600 कि0मी0 की लम्बाई से जिगिना चकदह तटबंध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया किन्तु कतिपय कारणों से तटबंध पूरा नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक आपने पढ़ा है, इसके आगे कहा गया है कि इसकी तकनीकी साध्यता के संबंध में सक्षम स्तर से परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, बंधा बनना था, बंधे की पूरी स्वीकृति हुई। अब वह बंधा आधा बनकर रुका हुआ है। सैकड़ों गांव पानी में विलीन हो जाते हैं। सात नदियां हमारी विधान सभा में हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कब तक वह कार्य प्रगति पर हो जायेगा ? हेड टू टेल कम्प्लीट हो जायेगा, जिससे हम गांव का संरक्षण और फसलों का संरक्षण कर सकेंगे।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, 2005 और 2006 में यह बंधा बनाने का कार्य शुरू किया गया, 2008 में काम शुरू किया गया, 2010 में काम बन्द हो गया और उसके बाद से लेकर अब तक 05 साल बसपा के और 05 साल सपा के चले गये और अब जाकर याद आया है कि वह बंधा बनना चाहिए। 2005 और 2006 में बिना किसी योजना के, बिना जमीन का अधिग्रहण किये बंधे का काम शुरू करा दिया और उसके बाद उस काम को करते हुए काम को बन्द करा दिया। काम बन्द होने के बाद फिर याद आया तो काम को शुरू करा दिया। काम शुरू होने के बाद फिर काम को बन्द करा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसका परीक्षण कराया जायेगा। अगर जरूरत होगी, उसकी आवश्यकता होगी और वहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं, उन सबका परीक्षण कराने के बाद ही मैं इस बारे में आपको अवगत करा सकता हूं।

कानपुर नगर के पेयजल संकट को दूर करने व जे0एन0एन0यू0आर0 एम0 की अधूरी परियोजनायें पूरी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(जल शक्ति मंत्री) डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर...

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 महेन्द्र सिंह-

[दिलाना चाहता हूँ कि जनपद-कानपुर नगर के नगर निगम सीमा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु गंगा बैराज की स्थापना की गयी थी। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत पूरे

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर क्षेत्र में अनेक टंकियां बनायी गयी व आपूर्ति लाइनें बिछाई गयीं। बारह वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी परियोजना अपूर्ण हैं अनेक टंकियों में फीडर मेन नहीं पड़ी है, जहां है वहाँ अनेक लीकेज व लाइन में गैप है। बैराज भी चल नहीं पा रहा है जल निगम व जल कल में सामंजस्य का अभाव है। जल निगम अधूरी परियोजना के पूर्ण होने के लिए धन का अभाव बताते हैं व रुपये 610000000/-(इकसठ करोड़ रुपये) की मांग करते हैं।

अतः मैं सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराते हुए परियोजना पूरी किये जाने एवं वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर नगर में दो परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। प्रथम परियोजना ''कानपुर नगर के इनर ओल्ड एरिया में पेयजल आपूर्ति की योजना'' दिनांक 26-10-2007 को रुपये 270.95 करोड़ हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई एवं प्रथम पुनरीक्षित लागत रुपये 340.80 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 22-11-2011 को प्राप्त हुई। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम अन्तर्गत द्वितीय परियोजना ''कानपुर नगर के अवशेष क्षेत्र की पेयजल योजना'' दिनांक 22-01-2009 को लागत रुपये 377.79 करोड़ हेतु स्वीकृत हुई, जिसकी पुनरीक्षित लागत रुपये 475.15 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 28-12-2011 को प्राप्त हुई।

उपरोक्त दोनों स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति निम्नवत् है-

1-गंगा बैराज एवं पनकी नहर से कच्चा जल प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित समस्त कार्य-2 नग रा-वाटर इन्टेक सम्प, 400 एम0एल0डी0 रा-वाटर पम्प हाउस, 100-100 एम0एल0डी0 क्षमता के 6 नग पम्पिंग प्लान्ट, 100 एम0एल0डी0 के पनकी रा-वाटर इन्टेक व 50-50 एम0एल0डी0 के 3 नग पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित व संचालित हैं।

2-कच्चे जल के शोधन हेतु प्रस्तावित कार्य-200 एम0एल0डी0 क्षमता के 2 नग व 28.5 एम0एल0डी0 क्षमता का 1 नग जल शोधन संयन्त्र अधिष्ठापित व संचालित हैं।

3-कुल प्रस्तावित 117.45 किमी0 फीडरमेन के सापेक्ष 113.73 किमी0 डाली गई है, जिसमें से 75.40 किमी0 फीडरमेन संचालित है, शेष की टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है।

4-कुल प्रस्तावित 76 नग जोनल पम्पिंग स्टेशन (भूमिगत जलाशय व पम्पिंग प्लान्ट) के सापेक्ष 72 नग का कार्य पूर्ण एवं 45 नग क्रियाशील हैं।

5-45 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण है, जिसमें से 28 नग संचालित हैं।

6-1745 किमी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1587 किमी0 वितरण प्रणाली डाली गई तथा 460 किमी0 संचालित हैं।

7-16 नग नलकूप के सापेक्ष 16 नग पूर्ण व 12 नग संचालित है।

परियोजनाओं के पूर्ण क्षमता पर संचालन किये जाने में तीन मुख्य बाधायें हैं :-

1-मुख्य फीडरमेन में प्रयोग की गई 1800, 1600, 1400 कि0मी0 व्यास की जी0आर0पी0 पाइप में बार-बार लीकेज हो जाना।

2-वितरण प्रणाली व फीडरमेन में गैप के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र का संचालित न हो पाना।

3-दोनों परियोजनाओं के अन्तर्गत सृजित व संचालित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन व अनुरक्षण हेतु धनाभाव एवं जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर द्वारा परिसम्पत्तियों को हस्तगत न किया जाना।

फीडरमैन के जी0आर0पी0 पाइप में हो रहे लीकेज व फीडरमेन के गैप को पूर्ण किये जाने के लिए एक प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 164.23 करोड़ अमृत कार्यक्रम में विरचित किया गया है, जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस0एल0टी0सी0) तथा राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा किया जा चुका है। उक्त आगणन का मूल्यांकन/परीक्षण कराये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग संदर्भित है। उक्त आगणन की स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त उपरोक्त परियोजनाओं के समस्त निर्मित जेड0पी0एस0 एवं शिरोपरि जलाशयों तक जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत गौर वाल्टरगंज मार्ग पर राजस्व ग्राम कर्मी एवं बेलवरिया के जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री का केवल वक्तव्य

(जल शक्ति मंत्री) डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सरयू परियोजना-2, सिंचाई विभाग, गोण्डा के अन्तर्गत बस्ती खण्ड...

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी0ए0 चन्द्र प्रकाश शुक्ल-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(केवल जल शक्ति मंत्री ने ही दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 महेन्द्र सिंह-

[के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक 25-02-2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मौके पर लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है एवं बरसाती पानी की निकासी हेतु जो आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप डाली गयी थी, उसे पाटकर सड़क को चौड़ा कर दिया गया है। उक्त स्थान पर कहीं भी नाली नहीं है।

विषयगत प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इसका सम्बन्ध लोक निर्माण विभाग, बस्ती से है।]

जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया लालगंज में स्थापित ट्रामा सेन्टर में स्टाफ की तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ में टाउन एरिया-लालगंज अझारा-लखनऊ, रायबरेली...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग-231 पर स्थित है। लालगंज तहसील मुख्यालय होने के साथ ही साथ यहां कई शिक्षण संस्थायें स्थित हैं। दीवानी न्यायालय, पुलिस स्टेशन, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा सहित कई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें, डाक घर, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशाप, वितरण केन्द्र, वन विभाग का कार्यालय होने के साथ कई अन्य राजकीय विभागों के कार्यालय भी स्थित हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने एवं प्रायः दुर्घटना होने के कारण लालगंज अझारा (जनपद प्रतापगढ़) में ''ट्रामा सेण्टर'' स्वीकृत किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज अझारा, प्रतापगढ़-इस राष्ट्रीय राजमार्ग-231 के 'मध्य' में स्थित है। ट्रामा सेण्टर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और विभाग को हस्तगत भी किया जा चुका है। यह दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे मद्देनजर रखते हुये यहां पर ''ट्रामा सेण्टर'' स्वीकृत किया गया है। इस अंचल में लालगंज क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह दुर्घटनायें होती रहती हैं, दुर्घटना होने पर घायल को समय से समुचित उपचार न मिलने पर कभी-कभी उसका निधन भी हो जाता है क्योंकि मेडिकल कालेज इलाहाबाद की दूरी यहां से लगभग 100 किमी0 है। चूंकि ट्रामा सेण्टर का भवन निर्मित हो

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चुका है, अतः जनहित के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण इस ''ट्रामा सेण्टर'' से चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति/तैनाती अतिशीघ्र किया जाना अति आवश्यक है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिशीघ्र समुचित उपचार सम्भव हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करती हूँ।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लालगंज अझारा, जनपद प्रतापगढ़ के ट्रामा सेण्टर की स्थापना के उपरान्त शासनादेश संख्या-268/2018/2725/पांच-6-19-96(जी0)/18, दिनांक 21-11-2019 द्वारा उपकरणों की स्थापना की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। मानव संसाधन हेतु पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

जनपद सुल्तानपुर में अवैध खनन की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2020 को नियम...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[51 के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के तहसील सदर थाना कूरेभार के अन्तर्गत ग्राम इछूरी दूबेपुर के दबंग रमेश वर्मा द्वारा ग्राम प्रधान रहते हुये अवैध खनन करने की तथा तत्समय किये गये भ्रष्टाचारों की जांच कराकर जे0सी0बी0 मशीन को जब्त कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 25-02-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री चन्द्रकान्त मणि दूबे निवासी ग्राम इछूरी दूबेपुर, थाना कुरेभार, जनपद सुल्तानपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 28-12-2019 द्वारा गाटा संख्या 106 स्थित ग्राम पुरखीपुर तहसील सदर, जनपद सुल्तानपुर से अवैध खनन

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के सम्बन्ध में खान निरीक्षक, सुल्तानपुर द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस भूमि से अवैध खनन के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, वह राजस्व अभिलेखों में तालाब के खाते में अंकित है। इस सम्बन्ध में श्री चन्द्रकान्त मणि दूबे सुत बाबूराम दूबे निवासी इछूरी दूबेपुर थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर व अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा दिनांक 05-02-2020 को उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि रमेश वर्मा पुत्र श्री रामपाल वर्मा निवासी इछूरी दूबेपुर मुख्य ग्राम पुरखीपुर तहसील सदर, जनपद सुल्तानपुर द्वारा ग्रामसभा पुरखीपुर में ग्राम समाज की भूमि से अवैध खनन किया गया है।

3-उक्त के क्रम में श्री रमेश वर्मा को उक्त तालाब से अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-172/खनन लिपिक, दिनांक 13-02-2020 द्वारा निर्गत की गयी। उक्त नोटिस के क्रम में श्री रमेश वर्मा का जवाब प्राप्त न होने के कारण मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के समक्ष, खान एवं खनिज अधिनियम (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 3, 57 एवं 70 के अन्तर्गत, उ0प्र0 राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से श्री रमेश वर्मा पुत्र श्री रामपाल वर्मा, निवासी उपरोक्त के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।]

बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा 1209 नक्शों को अवैध घोषित कर नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जनपद बस्ती में विकास प्राधिकरण बस्ती का गठन 28/10/2016 को हुआ था। प्राधिकरण द्वारा...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 28-10-2016 से 31-03-2018 तक विनियमित क्षेत्र बस्ती के पास 1209 नक्शों को विकास प्राधिकरण अवैध मानने हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस के तथ्यों को छुपाने व मिली भगत जैसे आरोप असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है जबकि जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष बस्ती विकास प्राधिकरण बस्ती के पत्र संख्या-597, 6 अप्रैल 2017, पत्र संख्या-589, दिनांक 5 मई, 2017, पत्र संख्या-610, 17 जुलाई, 2017, पत्र संख्या-594, दिनांक 13 जून, 2017, पत्र संख्या-672, दिनांक 7 फरवरी, 2018, के अनुसार प्रमुख सचिव आवास, एवं शहरी नियोजन अनुभाग उ0प्र0 को बस्ती विकास प्राधिकरण में कार्यालय कर्मचारी एवं निरीक्षण कर्मी के पदों का सृजन नहीं होने पर प्राधिकरण का कार्य बाधित होने का उल्लेख किया है। तथा यह भी लिखा है कि जनहित एवं शासकीय हित में नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती द्वारा नक्शे आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उस बीच बस्ती में न ही कोई विकास प्राधिकरण का कोई ऑफिस था। और न ही कोई सचिव नियुक्त था। जबकि विकास प्राधिकरण में मानचित्र सचिव के हस्ताक्षर से पास होता है। और जनता पर आरोप है कि आप को विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास करना चाहिए था। उस समय कई समाज सेविकों ने समय-समय पर मिलकर जिलाधिकारियों/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से मिलकर जनता के मानचित्रों की समस्याओं को बताया और जिलाधिकारियों ने समझदारी का परिचय देते हुए विनियमित क्षेत्र को जनहित में मानचित्र निस्तारण करने के लिए अनुमति प्रदान की अगर ये अनुमति न मिलती तो शहर का विकास रुकता लोग सुविधा शुल्क देकर अवैध निर्माण करते उस समय सरकार को करोड़ों रु0 राजस्व का नुकसान भी होता।

सबसे पहले प्रशासन को उस समय के अवर अभियन्ताओं, नियत प्राधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था। 1209 मानचित्र स्वीकृत होने की अवधि में 3 जिलाधिकारियों/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की सहमति से नक्शे पास हो रहे थे। तो बात जनता तक जाती ही नहीं मण्डलायुक्त महोदय, बस्ती को अन्धेरे में रखते हुए बोर्ड की बैठक में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 1209 नक्शे के खिलाफ आर्डर करवा दिया। और सीधे 1209 लोगों को नोटिस भेजकर आरोपित किया उपरोक्त जिम्मेदारों ने तथ्यों को छुपाते हुए अवर अभियन्ता से मिली भगत कर विनियमित क्षेत्र बस्ती से मानचित्र स्वीकृत करा लिया जो विकास प्राधिकरण से होना चाहिए था।

भविष्य में अनियमितता रोकने के लिए आवश्यक है कि जनता के व्यवहारिक सुझाव को अमल में लाया जाये विशेष कर जैसे गलियों का एन्ट्री प्वाइन्ट यदि निर्धारित मानक 30 फुट से कम हो (जो लगभग सभी गलियों का है) तो अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर भवन निर्माण कर्ता को अपने सामने 30 फुट छोड़कर निर्माण की शर्त पर अनुमति दी जाये। मेरी भोली भाली जनता ने मानचित्र विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में दाखिल किया तद्पश्चात् अवर अभियन्ता ने

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थलीय निरीक्षण करके शुल्क निर्धारित किया शुल्क जमा होने के उपरान्त नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर से मानचित्र स्वीकृति हो जाता था। उसके बाद अपनी क्षमतानुसार बैंक अथवा रिश्तेदारों से कर्ज लेकर भवन निर्माण कराया निर्माण करने के दौरान भी कोई निर्माण रोकवाने नहीं आया आज 3-4 साल बाद बताया जा रहा है। की आपने जो मानचित्र स्वीकृत कराया है। व अवैध है महोदय, यह बात सुनकर 1209 परिवारों के पैर के नीचे से तो जमीन ही खिसक गयी। अब उन परिवारों का रातों का नींद हराम हो गया है। जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी ऊपर से बैंकों का ऋण भी अब ये परिवार जाएं तो कहां जाये तथा जिला प्रशासन द्वारा फुट पाथों से अतिक्रमण हटाने से हजारों परिवार बेरोजगार हो गया है। वहीं सरकारी विभाग के पुलिस चौकी, पराग दूध की बूथों को छुआ तक नहीं गया। प्रकरण जनहित से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।''

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार शासन की अधिसूचना संख्या-275/आ0-10-16-03 गठन/97, दिनांक-28-10-2016 द्वारा बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन हो गया था तथा बस्ती विकास क्षेत्र में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू हो गये थे।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह आया कि प्राधिकरण के गठन के उपरान्त विनियमित क्षेत्र कार्यालय के मोहर एवं लेटर हेड पर तत्कालीन विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी एवं तत्कालीन अवर अभियंतागण द्वारा बतौर नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, बस्ती तथा अवर अभियंता, कार्यालय विनियमित क्षेत्र, बस्ती के रूप में कतिपय मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं।

कार्यालय विनियमित क्षेत्र, बस्ती द्वारा दिनांक 28-10-2016 के उपरान्त स्वीकृत मानचित्रों के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 12-09-2018 के प्रस्ताव संख्या-28 की तृतीय बोर्ड बैठक में प्रस्तुत अनुपालन आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा प्राधिकरण के गठन के उपरान्त 1202 मानचित्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

चूंकि बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन दिनांक 28-10-2016 को हो चुका था और बस्ती विकास क्षेत्र में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू हो गये थे, ऐसी स्थिति में कार्यालय विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्रों को प्रथम दृष्टया अनियमित मानते हुये सम्बन्धित मानचित्र धारकों का पक्ष जानने हेतु लगभग 240 प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र धारकों को नोटिस दी गई थी।

उक्त प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सतत् अनुश्रवण किया जा रहा था तथा प्राधिकरण की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 18-01-2020 में बोर्ड द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :-

(i) निर्देशित किया गया कि समस्त 1202 प्रकरणों को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए निस्तारण आगामी बोर्ड बैठक के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) प्राधिकरण के गठन के उपरान्त कार्यालय विनियमित क्षेत्र के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए निलम्बन की संस्तुति सहित शासन को पत्र भेजा जाय।

इसी बीच प्राधिकरण एवं आम जनता के बीच संवाद हेतु गठित कार्यशाला दिनांक 16-02-2020 में प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि बस्ती विकास प्राधिकरण के गठन के उपरान्त तत्कालीन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या-594/ब0वि0प्र0, दिनांक 13-06-2017, पत्र संख्या-579, दिनांक 06-04-2017, पत्र संख्या-589, दिनांक 05-05-2017, पत्र संख्या-610/ब0वि0प्र0, दिनांक 17-07-2017 एवं पत्र संख्या-672/वि0क्षे0बस्ती, दिनांक 07-02-2018 के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अवगत कराया गया था कि बस्ती विकास प्राधिकरण प्रभावी ढंग से लागू नहीं होने के कारण जनहित एवं शासकीय हित में नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र द्वारा ही नक्शे आदि का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद मानचित्र धारकों को नोटिस प्रेषित किये जाने की कार्यवाही रोक दी गई है। पूरे प्रकरण के समाधान हेतु गुण-दोष के आधार पर विस्तृत परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त प्रकरण के समग्र निस्तारण हेतु प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा एवं बोर्ड द्वारा इस प्रकरण में लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव, जैसे गलियों के इन्ट्री प्वाइंट निर्धारित मानक 30 फुट से कम हो तो अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर भवन निर्माण कर्ता को अपने सामने 30 फुट छोड़ कर निर्माण की शर्तों पर अनुमति दी जाए, के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा परीक्षण कराते हुये आगामी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में निर्मित ट्रामा सेन्टर में डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र हरदोई सदर में निर्मित ट्रामा सेन्टर में डाक्टर...

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[व अन्य स्टाफ न होने के कारण इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ट्रामा सेन्टर का निर्माण 5 वर्ष पूर्व हुआ था व उसमें सभी पद सरकार द्वारा स्वीकृत हैं लेकिन उन पदों पर कोई नियुक्ति न होने के कारण स्थानीय निवासियों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह ट्रामा सेन्टर लखनऊ-हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित है व आये दिन मरीजों को ट्रामा सेन्टर में समुचित इलाज की व्यवस्था न होने के कारण लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। जनहित में उक्त ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ट्रामा सेन्टर हरदोई में मानव संसाधन एवं उपकरण आदि स्वीकृत है। उक्त ट्रामा सेन्टर जिला पुरुष चिकित्सालय, हरदोई से लगभग 09 किमी0 दूर है। जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, द्वितीय फेज में हरदोई मेडिकल कालेज को दिया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सकों की तैनाती होने पर ट्रामा सेन्टर पूर्ण रूप से संचालित किया जायेगा। वर्तमान में ट्रामा सेन्टर द्वारा प्राथमिक उपचार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।]

जनपद मथुरा के यमुना नदी पर बने नवीन पुल के अधोमानक निर्माण की जांच एवं उक्त क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

---

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, जनपद मथुरा में मथुरा से अलीगढ़ मार्ग पर यमुना नदी के ऊपर...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[वर्ष 2016 में बने पुल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में इस पुल का निर्माण जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे भविष्य में किसी दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। महोदय मात्र 03 वर्ष पूर्व चालू इस पुल का निर्माण कार्य मानक के विपरीत कराया गया है एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग की उक्त उदासीनता के कारण बार-बार शिकायत के बाद भी न तो उक्त पुल के अधोमानक की जांच करायी गयी और क्षतिग्रस्त पुल के हिस्से का मरम्मत का कार्य किया गया है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनपद मथुरा में मथुरा से अलीगढ़ मार्ग पर यमुना नदी के ऊपर बने पुल के अधोमानक निर्माण को टी0ए0सी0 जांच के साथ-साथ क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मतीकरण हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।

केवल वक्तव्य-

मा0 सदस्य द्वारा उपर्युक्तानुसार दी गयी सूचना के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 26-02-2020 द्वारा प्रकरण की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस विषय में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत नियमानसुार सुनिश्चित की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 07 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 27 फरवरी, 2020 **प्रदीप कुमार दुबे,**

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 23 पर)

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 का नियम-63

63-सचिव के कृत्य, अधिकार और कर्तव्य-

1-सचिव मण्डी समिति का मुख्य कार्याधिकारी होगा और मण्डी समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करेगा।

2-समिति के अन्य सभी अधिकारी तथा कर्मचारी उसके नियंत्रणाधीन होंगे। वह उनके काम का ऐसी रीति में निदेशित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिससे कि मण्डी समिति का उचित तथा दक्षतापूर्ण कार्य-संचालन हो सके।

3-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह समिति के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करे और समिति के किन्हीं पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी उपेक्षा दुराचरण कर्तव्यच्युति, आदि के लिए सभापति या समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आवश्यक आनुशासनिक कार्यवाही करे।

4-सचिव सभापति या समिति द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों का उचित रूप से निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह समिति के किन्हीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध समिति या सभापति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा अथवा करायेगा।

5-मण्डी समिति के सभापति अथवा अनुपस्थिति में उप सभापति के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए सचिव की ओर से प्राप्त और या उसके लिए व्यय की गयी सभी धनराशियों के समुचित लेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

6-सचिव सभी नैत्यक पत्र-व्यवहार करेगा और कार्यालय के अन्य कार्य को देखेगा और निदेशक अथवा निदेशक के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार सभापति के माध्यम से अथवा सभापति के पर्वानुमोदन से किया जायेगा।

7-सचिव ऐसे समस्त विवादों का जो विवाद उप समिति के समक्ष निर्णय के लिए आए, ऐसी रीति से जो समिति की उपविधियों से निर्दिष्ट की जाए पूर्ण अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

8-सचिव अपने द्वारा निपटाये गये विवादों का एक अभिलेख ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखेगा जो समिति की उपविधियों से निर्दिष्ट की जाए।

9-मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय या क्रय से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर सचिव जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट सभापति को ऐसी कार्यवाही करने के लिए देगा जो वह अधिनियम, इस नियमावली तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक समझे।

10-सचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि मण्डी स्थलों में विक्रेताओं को उचित भुगतान किया जाता है और मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के तौलने से कोई अनियमितता नहीं की जाती है।

11-सचिव समिति और उसके सभापति को अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन के विक्रय के विनियमन से सम्बद्ध सभी मामलों में परामर्श देगा और उसकी राय समिति की कार्यवाही में अभिलिखित की जायेगी।

12-सचिव समिति के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी देगा। अन्य प्रकार की छुट्टी के लिए सचिव उसको सिफारिश सभापति को करेगा, जो समिति के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू छुट्टी के नियमों के अनुसार ऐसी छुट्टी स्वीकृति करने की कार्यवाही करेगा।

13-सचिव प्रत्येक 30 वर्ष अप्रैल तक सभापति को, समिति द्वारा नियुक्ति पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य तथा योग्यता के सम्बन्ध में अपना वार्षिक, गोपनीय गन्तव्य प्रस्तुत करेगा।

14-सचिव, समिति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सभापति को ऐसी किसी वेतन वृद्धि के देय होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

15-सचिव, सभापति के आदेश पर अथवा उसके पूर्वानुमोदन से अथवा निदेशक के आदेश पर मण्डी समिति की बैठक बुलायेगा और उसे समिति की बैठक में उपस्थित होने, उसमें बोलने तथा अन्य प्रकार से उसमें भाग लेने का अधिकार होगा, प्रतिबन्ध यह है कि सचिव को समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार न होगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-41 पर)

जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2017 से 01-12-2019 तक वितरित किये गए यन्त्रों का क्रमवार सूची

S.No	REGISTRATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
1	866779328	JAGDEEP SINGH	KANWALJEET SINGH	Gulbhya	Jalalabad	90055*****	1	NO	35000	08-09-17	2017-18	सेटलमेंट
2	7661913	brijmohan singh	vijai bahadur	Harsipur	Mirzapur	94546*****	1	NO	35000	27-09-17	2017-18	सेटलमेंट
3	866197282382900	kawaljeet singh	Sukhdev singh	Chinaur	Bhwalkhera	96216*****	1	NO	200000	27-09-17	2017-18	रोटरी इंसेप्शनकेटर
4	866211294070	SANDEEP SINGH	sukhdevsingh	Chaiaur	Bhwalkhera	99843*****	1	NO	44000	27-09-17	2017-18	सर्फेक्टेशिक प्लाउ
5	866285122964U0	RAM NARESH	GOHARDHANLAL	Simarel	Khutar	70546*****	1	NO	200000	27-09-17	2017-18	वाइड टाइपकल्टर
6	5660000002389	Umesh Chandra	Bharat Singh	Gadaiya	Powayan	98388*****	1	NO	10000	13-10-17	2017-18	पम्प सेट
7	866277987400	MANAV KRASHAK SAMAJ		Sikanderpur	Khutar	7379?*****	1	NO	800000	17-10-17	2017-18	पावर ट्रीलर
8	8641111638	INDRA JEET	MUKHIYAR SINGH	Baleli	Dadrol	99354*****	1	NO	60000	28-10-17	2017-18	पावर टिलर
9	866209627342	SIVARAN SINGH	Ram Bhoj	Nagla haloo	Jalalabad	99361*****	1	NO	15000	28-10-17	2017-18	सीड ड्रिल
10	866209198	BHARAT LAL	MANGILAL	Pulna khurd	Bhwalkhera	80851*****	1	NU	25000	28-10-17	2017-18	ब्रेक फ्रंट मालवाहित
11	866286146	OM KRISHAK SEVASAMITI	UmeshChandra	Gazipur chikkia	Mirzapur	91986*****	1	NO	800000	30-10-17	2017-18	पावर ट्रीलर्स सेक
12	866185666	RAMAUTAR VERMA	Moti Lal Verma	Bhatsara prathivipur	Nigohi	99563*****	1	NO	35000	01-11-17	2017-18	सेटलमेंट
13	866196447	SUBHASH	PARMESHWARI DAYAL	Diuria	Nigohi	0*****	1	NO	35000	01-11-17	2017-18	सेटलमेंट
14	866243137	SUMAN LATA DIXIT	OMPRAKASH DIXIT	Gola raipur	Sindhauli	97942*****	1	NO	61000	01-11-17	2017-18	स्प्रिंगटिंग
15	866281030	VIRENDRA PAL SINGH	SHEETAL SINGH	Uchaupura	Dadrol	99360*****	1	NO	800000	01-11-17	2017-18	फार्म मशीनरी बैंक
16	6662473	Balak Ram	Bharat	Peeng	Bhwalkhera	88533*****	1	NO	10000	06-11-17	2017-18	पम्प सेट
17	8561042	SHUKHVINDAR SINGH	BACHAN SINGH	Nagla hati	Dadrol	99367*****	1	NO	10000	10-11-17	2017-18	पम्प सेट
18	866196540	Umpal singh	Chote singh	Maholiya	Nigohi	77850*****	1	NO	35000	10.11.17	2017-18	सेटलमेंट
19	866214396	JAI RAM	NATTHU	Berapur	Bhwalkhera	0*****	1	NO	63000	14-11-17	2017-18	स्प्रिंगटिंग
20	866246183	SHAMSHER SINGH	BALJEETSINGH	Ajmaipur	Nigohi	99365*****	1	NO	800000	14-11-17	2017-18	फार्म मशीनरी बैंक
21	866280343	JASPALSINGH		Pipana birsinghpur	Khutar	99846*****	1	NO	800000	14-11-17	2017-18	फार्म मशीनरी बैंक
22	866190189	JITENDAR SINGH	JAGTAR SINGH	Karnapur	Khutar	98765*****	1	NO	63000	14-11-17	2017-18	स्प्रिंगटिंग
23	866290045	jagtar singh	basant singh	Karnapur	Khutar	98678*****	1	NO	63000	14-11-17	2017-18	स्प्रिंगटिंग
24	866185673	Suresh Kumar	Nardev Lal	Tikmapur	Nigohi	9455?*****	1	NO	35000	15-11-17	2017-18	सेटलमेंट
25	866191767	SURVESH KUMAR	RAJA RAM	Sanda khas	Nigohi	87264*****	1	NO	35000	15-11-17	2017-18	सेटलमेंट
26	866213426	ASHOK KUMAR	BRAJPAL SINGH	Ramapur bajhera	Jalalabad	88574*****	1	NO	35000	16-11-17	2017-18	सेटलमेंट
27	866219841	Sandhyal	moola	Saral	Khutar	99192*****	1	NO	9500	05-12-17	2017-18	पम्प सेट
28	866277990	SUMAA KRASHAK SAMAISOCIETY		Dhakia hamid nagar	Sindhauli	91984*****	1	NO	800000	06-12-17	2017-18	फार्म मशीनरी बैंक

SNO	REF	*NATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
49		866104930	SWARNJEET KAUR	MANJEET SINGH	Sahiyara	Badrol	95292*****	1	NO	10000	11-12-17	2017-18	चेक बेंट
50		866106254340895	दीपक सिंह	तेजपाल सिंह	Bhadurpur Ahmad Nagar	Dhwalkhera	99565*****	1	NO	10000	11-12-17	2017-18	चेक बेंट
51		866090227000	MAIKU	BUDHA LAL	Rajmona	Khutar	89645*****	1	NO	63000	14-12-17	2017-18	स्टाफिंग
52		866235816000	TAUHERAM	POORANLAL	Ran banda	Banda	94513*****	1	NO	40000	15-12-17	2017-18	रोजवेटर
53		866473435	SHIPAI	KHEMYARAN	MADHANPUR	Tihar	95594*****	1	NO	10000	21-12-17	2017-18	चेक बेंट
54		866111708	BRIJ KISUHI	CHOTE LAL	Sarifpur jatpur	Mirzapur	99356*****	1	NO	35000	22-12-17	2017-18	रोजवेटर
55		866209580560	SURAJPAL	बनारसी लाल	Fatehpur	Jalalabad	98380*****	1	NO	35000	22-12-17	2017-18	रोजवेटर
56		866210961843000	RAFYUR	पान सिंह	Kanari banke	Jalalabad	94507*****	1	NO	35000	22-12-17	2017-18	रोजवेटर
57		866218870870	MANJEET SINGH	JAGTAR SINGH	Sikandarpur	Jaitipur	*****	1	NO	35000	22-12-17	2017-18	रोजवेटर
58		866176386	Kharra Lal	Cheshe Lal	Alikena	Khutar	98389*****	1	NO	35000	23-12-17	2017-18	रोजवेटर
59		866164078	Rajesh Kumar	Ajudhi Verma	Chak bhitara	Bhwalkhera	88539*****	1	NO	35000	28-12-17	2017-18	रोजवेटर
60		866190469500	JAGIR KAUR	HARVANSH SINGH	Reja j Bangawan	Powayan	94534*****	1	NO	35000	28-12-17	2017-18	रोजवेटर
61		866190513	Balbant Singh	Nathu Singh	Shergar	Bhwalkhera	96218*****	1	NO	35000	28-12-17	2017-18	रोजवेटर
62		866192369500	mohan singh	hari singh	Pokharpur	Banda	98058*****	1	NO	35000	30-12-17	2017-18	रोजवेटर
63		866211735970	SATYDEV	RAMCHARAN	parmanadpur	Tihar	*****	1	NO	35000	30-12-17	2017-18	रोजवेटर
64		866245098980	NAILSH KUMAR	RAMKISHOR	Bhauna	Kalra	96214*****	1	NO	35000	30-12-17	2017-18	रोजवेटर
65		866242038480	KRISHNA PAL SINGH	GULAFAMSINGH	Ikre khera	Mirzapur	97698*****	1	NO	35000	30-12-17	2017-18	रोजवेटर
66		866247991600	RAMVEER	JHAMMAN LAL	Sanaiya jatti	Sindhauli	94502*****	1	NO	35000	30-12-17	2017-18	रोजवेटर
67		866106120	KALAVINDRA SINGH	KARNEL SINGH	Tindua nagaria	Banda	94525*****	1	NO	35000	01-01-18	2017-18	रोजवेटर
68		866119257	VIRENDRA SINGH	LALBAHADUR	Benipur	Sindhauli	94519*****	1	NO	10000	11-01-18	2017-18	चेक बेंट
69		866156735500	SWITASH KUMAR	DHARM DEV	MOHANPUR	Tihar	91254*****	1	NO	10000	11-01-18	2017-18	चेक बेंट
70		866170122	Vijay Kumar	Om Prakash	Chak bhitara	Bhwalkhera	97957*****	1	NO	10000	11-01-18	2017-18	चेक बेंट
71		866213250220	VIJAY KUMAR SINGH	ADWAIT KUMAR SINGH	Rupta baloo	Jalalabad	99951*****	1	NO	10000	11-01-18	2017-18	चेक बेंट
72		866203003	Prema Devi	Devender Kumar	Madhpur	Kanth	94501*****	1	NO	10000	11-01-18	2017-18	चेक बेंट
73		866191579300	LAXMI DEVI	RISHI KUMAR	Simrahi	Khutar	99563*****	1	NO	44000	12-01-18	2017-18	रोजवेटर
74		866192286900	ASHOK KUMAR	BANSIDHAR	Navadia nawazpur	Khutar	97941*****	1	NO	28000	12 01 18	2017-18	रोजवेटर
75		866213270100	RAM KISHORI	MAHESH	Mou rasoolpur	Jalalabad	88537*****	1	NO	35000	12-01-18	2017-18	रोजवेटर
76		866213872500	RUDRA SINGH	CHAM SINGH	Aamhiyapur	Tihar	96212*****	1	NO	35000	12-01-18	2017-18	रोजवेटर
77		866213873500	BAGUVINDER SINGH		Aamhiyapur	Tihar	97930*****	1	NO	35000	12-01-18	2017-18	रोजवेटर
78		866236816400	NETHA PAL SINGH	SHYAM PAL SINGH	Mahata mahoti	Jaitipur	94524*****	1	NO	35000	12 01 18	2017-18	रोजवेटर
79		866238041900	HARIPAL SINGH	RAM SWAROOP SINGH	Gogapur	Jaitipur	75260*****	1	NO	35000	12 01 18	2017-18	रोजवेटर
80		866247962650	MOHAMMAD YUSUF KHAN	ABDULVAHEEDKHAN	Mahanandpur	Sindhauli	99585*****	1	NO	63000	12 01 18	2017-18	स्टाफिंग
81		866244957600	वेलवीर सिंह	भगा सिंह	Umraha	Kanth	99196*****	1	NO	28000	12-01-18	2017-18	रोजवेटर

SNO.	IND.	RATIUNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
43	-	866246668478800	AMRIT SINGH	KULVINDER SINGH	Nagla hari	Dadrol	99188******	1	NO	35000	12-01-18	2017-18	रेलवेस्टर
44	-	86622779943600	GURUKRAPA KRASHAKSAMAJ SOCIETY		Chotiya Rajavat	Powayan	98395******	1	NO	800000	12-01-18	2017-18	पावर मल्चिंगी शीट
45	-	866186015710D	RAVILAS	BAAI KISHAN	Bharti bakanpur	Nigohi	94114******	1	NO	10000	16-01-18	2017-18	पम्प सेट
46	-	866191879381	SHIV SHANKAR	babu ram shukla	Chandpur	Khutar	91985******	1	NO	35000	20-01-18	2017-18	रोटावेटर
47	-	866140422	GANGA SHANKAR BAIPAI	SUNIL KUMAR BAIPAI	Kaunha	Kanth	90050******	1	NO	100000	20 01 18	2017-18	पम्प सेट
48	-	866231780470D	JADEVEER	KANTHU	Ata khurd	Bhwalkhera	84005******	1	NO	35000	25-01-18	2017-18	रोटावेटर
49	-	866242909763D0	VEERPAL	RAMPEET	Barenj	Dadrol	96955******	1	NO	35000	25-01-18	2017-18	रोटावेटर
50	-	866275362980D	MAHESH PAL	CHUNNILAL	Raphiya bad kalan	Kalan	97943******	1	NO	35000	25-01-18	2017-18	रोटावेटर
51	-	866300077520D	balaram	Gangaram	Nichola	Jalalabad	80096******	1	NO	35000	25-01-18	2017-18	रोटावेटर
52	71	866183250490400	MEGHNATH SINGH	PRAHLAD SINGH	Mawaiya Khas	Katra	96954******	1	NO	28000	28-01-18	2017-18	रोटावेटर
53	-	866187416570D	HARU PRASAD	RAM CHANDRA	Hauza	Dadrol	96216******	1	NO	35000	29-01-18	2017-18	रोटावेटर
54	-	866196469870D	JASPAL SINGH	SHIVDEV SINGH	Lalha biran	Khutar	97214******	1	NO	150000	29-01-18	2017-18	लेजर लेड लेवलर
55	-	866195420710D	Charan Singh	SEWRUP	Damarpur	Banda	76079******	1	NO	150000	29-01-18	2017-18	लेजर लेड लेवलर
56	-	866272358650D	GOPAL	SURATSINGH	Rampur	Nigohi	97929******	1	NO	40000	03-02-18	2017-18	रोटावेटर
57	-	866448895	SANT KUMAR	VISHUNATH	Kenda	Kanth	96958******	1	NO	10000	10-02-18	2017-18	पम्प सेट
58	77	866211324851D0	SUKHPAL SINGH	GANGA BAKHS SINGH	Ramapur bajhera	Jalalabad	99383******	1	NO	35000	16-02-18	2017-18	रोटावेटर
59	-	866218771740D	Lalaram	Murli	Narain madhopur	Kanth	97753******	1	NO	35000	16-02-18	2017-18	रोटावेटर
60	79	866242453260D	ANGREJSINGH	GURBHACHANSINGH	Damdaur	Bhwalkhera	97944******	1	NO	28000	16-02-18	2017-18	रोटावेटर
61	80	866244582420D	PRAMOD KUMAR	DWARIKA	Bhanid	Kanth	97935******	1	NO	19000	16-02-18	2017-18	थ्रेशर
62	81	866245577423D0	VINOD KUMAR	DATARAM	Dhaka ghanshyam	Banda	87658******	1	NO	2000	16-02-18	2017-18	चारा काटने की मशीन हस्त
63	82	866246830100	SANTRAM	RAMKRISHAN	Chaursakya	Jalalabad	97689******	1	NO	19000	16-02-18	2017-18	हैरो
64	83	866247225000	MANOJ KUMAR	ARABSINGH	Gangsara	Powayan	99366******	1	NO	28000	16-02-18	2017 18	रोटावेटर
65	84	866248591120D	JAYPRAKASH	SHIVNARAYAN	Lallah pur umarpur	Kalan	89532******	1	NO	35000	16 02 18	2017-18	रोटावेटर
66	85	866179589300D	CHOTEY LAL	RAM SHANKAR	Nijampur	Tihar	87561******	1	NO	10000	19-02-18	2017-18	पम्प सेट
67	86	866196471240D	Ramender pal SINGH	HARCHERN	Damarpur	Banda	77539******	1	NO	150000	22-02-18	2017 18	लेजर लेड लेवलर
68	87	866200379530D	VINOD KUMAR	RAM PRASAD	Bhuda	Kanth	76077******	1	NO	40000	22-02-18	2017-18	पैडी/गन्ती क्वर थ्रेशर
69	88	866235906290D	bhupal singh	ramshahdur singh	Rta	Nigohi	89533******	1	NO	35000	22 02 18	2017-18	रोटावेटर
70	89	866295287280D	ramdas	hoorilal	Purena	Kanth	85459******	1	NO	10000	26-02-18	2017-18	पम्प सेट
71	90	866179419960D	GAYADEEN	RAMLAL	Lahari	Jalalabad	91752******	1	NO	10000	28-02-18	2017 18	पम्प सेट
72	91	866219117060D	HETHAM	TIJAKRAM	Chota nirla	Sirchauli	96217******	1	NO	10000	28 02 18	2017-18	पम्प सेट
73	92	866225936620D0	KASHMIR	MALKEET SINGH	rampur heera	Powayan	99764******	1	NO	40000	28-02-18	2017-18	रोटावेटर
74	93	866193726180D	VINOD KUMAR	MALKHAN	Chaudera	Bhwalkhera	88531******	1	NO	10000	05 03 18	2017-18	पम्प सेट
75	94	866307500570D	RAMSARAN	DHOLA	Mardanpur	Nigohi	99849******	1	NO	50000	05-03-18	2017 18	रोटावेटर
76	95	866181937390D	MTVARAM	RAM CHARAN LAL	Pipriya udaibhanpur	Nigohi	98891******	1	NO	44000	06 03 18	2017-18	रोटावेटर
77	96	866213573580D	RABIA BEGAM	SHAN MOHAMMAD	Lakhluri kalan	Khutar	91182******	1	NO	44000	06-03-18	2017 18	रोटावेटर

SNO	RC	RATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTRUMENT_NAME
97		866227555315800	DHARMENDRA KUMAR	CHET RAM	Ainth hussainpur	Bhwaikhera	81758******	1	NO	44000	06-03-18	2017-18	रोटावेटर
98		866262334051000	RAMANEET SINGH	SALVINDER SINGH	Chitterpur nawadha	Banda	900584******	1	NO	25000	06-03-18	2017-18	पेम क्लच सामरहित
99		866265471123000	RESHAM SINGH	HIRMALSINGH	Gangajaur	Sardhauli	91982******	1	NO	35000	06-03-18	2017-18	रोटावेटर
100		866276354533000	PREM BABU	omkarprasad	Bharri hasanpur	Nigohi	81749******	1	NO	2000	06-03-18	2017-18	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
101		866289300590000	Devender Singh	Bheersingh	Sikrahani	Banda	760734******	1	NO	63000	06-03-18	2017-18	स्प्रायर्स
102		866290232050000	HARJEESINGH	HARMEJSINGH	Padri kohenpur	Banda	794605******	1	NO	61000	06-03-18	2017-18	स्प्रायर्स
103		866473415	SHRIPAL	KHEM KARAN	MOHANPUR	Tihar	955944******	1	NO	2500	06-03-18	2017-18	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
104		866179534540000	SMT SARSWATI DEVI	SH GUMNU	Tikri	Dadrol	96212******	1	NO	50000	07-03-18	2017-18	रोटावेटर
105		866192317600000	ramdesh	BANDHU LAL	Karkaur	Jaitipur	962148******	1	NO	10000	10-03-18	2017-18	पंप सेट
106		866192238290000	kavaljeet singh	Sukhdev singh	Chinaur	Bhwaikhera	962165******	1	NO	15000	12-03-18	2017-18	सीड ड्रिल
107		866722585650000	ANIL KUMAR SINGH	GAJARAJ	Tanda parvatpur	Kanth	97943******	1	NO	35000	12-03-18	2017-18	रोटावेटर
108		866187820500000	Ram Pal	Prabhat Lal	Sikandarpur kalan	Kanth	******	1	NO	35000	16-03-18	2017-18	रोटावेटर
109		866213772920000	MANISH CHANDRA	LALA RAM	Sahab ganj	Jalalabad	0******	1	NO	60000	16 03 18	2017-18	फ्लज टिल्लर
110		866244938822000	DHARMENDRA singh	RAJ KUMER_SINGH	Madura	Mirzapur	979311******	1	NO	35000	16 03 18	2017-18	रोटावेटर
111		866181812403300	UMESH CHANDRA	SATAY PRAKASH	Pahaitpur bhoopat	Katra	788977******	1	NO	2500	17-03-18	2017-18	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
112		866251257650000	rameshandera	baburam	Kumbhia mafi	Khutar	541200******	1	NO	42000	17-03-18	2017-18	रोटावेटर
113		866292938380000	MITHLESH KUMAAR	PREMPAL	Maganpur	Jaitipur	979399******	1	NO	2000	17-03-18	2017-18	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
114		866279881825000	rampal	ramdhapan	narutha hasram	Khutar	983959******	1	NO	50000	17-03-18	2017-18	रोटावेटर
115		866290839321000	RISHIPAL	PUTTILAL	Kakraun	Nigohi	0******	1	NO	36000	17-03-18	2017-18	रोटावेटर
116		866279764275000	firoz khan	chuttankhan	Bhangaur	Kanth	991855******	1	NO	35000	21-03-18	2017-18	रोटावेटर
117		866540428	HARIOM	BHRAVISHAHAYA	Kauda	Kanth	731815******	1	NO	39000	21-03-18	2017-18	रोटावेटर
118		866307700320000	JAGPAL	RAMBHAROSA	Almhapur	Nigohi	945534******	1	NO	45000	23 03 18	2017-18	रोटावेटर
119		866186867460000	SEEMA DEVI	ANIL SINGH	Daka udarampur	Dadrol	875679******	1	NO	60000	27-03-18	2017-18	पावर टिलर
120		866264826568700	sukhjinder kaur	dilbagsingh	Ladholi	Bhwaikhera	790549******	1	NO	15000	27-03-18	2017-18	रोप कटर स्वसरक्षित
121		866301395990000	MANORAMA DEVI	MUNENDRA SINGH	Banda	Banda	951959******	1	NO	60000	27-03-18	2017-18	पावर टिलर
122		866310343878000	PRAGATI KRISHI_VIKAS SEWA	RAGINI_W/O_AVNISH_KUM	Mitha	Kanth	705449******	1	NO	800000	27-03-18	2017-18	फार्म मशीनरी बैंक
123		866309531040000	KALYAN	BHOLANATH	Mastanpur	Nigohi	0******	1	NO	50000	27-03-18	2017-18	रोटावेटर
124		866815123	मेघराज	भूदेव	Sindal khera	Nigohi	979388******	1	NO	50000	27 03 18	2017-18	रोटावेटर
125		866232286650000	JASWINDAR KAUR	JARNAIL SINGH	Karnapur	Khutar	912944******	1	NO	40000	29-03-18	2017-18	मिनी दाल मिल
126		866894223911	UMESH PAL SINGH	RAI BAHADUR	Harkanpur sirra	Katra	979499******	1	NO	35000	29 03 18	2017-18	रोटावेटर
127		866145775	DINESH SINGH	RAJA SINGH	Daka udarampur	Dadrol	0******	1	NO	10000	30-03-18	2018-19	पंप सेट
128		866117573	GURUBHAJ SINGH	HARJINDAR SINGH	Salwan bujurg	Bhwaikhera	99562******	1	NO	48000	06-04-18	2018-19	रोटावेटर
129		866184814	Surendra	Chandra Son	Nawabka nawapur	Khutar	991981******	1	NO	10000	21 04 18	2018-19	पंप सेट

SR.	RATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
140	866194885	Ramsaran	Hiralal	Nawada newagpur	Khutar	98783*****	1	NO	10000	21-08-18	2018-19	पम्प सेट
141	6665045	Subh Pal	Jhabbu Lal	Pathrapur	Tahlpur	94102*****	3	NO	10000	23-08-18	2018-19	पम्प सेट
142	866209564800	ओमप्रा	मुन्नी	Amalna	Islafabad	97937*****	1	NO	15000	30-08-18	2018-19	पैथर 20 हार्सपावर से कम
143	866213836700	HARIKISHOR	RAMDET	Pre khera	Mirzapur	99355*****	1	NO	19000	30-08-18	2018-19	ट्रैक्टर
144	866227304832	RAJESH BABU	SATISHCHANDRA	Majhara	Mirzapur	0*****	1	NO	25000	30-08-18	2018-19	पैडी/मल्टी क्रॉप थ्रेशर
145	866224294374	KRI PAL SINGH	GURAMEJ SINGH	Parsara parsan	Nigohi	99369*****	1	NO	48000	04-09-18	2018-19	रोटावेटर
146	866310607560	SATYAPAL	BHIKHAM LAL	Sanda khas	Nigohi	90859*****	1	NO	45000	04-09-18	2018-19	रोटावेटर
147	866104915	JAGATAR SINGH	MEHAR SINGH	Udna biran	Khutar	*****	1	NO	35000	17-09-18	2018-19	रोटावेटर
148	866108258	UNDER JEET SINGH	DEV SINGH	Rampur	Banda	94525*****	1	NO	44000	17-09-18	2018-19	रोटावेटर
149	866162763500	मो ज्मर खां	राजाबद खां	Kalta kamnu	Bhwalkhera	96345*****	1	NO	2000	17-09-18	2018-19	चारा फाटने की मशीन हस्त चालित
150	866181553190	SANJAY SINGH	HAWALDAR	Parvejpur	Dadrol	82272*****	1	NO	25000	17-09-18	2018-19	पैडी/मल्टी क्रॉप थ्रेशर
151	866192418259	KANHAI LAL	RAMSWAROOP	Paharipur bhoopat	Katra	*****	1	NO	2500	17-09-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
152	866197420230	NETRAPAL	BABURAM	Bhudiya	Katra	90050*****	1	NO	2000	17-09-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
153	866211294070	SANDEEP SINGH	sukhdevsingh	Chinaur	Bhwalkhera	99843*****	1	NO	50000	17-09-18	2018-19	ट्रक्टरोपर
154	866214049980	Gajender singh	Radha singh	Punauti khurd	Khutar	99364*****	1	NO	15000	17-09-18	2018-19	ड्रिल्क प्लाऊ
155	866223278250	JAY SINGH	SHIVDAYAL	Vikrampur	Katra	96545*****	1	NO	2500	17-09-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
156	866234602400	VIKAS GUPTA	NARESHCHANDRA	Kripsenda	Dadrol	90059*****	1	NO	2500	17-09-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
157	866234561660	seema	Sayyad	Mau rasoolpur	Jalalabad	95878*****	1	NO	44000	17-09-18	2018-19	रोटावेटर
158	866246345480	AHIBARAN LAL	BANDHU	Chandapur barkalpur	Dadrol	99563*****	1	NO	2000	17-09-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
159	866246451360	MADHURI DEVI	UMESHCHANDRA	Paharipur bhoopal	Katra	*****	1	NO	2500	17-09-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
160	866269820100	Munendra Pal Singh	Brijpalsingh	Banda chauraha	Banda	70077*****	1	NO	60000	17-09-18	2018-19	पावर टिलर
161	866283198920	SURYA PRATAP SINGH	RAMVEERSINGH	Ghus asri	Dadrol	95191*****	1	NO	60000	17-09-18	2018-19	पावर टिलर
162	866283977650	Seema Devi	Nagendra Pal singh	Banda	Banda	83180*****	1	NO	65000	17-09-18	2018-19	पावर टिलर
163	866304727230	budhpal singh	rajendar	Amaura	Kanhi	*****	1	NO	35000	17-09-18	2018-19	रोटावेटर
164	866310840490	RAVINDRA SINGH	MAHENDER SINGH	Banchhulia	Khutar	88095*****	1	NO	18000	17-09-18	2018-19	ब्रिजोल प्लाऊ
165	866329269	MANOJ KUMAR	gajadar lal	Akheyapur	Sindhauli	80042*****	1	NO	60000	17-09-18	2018-19	पावर टिलर
166	866319625370	Sukhvinder Singh	Charandeep	Krishanpur padri	Bamla	*****	1	NO	160000	25-09-18	2018-19	लैंड लेवल

NO.	RATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
157	866205306190	CHITRAM	RAMBHAROSE	Isnalepur	Mirzapur	99186*****	1	NO	12000	25-09-18	2018-19	पैमर 20 हार्सपावर से कम
158	866706670220	NANHI DEVI	HOSIAN LAL	Dannauda arjunpur	Bhwaikhera	99354*****	1	NO	18000	25-09-18	2018-19	पंपसेट सहित
159	866314738210	SUNITA SINGH	OMENDRA SINGH	Kiratpur	Jaitpur	94155*****	1	NO	25000	25-09-18	2018-19	पैडी/मल्टी क्रॉप थ्रेशर
160	866316150350	dwarika prasad	hukam chand	Bhanpura	Jaitpur	94102*****	1	NO	63000	25-09-18	2018-19	मेजर मैस सेवेलर
161	866146053	BHIKARI LAL	SARNAAM	Jaura patti lantrabari	Jaitpur	*****	1	NO	9750	30-09-18	2018-19	पंप सेट
162	866161209000	SURJINDER SINGH	AMARJEET SINGH	Deori	Bamda	97943*****	1	NO	35000	30-09-18	2018-19	क्रॉप ड्रिल
163	866192199200	LALA RAM	BUDHI	ajigarj	Dadrol	g*****	1	NO	20000	30-09-18	2018-19	पैडी/मल्टी क्रॉप थ्रेशर
164	99966119080	SANJEEV KUMAR DIXIT	OM PRAKASH	Gola raipur	Sindhauli	97932*****	1	NO	16700	30-09-18	2018-19	सीड ड्रिल
165	866166432	MANTRA DEVI	AKHILASH KUMAR	Sonai	Dadrol	97939*****	1	NO	44000	12-10-18	2018-19	रोटावेटर
166	866180933339000	shishupal singh	ram gulam	Bhatiuriya buzurg	Powayan	94502*****	1	NO	75000	12-10-18	2018-19	पावर टिलर
167	866237480620	JITENDRA KUMAR	ROOPRAM	Bharatpur	Mirzapur	96213*****	1	NO	11790	12-10-18	2018-19	ब्लन्डीवेटर
168	866258631094	Taqveem Hasan Khan	Modeemhasankhan	Pasgawan	Bhwaikhera	99356*****	1	NO	50000	12-10-18	2018-19	मेजर मैस सेवेलर
169	866273042450	BHOLE SHANKAR	RAMBAHADUR	Majhara	Mirzapur	g*****	1	NO	490000	15-10-18	2018-19	पैडी/मल्टी क्रॉप थ्रेशर
170	866273510010	Satyajal singh	Tahersingh	Chaura bujer khet	Mirzapur	96480*****	3	NO	415000	15-10-18	2018-19	पैडी/मल्टी क्रॉप थ्रेशर
171	866213277320	BADAN SINGH	SONPAL	Gurendrara daudpur	Kalan	99562*****	1	NO	35000	24-10-18	2018-19	रोटावेटर
172	866127451	KASHMIR SINGH	AMAR SINGH	Khampur no. Kurraiya	Khutar	99357*****	3	NO	350001	25-10-18	2018-19	रोटावेटर
173	866163939	LALBAHADUR	MULAYAM SINGH	Bempur	Sindhauli	94519*****	1	NO	100000	25-10-18	2018-19	पंप सेट
174	866194044	SHANTI DEVI	LAKSHMAN SINGH	Nagla bhauti	Sindhauli	94507*****	1	NO	10000	25-10-18	2018-19	पंप सेट
175	866274846940	PREMPAL	DWARIKA PRASAD	Kasrak	Kuira	96388*****	1	NO	44000	25-10-18	2018-19	रोटावेटर
176	866285169637	subodh singh	munendra singh	Palgopur	Sindhauli	73886*****	1	NO	35000	25-10-18	2018-19	रोटावेटर
177	866103722	PRABH PAL SINGH	BALVEER SINGH	Devri	Bamda	89535*****	1	NO	50400	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
178	866108282	KRISHAN PAL SINGH	RAJENDRA SINGH	Piparia birsinghpur	Khutar	96703*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
179	866106440	BALVEER SINGH	GURBACHAN SINGH	Lakshmipur	Khutar	*****	1	NO	44900	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
180	866108203	RAM DARSHAN	RAJA RAM	Nabadia urlal	Khutar	91616*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
181	866108273	SALVANT SINGH	HAJARA SINGH	Ubra biram	Khutar	*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
182	866108455	KAMALJEET SINGH	DALVINDAR SINGH	heer pur	Khutar	98391*****	1	NO	44650	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
183	866109547	GURUMUKH SINGH	KAMIKKAR SINGH	Sikandarpur	Khutar	94555*****	1	NO	49000	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
184	866109693	HAMID	SHAHAJADE	Bilsandhi Khurd	Powayan	g*****	1	NO	43750	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
185	866111254	BAHAL SINGH	SOODA SINGH	Chandaipur	Powayan	94150*****	1	NO	44650	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
186	866111325	RANJIT SINGH	GURNAAM SINGH	Salwan bujurg	Bhwaikhera	*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रोटावेटर
187	866111333	BALVINDER SINGH	AMAR SINGH	Salwan khurd	Bhwaikhera	*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रोटावेटर

SNO	TIRUID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
195	866115481160	ajay kumar	ram singh	Patna devkali	Kalan	91583*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
196	866117627	HAZOOR SINGH	MOTA SINGH	Gadai sanda	Pawayan	88538*****	1	NO	43750	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
197	866119380	VEER SINGH	SANTA SINGH	Decriya	Pawayan	*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
198	866124197350	SATYAPAL	HORI LAL	DUJIARA	Tihar	*****	1	NO	45760	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
199	866136643	Akhilesh Singh	Rajendra Singh	Sunaura acamtpur	Dadrol	99364*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
200	866168175400	[illegible]	[illegible]	Azra rasoolpur	Dadrol	90448*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
201	866179148	RAM SHARAN LAL	GAJRAJ	Gulzra urf naugawan	Bhwalkhera	99564*****	1	NO	45760	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
202	866179193650	BAIJNATH	KAPTAN SINGH	Peetar mau	Jalalabad	90057*****	1	NO	47500	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
203	866182434790	RAM LALI	Ishkam lal	Piliyan	Kanth	96215*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
204	866185731	NUMAAT KHAN	RAFUR KHAN	Kalu kammu	Bhwalkhera	99352*****	1	NO	44650	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
205	866186859240	JASVEER SINGH	KAPOOR SINGH	Ajmatpur	Nigohi	91986*****	1	NO	78400	30-10-18	2018-19	सन्नार 35 सीएचपी से अधिक
206	866188900864	RATIPAL	RAJARAM	Ladpur sarai	Kanth	97934*****	1	NO	43500	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
207	866191551	Inderjeet singh	Jageer Singh	Shahbaz nagar	Dadrol	*****	1	NO	42900	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
208	866191597920	VINIT KUMAR	SURAJPAL	Tingri	Jalalabad	99363*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
209	866191744	Baldev Singh	ISHWAR Singh	Shahbaz nagar	Dadrol	99366*****	1	NO	50400	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
210	866194233680	Akhilesh	Gayaram Singh	Dana gautiya	Jalapur	98895*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
211	866203477200	AVTARSINGH	HARDEVSINGH	Shahbaz nagar	Dadrol	98745*****	1	NO	54750	30-10-18	2018-19	रिसर्वेशन मोल्ड वॉई प्लाट
212	866215886210	hariram	deshraj	Ghirow	Mirzapur	89795*****	1	NO	45760	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
213	866222566240	SAUDAN	NEKRAM	Suratpur kathingra	Kalan	97845*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
214	866223105720	RATAN SINGH	RAMSANEHI	Abhaipur sanda	Jalapur	97996*****	1	NO	45760	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
215	866227613990	MANGE LAL	SHRIRAM	Bajhera bajheri	Nigohi	88584*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
216	866278849370	ANIL KUMAR	MITTHULAL	Nekpur vilandpur	Nigohi	76073*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
217	866281615590	SAVITRI DEVI	JAGROOP	Narwanpur	Nigohi	76079*****	1	NO	45000	30-10-18	2018-19	रेनलेटर
218	866284106730	jahira	abdulajeej	Pipriya udaibhanpur	Nigohi	89484*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	रेनलेटर

SRL	RATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
212	866286587780	KHALID KHAN	MOH AMEEN KHAN	Del khera	Nigoti	70525*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	सेलरेटर
213	866291588720	ASHVANI KUMAR	RAJENDRA	Kandhanpur	Kalan	94525*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	सेलरेटर
214	866306610390	SIYANAPAL	MADHO SINGH	Kadardapur urf Inthra	Kanth	94198*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	सेलरेटर
215	866307276740	NARESH PAL SINGH	BABU SINGH	Shamsherpur	Kanth	97931*****	1	NO	44800	30-10-18	2018-19	सेलरेटर
216	866319397260	Kamboha Singh	Harpal Singh	Karanpur pandri	Kanth	96958*****	1	NO	43750	30-10-18	2018-19	सेलरेटर
217	866721812	जय भगवान सिंह	राजा सिंह	khera ghasa	Jaitpur	96160*****	1	NO	47600	30-10-18	2018-19	सेलरेटर
218	866127477	SAINAAM SINGH	FAKEER SINGH	Khamania jgunha	Banda	94512*****	1	NO	45000	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
219	866179175260	RAJENDRA SINGH	PUTTU SINGH	Jawa	Nigohi	91982*****	1	NO	44800	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
220	866190413780	NARAJIT SINGH	SURGYAN SINGH	Shahbaz nagar	Dadrol	99369*****	1	NO	47600	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
221	866191164670	BHAGWAN SWAROOP	KALIKA PRASED	Kaliya Bujurg	Sirathauli	96166*****	1	NO	45500	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
222	866191550330	SHAMSHER SINGH	KRAPAL SINGH	Mishpur bujurg	Sindhauli	78536*****	1	NO	43500	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
223	866253531600	LAXMAN PRASAD	RAMLAL	Karaunah	Sindhauli	78436*****	1	NO	78400	31-10-18	2018-19	मल्चर 35 हॉरपावी से अधिक
224	866275475890	PARKASH SINGH	NANHESINGH	SALEMPUR BUZURG	Tihar	97938*****	1	NO	45750	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
225	866302693710	Ramjay Singh	Ramlarayte	Gokul nagla	Kalan	94550*****	1	NO	45750	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
226	866307516440	SHIV PRATAP	SURENDRPAL SINGH	Chaharpur	Kanth	76073*****	1	NO	47600	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
227	866709663	BRIJESH PATHAK	vishvnath pathak	Awa	Jaitpur	94520*****	1	NO	40000	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
228	866806226	RAMVEER SINGH	MANIRAM	Madrua patti awa	Jaitpur	88089*****	1	NO	47600	31-10-18	2018-19	सेलरेटर
229	866201152	Sarvesh Kumar	Kamata Prasad	Satwan khurd	Bhwalkhera	96519*****	1	NO	47600	01-11-18	2018-19	सेलरेटर
230	866206892810	SUMAN	SHYAMVEER	Amaura	Kanth	88579*****	1	NO	43000	01-11-18	2018-19	सेलरेटर
231	866179845740	JAMUNA PRASAD	DATA RAM	Gaiti	Kalra	97936*****	1	NO	2000	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
232	866188005910	HANUMANT SINGH	SURENCHAIN SINGH	Banthara	Dadrol	98397*****	1	NO	50000	02-11-18	2018-19	लेजर लैंड लेवलर
233	866192234190	Manjeet singh	Sukhdev singh	Chinaur	Bhwalkhera	90051*****	1	NO	20000	02-11-18	2018-19	पेप कटर सामान्य/क्षित
234	866195765970	NANHI DEVI	PREMRAJ	KAVEER CHAK	Tihar	81730*****	1	NO	2500	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
235	866211665090	CHANDRA PAL	MAHESHCHANDRA	Saidapur dawlhat	Banda	88981*****	1	NO	1875	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित

SR.	TRAINGID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
236	866221080926000	NEWARAM	CHHOTELAL	Palia	Sindhauli	8090********	1	NO	2000	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
237	866224552840400	Nanhi devi	Sandeepsinghyadav	Surajpur kathengra	Kalan	97765********	1	NO	19000	02-11-18	2018-19	हैरो
238	866235565190000	JANGRELI SINGH	JOGENDRA SINGH	Khutriya	Kanth	89348********	1	NO	2000	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
239	866295867060000	BAKSHISH SINGH	THAKUR SINGH	Nawada premraj	Khutar	98382********	1	NO	13000	02-11-18	2018-19	ट्रैक्टर माउन्टेन स्प्रेयर मशीन
240	866307812210000	RAJVINDER SINGH JOSAN	BALDEV SINGH	Shekhar nagar	Dadrol	********	1	NO	75000	02-11-18	2018-19	पावर टिलर
241	866309413760800	Chandu	Chandu	Auta khurd	Bhwalkhera	73175********	1	NO	75000	02-11-18	2018-19	पावर टिलर
242	866310559830000	KALYANT KOUR	JEET SINGH	Chanduagar	Powayan	84238********	1	NO	63000	02-11-18	2018-19	हड्डीपेषर
243	866319055310000	RAM PAYARI	PUTTULAL	Gaili	Katra	81270********	1	NO	2500	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
244	866316843790000	NETRAM	GULSARI LAL	Palia	Sindhauli	70600********	1	NO	10000	02-11-18	2018-19	पशु चालित
245	866379260760000	SATYPAL	POORAN LAL	Palia	Sindhauli	0********	1	NO	2000	02-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
246	866662743600000	MUNENDRA	RAJARAM	Piparia Sadak	Bhwalkhera	86084********	1	NO	10000	02-11-18	2018-19	ट्रैक्टर माउन्टेन स्प्रेयर मशीन
247	866106541400000	TARSEM SINGH	CHANAN SINGH	Kanera	Utarda	96512********	1	NO	35000	20-11-18	2018-19	रोटावेटर
248	866164733100000	DATARAM	JASWANT	TALIBPUR URF DIURA	Tilhar	97934********	1	NO	10000	20-11-18	2018-19	पशु चालित
249	866179845120000	PUTTU LAL	DATARAM	Gaili	Katra	94739********	1	NO	2000	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
250	866179846300000	HARISH KUMAR	DATARAM	Gaili	Katra	97946********	1	NO	2000	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
251	866182436090000	FITAMWAR	CHET RAM	Khutriya	Kanth	87568********	1	NO	2200	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
252	866187295980000	RAKESH KUMAR	RAJ BAHADUR	Barmaula arjunpur	Bhwalkhera	94154********	1	NO	2500	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
253	866187883440000	BADSHAH	BHIKAM	Vajirpur	Nigohi	94571********	1	NO	2500	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
254	866190459390000	RAMAVEER	Ganga Ram	Rokpur vilandpur	Nigohi	87567********	1	NO	44000	20-11-18	2018-19	रोटावेटर
255	866191165200100	KUNWAR PAL SINGH	SAMGRAM SINGH	Nibhat bada	Inalabad	78845********	1	NO	42500	20-11-18	2018-19	पैडीस्मल्टी कोल्ट पैवर
256	866195855	RAMLAKH PAL SINGH	AHIBARAN SINGH	Dalla ichrampur	Dadrol	94735********	1	NO	10000	20-11-18	2018-19	पंप सेट
257	866237685570000	KATORI DEVI	SHYAMVIHARI	Indrpura	Nigohi	95989********	1	NO	2500	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
258	866255088270000	RAVI PRAKASH	SIYARAM	Gadhipurrangeen	Lalitpur	99361********	1	NO	25000	20-11-18	2018-19	पैडीस्मल्टी कोल्ट पैवर
259	866264589590000	HARIWARI	JASHVANT	TALIBPUR URF DIURA	Tilhar	99696********	1	NO	10000	20-11-18	2018-19	पशु चालित
260	866279110512000	TAKAN LAL	TOTARAM	Arjunpur	Nigohi	96954********	1	NO	2500	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
261	866298393100000	MOHD AHMAD	ANWAR ALI	Jahangir	Bhwalkhera	95540********	1	NO	2000	20-11-18	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
262	866318014820000	SARVENDRA	RAMSEVAK	Haldal pur	Mirapur	97216********	1	NO	45300	20-11-18	2018-19	रोटावेटर

SN.	REGISTRATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
267	866448995	SANT KUMAR	VISHUNATH	Kauda	Karvh	96958*****	1	NO	2000	20-11-18	2018-19	खेती करने की मशीन हसन खलित
254	866109334881	CHANDRAM	JAGANNATH PRASAD	Mhau bagla	lalalabad	96955*****	1	NO	233400	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
265	866134562	JAGJIT SINGH	TRILOCHAN SINGH	Saraunja Nathpur	Powayan	94084*****	1	NO	46875	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
266	866140828	MAKHAN SINGH	PURAN SINGH	Gurgawn	Nigohi	99355*****	1	NO	47500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
267	866179586780	RAMSINGH	BIHARI	Dwali	Sindhauli	80528*****	1	NO	41500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
268	866182401250	RAMADHAR MISHRA	SALIK RAM MISHRA	Bhatkipur	Banda	94516*****	1	NO	43500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
269	866186869750	SHAVITRI DEVI	RAJKUMAR SINGH	bhatpura	Powayan	*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
270	866187401718	PURAN SINGH	CHANAN SINGH	Tikura	Powayan	99193*****	1	NO	45300	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
271	866187404710	Change Lal	Jagnath	Chandpur	Khatar	99845*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
272	866187852100	Ajeet Pratap Singh	Virendra Singh	Rajaha khurd	Khatar	*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
273	866187999870	GURFALSINGH	KANJIT SINGH	Rewan khurd	Khatar	98388*****	1	NO	313600	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
274	866190835800	LEKHRAJ	Mangli Prashad	Sektiya bahadurpur	Nigohi	95598*****	1	NO	41250	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
275	866196255500	Sanjay Singh	RAGHUVEER	bajubipur	Jaitipur	95579*****	1	NO	45760	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
276	866204250450	BADESINGH	TIWARISINGH	Hasua jajpo	Dadrol	98786*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
277	866208569590	TARSEM SINGH	JEET SINGH	Bela j Banigawan	Powayan	94735*****	1	NO	228200	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
278	866209619160	MAHENDRA SINGH	मोहर सिंह	Rawatpur	lalabad	97937*****	1	NO	45750	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
279	866220809400	RAMHARIOM	MANGULAL	Deshpur nager	Mirzapur	94656*****	1	NO	45750	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
280	866223137060	AMAR SINGH	RAM VARSH SINGH	Bilsya dalalpur	Powayan	97924*****	1	NO	47500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
281	866236494970	SHARDACHANDHA	RAMAUTARAWASTHI	Sihua	Khatar	98554*****	1	NO	19650	28-11-18	2018-19	ऑयल पिंड वीड कम मल्चीमल्चर पिंड
282	866243470400	BABURAM	Jwalaprasad	Umaria kalyanpur	Powayan	98390*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
283	866246321670	suresh chandra	PRATEHBAHADUR	Radipur hadra	Powayan	94570*****	1	NO	45500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
284	866258249050	DHARAMPAL	SHRIKRASHAN	Barhana buzurg	Banda	89564*****	1	NO	45535	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
285	866262340510	RAMANJEET SINGH	SALVINDERSINGH	Chitterpur nawadia	Banda	90054*****	1	NO	317000	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
286	866264310280	ASHOK KUMAR	SHREKRISHAN	Nijampur	Tillhar	87445*****	1	NO	45750	28-11-18	2018-19	रोटावेटर

Sr.	ATGBSNATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
2197	866267144950	preetam kaur	harvanshsingh	Dudara nagpur	Khutar	*****	1	NO	314700	28-11-18	2018-19	फरदम हवरिंग केन्द्र की स्थापना
2198	866273560035	VISHUNDAYAL	SUNAIPAL	Bager khet	Mirzapur	975898*****	1	NO	45750	28-11-18	2018-19	रेपलेटर
2199	866283670330	ARJUNASINGH	SHAILENDRASINGH	Nadaultha lamsram	Khutar	73808*****	1	NO	323164	28-11-18	2018-19	फरदम हवरिंग केन्द्र की स्थापना
2200	866286179740	vidhina singh	arjunsingh	Hasanpur	Banda	979134*****	1	NO	39500	28-11-18	2018-19	रेपलेटर
2201	866286431810	manohar singh	lal singh	Rama khurd	Dadrol	885336*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रेपलेटर
2202	866291220700	RAJVINDER SINGH	KANTANSINGH	Khutar khas	Khutar	98382*****	1	NO	226692	28-11-18	2018-19	फरदम हवरिंग केन्द्र की स्थापना
2203	866304240520	KULVIDAR SINGH	AJEETSINGH	Mandanpur	Khutar	995619*****	1	NO	240000	28-11-18	2018-19	फरदम हवरिंग केन्द्र की स्थापना
2204	866305396866	Ankit Kumar Mishra	Ramasre Mishra	Kutua bojh	Jaitpur	945260*****	1	NO	42500	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2205	866309217651	Vahid Ali	jahal	Bhoda	Mirzapur	78974*****	1	NO	45750	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2206	866311557215	srikrishna varma	ujagrlal	Nizampur	Dadrol	705246*****	1	NO	44750	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2207	866313855821	Ranjeet Singh	lalvendra singh	Isarmau	Powayan	968958*****	1	NO	42000	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2208	866323311052	ARVIND KUMAR	ramlal	GUAR	Tilhar	995694*****	1	NO	44000	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2209	866323911400	MANSHOGIR	yaseer	Mirzapur	Mirzapur	993574*****	1	NO	42950	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2210	866325621400	ROHITASH KUMAR	SITA RAM	Tah	Banda	740854*****	1	NO	46651	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2211	866334609380	RAKESH KUMAR	TAULLIRAM	SULTANPUR	Tilhar	983954*****	1	NO	46000	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2212	866335724560	BRAHM KANT BHARTI	RANVARI LAL	Kweerpur sulupur	Nigohi	979264*****	1	NO	43080	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2213	866335726070	JAHARIBA	MATLUB KHAN	Un kalan	Nigohi	900584*****	1	NO	38500	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2214	866335828620	BABURAM	kuyar	Nagaria rahega	Dadrol	919894*****	1	NO	19650	28-11-18	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
2215	866335845770	SUMAN DEVI	AJAYPAL SINGH	Marena	Kanth	965524*****	1	NO	227000	28-11-18	2018-19	फरदम हवरिंग केन्द्र की स्थापना
2216	866336064230	RADHESHYAM	RAMDEEN	Nangawan	Dadrol	735594*****	1	NO	46428	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2217	866336139780	JAGEER SINGH	SURTA SINGH	Bandhulia	Khutar	812744*****	1	NO	42857	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2218	866336360370	KULVINDAR SINGH	HARBHAJAN SINGH	Mutdiya narain	Dadrol	829914*****	1	NO	46428	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2219	866336508840	amandeep singh gaccha	jasmail singh	Baraunaj. Naithpur	Powayan	919854*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	सेटलेटर
2220	866336532560	parmjit singh	harbhajan singh	Dev kali	Banda	979314*****	1	NO	245000	28-11-18	2018-19	फरदम हवरिंग केन्द्र की स्थापना

	REGISTRATIONID	NAME	F. NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARIO	INSTUMENT_NAME
311	866336881100000	JASWANT SINGH	AMAR SINGH	Lakshmipur	Khutar	96545*****	1	NO	231600	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
312	866336857000000	MANOJKUMAR SINGH	BALVEERSINGH	Dalka udaitanpur	Daiduil	73553*****	1	NO	43500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
313	866336861400000	FAROOK ALI	ABDUL HABIB	Champa bujhi	Khutar	99181*****	1	NO	46000	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
314	866337073700000	MANDEEP SINGH	GURMIT SINGH	Kuwa mahotia	Banda	99841*****	1	NO	237000	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
315	866337073100000	BANWARI LAL	gulab	Tihar rajanpur	Banda	80094*****	1	NO	43500	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
316	866337096340000	RAMSHANKAR	KAYADEEN	Awa	Jaitpur	*****	1	NO	45760	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
317	866337201630000	bajeet singh	khushi singh	Rampur khurd	Khutar	99194*****	1	NO	44000	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
318	866337111012000	SHIVKUMARSINGH	ARJANGPALSINGH	Sutha	Kalpi	0*****	1	NO	44700	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
319	866337112610000	Shiv Singh	Vimal Singh	Simaria raipur	Jaitpur	95594*****	1	NO	18500	28-11-18	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
320	866337150480000	JAGDISH PRASAD	LAKSHMAN PRASAD	TALIBPUR URF DHURA	Tihar	90745*****	1	NO	45760	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
321	866337191350000	NARVEER	BANWARI LAL	Shankarpur pirthai	Jaitpur	80095*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
322	866337200950000	jaipal singh	suntha singh	Padaila dalelpur	Banda	98654*****	1	NO	306000	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
323	866337204520000	gangaram	lallek	Bari khas	Kanth	*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
324	866337210590000	BALDEESINGH	LAXMANSINGH	Banda	Banda	*****	1	NO	348000	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
325	866337227510000	SHIVDHESHKUMAR	HARISARANLAL	Kurrya thundo	Kanth	0*****	1	NO	353000	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
326	866337235050000	BASANT SINGH	KANHAIL SINGH	Bilandpur	Banda	98737*****	1	NO	74000	28-11-18	2018-19	happy Seeder
327	866473539400000	AMAR SINGH	MULAYAM	Mamorath sah sowari	Jalalabad	95652*****	1	NO	45750	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
328	866476568900000	JYOTI PRASAD	ANGNE	Saffyara	Daidol	89535*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
329	866484643100000	RAJKUMAR	FAKIRE	Saffyara	Daidol	94332*****	1	NO	47600	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
330	866535040100000	MANGU LAL	RAMESHWAR	Bilaiya	Powayan	78604*****	1	NO	45400	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
331	866664022100000	SHATISH CHANDRA TIWARI	SHYAMSUNDER LAL TIWARI	Basai	Powayan	94153*****	1	NO	43300	28-11-18	2018-19	रोटावेटर
332	866709783700000	AVTAR SINGH	AJEET SINGH	Kanmpur	Khutar	84004*****	1	NO	377000	28-11-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
333	866140405800000	DURGA SINGH	NARAYAN SINGH	Satwan bujurg	Powayan	75230*****	1	NO	241000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
334	866184793730000	VIMAL KISHOR	AMMARPRASAD	Sarthauli	Kanth	96058*****	1	NO	352000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना

SNO	ATTOUID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
345	86618564298300	GYANTSH	Girja Shankar	Sihua	Khutar	94504*****	1	NO	346970	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
346	86619536783100	SUKHESH PAL SINGH	BRAJPAL SINGH	Ramsena	Dadrol	*****	1	NO	317000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
347	86621465533400	MANINDER SINGH JAGTAAR SI	JAGTAAR SINGH	Kamapal	Khutar	99350*****	1	NO	479000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
348	86621703378000	Satvinder singh	nathesingh	Punauli Khurd	Khutar	99364*****	1	NO	493000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
349	86625049421 00	suresh	shivcharan	Bareng	Dadrol	98959*****	1	NO	236000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
350	86625824097700	RAM NIWAS	GHANSHYAM	Chaturpur	Khutar	99196*****	1	NO	317000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
351	86626583162000	DILIPAK SINGH	AVNESHKUMARSINGH	Azad Nagar	Jalalabad	97214*****	1	NO	232000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
352	86627748402100	Devnarain	bandhulal	Kasrak	Katra	97886*****	1	NO	233400	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
353	86629031450000	jinesh prasad	jayendraprasad	Dhanshighpur	Khutar	*****	1	NO	368428	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
354	86630202117700	RET SINGH	GUJAR SINGH	Bela J. Ramgawan	Powayan	*****	1	NO	223428	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
355	86633501557000	VIJAY KUMAR	JAGDISH PRASAD	Mohiuddinpur	Bande	99181*****	1	NO	233000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
356	86636132040000	PUSHPENDR SINGH	SURENDRA SINGH	Pandra sikanpur	Shivalkhera	95060*****	1	NO	227000	01-12-18	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
357	86620920589900	KALICHARAN	JAGGANATH	Mirzapur	Mirzapur	*****	1	NO	75000	03-12-18	2018-19	पावर टिलर
358	86628872607000	ASHWANI KUMAR DWIVEDI	SHIVSAGAR	Ramnala arjunpur	Shivalkhera	96310*****	1	NO	75000	03-12-18	2018-19	पावर टिलर
359	86610837670	RAJEEV SINGH	rosan singh	Kateli	Jalalabad	78370*****	1	NO	43500	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
360	86616547230000	VIJAY VERMA SINGH	RAM CHANDRA	Madhwamai	Dadrol	89535*****	1	NO	44500	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
361	86616777460000	SANTOSH KUMAR	SHRI RAM	Panchouli	Dadrol	87564*****	1	NO	50400	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
362	86616739160000	RAJBAHADUR SINGH	RAM SINGH	Mujaffarpur	Sindhauli	96514*****	1	NO	43500	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
363	86617990114000	GURU PAL SINGH	BRIJ RAJ SINGH	Tiharpur	Katra	99367*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
364	86618252545000	SHIV SINGH	JAGNATH	Baharlya	Mirzapur	91254*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
365	86618253182000	SURESH PAL	GOKRAN SINGH	MITRAPUR BRUA	Tihar	*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
366	86618681283000	GUR BHEI	TRAILOK SINGH	Purena	Powayan	98385*****	1	NO	46500	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
367	86618688577200	VEER PAL SINGH	DAFEDAR SINGH	Dilawarpur	Pilgoni	76073*****	1	NO	46200	04-12-18	2018-19	रोटावेटर
368	86618686218000	MUNESH SINGH	KRISHNA PAL SINGH	Makrandpur	Jaitpur	88535*****	1	NO	42000	04-12-18	2018-19	रोटावेटर

SR. NO.	REGISTRATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTRUMENT_NAME
367	866186866921067	RANVEER SINGH	SURAT SINGH	Nathapur	Powayan	*****	1	NO	43000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
368	866186879020000	Baleshwar Dayal	Neelkanth	Gangapur	Nigoni	*****	1	NO	47000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
369	866187831760000	Sarajeet Singh	Pyara Singh	Sujanpur	Khutar	99188*****	1	NO	43000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
370	866187854110000	GURMEET SINGH	Bagicha Singh	Banthara	Dadrol	93359*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
371	866187973430000	Amarika Singh	Harvash Singh	Fatiala	Sarathadi	81273*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
372	866186800247000	Veer Pal	Nanthu Lal	Deuriya	Tihar	87561*****	1	NU	47600	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
373	866188870430000	KHUSH NAHMAT SHAH	SHAN ALI SHAH	Nagaria buzurg	Jalalabad	91988*****	1	NO	42000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
374	866190437020000	RAM GOPAL	BANDHU LAL	Vikrampur	Nigoni	98744*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
375	866190503110000	SUKHMEET SINGH	BALKAR SINGH	Shahjahpur	Powayan	85748*****	1	NO	78400	04-12-18	2018-19	मलचर 35 बीएचपी से अधिक
376	866191651920000	SURJEET SINGH	RAJ PAL SINGH	Nabau bagla	Jalalabad	87954*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
377	866192134980000	rampal	ratiram	Gokul nagla	Kalan	98532*****	1	NO	43000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
378	866195150530300	pramjeet singh	trolochan singh	Sida mastpur	Khutar	96480*****	1	NO	44500	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
379	866197725216000	RAM SINGH	MULAYMSINGH	Khudaganj	Katra	99292*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
380	866203087940000	MALKEET SINGH	SHIVRAMSINGH	Hanpur kalan	Khutar	98396*****	1	NO	44750	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
381	866203186200000	LAL JEET	SHYAMLAL	Pachkura	Nigohi	78548*****	1	NO	47000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
382	866210145690000	LALIT KUMAR	JAGATPAL	Chaura bujra khet	Mirzapur	95193*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
383	866211651485000	GURPREET SINGH	RANDHIRSINGH	Rampur	Banda	91988*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
384	866214158430000	MUKESH	ramchandar	Gehuwan	Khutar	98225*****	1	NU	47600	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
385	866214306080000	MAN SINGH		Lalitpur	Jalalabad	*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
386	866221711550000	RAJKUMAR SINGH	NARHESINGH	Armaipur	Banda	*****	1	NU	47600	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
387	866221809607000	MAN SINGH	HARNAMSINGH	Barlara	Ghiwalkhera	96055*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
388	866223063420000	Balveer singh	ratansingh	Todarpur	Khutar	97948*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
389	866231557600000	UMESH CHANDRA	CHANDRASEN	Ganjpur chhitia	Mirzapur	90055*****	1	NO	40000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
390	866238181976000	GURMEET SINGH	CHAINSINGH	Jaswantnagar	Khutar	97922*****	1	NO	44500	04-12-18	2018-19	सेलमेटर

SRNO	REGISTRATION_NO	ONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTRUMENT_NAME
394		866238970140	GURVINDER SINGH	BISHAN SINGH	Jhadia	Khutar	945113*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
395		866238470140	GURVINDER SINGH	BISHAN SINGH	Jhadia	Khutar	945113*****	1	NO	21500	04-12-18	2018-19	चौरी हिल मैड ब्रश चार्जिंगकार हिल
396		866240135456	JAGESWAR SINGH	HARIBAKSH	Nagla hajino	Jalalabad	88532*****	1	NO	46000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
397		866243157800	jitendra prasad	jayan nath	Rammurtipur buzurg	Banda	98899*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
398		866247088380	RAM PARKASH	SEWRAM	Ghour khera	Tindrol	77540*****	1	NO	42500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
399		866250844000	RAMDAS	SEWARAM	Shahbaz nagar	Dadrol	99355*****	1	NO	45750	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
400		866250863800	ARUN KUMAR	SHYAMLAL	Pachkhura	Nigohi	96700*****	1	NO	41500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
401		866256091510	CHANDARPAL	RAMNATH	Hamzapur	Nigohi	84605*****	1	NO	42000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
402		866279236640	JAGDEESH	SUBEDAR	Devipur	Jalalabad	98055*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
403		866281277320	MANGRE LAL	PANCHAM	Jankapur	Powayan	91398*****	1	NO	40000	04-12-18	2018-19	सेलमेटर
404		866286267860	Om Singh	Jagannath	Bichola	Jalalabad	81276*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
405		866286712164	HARJINDRA SINGH	JEETSINGH	Gahluya	Banda	75248*****	1	NO	50400	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
406		866294521670	Malkeet Singh	Shamsher Singh	Bhamauri	Katra	86042*****	1	NO	44000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
407		866296911410	BALVINDAR SINGH	AMREEK SINGH	gevar	Tihar	84004*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
408		866303941734	Dev Rishi	Lakhan Das	Gheagawan	Dadrol	97947*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
409		866304686790	Sarvanksingh	Jangsingh	Un khurd	Nigohi	98353*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
410		866309536060	AJAYKUMAR SINGH	BALAKRAM	Gheagawan	Dadrol	78970*****	1	NO	40000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
411		866312408037	malkeet singh	surjan singh	Sitara	Dadrol	98891*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
412		866316649500	Sirvan Singh	vahyam singh	Sardarpur	Banda	99845*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
413		866316478760	shahzad	shamshad	Shahbaz nagar	Dadrol	72754*****	1	NO	45750	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
414		866321039100	MANJEETSINGH	HARBHAJANSINGH	Sardarpur	Banda	*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
415		866321681420	BHAGWAN DAS	NATTHU	Piproli	Dadrol	*****	1	NO	42000	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
416		866322477020	ARJEET SINGH	SHIVMOHAN SINGH	AZAMABAD	Tihar	87075*****	1	NO	44700	04-12-18	2018-19	पेलमेटर
417		866322997320	CHANDARBHAN	PUTTU SINGH	Rta	Nigohi	*****	1	NO	47500	04-12-18	2018-19	पेलमेटर

SR.	REGISTR.	..ONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
407		8663231706800	Mahveer Singh	Dhola Singh	Pahania daleipur	Banda	96657*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
408		8663239170100	sanjiv kumar	soorajpal	Jera rahimpur	Lalakpad	99840*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
409		8663394594600	Umesh Chandra	Gangaram	Jhura patti tantrabad	Tatipur	*****	1	NO	40000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
410		8663305019200	KHYALI	TAHLE	Barnai	Bhwalkhera	99359*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
411		8663328867300	RAMCHANDR	NATTHU	Narayanpur	Nigoli	88404*****	1	NO	43973	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
412		8663318131800	CHIROJI LAL	PARMAI LAL	Ramanpur	Nigoli	92369*****	1	NO	44000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
413		8663338736900	HARVANSH SINGH	pritem Singh	Gunha j khamoria	Banda	99197*****	1	NO	44500	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
414		8663344270100	Gyan Singh	sardar mohan	Paina bujurg	Bhwalkhera	99369*****	1	NO	46400	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
415		8663350937600	Diler Singh	Mohan Singh	Pokharpur	Banda	77540*****	1	NO	50400	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
416		8663355018300	Ramkishor	Gangaram	Nangla Haku	Lalakpad	97933*****	1	NO	46000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
417		8663359041600	Mahendra Singh	Jai Singh	Narayanpur vikrampur	Khatar	78756*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
418		8663360141400	sukhwinder singh	ajeet singh	Gadai sanda	Powayan	99362*****	1	NO	43500	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
419		8663361233700	KARAMJIT SINGH	UJAGARSINGH	RUNVARI	Tillar	94550*****	1	NO	43900	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
420		8663361429000	SATYAPAL SINGH	HARNAM SINGH	RUNVARI	Tillar	70072*****	1	NO	43500	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
421		8663361507700	KALVINDER SINGH	SAJJAN SINGH	Khamania gadyana	Khatar	97751*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
422		8663361758200	Ram Kumar	Bhagwandeen	Kunwarpur jagti	Banda	91988*****	1	NO	40000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
423		8663362199300	Dilbag singh	gurdev singh	Sikandarpur	Khatar	78456*****	1	NO	50400	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
424		8663362678100	HARIOM GUPTA	RAMDAS	Jaura patti tantrabad	Tatipur	98823*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
425		8663363298400	Lakhvinder singh	ajit singh	Gadai sanda	Powayan	98387*****	1	NO	44000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
426		8663363531100	VIRAMJHAN SINGH	SUMEDAR SINGH	Kanpara	Powayan	73763*****	1	NO	44750	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
427		8663363628300	SATYENDRA KUMAR	RAJENDRA PRASAD	Mohanpur mansingpur	Kanth	81739*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
428		8663364041900	Narveer Singh	Kartan Singh	Bemipur	Sindhauli	79054*****	1	NO	44500	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
429		8663365090200	BALVINDER SINGH	BALVANT SINGH	Natthapur	Powayan	73761*****	1	NO	47300	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट
430		8663365345500	RIYAYAT	RAMJAANI	Khanpur deha	Bhwalkhera	78977*****	1	NO	46000	04-12-18	2018-19	सेटलमेंट

no.	REGISTR	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTRUMENT_NAME
431	•	866533694137000	satyapal	KHOOBCHANDRA	HAZRATPUR	Tilhar	*****	1	NO	42500	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
432		866536094227100	DHANPALSINGH	TILAK	Madai	Jalalsar	*****	1	NO	44500	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
433		866533689617000	AZAD	RAMCHANDRA	Usmanpur	Kalan	99367*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
434		866533702564000	JASWANT SINGH	JAGEER SINGH	Nawabka banki	Banda	75220*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
435		866533705389600	jeet singh	puran singh	Gadai sarda	Powayan	97920*****	1	NO	45500	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
436		866533706140000	Kirat Ram	Sobran Lal	Dehata muradpur	Jalalpur	94528*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
437		866533709617800	SUKHDEV SINGH	JAWAHAL SINGH	Pahlarpur	Banda	82178*****	1	NO	50400	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
438		866533709481000	BELAVATI	CHITRAM	Sunai	Dadrol	81277*****	1	NO	47600	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
439		866533717792800	DILBAGH SINGH	HARBHAJAN SINGH	Mauzampur	Dadrol	98892*****	1	NO	42000	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
440		866533719351600	Ramprawesh pal	Vishnudayal	Khajriya Majra Bangaon	Mirzapur	75248*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
441		866533720472800	shivkumar	rambirdete	Hasanpur ratkoopa	Dadrol	*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
442		866533724685600	Bholaram	Beni Ram	Mauzampur	Dadrol	88536*****	1	NO	45000	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
443		866533947915100	SANTOSH KUMAR	DILEEP SINGH	Badara udaipur	Khutar	89536*****	1	NO	46000	04-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
444		866533704616000	AVTAR SINGH	HARBANSH SINGH	Ramnuklpur khurd	Powayan	84006*****	1	NO	45500	05-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
445		866533932620000	surender singh	TEJRAM	Mawaiya patti	Katra	91982*****	1	NO	46000	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
446		866533250568000	SARNAM	IHAMMAN LAL	Katya	Katra	77539*****	1	NO	45750	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
447		866533251556000	MEGHNATH	JWALA PRASAD	AURYAPUR	Tilhar	*****	1	NO	47600	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
448		866533755677000	DHIRENDRA SINGH	MANIPAL SINGH	Taharpur	Katra	97931*****	1	NO	47600	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
449		866533895346000	omkar singh	shyampal singh	Rani Khera	Kalan	94512*****	1	NO	44700	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
450		866533921767600	RAMSARAN	PANCHAM	Sarhi	Bhiwalkhera	*****	1	NO	43750	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
451		866533962796300	Baljeet Singh	Gurbaksh Singh	Nadautha devidas	Khutar	94504*****	2	NO	47600	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
452		866534128866200	SEETA RAM	BasantLal	ABAZPUR URF KAALAROO	Tilhar	99356*****	1	NO	44000	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
453		866534693819200	PRAMOD	SHRI NIVAS	Bhojpur	Katra	34575*****	1	NO	46000	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर
454		866535657910000	AAKASH SINGH	RAM SARAN	Pahadurpur	Powayan	96219*****	1	NO	43500	11-12-18	2018-19	रेफ्रीजरेटर

no.	REGISTR	ONID	NAME	R_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
456	•	866307025050000	ASHOK	DATESWAR	Selempur ladra	Mirzapur	81277*****	1	NO	45800	11-12-18	2018-19	चेकादेश
456		866314809450000	ONVEER GANGWAR	SURESH CHANDRA	SULTANPUR	Tilhar	94156*****	1	NO	47600	11-12-18	2018-19	चेकादेश
457		866324272580000	gendakunwari	dhakan	Ibre khera	Mirzapur	95678*****	1	NO	47600	11-12-18	2018-19	चेकादेश
458		866335737460000	MEENA DEVI	BECHELAL	Sankapur dawchal	Banda	87567*****	1	NO	43303	11-12-18	2018-19	चेकादेश
459		866336136460000	KAMALDEEP SINGH	MANJEET SINGH	Jalal nagar	Bhwalkhera	88888*****	1	NO	43500	11-12-18	2018-19	चेकादेश
460		866336732486000	RAMSANEHI	MANGU	Bharthasanpur	Nigohi	81730*****	1	NO	44000	11-12-18	2018-19	चेकादेश
461		866336829461300	NAVNE RABU	SAUKAT SHAH	Indpura	Nigohi	94588*****	1	NO	45000	11-12-18	2018-19	चेकादेश
462		866336099063300	kuldeep singh	harbajan singh	Dhopalpur	Khutar	65468*****	1	NO	50400	11-12-18	2018-19	चेकादेश
463		866337065010000	NEERAJ KUMAR	OMKAR	Aliyapur	Katra	70543*****	1	NO	42400	11-12-18	2018-19	चेकादेश
464		866337168632000	AMIT KUMAR	BHARAT PRASAD	Anwa dhpalya	Powayan	87263*****	1	NO	43303	11-12-18	2018-19	चेकादेश
465		866337192210000	HANS MUKHI	SANJIV KUMAR	Mahmoodabad urf muhar	Jaitpur	0*****	1	NO	47000	11-12-18	2018-19	चेकादेश
466		866339053900	RISHI PAL SINGH	LALA SINGH	Rawadi dhah	Banda	94521*****	1	NO	19000	12-12-18	2018-19	पय सेट
467		866329497400	JAGDISH	GURSAHAY	Chakkarmali	Nigohi	78972*****	1	NO	19000	12-12-18	2018-19	पय सेट
468		866203417815000	AMRIK SINGH	HAKU VSINGH	Shahbaz nagar	Dadrol	78554*****	1	NO	60000	12-12-18	2018-19	फावर हिटर
469		866387875	ARCHNA DUBEY	MAHENDRA DUVE	Ibrodiya	Bhwalkhera	99354*****	1	NO	75000	12-12-18	2018-19	फावर हिटर
470		866180739860000	PRAMOD KUMAR	SATUKI LAL	Islamganj	Jalalabad	97922*****	1	NO	45750	13-12-18	2018-19	चेकादेश
471		866187360720000	SUNIL KUMAR SINGH	SURENDRA SINGH	Ramapur varkatpur	Bhwalkhera	*****	1	NO	47600	13-12-18	2018-19	चेकादेश
472		866187795676000	RAM MOHAN SINGH	BALESTAR SINGH	Khakhoodi	Jalalabad	0*****	1	NO	45750	13-12-18	2018-19	चेकादेश
473		866195869361000	JAGDLESH	SHANKERLAL	Kotha	Kanth	98481*****	1	NO	48000	13-12-18	2018-19	चेकादेश
474		866211262090000	ANIL KUMAR MISRA	OMPRAKASH	Barmaula arjunpur	Bhwalkhera	0*****	1	NO	47600	13-12-18	2018-19	चेकादेश
475		866243942010000	KHLMPAL SINGH	DILLHA NATH	Heerpur	Jaitpur	94521*****	1	NO	47600	13-12-18	2018-19	चेकादेश
476		866254260560000	RUPAL	BALAKRAM	Sahalrpur	Nigohi	99734*****	1	NO	47500	13-12-18	2018-19	चेकादेश
477		866255831720000	SADHU	DHRAMPAL	Sakempur ladra	Mirzapur	0*****	1	NO	47600	13-12-18	2018-19	चेकादेश
478		866286430760000	vijaypal	harishchandra	Nausara	Jalalabad	88536*****	1	NO	47600	13-12-18	2018-19	चेकादेश
479		866299033420000	ANUJ KUMAR	HISHPAL	Aktoli	Mirzapur	81740*****	1	NO	45750	13-12-18	2018-19	चेकादेश
480		866316851590000	mahsa singh	bhuman singh	Bazarpur	Powayan	80818*****	1	NO	42400	13-12-18	2018-19	चेकादेश

NO	REGI	ATIONID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
491	*	8662318717460	RAMPRAKASH	ANANTRAM	Chaurasiya	Lalabad	96481*****	1	NO	46000	13-12-18	2018-19	रोटावेटर
492		8662319577620	TASDEEK KHAN	NATTHU KHAN	Barmania anjanpur	Bhwaikhera	97942*****	1	NO	45000	13-12-18	2018-19	रोटावेटर
493		8662336984310	HARISHANKRA SHARAMA	NANHELAL SHARMA	Unanpur	Bhwaikhera	*****	1	NO	47600	13-12-18	2018-19	रोटावेटर
494		8662337005210	VEDRAM	RAGHUVAR DAYAL	TALNPUR URF UJURA	Tilhar	75260*****	1	NO	45300	13-12-18	2018-19	रोटावेटर
495		8662401305	OM PRAKASH MISHRA	BHARATSHAYA	kausia	Kanth	89531*****	1	NO	45750	13-12-18	2018-19	रोटावेटर
496		8662561877	SHER MOHMAD	NATTHU	Gandharpur	Sindhauli	81274*****	1	NO	43500	13-12-18	2018-19	रोटावेटर
497		8662664123	bagan Lal	Hemraj	Dekauliyan	Kalra	99351*****	1	NO	45700	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
498		8662795893000	CHOTIY LAL	RAM SHANKAR	Rajanpur	Tilhar	87561*****	1	NO	616540	02-01-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
499		8662848009700	SHANTI DEVI	amirbaprasad	Sarbhauli	Kanth	*****	1	NO	24640	02-01-19	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
500		8662906825250	RADHARAMAN	RAMGULAM	Fattepur bujurg	Powayan	97609*****	1	NO	21640	02-01-19	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
501		8662963619000	RAJENDRA SINGH	MAHIPAL	AUNAPUR	Tilhar	96216*****	1	NO	46000	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
502		8662032242000	MAHENDRA SINGH	LALLU	Rahera	Kalra	96514*****	1	NO	46800	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
503		8662053142700	HARIRAM	JAYSHUKH	Sadiyi	Jalalabad	95194*****	1	NO	47500	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
504		8662053595800	CHADALAL	MINELAL	Badiyi	Jalalabad	99552*****	1	NO	47600	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
505		8662086793600	KANWAL SINGH	BALWANTSINGH	GURGIA BAHADURPUR	Tilhar	97955*****	1	NO	317000	02-01-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
506		8662136952400	SHAUKIN ALI	ALIHASAN	Devdas	Bhwaikhera	95594*****	1	NO	19200	02-01-19	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
507		8662259020300	JAUHRI	GURI	Rahman nagar mafi	Kanth	0*****	1	NO	47600	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
508		8662434819900	AVDESH SINGH	BHAGVAN	Nagla haloo	Jalalabad	41256*****	1	NO	67200	02-01-19	2018-19	सं०-35 बीएचपी से अधिक
509		8662446402100	PRAMJEET SINGH	CHAMANSINGH	Amiyapur	Tilhar	70546*****	1	NO	24600	02-01-19	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
510		8662526308400	ramesh	vedprakash	Khuter	Khutar	98520*****	1	NO	47600	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
511		8662541419900	TAULERAM	BUDHIALAL	Sarwan khurd	Bhwaikhera	98248*****	1	NO	47600	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
512		8662747313800	UMESHPALSINGH	GAJDEESHSINGH	Kosika patti	Dadrul	0*****	1	NO	44700	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
513		8662825549600	SUKHVEER SINGH	PARKASHSINGH	SALEMPUR RUZURG	Tilhar	91980*****	1	NO	21800	02-01-19	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
514		8662939392100	MANIRAM	JANGI	Ikra khera	Mirzapur	94518*****	1	NO	45750	02-01-19	2018-19	रोटावेटर

SR. NO.	UID NO	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
515	866239394094[illegible]	SHIVLAL	HATHULAL	Amredi	Jaitpur	73888*****	1	NO	45750	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
516	866316685360[illegible]	SWAMIDAYAL	RAMKISAN	Taharpur	Kanth	76078*****	1	NO	45750	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
517	866329402231[illegible]	RIYAJUDDIN	LALJUDEEN	Jalalpur	Katra	73187*****	1	NO	47600	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
518	866336167410[illegible]	SUDHEER SINGH	BIVENDER	Kotha patti	Dadrol	94546*****	1	NO	45750	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
519	866401590[illegible]	SACHIN KUMAR	OM PRAKASH MISHRA	Kavda	Kanth	84008*****	1	NO	24640	02-01-19	2018-19	ओपरो हिल रीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
520	866[illegible]7337	GURMAIL SINGH	KARTAR SINGH	Patai	Sindhouli	94516*****	1	NO	35200	02-01-19	2018-19	रोटावेटर
521	866334703120[illegible]	SURESH chandra sharma	raghuver dayal	Jalalpur simra	Kanth	63929*****	1	NO	42000	04-01-19	2018-19	रोटावेटर
522	866336167700[illegible]	Sukumar	Rajaram	Chitepur	Bhwalkhera	*****	1	NO	47600	04-01-19	2018-19	रोटावेटर
523	866191509[illegible]	SHYAM BETI	Ram bharosey	Dhospur	Mirzapur	95623*****	1	NO	19000	07-01-19	2018-19	ओपरो हिल रीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
524	866[illegible]7635[illegible]	PARASADI	RAM DULARE	Jaswantpur u. Nagawam	Powayan	99562*****	3	NO	2500	07-01-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित
525	866199866920[illegible]	Bavladhar singh	Bachhusingh	Pipariа birsinghpur	Khutar	84008*****	1	NO	2500	07-01-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित
526	866201273630[illegible]	KAILASH KUMAR SHARMA	RAM KUMAR SHARMA	Tihar	Tihar	98951*****	1	NO	66000	07-01-19	2018-19	पावर टिलर
527	866208498400[illegible]	RAJ KUMAR	CHUNNILAL	Khawajapur	Katra	99581*****	1	NO	41250	07-01-19	2018-19	रोटावेटर
528	866329233860[illegible]	RAM DEV MISHRA	RAM PRAKASH	Kota khas	Jaitpur	79857*****	1	NO	75000	07-01-19	2018-19	पावर टिलर
529	866318409600[illegible]	Veerpal	Sukpal	Garhiya rangeen	Jaitpur	73555*****	1	NO	2400	07-01-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित
530	866511684[illegible]	OM PRAKASH	DIWANI LAL	Tikanpur	Rigoli	99655*****	1	NO	2000	07-01-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित
531	866182497770[illegible]	SIYARAM	KHEM KARAN	MOHANPUR	Tihar	72689*****	1	NO	2000	18-01-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित
532	866386639[illegible]	HANUMTAR	PANCHAM	Sutnera	Bhwalkhera	94546*****	1	NO	7350	18-01-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित
533	866192421430[illegible]	NIRMAL SINGH	SANT SINGH	Dhimarpur	Banda	*****	1	NO	50000	23-01-19	2018-19	सेजर सैड सीडर
534	866239329120[illegible]	SUKHDEV SINGH	BALWANT SINGH	Khamaria gadiyana	Khutar	96705*****	1	NO	71428	23-01-19	2018-19	रिजर्वेशन मोल्ड बोर्ड प्लाउ
535	866236080250[illegible]	amratpalsingh	surendrasingh	Demarpur	Banda	99254*****	1	NO	666544	23-01-19	2018-19	लगरदार हाइड्रोलिक ट्रेक्टर की स्थापना
536	866318[illegible]	KRISHNAPAL SINGH	UDHAN SINGH	Bajpai khet	Mirzapur	94520*****	1	NO	41500	29-01-19	2018-19	रोटावेटर
537	866178387[illegible]	KAMKUMAR	SITARAM	Panchouli	Dadrol	99170*****	1	NO	25000	29-01-19	2018-19	बेड/मल्चर कल्टर थ्रेशर
538	866[illegible]371	Ganga Devi	Gedan Lal	Virampur	Tihar	80647*****	1	NO	10000	29-01-19	2018-19	पाव सेट
539	866191[illegible]03	ASHOK KUMAR	Dishram Singh	Sherpur kurna	Mirzapur	*****	1	NO	28000	29-01-19	2018-19	रोटावेटर
540	866314[illegible]7600	KALYAN	VIJAI	Chamok	Kalon	97934*****	1	NO	25000	29-01-19	2018-19	बेड/मल्चर कल्टर थ्रेशर
541	866213512[illegible]500	VISHRAM	LALEET	Bela khera	Jalalabad	98398*****	1	NO	2000	01-02-19	2018-19	जारा कल्टर की मशीन हस्त चालित

SNO.	REGISTRD_UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
542	866215671300	DIPAK KUMAR SINGH	SHANKAR SINGH	Gagla bahon	Jalalabad	96983*****	1	NO	2500	01-02-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
543	86644002091	KOLI	RAIKUMAR	Kunwarpur rati	Banda	91402*****	1	NO	2500	01-02-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
544	866209423854891	RAM KUMAR	SUKNANLAL	Sahalpur	Nigohi	919981*****	1	NO	10000	05-02-19	2018-19	पम्प सेट
545	866210443930000	PUSPENDRA SINGH	SWAMIDAYAL	Sarthauli	Kanth	97930*****	1	NO	234080	07-03-19	2018-19	कटहल हार्वेस्टिंग कैम्प की ट्रेनिंग
546	866210328084800	ROHIT SINGH	MANOJSINGH	Banda	Banda	99362*****	1	NO	250000	07-03-19	2018-19	कटहल हार्वेस्टिंग कैम्प की ट्रेनिंग
547	866324661020000	Daljeet singh khinda	surjeet singh	Naithapur	Powayan	63924*****	1	NO	70400	08-03-19	2018-19	पिंजरेवेल मोल्ड ओवे प्लाउ
548	866812602	DHANPAL SINGH	VEERU SINGH	Khutiya	Kanth	73881*****	1	NO	10000	18-03-19	2018-19	पम्प सेट
549	866170535	Balvender Singh	Ajeet Singh	Rammanipur khurd	Powayan	99351*****	1	NO	44000	23-03-19	2018-19	ट्रेक्टर
550	866196108	VISHNU PAL SINGH	KHYORAJ SINGH	Rajaser pur	Jalalabad	11*****	1	NO	9500	23-03-19	2018-19	पम्प सेट
551	866196824	RAM PAL SINGH	PARSURAM SINGH	Bazaser pur	Jalalabad	0*****	1	NO	9500	23 03 19	2018-19	पम्प सेट
552	866210274300	MOTI SINGH	PUTTU SINGH	Maholiya	Nigohi	96218*****	1	NO	9100	23-03-19	2018-19	पम्प सेट
553	866188820300	ANIL KUMAR	BUDH PAL SINGH	Chak chandar sen urf tikh	Jalalabad	99190*****	1	NO	2000	25-03-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
554	866188916840	PRAMOD KUMAR SINGH	HUKM PAL SINGH	Chak chandar sen urf tikh	Jalalabad	99369*****	1	NO	2000	25-03-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
555	866272232800	NANHIDEVI	ROSHANLAL	Barmaula arjunpur	Bhwalkhera	88532*****	1	NO	2500	25 03 19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
556	866289746450	Suresh chandra	gangaram	Kalua bojh	Jaitipur	94553*****	1	NO	2000	25 03 19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
557	866301600990	Sarvesh Kumar	Chotte Lal	Barmaula arjunpur	Bhwalkhera	*****	1	NO	2200	25-03-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
558	866326082020500	PREM SANKAR SUKLA	DHARMENDRA	Kanrej	Bhwalkhera	74608*****	1	NO	2500	25-03 19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
559	866334618500000	CHAVINATH	RODM SINGH	Naugawa govindpur	Jaitipur	74590*****	1	NO	2325	25 03 19	2018 19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
560	866473415	SHRIPAL	KIRTI KARAN	MOHANPUR	Tihar	95594*****	1	NO	9000	25 03 19	2018-19	पम्प सेट
561	866189767300	Sangeeta Rastogi	arun kumar rastogi	Khudagonj	Kalva	81155*****	1	NO	10000	26-03-19	2018-19	पम्प सेट
562	866205560.0900	BHAGWANT SINGH	SAGGARSINGH	Dhimanpur	Banda	96510*****	1	NO	50000	26-03-19	2018 19	लेजर लेड लेवलर
563	866206959900	NAYAREH	PRAHLADAYAL	Karkaur	Jaitipur	*****	1	NO	10000	27-03-19	2018-19	पम्प सेट
564	866104909	SUKHCHAIN SINGH	GURDIP SINGH	Narayanpur vikrampur	Khutar	99566*****	1	NO	35000	30 03 19	2018-19	रोटावेटर
565	866122977	SUKHDEV SINGH	BASANT SINGH	Kamapur	Khutar	98398*****	1	NO	50000	30-03-19	2018-19	लेजर लेड लेवलर
566	866127554	HARJINDKAR SINGH	BAKSHIH SINGH	Dhimatpur	Khutar	98396*****	1	NO	47200	30 03 19	2018-19	रोटावेटर
567	866127577	PAAL SINGH	BANTA SINGH	Bhagsalpur	Khutar	99181*****	1	NO	42840	30 03 19	2018-19	रोटावेटर
568	866180268811000	VERMA SINGH	POORAN SINGH	Raghavapur	Nigohi	91989*****	1	NO	43527	30-03-19	2018-19	रोटावेटर
569	866196073	Hans Ram	Bikhi	Jalalpur	Banda	97219*****	1	NO	49000	30 03 19	2018-19	रोटावेटर
570	866192741200	Manjeet singh	Sukhdev singh	Chinatar	Bhwalkhera	90051*****	1	NO	50000	30-03-19	2018-19	लेजर लेड लेवलर
571	866753698	SURESH CHAHNIA	HERI LAL	Bhaser khera Jigniya	Banda	96345*****	1	NO	45758	30 03 19	2018-19	रोटावेटर
572	866150773700	VIDHYASAGAR	KUNWARSEN	RAJANPUR	Tihar	92360*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
573	866179317012000	HEMENDRA PAL	RAM SWROOP	Nawana	Katra	97946*****	1	NO	2000	03-04 19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
574	866182493450000	HARI SH	NATHULAL	Kapoorpur	Katra	88530*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित

...ion	...RSDSTH	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTRUMENT_NAME
365	-	866182509690	SURDOSH SINGH	DEVENDRA SINGH	Miyana	Katra	91256*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
366		866186429720	NARENDRA	Parmeswar dhem	Sihua	Khalari	73796*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
367		866187557250	JAGPAL SINGH	MUNSHI SINGH	Jalalpur	Katra	86741*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
368		866187814790	ASHISH KUMAR	RAM NARESH	Rohila	Nigohi	******	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
369		866196529230	SANTOSH	VIRENDRA	Gadhaiyan	Katra	88537*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
370		866224528020	RAMPAL	SIHANI LAL	Madanpur	Nigohi	96705*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
371		866227341460	RANKUTAR SINGH	MATHURAPRASAD	Makandarpur urf dheerm	Katra	96548*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
372		866227342980	SANJIV KUMAR YADAV	MATHURAPRASAD	Makandarpur urf dheerm	Katra	96546*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
373		866238057710	JAGDEVI	JAGDISH	Bamrodi	Kanth	97987*****	1	NO	75000	03-04-19	2018-19	पावर टिलर
374		866240254800	Jamunadeen	Ramlal	Dateli	Katra	94510*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
375		866240321200	Shivshay	Girdarilal	Dateli	Katra	75238*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
376		866247188280	Ramlal	Ramlal	Dateli	Katra	94555*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
377		866247227020	KALLURAM	GAYAPRASED	Dateli	Katra	99635*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
378		866248417450	MUNTESH CHANDRA	SHISHUPALSINGH	Bhudiya	Katra	98372*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
379		866250437760	RAJKUMAR	LULURAM	Murakdi	Nigohi	96702*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
380		866250530570	NARIESH KUMAR	SHREEKRISHAN	Pachaura	Nigohi	99564*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
381		866251359780	SADHURAM	KHEMKARAN	Rohlia	Nigohi	96610*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
382		866256576400	SURASHICHANDLR	RAJARAM	Rohlia	Nigohi	87977*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
383		866276536890	BHUPENDRA SINGH	RAJVEERSINGH	Rajhunathpur	Jalalabad	95462*****	1	NO	10000	03-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
384		866279389760	SADHURAM	NOKHELAL	Hardeni dehat mali	Katra	0*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
385		866299434600	MUNNIDEVI	MAHESHCHANDRA	Paliaripur vinyapur	Katra	*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
386		866302890140	LAXMI DEVI	JAMUNADEEN	Dateli	Katra	*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा पंचर की मशीन हस्त चालित
387		866302723410	CHHOTELAL	KOKHIRAM	Miyana	Katra	0*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित
388		866304366840	Balbhadur	Baburam	Dateli	Katra	*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	चारा काटने की मशीन हस्त चालित

no	REGISTE	SYNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
589		86631038473300	ANUJ KUMAR	SRI RAM	Pachdiura	Nigoh	0******	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर मशीन
590		86631171250000	sukhwant singh	survandar singh	Firozpur daunda	Kanth	96512*****	1	NO	75000	03-04-19	2018-19	पावर टिलर
591		86632205513600	Ramram	Heram	Gatoli	Katra	*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर की मशीन हस्त
592		86632716462200	NANHI LAL	GODHAI	Nausana	Katra	*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर की मशीन हस्त चालित
593		86632719688800	DHALAI	KIYALIRAM	Murakali	Nigohi	75972*****	1	NO	2000	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर की मशीन हस्त चालित
594		86633171980500	GYANANDIR KUMAR	RAMPRAVESH	Pachdiura	Nigoh	0*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर की मशीन हस्त चालित
595		86633374318000	KALLU	DULARE	Barmaula arjunpur	Bhwakhera	0*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर की मशीन हस्त चालित
596		86634726699600	SUKHDEVI	BADSHAHPRASAD	Parmanandpur	Katra	*****	1	NO	2500	03-04-19	2018-19	पावर स्प्रेयर की मशीन हस्त चालित
597		86610048400	HARMEET SINGH	HARBHAJAN SINGH	Sroora	Khutar	*****	1	NO	236142	08-04-19	2018-19	कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर की थ्रेशिंग
598		86610657568	SHERSINGH	ITVARI	Islamganj	Jalalabad	99193*****	1	NO	18480	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर शीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
599		86610608451	SARVJEET SINGH	DALAVINDRA SINGH	Aulampur	Bhwakhera	86019*****	1	NO	271427	08-04-19	2018-19	कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर की थ्रेशिंग
600		86610109532	BALRAJ SINGH	JAGEER SINGH	heer pur	Khutar	90650*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
601		86611112666	RAM SAGAR	GOKARAN LAL	Sisrai	Dadrol	97947*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
602		86611190650	BALJEET SINGH	GYAN SINGH	heer pur	Khutar	80094*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
603		86615541660000	rohit pratap singh	shiv beer singh	Dhakiya alapa parwaizpur	Dadrol	96219*****	1	NO	564000	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
604		86616640250	RamBahadur Singh	Nathu Singh	Bamihana	Katra	99359*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
605		86617965387500	KEVAL SINGH	AJIT SINGH	Hasnapur	Powayan	*****	1	NO	39500	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
606		86618245157500	MAMOJ KUMAR	RAM KUMAR	Jathura	Nigohi	*****	1	NO	450000	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
607		86619278940000	VINOD KUMAR	RAMDEEN	AHIYAPUR	Tihar	*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
608		86618647558000	AVTAR KOUR	GURU BAKHSH SINGH	Nadautha devidas	Khutar	95541*****	1	NO	21500	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर शीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
609		86618678035000	ATUL KUMAR	VADIVARTH	Mudia pamar	Sindhauli	99564*****	1	NO	46800	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
610		86618678608000	DALIP SINGH	HARNAM SINGH	Daulapur	Khutar	80098*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर
611		86618681608000	SANTOSH SINGH	BANTA SINGH	Niholpur	Khutar	98397*****	1	NO	19000	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर शीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
612		86618685815000	MAHESH PAL SINGH	KEDAR SINGH	Dhakautdharampur	Dadrol	88082*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	ट्रैक्टर ट्रेलर

no.	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTRUMENT_NAME
613	866186876360	Lakhwinder Singh	Jageer Singh	Pigruli	Dadrel	85738*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
614	866187410490	Keval Singh	Balvindra Singh	Todarpur	Khutar	99355*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
615	866187846980	VIJAY KUMAR	Jagdish Singh	Nadeya	Jaitpur	*****	1	NO	223143	08-04-19	2018-19	करदम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
616	866189677930	RAMCHANDRA	Meva ram	Saipa taibupur mukapur	Dadrol	95599*****	1	NO	43500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
617	866190931090	PARAMJEET KAUR	SUKHDEV SINGH	Karnapur	Khutar	90445*****	1	NO	19000	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
618	866191162630	TIRATH SINGH	NIRANJAN SINGH	Surahi	Katra	94526*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
619	866205028200	SHARVAN SINGH	Indersingh	Samra biran	Khutar	98398*****	1	NO	41500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
620	866211162130	sukhvinder singh	charan singh	Jhadka	Khutar	97920*****	1	NO	41500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
621	866210499560	Gajvinder singh	Ratna singh	Punauti khurd	Khutar	99364*****	1	NO	45500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
622	866214721900	JASPREET SINGH	JASWANTSINGH	Powayan Khas	Powayan	90057*****	1	NO	67000	08-04-19	2018-19	मल्चर 35 मीएमसी से अधिक
623	866215928060	Gurdev singh	chanchal singh	Punauti khurd	Khutar	99351*****	1	NO	44700	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
624	866217689200	TAJAMMAL KHAN	SOKINKHAN	Us kalan	Nigohi	87522*****	1	NO	39500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
625	866219033540	rajeshwar singh	kalkasingh	Fatehpur	Jalalabad	95346*****	1	NO	18460	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
626	866219956630	SHIVNANDAN	RADHASHYAM	Rajmana	Khutar	99842*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
627	866219956630	SHIVNANDAN	RADHASHYAM	Rajmana	Khutar	99842*****	1	NO	23214	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
628	866221725390	MUNNA LAL	BHOLA	Husainpur	Bhawalkhera	80090*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
629	866223401670	MASVINDER SINGH	CHANANSINGH	Khamaria gadiyana	Khutar	98382*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
630	866226108470	YADUNATH SINGH	SUNDRASINGH	Bajhera bajheri	Nigohi	*****	1	NO	44500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
631	866227851780	dilbag	samirsingh	Ladholi	Bhawalkhera	99369*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
632	866235746050	BABURAM	RADHESINGH	Parwatpur	Dadrol	81276*****	1	NO	46000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
633	866239303710	GURJEET SINGH	HARBHAJAN SINGH	Badara ukalpur	Khutar	*****	1	NO	380142	08-04-19	2018-19	करदम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
634	866241348360	hariabajan lal	kailu	Amratpur	Ramla	91988*****	1	NO	47000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
635	866241666340	rajkumar	jagnelal	Chaturpur	Khutar	88403*****	1	NO	46000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
636	866243593900	VIJAY BAHADUR	HORHE	Tiharpur	Bandi	*****	1	NO	206999	08-04-19	2018-19	करदम हायरिंग केन्द्र की स्थापना

no.	REGISTR	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
617		866249200380000	SHYAMSUNDAR PATEL	RAMRATANPATEL	Madanpur	Rajgarh	995655*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
618		866251311372000	jagdish	dureeka	Chandpoi	Dadrot	81275*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
619		866251855886600	ARMESH KUMAR	BHELKAMSINGH	Piparpoj, Baskhera	Sindhauli	86563*****	1	NO	46875	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
620		866254419090000	satjeetkaur	nattasingh	Punauti khurd	Khutar	99199*****	1	NO	71000	08-04-19	2018-19	रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
621		866254533830000	GYANSINGH	GUJJARSINGH	Pirtala	Sindhauli	89041*****	1	NO	44500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
622		866258720170000	AVNISH KUMAR SINGH	NANANDRA_SINGH	Khera ghasu	Jaitpur	96219*****	1	NO	18480	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
623		866258722916000	AMIT KUMAR SINGH	SYNADEV_SINGH	Garhi	Kelan	78545*****	1	NO	18480	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
624		866259154980000	DALJEETSINGH	DALKAUSINGH	Rampur kalan	Khutar	99955*****	1	NO	19000	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
625		866263656530000	DINKO SINGH	DHANMENDRAPRATAPSINGH	Hathoura bujurg	Bhewalkhera	92360*****	1	NO	313000	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
626		866272814899000	BALDEVSINGH	GULJARSINGH	Gadauri	Banda	96956*****	1	NO	215345	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
627		866273843400000	JAMADAR SINGH YADAV	sukram	Bahlolpur	Kanth	98593*****	1	NO	44500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
628		866273877570000	MUNNI DEVI	RAJKUMARVAJPEYI	Paina bujurg	Bhewalkhera	97941*****	1	NO	236714	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
629		866276042285000	KAMALJEET SINGH	Gyan Singh	heet pur	Khutar	96398*****	1	NO	44750	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
630		866276269070000	MAHENDRA KAUR	JOGENDRASINGH	Badalpur	Khutar	73808*****	1	NO	41800	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
631		866277720950000	Satpal Singh	Charansingh	Rammustpur buzurg	Banda	96287*****	1	NO	352214	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
632		866278001480000	jagdish kaur	Sudeysingh	Punauti kalan	Khutar	87651*****	1	NO	442003	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
633		866279783540000	KENDARSINGH	BALCANSINGH	Lukmanpur bahera	Banda	94516*****	1	NO	215585	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
634		866281394530000	HARDEV SINGH	DILIPSINGH	Punauti khurd	Khutar	94557*****	1	NO	140000	08-04-19	2018-19	पैडी रट्टर मोवर
635		866285275710000	HANJEET SINGH	MANGALSINGH	Nawada premraj	Khutar	87072*****	1	NO	19000	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
636		866287106950000	BALVEER SINGH	MUNSHISINGH	Isra rahimpur	Jalalabad	86087*****	1	NO	18480	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
637		866273466625000	MUNESHWARSINGH	BHEEKAMSINGH	Dhakaruddhampur	Dadrot	99960*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
638		866297804850000	VAHEED KHAN	NATHTHU KHAN	Bhatpura rasoolpur	Sindhauli	78977*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
639		866299655580000	ASHISH KUMAR SINGH	NARENDRA KUMAR SINGH	Nadautha hansram	Khutar	99369*****	1	NO	339185	08-04-19	2018-19	करटरा हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
640		866299884800000	MAHESH KUMARI		Nagla haleo	Jalalabad	85424*****	1	NO	18480	08-04-19	2018-19	जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल

no.	REGISTI	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
641		866300343880200	VEDPRAKASH	PUTTULAL	Rajgadhi artial	Khutar	*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
642		866302930840000	HASPALSINGH	DALEEPSINGH	Andalha	Khutar	*****	1	NO	346571	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
643		866304723419500	GURMEJ KAUR	BALVEER SINGH	Todarpur t. Khutar	Khutar	77040*****	1	NO	71000	08-04-19	2018-19	रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
644		866306093177000	SUKHKHANSINGH	KUNDHANSINGH	Chuchu kalan	Ranala	84293*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
645		866308679340000	KULVINDER KAUR	BALVINDER SINGH	Jharsa	Powayan	99665*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
646		866309669479600	MANINDAR SINGH	PRAULLP SINGH	heer pur	Khutar	74590*****	1	NO	71000	08-04-19	2018-19	रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
647		866311194548600	SATENDRA PAL SINGH	RAMTA PRASAD	Rasulpur bujurg	Powayan	94154*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
648		866316051390000	mukesh Singh	Jageer Singh	Sikandarpur	Khutar	97924*****	1	NO	47321	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
649		866316154880000	YOGESH KUMAR AGARWAL	OMNARAYANAGARWAL	Ajeenpur	Dadrol	*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
670		866316983790000	LALURAM	RAMCHANDRA	Dhimaha	Dadrol	*****	1	NO	43200	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
671		866317284840000	RAJENDRA	LAKHAN	Surakkhapur	Nigahi	63923*****	1	NO	39285	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
672		866318695446000	SATISH CHANDRS GUPTA	ROKHE LAL	Itauli	Powayan	94543*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
673		866319228695800	Rajvibindra Singh	Sukhdev singh	Khamaria godiyana	Khutar	99846*****	1	NO	50400	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
674		866322000157000	Harvinder Singh	Kehersingh	Sikandarpur	Khutar	*****	1	NO	19000	08-04-19	2018-19	तीरे टिल सीड ड्रील फर्टीलाइजर ड्रिल
675		866323221430000	kamalgeet singh	malkit singh	Udra biran	Khutar	99610*****	1	NO	344200	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
676		866323483470000	UPDESH SINGH	RAGHUNANDAN SINGH	Khajury	Kalan	97198*****	1	NO	18480	08-04-19	2018-19	तीरे टिल सीड ड्रम फर्टीलाइजर ड्रिल
677		866326811624000	Om prakash	Sigaram	Parvejpur	Dadrol	70525*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
678		866329978100000	GAYAPRASAD GAUTAM	THAKURPRASAD GAUTAM	Sikoya	Bhwalkhera	94155*****	1	NO	47600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
679		866332795940000	Rakesh Kumar	Ram Bhajan	Daulatpur	Bhwalkhera	94535*****	1	NO	50400	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
680		866333609881000	Baby Ram	Jamuki	Mokandarpur urf dheerm	Katra	95598*****	1	NO	45600	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
681		866334493033000	NAVEN KUMAR	RAMSWARUP	Mudia pamar	Sindhauli	94738*****	1	NO	46000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
682		866334693888000	SUKHVANT SINGH	HARVANSH SINGH	Balarpur	Katra	90053*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
683		866335037130000	RAVINDRA KUMAR	SHIV NADAN	Bhanpura	Jaitipur	96392*****	1	NO	18500	08-04-19	2018-19	तीरे टिल सीड ड्रम फर्टीलाइजर ड्रिल
684		866335297430000	PALSINGH	MUKHTARSINGH	Ghungwan	Dadrol	95597*****	1	NO	44500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर

SR.	REGISTR	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
695		86633352992200	BALWINDER SINGH	BAHADUR SINGH	Bahadurpur	Bhwalkhera	98969*****	1	NO	44500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
696		86633343395000	Amreek Singh	Malkeet Singh	Rawan khurd	Khutar	99569*****	1	NO	318928	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
697		86633558944600	GURJEET SINGH	DIYAN SINGH	Paina khurd	Bhwalkhera	91985*****	1	NO	58400	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
698		86633648000300	RANJEET SINGH	RATAN SINGH	Badora udaipur	Khutar	99563*****	1	NO	47000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
699		86633612835000	gajanderpr singh	darshan singh	Ramapur j. Bazpur keshri	Renda	94504*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
700		86633615049800	KUNENDRA PAL SINGH	JAGESHWAR SINGH	Harikhapur	Khutar	0*****	1	NO	45500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
701		86633612937100	Jaskaran Lal	Chhotr Lal	Chaterpur	Khutar	79851*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
702		86633762192300	MANPREET KAUR	GURNAM SINGH	Lukmanpur bahera	Banda	94184*****	1	NO	215585	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
703		86633867675000	pankaj gupta	bishan lal	Bari prasidpur	Ladpur	99898*****	1	NO	45500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
704		86633649750000	KAMALJEET KAUR	GYANSINGH	Mutdiya narain	Dadrol	79057*****	1	NU	43500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
705		86633685067900	asha rai	virendra nath rai	Chinaur	Bhwalkhera	94522*****	1	NO	223714	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
706		86633685560500	Jarnail Singh	Jeet Singh	Rautapur kalan	Khutar	99840*****	1	NO	43000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
707		86633659418100	RAJESWAR	GAJRAJSINGH	Agroli	Ladpur	0*****	1	NO	43000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
708		86633693086000	PREMPAL	SYANAVAKAN	Dharman gadpur	Kanth	0*****	1	NO	45500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
709		86633609941000	RANJANA SINGH	SANJAY SINGH	Banthara	Dadrol	97948*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
710		86633706332000	alokkumar	baburam	Nahadia urliel	Khutar	94508*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
711		86633708511000	Heeralal	Ramsaran Lal	Jeva rahimpur	Lalabad	87652*****	1	NO	45500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
712		86633709851000	HARISHANKAR	TAJJERAM	Nangawa	Kanth	90554*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
713		86633718480000	RAMNARESH	RANWARI	Dhakiya elaqa parwalpur	Dadrol	94515*****	1	NO	46000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
714		86633720955100	BALBINDAR SINGH	DILBAG SINGH	Sida mastpur	Khutar	*****	1	NO	371000	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
715		86633721001000	SUKHPALSINGH	DILIPSINGH	Khutar khas	Khutar	*****	1	NO	352142	08-04-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
716		86633724687000	Fatihan singh	budhpal	Uparsad	Lalabad	*****	1	NO	45000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
717		86633725949000	NAGENDRA KUMAR SINGH	NARESHPAL SINGH	Simra	Sauhauli	91614*****	1	NO	42500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
718		86633726683800	Phoolchand	sukhlal	Paina bujurg	Bhwalkhera	70007*****	1	NO	47500	08-04-19	2018-19	रोटावेटर

no	REGISTR	ANID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
709		866491656	AMAR SINGH	JANGI	Barrai	Bhwabhera	85746*****	1	NO	44000	08-04-19	2018-19	रोटावेटर
710		866720920	MITHLESH	JAI MANGAL SINGH	khera ghasa	Jaitpur	96346*****	1	NO	12480	08-04-19	2018-19	डीरो ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
711		866846998	NARENDRA SINGH	AJEET SINGH	Karnapur	Khatar	99848*****	1	NO	235000	08-04-19	2018-19	फेरेन्टा हायरिंग ब्लेन्ड बीज ग्रथापना
712		866142647	JEET SINGH	MAKHAN SINGH	Karnapur J. Barpur keshri	Danda	99560*****	1	NO	44700	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
713		866165103700	MAQSAN KHAN	NASHIR KHAN	Mahamedpur	Sindhauli	99359*****	1	NO	50000	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
714		866187958490	SHIV HARI SINGH	FAKIRE SINGH	Rta	Nigohi	89534*****	1	NO	47500	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
715		866210290840	ABRAR KHAN	BASIRKHAN	Chanda	Sindhauli	90058*****	1	NO	43500	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
716		866236494970	SHAILESHCHANDRA	RAMAUTARAWASTHI	Sihua	Khatar	98554*****	1	NO	45100	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
717		866283849500	MUNGA SINGH	VADANSINGH	Khutriya	Kanth	*****	1	NO	47600	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
718		866288605090	TARSEM SINGH	UTTAMSINGH	Mandanpur	Khatar	81274*****	1	NO	24640	22-04-19	2018-19	डीरो ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
719		866320569260	MAHAVEERSINGH	HARBHAJANSINGH	Sardarpur	Bansa	*****	1	NO	24640	22-04-19	2018-19	डीरो ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
720		866323013227	satwinder singh	sukhveer singh	Dhuriya	Powayan	88005*****	1	NO	79200	22-04-19	2018-19	रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
721		866324039	Harpal singh	sworan singh	Ramnastipur	Banda	96480*****	1	NO	24640	22-04-19	2018-19	डीरो ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
722		866324245	kamal singh	dalip singh	Lukmanpur bahera	Banda	77110*****	1	NO	71428	22-04-19	2018-19	रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
723		866336168	deva singh	nathhu singh	Nagaria prayagpur	Sindhauli	99864*****	1	NO	47600	22-04-19	2018-19	रोटावेटर
724		866119423	BALDEV SINGH	DARYHAN SINGH	Ubra biran	Khatar	97330*****	1	NO	45000	23-04-19	2018-19	रोटावेटर
725		866196085	SUKHINDAR SINGH	SUKHDEV SINGH	Karmapur	Khatar	0*****	1	NO	71428	23-04-19	2018-19	रिवर्सेबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ
726		866236661	RAMVEER	DULLANSINGH	Shamsherpur	Kanth	96212*****	1	NO	43500	23-04-19	2018-19	रोटावेटर
727		866240469	surendra singh	sahamsingh	Raipur	Khatar	98706*****	1	NO	47600	23-04-19	2018-19	रोटावेटर
728		866335050	SON PAL SINGH	MEVARAM	Sunaura ranpur	Jaitpur	94542*****	1	NO	41800	23-04-19	2018-19	रोटावेटर
729		7661504	devendra mishra	shiv kumar mishra	Gurgawn	Nigohi	95393*****	1	NO	20000	16-09-19	2018-19	डीरो ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
730		866127577	PAAL SINGH	BANTA SINGH	Bhopatpur	Khatar	99181*****	1	NO	20000	16-09-19	2018-19	डीरो ड्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
731		866136819	SARVAN SINGH	PURAN SINGH	Gadai sanda	Powayan	94520*****	1	NO	35714	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
732		866188003	LAKHAN KANT	FOOLCHAND	Rath	Khatar	91481*****	1	NO	45500	16-09-19	2018-19	रोटावेटर

on	REGISTR	JNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
733		866197604777000	RAJ KUMAR	CHIRONJI	Ganpatpur	Sinchauli	87569*****	1	NO	43303	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
734		866202031850000	Khudiram	Ramswaroop	Dharmapur	Barda	75194*****	1	NO	46675	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
735		866203021500	ANIL KUMAR	RAMSHEVAK	Rawada ashrafpur	Sindhauli	85480*****	1	NO	348000	16-09-19	2018-19	करदम हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
736		866206843320000	babu ram	bhagnath	Lalpur	Khutar	78003*****	1	NO	44800	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
737		866211294070000	SANDEEP SINGH	yakhdevsingh	Chitwar	Biwakhera	99843*****	1	NO	716640	16-09-19	2018-19	करदम हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
738		866211918640000	KULWANT SINGH	PYARASINGH	Bhadiya	Tihar	*****	1	NO	43373	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
739		866213351320000	RANJIT SINGH	RATTA SINGH	Raswan khurd	Khutar	97212*****	1	NO	348000	16-09-19	2018-19	करदम हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
740		866214270990000	MAHARAM SINGH	CHATURI PRASAD SINGH	Manjhalpachim	Jalalabad	98383*****	1	NO	45750	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
741		866216529870000	ASHADULLA KHAN	IBADULLAKHAN	Ramapur	Kalra	83549*****	1	NO	45000	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
742		866227617800000	JEET KOUR	GURNAM SINGH	Satwan bujurg	Biwakhera	96700*****	1	NO	44000	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
743		866233831874000	RAMNATH	CHOTTEY LAL	Bahadurpur	Biwakhera	74599*****	1	NO	44500	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
744		866247271180000	DHARMENDRA KUMAR	RAMAKANT	Chandpur	Khutar	94535*****	1	NO	45000	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
745		866248037920000	AZAD SINGH	PARAMJEET_SINGH	Ajmatpur	Nigohi	99368*****	1	NO	384000	16-09-19	2018-19	करदम हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
746		866249790590000	BISHI KUMAR	SRIKRISHNA	kadeya	Khutar	0*****	1	NO	45995	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
747		866264037020000	MUNNALAL	NATHULAL	Samapur	Jalalabad	98765*****	1	NO	45750	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
748		866277472100000	RAJENDERA	HARIRAM	Kehanniya	Khutar	96214*****	1	NO	45000	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
749		866299441070000	MANJINDAR KOUR	BALJITSINGH	Rampur khurd	Khutar	*****	1	NO	241000	16-09-19	2018-19	करदम हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
750		866302140170000	BALVEER SINGH	DARSHANSINGH	Raswan kalan	Khutar	*****	1	NO	353000	16-09-19	2018-19	करदम हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
751		866312764721000	JARNAIL SINGH	TARA SINGH	Ramnagpur khurd	Powayan	75250*****	1	NO	35714	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
752		866315851650000	Makhan Singh	Lalsingh	Rantapur kalan	khutar	74080*****	1	NO	44700	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
753		866320868991000	lakhvir singh	gurbachan singh	Madhaupur	Khutar	88641*****	1	NO	35714	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
754		866328126460000	RAM AUTAR	CHHOTELAL	Ajmatpur	Nigohi	80092*****	1	NO	45000	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
755		866334073890000	Ameshkumar	Ramveer	Khawajapur	Katra	72807*****	1	NO	44700	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
756		866335471610000	Balveer Singh	Pooran Singh	Pakadia hakim	Powayan	81272*****	1	NO	45000	16-09-19	2018-19	रोटावेटर

NO	REGISTR	UNID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
757		866335878786500	SAJJANAM	DAYARAM	Gunduora dandpur	Kalan	94507*****	1	NO	45750	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
758		866335900863100	Rajesh Kumar	ratiram	Bhamouli	Kanth	84179*****	1	NO	288000	16-09-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
759		866335901239000	Ram Niwas	Jhabbulal	Bhamouli	Kanth	99361*****	1	NO	288000	16-09-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
760		866335102638800	SURENDRA SINGH	CHAMANJIT SINGH	Ramapur	Bhwalkhera	73071*****	1	NO	50400	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
761		866335093495000	SAJITA	YUSUFKHAN	Mahanandpur	Sandhauli	88875*****	1	NO	563680	16-09-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
762		866336275847000	KULVANT SINGH	MACHAN SINGH	Pawad pur	Khutar	98388*****	1	NO	241000	16-09-19	2018-19	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
763		866337062787000	Guranwtar Singh	Balbhar Singh	Kalya mahalka	Banda	75710*****	1	NO	19642	16-09-19	2018-19	जीरो ट्रिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल
764		866337201358000	Hardev singh	jagir singh	Barbara	Banda	98122*****	1	NO	46800	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
765		866337256438000	SHIVSINGH	PUTTUSINGH	Mudarpur valwaha	Powayan	97936*****	1	NO	44629	16-09-19	2018-19	रोटावेटर
766		555556621900000	SHAHEED BHOOMI RASMATI P	Vijay	Chandapur barkatpur	Dadrol	87565*****	1	NO	751427	07-11-19	2019-20	पावर ग्रबिलटी बैड
767		866117943509780900	AMANDEEP SINGH	NDRAJEET SINGH	Muraksli	Nigohi	0*****	1	NO	373214	07-11-19	2019-20	कास्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
768		866118747080000	HARVINDER SINGH	Harjeet Singh	Shahbaz nagar	Dadrol	94358*****	1	NO	462499	07-11-19	2019-20	फेरटम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
769		866190609093000	OMPAL	DHURAJE SINGH	Sarai la. Bangaon	Mirzapur	99357*****	1	NO	376785	07-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
770		866191222461900	Manjeet singh	Sukhdev singh	Chinaur	Bhwalkhera	90051*****	1	NO	366714	07-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
771		866203483600000	SHYAMVEER SINGH	srinatthusingh	Ameura	Kanth	94501*****	1	NO	364285	07-11-19	2019 20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
772		866379577801655	HARSHPREET KAUR	AVATAR SINGH	Shahbaz nagar	Dadrol	0*****	1	NO	445714	07-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
773		866479441337642	SULAKAN SINGH	MEVA SINGH	Kuan damla	Jaitpur	0*****	1	NO	360714	07-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
774		866117941850899	ABEEB FATMA	MO MUJAMMIL ALI KHAN	Kashrpur Jhotapur	Nigohi	0*****	2	NO	365071	15-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
775		866179335673965	AMIT KUMAR SINGH CHAUHAN	DHEER SINGH CHAUHAN	Banda	Banda	0*****	1	NO	357142	15-11-19	2019-20	फेरटम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
776		866179343148504	BEANT SINGH	KULDEEP SINGH	Sardarpur	Dandh	0*****	1	NO	399285	15-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
777		866179352880299	PARAMJEET SINGH	MANJINDRA SINGH	Sardarpur	Danda	0*****	1	NO	441144	15-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
778		866179355168856	JAGJEET Singh	MANJEET SINGH	Bailhara	Banda	0*****	1	NO	396785	15-11-19	2019-20	कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
779		866187421165000	Sindar Pal Singh	Karnail Singh	RAMAPUR	Tihar	*****	1	NO	390814	15-11-19	2019-20	फस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना
780		866187855557000	Amandeep Singh	Jamail Singh	Bilsa	Powayan	*****	1	NO	367856	15-11-19	2019-20	फेरटम हायरिंग केन्द्र की स्थापना

no	REGISTRA	NID	NAME	F_NAME	VILLAGE	BLOCKNAME	MOBILE	QUANTITY	UNIT	CENTRALAMOUNT	PAYMENTDATE	YEARID	INSTUMENT_NAME
781		8619462363000	KULVENDRA SINGH	AJEET SINGH	Sujanpur	Powayan	94504*****	1	NO	425750	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
782		8661939893160	shukhinderasingh	Karnelsingh	Karnapur	Khutar	94520*****	1	NO	442144	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
783		8662140499600	Gajender singh	Natha singh	Puttauli khurd	Khutar	99364*****	1	NO	388393	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
784		8662429891100	Mukeet Singh	Dalip Singh	Pipalia birsinghpur	Khutar	96218*****	1	NO	383928	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
785		8662325374800	KARAN SINGH	MALKEET SINGH	Bisaria	Powayan	0*****	1	NO	333214	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
786		8662764987900	Gurmukh singh	Gurbachansingh	Gadai sanda	Powayan	94522*****	1	NO	384647	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
787		8662657196500	harvansingh	Hamikarsingh	Sikandarpur	Khutar	89562*****	1	NO	442144	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
788		8662886064700	GURPREET SINGH	RANJEET SINGH	Mandanpur	Khutar	80090*****	1	NO	453756	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
789		8663086198400	JASVEER KAUR	SURJEETSINGH	Khidar khas	Khutar	95063*****	1	NO	366071	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
790		8663421686500	SURJEETSINGH	BALDEVSINGH	Khidar	Khutar	*****	1	NO	414285	15-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना
791		8663794293020500	HANCHARAN SINGH	GUR DAYAL SINGH	Chand pal	Sindhauli	0*****	1	NO	396428	20-11-19	2019-20	फसल हार्वेस्टिंग केन्द्र की स्थापना

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 42-43 पर)

जनपद फिरोजाबाद में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

वित्तीय वर्ष 2017-18

क्र0सं0	केन्द्र कोड	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम एवं पता	तहसील	पता	कोर्स	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
1	26980204	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता सोसायटी, कोटा	टूण्डला	बृज बिहार कालोनी, टूण्डला चौराहा, टूण्डला	1-एकाउटिंग 2-एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
2	00220202	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, नोएडा।	टूण्डला	शारदा रमन इण्टर कालेज, गुलाब नगर, तेलमिल रोड, अनामिका टाकीज के पास, स्टेशन रोड, टूण्डला	एकाउटिंग	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
3	27542110	मेवार यूनिवर्सिटी, चित्तौरगढ़।	टूण्डला	के0सी0 इण्टर कालेज, निर्भय गढ़ी, टूण्डला	इलैक्ट्रीशियन	नया स्थापित	संचालित
4	27732101	रिसा इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेन्सी, मुम्बई	फिरोजाबाद	जानकी देवी गर्ल्स डिग्री कालेज, मीरा ग्लास चौराहा, लालउ रोड, फिरोजाबाद।	सिक्योरिटी गार्ड	नया स्थापित	संचालित
5	26982108	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता सोसायटी, कोटा	फिरोजाबाद	भगवान सिंह सुशीला देवी इण्टर कालेज, नारखी रोड, बछगांव चौराहा, फिरोजाबाद।	एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली	नया स्थापित	संचालित
6	00220201	मोनास इण्टरनेशल प्रा0 लि0, नोएडा।	फिरोजाबाद	एम0एल0बी0 पब्लिक स्कूल, नगला दखल, कोटला रोड, फिरोजाबाद।	एकाउटिंग	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
7	27542111	मेवार यूनिवर्सिटी, चित्तौरगढ़।	फिरोजाबाद	एच0पी0 पेट्रोल पम्प के सामने मक्खनपुर फिरोजाबाद।	इलैक्ट्रीशियन	नया स्थापित	संचालित
8	26780203	राजकीय पालीटेक्निक कालेज, फिरोजाबाद।	फिरोजाबाद	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद।	1-बैकिंग सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव 2-इलैक्ट्रीशियन 3-आर्क एण्ड गैस वेल्डर	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित

क्र0सं0	केन्द्र कोड	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम एवं पता	तहसील	पता	कोर्स	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
9	00222109	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0लि0, नोएडा।	शिकोहाबाद	तौमर गैस्ट हाउस, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद	1-टेलर 2-एकाउटिंग	नया स्थापित	संचालित
10	00222110	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0लि0, नोएडा।	शिकोहाबाद	मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद।	1-इलैक्ट्रोनिक्स	नया स्थापित	संचालित
11	26982114	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता सोसायटी, कोटा	शिकोहाबाद	एस0एस0 मॉर्डन पब्लिक स्कूल, बटेश्वर रोड, माद्योगंज, शिकोहाबाद।	एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली	नया स्थापित	संचालित
12	26982106	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता सोसायटी, कोटा	शिकोहाबाद	एन0एच0टू0 रुपसपुर चौराहा, आगरा रोड, शिकोहाबाद।	एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली	नया स्थापित	संचालित
13	00160204	नीफा इन्फोकोम्प सर्विसेज प्रा0 लि0, जयपुर	शिकोहाबाद	जे0वी0एस0 पब्लिक स्कूल, शिकोहाबाद	एकाउटिंग	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
14	26982105	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता सोसायटी, कोटा	सिरसागंज	बाल कल्याण इण्टर कॉलेज, अरॉव रोड, सिरसागंज।	1-एकाउटिंग 2-एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली	नया स्थापित	संचालित
15	27542112	मेवार यूनिवर्सिटी, चित्तौरगढ़।	जसराना	शिकोहाबाद एटा रोड, पाढ़म, जसराना	इलैक्ट्रीशियन	नया स्थापित	संचालित
16	26982111	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर साक्षरता सोसायटी, कोटा	जसराना	सांई कम्प्यूटर एकेडमी, आबा नदी पुल के पास, एटा रोड, जसराना	एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली	नया स्थापित	संचालित
17	26710201	कांच उद्योग विकास केन्द्र, फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	जलेसर रोड, फिरोजाबाद	ग्लास वेयर फर्नेस टॉय मैकिंग	नया स्थापित	बन्द

जनपद फिरोजाबाद में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

वित्तीय वर्ष 2018-19

क्र0सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	केन्द्र कोड	तहसील	पता	कोर्स	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
1	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी।	21612103	फिरोजाबाद	बसई मोहम्मदपुर, भटसेना रोड, फिरोजाबाद	सेम्पलिंग टेलर योग्यता-आठवीं पास	नया स्थापित	संचालित
2	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी। पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	21612109	फिरोजाबाद	श्रीमती जानकी देवी कन्या महाविद्यालय, लालऊ रोड, फिरोजाबाद	फील्ड टेक्नीशियन कम्प्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स योग्यता-आठवीं पास	नया स्थापित	संचालित
3	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी।	21612105	फिरोजाबाद	कैम्पस जी0बी0डी0 मॉडर्न स्कूल गढ़ी बरहन, हिम्मतपुर फिरोजाबाद।	सेम्पलिंग टेलर योग्यता-आठवीं पास	नया स्थापित	बन्द
4	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी।	21612107	फिरोजाबाद	नियर नाथ की बगीची, सांती रोड, सैलई, फिरोजाबाद	सेम्पलिंग टेलर योग्यता-आठवीं पास	नया स्थापित	बन्द
5	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी।	21612108	फिरोजाबाद	गली नं0 6, सरस्वती नगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद	सेम्पलिंग टेलर योग्यता-आठवीं पास	नया स्थापित	बन्द
6	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी।	21612109	फिरोजाबाद	एस0एस0 मैमोरियल महाविद्यालय कैम्पस, उसायनी, फिरोजाबाद	सेम्पलिंग टेलर योग्यता-आठवीं पास	नया स्थापित	बन्द
7	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, नोएडा।	222109	शिकोहाबाद	तौमर गैस्ट हाउस, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद	1-टेलर योग्यता-आठवीं पास 2-एकाउटिंग योग्यता-बारहवीं पास	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित

क्र0सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	केन्द्र कोड	तहसील	पता	कोर्स	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
8	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, नोएडा।	222112	टूण्डला	एस0एस0 हायर सैकेन्ड्री स्कूल, श्रीकैला नगर, नियर संगम, मैरिज हॉम, फिरोजाबाद रोड, टूण्डला	एकाउटिंग योग्यता-बारहवीं पास	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
9	मॉस इन्फोटेक सोसायटी पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	27012102	जसराना	एस0के0वी0 मौहल्ला, बनियात, बैंक ऑफ इण्डिया के पास, फरिहा, जसराना	1-टेली कॉलर योग्यता-10+2 पास 2-फील्ड इन्जीनियर योग्यता-10+2 पास	नया स्थापित	बन्द
10	मॉस इन्फोटेक सोसायटी पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	27012102	शिकोहाबाद	नगला कुवंर प्रसाद, मुस्तफाबाद, राज पब्लिक स्कूल के पास रोड, शिकोहाबाद।	1-फील्ड टेक्नीशियन कम्प्यूटिंग एण्ड पेरीफेरल्स योग्यता-बारहवीं पास 2-फील्ड इंजीनियर आर0ए0सी0डब्ल्यू0 योग्यता-बारहवीं पास	नया स्थापित	संचालित
11	स्मार्ट ब्रेन इंजीनियर्स टेक्नोलोजिस्ट प्रा0 लि0	21382101	शिकोहाबाद	915 ए, प्रोफेसर कॉलौनी, शिकोहाबाद।	डोमेस्टिक इलैक्ट्रशियन योग्यता-दसवीं	नया स्थापित	संचालित
12	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति	21252103	टूण्डला	श्री शंकर शिव महाविद्यालय, प्रतापपुर, नियर निहाल सिंह पुलिया, एटा रोड, टूण्डला	डोमेस्टिक इलैक्ट्रीशियन योग्यता-दसवीं	नया स्थापित	संचालित
13	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	21252104	टूण्डला	बाग मुहल्ला, कच्चा टूण्डला, टूण्डला, फिरोजाबाद	1-लोजिस्टिक डॉक्यूमेंट असिसटेंट योग्यता-बारहवीं पास	नया स्थापित	संचालित
14	निसा इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेन्सी, मुम्बई	27732103	टूण्डला	के0आर0वी0 कैम्पस, असन रोड, कोटकी, टूण्डला।	सिक्योरिटी गार्ड	नया स्थापित	संचालित

क्र0सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	केन्द्र कोड	तहसील	पता	कोर्स	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
15	नीफा इन्फोकोम्प सर्विसेज प्रा0लि0	162105	सिरसागंज	रणवीर सिंह श्याम सिंह पी0जी0 महाविद्यालय, इटावा रोड, उखरेण्ड सिरसागंज	एकाउटिंग योग्यता-बारहवीं पास डोमेस्टिक इलैक्ट्रीशियन योग्यता-दसवीं	नया स्थापित	संचालित
16	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर सोसायटी	26982108	टूण्डला	भगवान सिंह सुशीला देवी इण्टर कॉलेज, नारखी रोड, बछगांव चौराहा, फिरोजाबाद।	एकाउण्ट असिसटेंट यूजिंग विद टैली योग्यता-बारहवीं पास	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
17	मेवार यूनिवर्सिटी	27542124	फिरोजाबाद	नियर नाथ की बगीची, सॉथी रोड, सैलई, फिरोजाबाद	डोमेस्टिक इलैक्ट्रीशियन योग्यता-दसवीं	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
18	ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	422101	फिरोजाबाद	अम्बेडकर पार्क, 60 फुटा रोड, सैलई की पुलिया, छात्रावास के पास, फिरोजाबाद	रिटेल टीम लीडर योग्यता-दसवीं	नया स्थापित	संचालित
19	मेवार यूनिवर्सिटी, चित्तौरगढ़।	27442110	टूण्डला	के0सी0 इण्टर कॉलेज, निर्भय गढ़ी, टूण्डला	डोमेस्टिक इलैक्ट्रीशियन योग्यता-दसवीं	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित

जनपद फिरोजाबाद में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

वित्तीय वर्ष 2019–20

क्र0सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	केन्द्र कोड	तहसील	पता	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
1	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी, मथुरा।	21612103	फिरोजाबाद	बसई मोहम्मदपुर भटसेना रोड, फिरोजाबाद	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
2	सेन्ट जॉन्स एजूकेशन सोसायटी। पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	21612109	फिरोजाबाद	श्रीमती जानकी देवी कन्या महाविद्यालय, लालऊ रोड, फिरोजाबाद	गत वि0 वर्ष से संचालित	बन्द
3	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0लि0, नोएडा, यू0पी0	222109	शिकोहाबाद	तौमर गैस्ट हाउस, स्टेशन रोड, शिकोहाबाद	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
4	मॉस इन्फोटेक सोसायटी पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	27012103	शिकोहाबाद	नगला कुंवर प्रसाद, मुस्तफाबाद, राज पब्लिक स्कूल के पास, रोड, शिकोहाबाद।	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
5	मोनास इण्टरनेशनल प्रा0लि0, नोएडा, यू0पी0।	222112	टूण्डला	एस0एस0 हायर सैकेन्ड्री स्कूल, श्रीकैला नगर, नियर संगम मैरिज हॉम, फिरोजाबाद रोड, टूण्डला	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
6	नीफा इन्फोकोम्प सर्विसेज प्रा0लि0	162105	सिरसागंज	रणवीर सिंह श्याम सिंह पी0जी0 महाविद्यालय, इटावा रोड, उखरेण्ड सिरसागंज	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
7	ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान (स्टेट कम्पोनेन्ट) अलीगढ़।	422101	फिरोजाबाद	अम्बेडकर पार्क, 20 फुटा रोड, सैलई की पुलिया, छात्रावास के पास, फिरोजाबाद	गत वि0 वर्ष से संचालित	बन्द
8	एम्बीएंस इन्फोकोम	-	जसराना	मॉर्डन पब्लिक स्कूल, खैरगढ़, जसराना	नया स्थापित	संचालित
9	ग्यान भारती गर्ग जे0वी0	-	टूण्डला	मां दुर्गे आई0टी0आई0 नगला बीच, टूण्डला, एटा रोड, फिरोजाबाद	नया स्थापित	संचालित

क्र0सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	केन्द्र कोड	तहसील	पता	पूर्व से संचालित/नया स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र	वर्तमान स्थिति
10	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति कोटा, राजस्थान पी0एम0के0वी0वाई0 (स्टेट कम्पोनेन्ट)	21252104	टूण्डला	बाग मुहल्ला, कच्चा टूण्डला, टूण्डला, फिरोजाबाद	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
11	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा समिति	21252103	टूण्डला	श्री शंकर शिव महाविद्यालय, प्रतापपुर, नियर हाल सिंह पुलिया, एटा रोड, टूण्डला	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
12	श्री राजीव गांधी कम्प्यूटर सोसायटी	26982108	टूण्डला	भगवान सिंह सुशीला देवी इण्टर कॉलेज, नारखी रोड, बछगांव चौराहा, फिरोजाबाद।	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
13	मेवार यूनिवर्सिटी	27542124	फिरोजाबाद	नियर नाथ की बगीची, सॉथी रोड, सैलई, फिरोजाबाद	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
14	मेवार यूनिवर्सिटी चित्तौरगढ़।	27542110	टूण्डला	के0सी0 इण्टर कॉलेज, निर्भय गढ़ी, टूण्डला	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित
15	स्मार्ट ब्रेन इंजीनियर्स टेक्नोलोजिस्ट प्रा0लि0	21382101	फिरोजाबाद	915 ए, प्रोफेसर कॉलौनी, शिकोहाबाद।	गत वि0 वर्ष से संचालित	संचालित

पी0एस0यू0पी0-एल0-106 विधान सभा (168)-25-08-2021-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।